# छत्तीसगढ़ विधान सभा

(षष्टम्)



खण्ड — 1

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

के

# प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक जुलाई, 2024 को सदन में प्रस्तुत)

# (प्रस्तावना)

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के अध्याय—7 के नियम—51 के अनुसार इस संकलन में फरवरी—मार्च, 2024 सत्र हेतु नियत बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों का संकलन सम्मिलित किया गया है। साथ ही यथासमय प्राप्त पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को भी मुद्रित कराया गया है।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [................................]
के अंदर मुद्रित है । इस संकलन में सामान्य प्रशासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, खेलकूद एवं युवा कल्याण, वाणिज्य एवं उद्योग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, द्राम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा वित्त विभागों के प्रश्न एवं यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित की गयी है।

रायपुर,

दिनांक: 09 जुलाई, 2024.

दिनेश शर्मा सचिव

# विषय सूची

क्रमांक	विषय	 पृष्ठ संख्या
1.	फरवरी—मार्च, 2024 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1-25
2.	फरवरी—मार्च, 2024 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	26-153
3.	फरवरी—मार्च, 2024 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन	154-217
	तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची	

\_\_\_\_\_

# फरवरी-मार्च, 2024 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

# पीडीएस के तहत संचालित दुकानों की जांच [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (क्र. 58) श्री धरमलाल कौशिक: क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ता. प्र. सं. 03 (क्र. 844) दिनांक 17 मार्च, 2023 पर चर्चा के दौरान मंत्री जी के द्वारा 24 मार्च, 2023 तक परीक्षण करने की अंतिम तिथि घोषित की गई थी? यदि हाँ,तो क्या घोषणा के अनुरूप परीक्षण/जांच पूर्ण हो गई है तथा परीक्षण/जांच किसके द्वारा की गई है? परीक्षण/जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई है तथा इसके निष्कर्ष क्या थे? कितनी दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा उक्त दोनों जांच/सत्यापन में कुल कितनी दुकानों में चावल, चना, शक्कर के संबंध में स्टाक, आवक-जावक, वितरण व शेष से संबंधित अनियमितता/अंतर पाया गया है? जिलेवार, दुकानसंख्यावार, मात्रावार, सामग्रीवार व राशिवार जानकारी देवें ?(ख) कितनी दुकानों को भौतिक सत्यापन के पश्चात् नोटिस जारी किया गया है ? कितनों को निलंबित व निरस्त किया गया है तथा कितने दुकानदारों व विभागीय कर्मियों के विरूद्ध पुलिस/विभागीय जांच प्रारंभ की गई है? जिलेवार जानकारी देवें ? (ग) क्या केन्द्र सरकार के द्वारा इस या विगत वित्तीय वर्ष में भेजे गए अधिकारियों द्वारा, छत्तीसगढ़ में पीडीएस चावल व अन्य खाद्यान्न संबंधी जांच/परीक्षण किया गया है ? यदि हाँ,तो कब, किसके द्वारा किया गया तथा जांच के निष्कर्ष/तथ्य क्या थे तथा क्या-क्या अनियमितता/किमियों की जानकारी दी गई है?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : [(क) जी हां। उचित मूल्य दुकानों के माह सितम्बर, 2022 के बचत स्टॉक का सत्यापन खाद्य निरीक्षक/सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा किया गया तथा जांच रिपोर्ट दिसम्बर, 2022 से मई, 2023 के दौरान प्रस्तुत किया गया। राज्य की कुल 13,392 उचित मुल्य दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा जांच उपरांत दुकानों में जितने राशन सामग्री के स्टॉक में कमी पाई गई उनकी जिलेवार, दुकान संख्यावार, राशन सामग्री की मात्रावार तथा अनुमानित राशि की जानकारी संलग्न **प्रपत्र - अ अनुसार** है। (ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र - ब** अनुसार है। (ग) जी हां। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के उप सचिव, श्री एस.आर. मीणा, श्री राजेश कुमार पांढीर अवर सचिव के जांच दल द्वारा दिनांक 10.05.2023 से 12.05.2023 तथा दिनांक 24.07.2023 से 27.07.2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह सितम्बर, 2022 की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों के भौतिक सत्यापन के संबंध में जांच परीक्षण किया गया। जांच दल द्वारा प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 06 जून, 2023 में सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन स्थापित किये जाने, दुकानों से राशन सामग्री के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेत् कार्ययोजना बनाने, पीडीएस राशन सामग्री के परिवहन तथा वितरण हेत् दुकानों की निगरानी तथा जांच के सुदृढ़ीकरण, उचित मूल्य दुकानों की निगरानी समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने तथा पीडीएस स्टॉक की अनियमितता की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने के मुख्य निर्देश दिये गये हैं।](क) जी हां। उचित मूल्य दुकानों के माह सितम्बर, 2022 के बचत स्टॉक का सत्यापन खाद्य निरीक्षक/सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा किया गया तथा जांच रिपोर्ट दिसम्बर, 2022 से मई, 2023 के दौरान प्रस्तुत किया गया। राज्य की कुल 13,392 उचित मूल्य दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा जांच उपरांत दुकानों में जितने राशन सामग्री के स्टॉक में कमी पाई गई उनकी जिलेवार, दुकान संख्यावार, राशन सामग्री की मात्रावार तथा अनुमानित राशि की जानकारी संलग्न **प्रपत्र - अ अनुसार** है।(ख) जानकारी **संलग्न प्रपत्र -ब** अनुसार है। (ग) जी हां। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के उप सचिव, श्री एस.आर. मीणा, श्री राजेश कुमार पांढीर अवर सचिव के जांच दल द्वारा दिनांक 10.05.2023 से 12.05.2023 तथा दिनांक 24.07.2023 से 27.07.2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह सितम्बर, 2022 की स्थिति में उचित मूल्य दुकानों के भौतिक सत्यापन के संबंध में जांच परीक्षण किया गया। जांच दल द्वारा प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतः शेष प्रश्नांश की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। इस संबंध में केन्द्र सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 06 जून, 2023 में सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन स्थापित किये जाने, दुकानों से राशन सामग्री के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु कार्ययोजना बनाने, पीडीएस राशन सामग्री के परिवहन तथा वितरण हेत् दुकानों की निगरानी तथा जांच के

सुदृढ़ीकरण, उचित मूल्य दुकानों की निगरानी सिमतियों की नियमित बैठक आयोजित करने तथा पीडीएस स्टॉक की अनियमितता की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करने के मुख्य निर्देश दिये गये हैं।

[पुनरीक्षित उत्तर]

### परिशिष्ट – एक

# प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये ऋण व उन पर ब्याजों व मूलधन की अदायगी [वित्त ]

2. (क्र. 64) श्री अजय चंद्राकर: क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 30 नवबंर 2023, की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण की राशि में से सरकार द्वारा कितना-कितना प्रतिशत राजस्व व पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग किया जा सकता है? (ख) 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में प्रदेश सरकार का कुल कितना ऋण है, और यह 2023 मुख्य बजट का कितना प्रतिशत होता है? उसकी ब्याज अदायगी प्रतिवर्ष की दर से कितनी है? (ग) 10 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा कितना ऋण, किन-किन संस्थाओं से किस दर पर, कितनी अवधि के लिये, कब-कब, किन-किन उदेश्यों के लिये लिया गया है? उनमें से कितनी-कितनी राशि का उपयोग राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में किया गया? (घ) 10 दिसंबर, 2018 से 30 नवंबर, 2023 तक प्रत्याभूति ऋण किन-किन निगम-मंडल/बोर्ड द्वारा कितना ऋण, कितनी अवधि के लिए लिया गया है? उनमें से मूलधन की कितनी राशि की अदायगी हो चुकी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : [(क) लिये जाने वाले ऋणके राजस्व एवं पूंजीगत व्यय हेत् उपयोग के संबंध में कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है।(ख) 30 नंबवर, 2023 की स्थिति में प्रदेश सरकार पर कुल 91,520 करोड़ का ऋणहै, और यह 2023 मुख्य बजट का 75.32 प्रतिशत है। अलग-अलग समय पर लिये गये ऋणकी ब्याज दर अलग-अलग है। कुल ऋणपर किये गये वार्षिक ब्याज भुगतान के आधार पर औसत ब्याज दर 7.60 प्रतिशत है। (ग) महालेखाकार से अंतिम लेखो की जानकारी मासिक रूप से प्राप्त होता है अत: 1 दिसंबर, 2018 से 30 नबंवर, 2023 की स्थिति में राज्य विकासमूलक कार्यों हेतु लिये गये ऋणकी जानकारी ''संलग्न प्रपत्र'' अनुसार है। ऋणराज्य के समग्र संसाधन का भाग है एवं लिये गये ऋणों में से व्यय का राजस्व एवं पुंजीगत व्यय के रूप में one to one mapping नहीं किया जाता है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) लिये जाने वाले ऋणके राजस्व एवं पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग के संबंध में कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है। (ख) 30 नंबवर, 2023 की स्थिति में प्रदेश सरकार पर कुल 91,520 करोड़ का ऋणहै, और यह 2023 मुख्य बजट का 75.32 प्रतिशत है। अलग-अलग समय पर लिये गये ऋणकी ब्याज दर अलग-अलग है। कुल ऋणपर किये गये वार्षिक ब्याज भगतान के आधार पर औसत ब्याज दर 7.60 प्रतिशत है। (ग) महालेखाकार से अंतिम लेखो की जानकारी मासिक रूप से प्राप्त होता है अत: 1 दिसंबर, 2018 से 30 नबंवर, 2023 की स्थिति में राज्य विकासमूलक कार्यों हेतु लिये गये ऋणकी जानकारी ''संलग्न प्रपत्र'' अनुसार है। ऋण राज्य के समग्र संसाधन का भाग है एवं लिये गये ऋणों में से व्यय का राजस्व एवं पंजीगत व्यय के रूप में one to one mapping नहीं किया जाता है। अत: जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।(घ) संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

# परिशिष्ट - दो

# संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के पेचवर्क सुधार, संधारण/मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत राशि [लोक निर्माण]

3. (क्र. 217) श्रीमती संगीता सिन्हा: क्या उप मुख्यमंत्री ( लोक निर्माण ), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में दिनांक 11 जनवरी, 2024 तक संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़कों के पेचवर्क सुधार, संधारण/मरम्मत कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? कितने सड़कों का, कितनी-कितनी राशि से, किस-किस एजेंसी/फर्म के माध्यम से,पेचवर्क

सुधार, संधारण व मरम्मत कार्य कराया गया? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) कण्डिका 'क' की किन-किन सड़कों में गुणवत्ताहीन कार्य किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उप मुख्यमंत्री ( लोक निर्माण ) (श्री अरूण साव): [(क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे अनुसार है।](क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[पुनरीक्षित उत्तर ]

परिशिष्ट - तीन

# छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पश्चात् फर्जी जाति प्रकरण की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास ]

4. (क्र. 220) श्री पुरन्दर मिश्रा: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक फर्जी जाति मामले में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारियों की शिकायतों पर जांच हुई है? (ख) यदि जांच हुई है तो कितने अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही हुई? अद्यतन जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ (क वर्ष (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक फर्जी जाति मामले में कुल 42 अधिकारी कर्मचारियों की शिकायतों पर जांच हुई है।/ (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क वर्ष (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक फर्जी जाति मामले में कुल 42 अधिकारीकर्मचा/रियों की शिकायतों पर जांच हुई है। (ख) जांच किये गये प्रकरणों में से 09 कर्मचारियों को सेवा से पृथक् किया गया है, 02 कर्मचारियों के निधन हो जाने एवं 03 कर्मचारियों के सेवा निवृत्त हो जाने से कार्यवाही नहीं की गई, 01 कर्मचारी की पेंशन पर रोक लगाई गई है, 02 कर्मचारियों की नियुक्ति अनराक्षित वर्ग से होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी, 16 कर्मचारियों के प्रकरणों में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन आदेश प्रदत्त है, 06 कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र सही पाये गये, 01 कर्मचारी के द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया गया एवं 02 कर्मचारियों के प्रकरण पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

# राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य शासन की सेवा में लिए जाने हेतु प्रावधान [खेलकूद एवं युवा कल्याण ]

5. (क्र. 275) श्री धर्मजीत सिंह: क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को शासन द्वारा शासकीय सेवा में अवसर दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विस्तृत विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के तहत् विगत 03 वर्षों में कौन-कौन से विभाग द्वारा कौन-कौन से खेलों में कौन-कौन से खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में अवसर दिया गया हैं? विस्तृत विवरण देवें?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा): [(क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के प्रावधान हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की शासकीय सेवा में नियुक्ति की नीति 2007, 2010 एवं 2016 के तहत प्रावधान है।(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि के आधार पर उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के प्रावधान हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की शासकीय सेवा में नियुक्ति की नीति 2007, 2010 एवं 2016 के तहत प्रावधान है।(ख) जानकारी संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है।

# परिशिष्ट - चार

# बीजापुर जिले के नक्सल पीडित परिवारों की जानकारी [गृह ]

6. (क्र. 348) श्री विक्रम मंडावी: क्या उप मुख्यमंत्री (गृह), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में बीजापुर जिले में कुल कितने परिवार नक्सल पीडि़त हैं? (ख) नक्सल पीडि़त कितने परिवारों के परिवारजन को वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 की अविध में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है? यदि नहीं तो कब तक अनुकम्पा नौकरी प्रदान की जायेगी? (ग) वर्तमान में जनवरी, 2021 से 20/01/2024 तक कितने नक्सल पीडि़त परिवारों को पुर्नवास की सुविधा प्रदान की गई है?

उप मुख्यमंत्री ( गृह ) (श्री विजय शर्मा): [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।(ख)एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ] (क)प्रश्नाशं अविध तक की स्थिति में बीजापुर जिले में कुल 98 परिवार नक्सल पीड़ित है। (ख)प्रश्नाधीन अविध में46 नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नौकरी प्रदान की गई है। नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत नौकरी अथवा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस संबंध में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रावधान अनुसार निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जाती है। (ग)जिला बीजापुर में प्रश्नाधीन अविध तक कुल 101 नक्सल पीड़ित परिवारों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान की गई है।

# कृषि उपकरण एवं सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

7. (क्र. 400) श्री धरमलाल कौशिक: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2023 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण और पेस्टीसाईड प्रदाय हेतु, किसे, कितनी मात्रा में, किस दर पर व कुल कितनी राशि हेतु क्रय आदेश जारी किया गया है? सामग्री कब प्रदाय की जानी थी, कब-कब, कितनी मात्रा में प्रदाय की गई और कितनी सामग्री निर्धारित समय-सीमा में प्रदाय नहीं की गई व क्यों? इसमें से कितनी सामग्री (बीज व उर्वरक) निर्धारित खरीफ/रबी सीजन के लिये आदेशित की गई, मगर उक्त खरीफ/रबी सीजन में प्राप्त नहीं हुई और उसके पश्चात् प्राप्त हुई? जिलेवार, सामग्रीवार व फर्मवार जानकारी देवें? (ख) प्राप्त सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण कहां पर, किसके द्वारा कराया गया तथा परीक्षण की रिपोर्ट क्या प्राप्त हुई? क्या उक्तानुसार परीक्षण, निवेदा/अनुबंधों की शर्तों के अनुसार प्रयोगशाला में कराया गया है? यदि नहीं तो किन-किन का नहीं कराया गया? (ग) जिन जिलों में सामग्री, निर्धारित समय में प्राप्त नहीं हुई है क्या उनके क्रय आदेश निरस्त किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम):[ (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।। (क) प्रदेश में 01 जनवरी 2023 से 23 जनवरी 2024 तक संचालनालय कृषि अंतर्गत खरीफ एवं रबी मौसम में तरल रासायनिक उर्वरक/सूक्ष्म पोषक तत्व/जैव उर्वरक/कल्चर, बीज, कृषि उपकरण एवं कीटनाशकों की प्रदायगी हेतु आदेशित मात्रा, दर, कुल राशि, सामग्री प्राप्ति तिथि एवं मात्रा तथा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्राप्त होने अथवा नहीं होने की कारण सहित जिलावार, मौसमवार, सामग्रीवार, फर्मवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, प्रपत्र स, प्रपत्र द, प्रपत्र इ, प्रपत्र फ, प्रपत्र ग एवं **प्रपत्र ज अनुसार है।** रासायनिक उर्वरको (तरल रासायनिक उर्वरक को छोडकर) की प्रदायगी हेत् किसी फर्म या संस्था को आदेश जारी नहीं किया जाता अपित फसल मौसमवार उर्वरकों की मांग भारत सरकार को प्रेषित की जाती है, जिस पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर माहवार प्लान अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति की जातीहै। प्रश्नाधीन अवधि में ही संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण औरपेस्टीसाईड की प्रदायगी हेतु आदेशित मात्रा, दर, कुल राशि, सामग्री प्राप्ति तिथि एवं मात्रा तथा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्राप्त होने अथवा नहीं होने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, ख, ग, घ, ड. एवं च अनुसार है।** (ख)छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगत लिमि. विभिन्न आदानो की आपूर्ति हेत् निविदा आमंत्रित कर कंपनियो/ फर्मों से दर अनुबंध (आर.सी.ओ.) किया जाकर संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी को मांग अनुसार बीज, कृषि उपकरण, तरल रासायनिक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक/कल्चर एवं कीटनाशको की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा संचालनालय उद्यानिकी के तहत स्थापित शासकीय उद्यान

रोपणियों से भी उद्यानिकी फसलो के पौध सामग्री/बीज की आपूर्ति की जाती है। प्रश्नांश "क" अनुसार संचालनालय कृषि को प्राप्त आदान सामग्रियों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं को नमूने प्रेषण का कार्य उर्वरक/बीज/कीटनाशक से संबंधित अधिनियम/नियम/आदेश में निहित प्रावधानों के अध्याधीन विभागीय उर्वरक/बीज/कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। संचालनालय कृषि को प्राप्त सामग्रियों के गुणवत्ता परीक्षण की जिलावार, मौसमवार, सामग्रीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ, ब, स, द, इ, फ एवं ग अनुसार है। कृषि उपकरण के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। संचालनालय उद्यानिकी के तहत मात्र बीज गुणवत्ता परीक्षण का कार्य किया जाता है। इस हेतु बीज अधिनियम/नियम/आदेश के प्रावधानों अनुसार बीज निरीक्षको द्वारा बीजों के नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को प्रेषित किये जाते है। संचालनालय उद्यानिकी को प्राप्त सामग्रियों के गुणवत्ता परीक्षण की जिलावार, मौसमवार, सामग्रीवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र क, ख, ग, घ, ड. एवं च अनुसार है।(ग) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा निष्पादित दर अनुबंध (आर.सी.ओ.) की शर्तो के अनुसार प्रदायकर्ता कंपनियो/फर्मस् को प्रदाय आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर आदान सामग्रियों की आपूर्ति करना होता है। इस स्थिति के तहत प्रश्नांश "क" की अविध के दौरान जिन जिलों में समयाविध में सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, उनके प्रदाय आदेश निरस्त किये गये है।

# <u>छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लि. द्वारा किये गये कार्यो में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही</u> । लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 1

8. (क्र. 483) श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2020 से दिनांक 10 जनवरी,2024 तक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लि. द्वारा कितनी लागत से, कहां-कंहा पर, किस-किस प्रकार के स्वास्थ्य भवन व अन्य प्रकार के भवन निर्माण/उपकरण/दवा खरीदी किन-किन ठेकेदारों के माध्यम से की गयी है? कितने कार्य पूर्ण हैं तथा कितने अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण क्यों ठेकेदारों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है? क्या ठेकेदारों के विरूद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो ठेकेदारों के नाम बतावें तथा क्या कार्यवाही की गई बतावें? विधानसभावार जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल): [ जानकारी एकत्रित की जा रही है। ] जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है।

# प्रदेश में संचालित आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम के नोडल विभाग [सामान्य प्रशासन ]

9. (क्र. 657) श्री धरमलाल कौशिक: क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम संचालित हैं तथा इनके प्रशासकीय/नोडल विभाग कौन-कौन से हैं? प्रश्न दिनांक की स्थिति में इनमें कुल कितने पद अध्यक्ष व सदस्यों हेतु स्वीकृत, भरे व रिक्त हैं? क्या यह सही है कि विभिन्न आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम में आरक्षित पदों के अनुसार नियुक्ति अगस्त, 2023 की स्थिति में नहीं की गई थी? यदि हाँ तो क्यों व इसके लिये उत्तरदायी कौन है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय): [ जानकारी एकत्रित की जा रही है। ] प्रदेश में कुल 51-आयोग, 24-मण्डल, 12-प्राधिकरण व 13-निगम संचालित है, इनके प्रशासकीय/नोडल विभाग की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में 87 अध्यक्ष/संस्था प्रमुख व 459 सदस्यों हेतु पद स्वीकृत है, जिसमें 40 अध्यक्ष/संस्था प्रमुख व 185 सदस्य के पद भरे है व अध्यक्ष/संस्था प्रमुख के 47 तथा सदस्य के 274 पद रिक्त है।यह सही नहीं है कि विभिन्न आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम में आरक्षित पदों के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई थी। अतः उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

### परिशिष्ट - पाँच

# बीज विकास निगम द्वारा उर्वरक, बीज, पेस्टीसाईड इत्यादि का क्रय [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

10. (क्र. 764) सुश्री लता उसेंडी: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2023 तक बीज विकास निगम द्वारा उर्वरक, बीज, संकर बीज (हाईब्रीड), पेस्टीसाईड, माईक्रोन्यूट्रीयेन्ट, बायो-फर्टिलाईजर का क्रय किया गया है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है? क्या प्राप्त सामग्री को नोटिफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण की शर्त रखी गई थी? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) कंडिका "क" अनुसार कितनी सामग्रियों के क्रय पश्चात् गुणवत्ता परीक्षण नोटिफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला से नहीं कराया गया? वर्षवार, सामग्रीवार जानकारी देवें? इन सामग्रियों के लिये किन-किन फर्मो को, कितनी-कितनी राशि का भुगतान, किसके द्वारा किया गया है? वर्षवार, फर्मवार, राशिवार जानकारी देवें? (ग) विभाग द्वारा किस-किस प्रयोगशाला को उपरोक्त सामग्रियों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु उक्त अवधि में अधिसूचित प्रयोगशाला निर्धारित किया गया ? प्रयोगशालावार, सामग्रीवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क)जी हां। अप्रेल 2021 से नवम्बर 2023 तक छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा शासन के आदेश क्रमांक 5467 दिनांक 20.11.2011 के तहत प्रमाणित बीज का क्रय किया गया है। संकर बीज (हाईब्रीड), पेस्टीसाइड, माइक्रोन्यूट्रियेंट, बायो फर्टिलाइजर के लिए नियमानुसार आर.सी.ओ. के माध्यम से बीज निगम द्वारा दर निर्धारित किया जाता है, सामग्री का क्रय बीज निगम द्वारा नहीं किया जाता है। क्रेता विभाग द्वारा बीज निगम से निर्धारित की गई आर.सी.ओ. के तहत आवश्यकता अनुसार क्रय किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण हेतु क्रेता विभाग को प्राप्त सामग्री का सेंपल टेस्टिंग शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को नियमानुसार भेजने के संबंध में दर निर्धारण संबंधी जारी पत्रों में शर्त रखी गई है। वर्षवार, सामग्रीवार क्रय की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) कंडिका "क" अनुसार क्रय सामग्रियों में से क्रेता विभाग द्वारा अप्रैल, 2021 से नवंबर, 2023 तक रासायनिक उर्वरक एवं प्रमाणित बीज के गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रेषित समस्त नमूनें अधिसूचित प्रयोगशाला में विश्लेषित कराये गये है। अप्रेल 2021 से नवम्बर 2023 तक संकर बीज, कीटनाशक, माइक्रोन्यूट्रियेन्ट एवं बायोफर्टिलाईजर के गुणवत्ता परीक्षण हेतु गैर अधिसूचित प्रयोगशालाओं को प्रेषित नमूनों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:-

	गैर अधिसूचित प्रयोगशाला	ओं को प्रेषित नमूनों की सं	ख्या
आदान सामग्री	2021-22	5 0	
	2021-22	2022-23	
संकर बीज	12	5	0
कीटनाशक	2	6	14
माइक्रोन्यूट्रियेन्ट	4	5	0
बायोफर्टिलाईजर	0	2	4

संकर बीज, कीटनाशक, माइक्रोन्यूट्रियेन्ट एवं बायोफर्टिलाईजर में से जिन सामग्रियों का विश्लेषण गैर अधिसूचित प्रयोगशालाओं में कराया गया है। वर्षवार, सामग्रीवार एवं फर्मवार भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र - ब, प्रपत्र - स, प्रपत्र - द, एवं प्रपत्र - इ अनुसार है।(ग) अप्रैल 2021 से नवंबर, 2023 तक की अविध में विभिन्न सामग्रियों हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाओं की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क अनुसार है।

[पथक वितरित उत्तर]

# प्रदेश में उर्वरक, बीज,पेस्टीसाईड इत्यादि के गुणवत्ता परीक्षण हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाएं [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

11. (क्र. 789) श्री राजेश मूणत: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में उर्वरक, बीज, संकर बीज (हाईब्रीड), पेस्टीसाईड, माईक्रो न्यूट्रीयेन्ट, बायो-फर्टिलाईजर की गुणवत्ता परीक्षण हेतु

कौन-कौन सी प्रयोगशाला को अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2023 तक अधिसूचित माना गया है?प्रयोगशालावार व सामग्रीवार जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि कंडिका "क" अविध में विभाग द्वारा अनेक नमूनों को अधिसूचित प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया तथा कई नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण ही नहीं कराया गया और भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो किन सामग्रियों का परीक्षण नहीं कराया गया या अधिसचित प्रयोगशाला में नहीं कराया गया? जबिक अनुबंध/निविदा/आर.सी.ओ. में इसका प्रावधान था तथा संबंधित फर्मों को किस आधार पर, किसके द्वारा, कितना भुगतान किया गया? सामग्रीवार, राशिवार, फर्मवार व भुगतानकर्ता अधिकारीवार जानकारी देवें?

**आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [** (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।। (क)अप्रैल 2021 से नवंबर, 2023 तक की अवधि में विभिन्न सामग्रियों यथा रासायनिक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, प्रमाणित बीज एवं कीटनाशक के गुणवत्ता परीक्षण हेत् अधिसूचित प्रयोगशालाओं का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रश्नाधीन अवधि में संकर बीजों के संकरता परीक्ष्ण हेतु कोई प्रयोगशाला अधिसूचित नहीं है।(ख) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. विभिन्न आदानों की आपूर्ति हेत् निविदा आमंत्रित कर कंपनियो/फर्मीं से दर अनुबंध (आर.सी.ओ.) किया जाकर संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी को मांग अनुसार बीज, तरल रासायनिक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक/कल्चर एवं कीटनाशको की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा संचालनालय उद्यानिकी के तहत स्थापित शासकीय उद्यान रोपणियों से भी उद्यानिकी फसलो के पौध सामग्री/बीज की आपूर्ति की जाती है। उर्वरक एवं प्रमाणित बीजों के समस्त नमूने तथा सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक एवं कीटनाशक के अधिकांश नमुनों का परीक्षण अधिसूचित प्रयोगशालाओं में कराया गया है। चूंकि संकर बीजों के संकरता परीक्षण हेत् प्रयोगशाला अधिसूचित नहीं है, अतः संकर बीज के नमूनों का परीक्षण गैर अधिसूचित प्रयोगशालाओं में कराया गया है। प्रश्नांश ''क'' अनुसार संचालनालय कृषि को प्राप्त आदान सामग्रियो के गुणवत्ता परीक्षण हेत् प्रयोगशालाओं को नमूने प्रेषण का कार्य उर्वरक/बीज/कीटनाशक से संबंधित अधिनियम/ नियम/आदेश में निहित प्रावधानों के अध्याधीन विभागीय उर्वरक/बीज/कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। संचालनालय कृषि अंतर्गत वर्षवार, जिलावार, सामग्रीवार, राशिवार, संस्थावार, अधिकारीवार भुगतान एवं भुगतान के आधार की जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब, स, द, इ, फ, ग, ह, ई एवं ज अनुसार है। संचालनालय उद्यानिकी के तहत मात्र बीज गुणवत्ता परीक्षण का कार्य किया जाता है। इस हेत् बीज अधिनियम/नियम/आदेश के प्रावधानों अनुसार बीज निरीक्षको द्वारा बीजो के नमूने लेकर प्रयोगशालाओ को प्रेषित किये जाते है। संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत वर्षवार, जिलावार, सामग्रीवार, राशिवार, संस्थावार, अधिकारीवार भूगतान एवं भूगतान के आधार की जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, ख, घ, ड., च, छ, झ, ' एवं ट अनुसार है।

# प्रदेश में पंजीकृत धार्मिक न्यास ट्रस्ट धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व 1

12. (क्र. 806) श्री अजय चंद्राकर: क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 30 नवंबर, 2023 की स्थिति में कितने पंजीकृत धार्मिक न्यास/ट्रस्ट गठित हैं? कितने ऐसे ट्रस्ट हैं, जिनके नियमित चुनाव होते हैं और कितने ऐसे ट्रस्ट हैं, जिनके अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं? उन न्यासों के अध्यक्ष कौन-कौन है? जिलावार, विधानसभावार बतायें? (ख) उक्त किन-किन ट्रस्टों में कितनी-कितनी संपत्ति है तथा राशि व्यय करने के संबंध में शासन के क्या नियम-निर्देश हैं? किन-किन कार्यों में व्यय किये जा सकते हैं? विगत पांच वर्षों में कौन-कौन से वर्ष में, किन-किन कार्यों के लिये, कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री बृजमोहन अग्रवाल): [ (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) प्रदेश में 30 नवम्बर 2023 की स्थिति में 855 धार्मिक न्यास ट्रस्ट पंजीकृत है। 90 में नियमित चुनाव एवं 765 में चुनाव नहीं हुए है। न्यासों के अध्यक्ष की जिलावार/ विधानसभावार जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है। (ख) ट्रस्टों की संपत्ति, 05 वर्ष में व्यय की गई राशि एवं कार्यों की जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र" अनुसार है। राशि व्यय करने एवं किन-किन कार्यों में व्यय किये जाने के संबंध में शासन के कोई नियम/निर्देश नहीं है।

# नरवा-गरवा-घुरवा-बारी योजना व गौ-धन न्याय योजना हेतु बजट प्रावधान एवं व्यय राशि [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

13. (क्र. 810) श्री अजय चंद्राकर: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरवा-गरवा-घुरवा-बारी योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में 30 नवंबर, 2023 तक कितनी-कितनी राशि बजट में प्रावधानित थी? क्या इस योजना अंतर्गत अन्य मदों की राशि का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि, किन-किन मदों से व्यय की गयी? यदि यह नियम के प्रतिकूल है तो किसके निर्देश पर व्यय की गयी और उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी? (ख) गो-धन न्याय योजना कब से लागू हुई? उसका उद्देश्य क्या है? उक्त वर्षों में कितना-कितना बजट प्रावधान था? कितने रूपये की, कितनी मात्रा में, खरीदी की गयी? उनमें से कितनी मात्रा, कितनी राशि के गोबर से कौन-कौन से उत्पाद बनाये गए तथा उन उत्पादों की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुयी? कितनी मात्रा में, कितने मूल्य का गोबर, किन कारणों से नष्ट हुआ? (ग) प्रदेश में गो-मूत्र खरीदी प्रांरभ दिनांक से 30 नवंबर, 2023 तक कितने लीटर, कितने रूपये का गो-मूत्र, किन-किन मदों की राशि से खरीदा गया? क्या-क्या उपयोग किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) एवं (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) नरवा,गरवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना हेतु वर्ष 2019-20 से 2023-24 में दिनांक 30 नवंबर, 2023 तक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को छोड़कर संचालनालय कृषि, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, पशुधन विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा जल संसाधन विभाग में पृथक से बजट प्रावधान नहीं है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अंतर्गत प्रशाधीन अवधि में वर्षवार प्रावधानित बजट निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (राशि रू. लाख में)
2019-20	0.00
2020-21	5000.00
2021-22	1950.00
2022-23	1000.00
2023-24 (30 नवंबर, 2023 तक)	1000.00
योग	8950.00

नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी घटकों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं से अभिसरण कर योजनाओं में निहित प्रावधानों के अध्याधीन सक्षम अनुमोदन उपरांत राशि का व्यय किया गया है। वर्षवार, योजनावार, मदवार व्यय राशि की जानकारी संलग्न प्रपन्न-अ अनुसार है।(ख) गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020 से लागू की गई है, इसका उद्देश्य पशुपालकों की आय में वृद्धि, पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक, जैविक खाद के उपयोग एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्धता को बढ़ावा एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग में कमी लाना, स्थानीय स्व-सहायता समूहों को रोजगार के अवसर प्रदान करना आदि है। गोधन न्याय योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में क्रमशः राशि रू. 2700.00 लाख, 17500.00 लाख, 17510.00 लाख एवं 17510.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। वर्षवार गोबर क्रय मात्रा व राशि, गोबर से उत्पाद निर्माण हेतु प्रयुक्त गोबर मात्रा, निर्मित उत्पाद मात्राए विक्रय मात्रा व राशि का विवरण एवं गोबर नष्ट होने के कारण की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ग) प्रदेश में गौ-मूत्र खरीदी प्रारंभ दिनांक से 30 नवम्बर, 2023 तक कुल मात्रा 2,54,531 लीटर कुल राशि रू. 10.67 लाख की गौ-मूत्र खरीदी गोठान समिति/स्व-सहायता समूहों के द्वारा की गई। गौ-मूत्र खरीदी में शासकीय धन राशि का उपयोग नहीं किया गया है। गौ-मूत्र मात्रा 242899 लीटर का उपयोग कर 1,31,397 लीटर कीट नियंत्रक, 36702 लीटर वृद्धि वर्धक, 2527 लीटर ब्रम्हास्त्र एवं 25 लीटर अन्य गौ-मूत्र अर्क तैयार करने में किया गया है। जिलेवार जानकारी तथा गौ-मूत्र क उपयोग संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।

[पृथक वितरित उत्तर ]

# खाद बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

14. (क्र. 811) श्री अजय चंद्राकर: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से 2023-24 (30 नवंबर, 2023) तक कौन-कौन से एवं कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज की मांग थी ? मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई ? उनमें से निजी संस्थाओं एव सरकारी संस्थाओं को किस अनुपात में देने का प्रावधान है और किस अनुपात में, कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया ? इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने मूल्यों पर विक्रय किया गया ? जानकारी वर्षवार अलग-अलग बतायें ? (ख) प्रश्नांक "क" किसानों की मांग के अनुरूप कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक व बीज की कमी आयी एवं सहकारी संस्था को वितरण की गयी ? रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज को किसानों को कितनी-कितनी दरों पर विक्रय किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : [ कि) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) **जानकारी संकलित की जा रही है। ]** (क)प्रदेश में खरीफ एवं रबी मौसम की वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 (30 नवंबर 2023 तक) रासायनिक उर्वरकों की मांग एवं केंन्द्र सरकार द्वारा की गई आपूर्ति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** खरीफ या रबी मौसम के लिए कृषि विभाग द्वारा सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिए आँकलित उर्वरक की मांग अनुसार सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की आपूर्ति मार्कफेड द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों में पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक रेक की सामान्यतः 60% मात्रा (आवश्यकता पडने पर बढाई जाती है) मार्कफेड द्वारा भण्डारित की जाती है। वर्षवार-मौसमवार सहकारी एवं निजी क्षेत्र को उपलब्ध करायी गयी मात्रा एवं अनुपात की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है।** उर्वरक कंपनी द्वारा निजी संस्थाओं को विक्रय किये गये उर्वरक की दर तथा निजी संस्थाओं के द्वारा किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक की दर का वर्षवार जानकारी पस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।वर्षवार खरीफ एवं रबी मौसम की बीज मांग की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स **अनुसार है।** प्रदेश की सहकारी समितियों को बीज की आपूर्ति छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि.(बीज निगम) के द्वारा की जाती है। बीज निगम अथवा राज्य सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र को बीज की आपर्ति नहीं की जाती।(ख)प्रश्नांश "क" अवधि में मांग के अनुरूप रासायनिक उर्वरक व बीज की कमी की जानकारी निरंक है। किसानों को विक्रय किये गये उर्वरक के दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द एवं बीज के दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ अनुसार है।

# प्रदेश में सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि का रकबा व उत्पादन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन 1

15. (क्र. 812) श्री अजय चंद्राकर: क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सिंचित एवं असिंचित कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) कितना है ? वर्ष 2019-20 से 2023-24 (30 नवंबर, 2023 तक) में कितने हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में कमी आयी है और उसका कारण क्या है ? वर्षवार अलग-अलग बतायें ? (ख) प्रश्लांश ''क" अंतर्गत कौन-कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है तथा उक्त वर्षों में कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ? सरकार द्वारा कौन-कौन सी फसलों को, किस दर पर, कितनी मात्रा में खरीदी की गयी ? वर्ष 2019-20 से 2023-24 में दिनांक 30 नवंबर, 2023 तक अलग-अलग वर्षवार बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा): [ (क) एवं (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। ] (क) जानकारी प्रपत्र अ में संलग्न अनुसार है। वर्ष 2019-20से 2023-24 (30 नवंबर 2023 तक) में भूमि स्वामी द्वारा भूमि का उपयोग नहीं किये जाने या कृषि कार्य नहीं करने के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। जानकारी वर्षवार प्रपत्रब में संलग्न अनुसार है। (ख) जानकारी प्रपत्र स में संलग्न अनुसार है। खरीफ वर्ष 2019-20 से 2023-24 में 30 नवम्बर 2023 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की गई है। वर्षवार समर्थन मूल्य एवं खरीदे गए धान की मात्रा की जानकारी प्रपत्र द में संलग्न अनुसार है।

[पृथक वितरित उत्तर]

# फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले के विरुद्ध प्रकरणों मेंजांच [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास ]

16. (क्र. 850) डॉ. चरण दास महंत: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च स्तरीय छानबीन समिति में 20 जनवरी, 2024 तक की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के विरुद्ध कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध हैं ? कितने फर्जी पाए गए हैं ? (ख) प्रश्नांश 'क' के अनुसार कितने प्रकरणों में जांच पूरी हुई ? कितने प्रकरणों में जांच प्रचलन में है ? जांच के पश्चात दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संबंधित विभागों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [(क) 595 प्रकरण पंजीवद्ध हैं, जिनमें से 277 प्रकरण फर्जी पाए गए हैं। (ख) 508 प्रकरणों में जांच पूरी हुई। 73 प्रकरणों में जांच प्रचलन में है। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) 595 प्रकरण पंजीवद्ध हैं, जिनमें से 277 प्रकरण फर्जी पाए गए हैं। (ख) 508 प्रकरणों में जांच पुरी हुई। 73 प्रकरणों में जांच प्रचलन में है। जांच उपरान्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध संबंधित विभागों द्वारा 69 कर्मचारियों को सेवा से पृथक् किया गया, 05 कर्मचारियों की पेंशन पर रोक लगाई गई, 01 कर्मचारि की वेतनवृद्धि रोकी गई, 114 कर्मचारियों को माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त है, 26 कर्मचारियों को माननीय न्यायालय/विभाग के निर्णय उपरांत सेवा में रखा गया है, 14 कर्मचारियों के निधन होने से एवं 25 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई, 04 कर्मचारियों के द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जा चुका है, 11 कर्मचारियों की नियुक्ति अनारिक्षित वर्ग से होना पाया गया, 02 कर्मचारियों के प्रकरण में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा पुनः जांच के निर्देश दिए गए, 06 प्रकरणों में संबंधित विभागों के द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

# पुलिसकर्मियों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं [गृह ]

17. (क्र. 859) श्रीमती चातुरी नन्द: क्या उप मुख्यमंत्री (गृह), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के पुलिसकर्मियों को क़िस-किस प्रकार के वेतनभत्ते और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं? संवर्गवार पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ख) क्या पुलिसकर्मियों के मूलवेतन, ग्रेड-पे एवं भत्तों में बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ तो कब तक की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री ( गृह ) (श्री विजय शर्मा) : [(क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है।(ख) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।](क) जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है।(ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है।

[पुनरीक्षित उत्तर ]

परिशिष्ट - आठ

# जिला-राजनांदगांव एवं खैरागढ़ के अन्तर्गत छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 अंतर्गत प्रदाय केंद्रों में पदस्थ कर्मचारी [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ]

18. (क्र. 896) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल: क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-राजनांदगांव एवं खैरागढ़ के अन्तर्गत छ०ग० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कुल कितने प्रदाय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? क्या संचालित हो रहे प्रदाय केन्द्रों में प्रभारी के पद पर नियमित कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है? यदि नहीं तो ऐसे कितने प्रदाय केन्द्र हैं, जहां पर नियमित कर्मचारी पदस्थ नहीं हैं? पदस्थ कर्मचारी का नाम, पदनाम, प्रदाय केन्द्र में पदस्थी की तिथि जिलेवार, प्रदाय केन्द्रवार, जानकारी देवें? (ख) नियमित कर्मचारियों को मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के नाम, पदस्थी दिनांक एवं पदस्थापना के कारण की जानकारी देवें। (ग) क्या सहायक प्रबंधक एवं प्रबंधक को छोड़कर अन्य किसी पद पर

पदस्थ कर्मचारी/अधिकारियों को जिला प्रबंधक के पद पदस्थ किया जा सकता है? यदि हां, तो पदस्थ करने का कारण, जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदस्थी दिनांक, पदस्थी स्थल की जानकारी देवें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल): [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसार है।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'ब' अनुसार है।(ग)जी हाँ। नागरिक आपूर्ति निगम में प्रबंधन के संबंध में संचालक मण्डल की 14वीं बैठक दिनांक 26.04.2005 के एजेंडा बिन्दु क्रमांक 14.7 में पारित निर्णय के आधार पर आवश्यकतानुसार लेखा संवर्ग के अधिकारियों को प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया जा सकता है। जानकारीपुस्तकालय में रखे प्रपत्र-'अ' अनुसारहै।] (क) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अंतर्गत जिला राजनांदगांव में कुल 05 एवं खैरागढ़ में 01 प्रदाय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। जी हॉ, सभी प्रदाय केन्द्र में नियमित कर्मचारी डिपो प्रभारी के रूप में पदस्थ हैं अतः शेष प्रशनांश उपस्थित नहीं होता। (ख) राजनांदगांव एवं खैरागढ़ जिला कार्यालय में कार्य की आवश्यकता के आधार पर पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी संलग्न प्रपत्न अनुसार है। (ग) जी हॉ,दिनांक 26-04-2005 को आयोजित संचालक मंडल की 14 वीं बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निगम प्रबंधन आवश्यकतानुसार लेखा संवर्ग के अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से किसी भी जिले में प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ कर सकता है। जिला राजनांदगांव में श्री विद्यासागर गोपाल, प्रबंधक दिनांक 12-01-2023 से तथा जिला खैरागढ़ में श्रीमती नीलिमा ठक्कर,प्रबंधक, वित्त, दिनांक 07-10-2022 से जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ है।

[पुनरीक्षित उत्तर ]

# परिशिष्ट - नौ

# उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत रांज्य पोषित योजना एवं केन्द्र परिवर्तित योजना से लाभान्वित कृषक [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

19. (क्र. 902) श्री दलेश्वर साह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत राज्य पोषित योजना एवं केन्द्र परिवर्तित योजना के तहत् राष्ट्रीय बागवानी मिशन, रोपनी अधोसंरचना विकास/संरक्षित खेती/उद्यानिकी यांत्रिकरण, मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित है ? यदि हां, तो राजनांदगांव जिले के वर्ष 2021 से 2023 तक उक्त योजना के लाभान्वित कृषकों की जानकारी विकासखण्डवार, एजेंसीवार, ग्रामवार, सामग्रीवार, राशिवार, जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ जानकारी संकलित की जा रही है। ] राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021 से 2023 तक निम्नांकित राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं संचालित है:-

क्र	राज्य पोषित योजनाएं	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं
1	फल क्षेत्र विस्तार	
2	नदी के कछार तटों पर लघु सब्जी उत्पादक को प्रोत्साहन की योजना	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना
3	सामुदायिक फेसिंग योजना	
4	पोषण बाड़ी विकास योजना	

राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित नहीं है। प्रश्नाधीन अविध तक राज्य पोषित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की विकासखण्डवार, ग्रामवार, सामग्रीवार, राशिवार, आदान सामग्री एवं प्रदायकर्ता एजेंसी के नाम सिहत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। इसी अविध में केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन से लाभान्वित कृषक हितग्राहियों की घटकवार। विकासखण्डवार। ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है।

# <u>वन अधिकार पट्टा वितरण।</u> [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास ]

20. (क्र. 912) श्री विक्रम मंडावी: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15 जनवरी, 2024 तक कितने वन अधिकार पट्टे (पत्र) वितरित किये जा चुके हैं,? व्यक्तिगत (वर्गवार) तथा सामुदायिक का पृथक-पृथक वर्षवार बताएं एवं रकबा भी बताएं? (ख) कितने पात्र व्यक्ति तथा समुदायों को वन अधिकार पट्टा (पत्र) दिया जाना प्रक्रियाधीन हैं ? कितने प्रकरण अपात्रता के कारण अस्वीकृत किये गये हैं ? (ग) शासन-द्वारा 5 लाख वन अधिकार पट्टा वितरण करने के लक्ष्य की पूर्ति की कार्यवाही को कब से प्रारंभ किया जाएगा तथा कब तक पूर्ण किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) व्यक्तिगत वन अधिकार अंतर्गत 1,284 पात्र (स्वीकृत) दावों में तथा सामुदायिक वन अधिकार अंतर्गत 88 पात्र (स्वीकृत) दावों में वन अधिकार पत्र जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। अपात्रता के कारण व्यक्तिगत वन अधिकार के 3,70,862 दावे एवं सामुदायिक वन अधिकार के 3,491 दावे अस्वीकृत हुए हैं। (ग) वन अधिकारों की मान्यता एवं वन अधिकार पत्रों के वितरण की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।] (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) व्यक्तिगत वन अधिकार अंतर्गत 1,284 पात्र (स्वीकृत) दावों में तथा सामुदायिक वन अधिकार अंतर्गत 88 पात्र (स्वीकृत) दावों में वन अधिकार पत्र जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है। अपात्रता के कारण व्यक्तिगत वन अधिकार के 3,70,862 दावे एवं सामुदायिक वन अधिकार के 3,491 दावे अस्वीकृत हुए हैं। (ग) वन अधिकारों की मान्यता एवं वन अधिकार पत्रों के वितरण की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। अतः निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### परिशिष्ट - दस

# शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र की प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही (सामान्य प्रशासन )

21. (क्र. 961) श्री मोतीलाल साहू: क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक कितने अधिकारी/कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) कितने शिकायतों की जांच की गई है और क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय): [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)जनवरी, 2019 से दिसम्बर 2023 तक अधिकारियों/कर्मचारियों के 14 निवास प्रमाण पत्र तथा 188 जाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। (ख) जानकारी प्रपत्र अनुसार है।

#### परिशिष्ट - ग्यारह

# <u>धमतरी जिले में कार्यरत एन.जी.ओ. को किया गया भुगतान।</u> [पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]

**22.** (क्र. 1059) श्रीमती अंबिका मरकाम: क्या उप मुख्यमंत्री (गृह), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में धमतरी जिले में कौन-कौन से एन.जी.ओं. कार्य कर रहे हैं तथा शासन द्वारा कौन-कौन से कार्यों के लिये, कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ख) कार्यरत एन.जी.ओ. द्वारा कहां-कहां प्रशिक्षण का कार्य किया गया है? वर्षवार बताएं ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा): [क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ. की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में एवं अन्य विभाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ. की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ख) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ. की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में एवं अन्य विभाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ. की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-अ" में एवं अन्य विभाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ. की जानकारी संलग्न "प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[पृथक वितरित उत्तर ]

परिशिष्ट - बारह

# राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज मद से प्राप्त राजस्व [पंचायत एवं ग्रामीण विकास ]

23. (क्र. 1142) श्री रोहित साहू: क्या उप मुख्यमंत्री (गृह), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन खदानों से गौण खनिज मद में कितना राजस्व जनवरी ,2020 से दिसंबर ,2023 तक प्राप्त हुआ? कृपया पंचायतवार जानकारी देवें? (ख) उक्त अविध में जिन-जिन पंचायतों से गौण खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है ,उन्हें गौण खनिज मद से कितनी-कितनी राशि निर्माण कार्यों के लिए आबंटित की गयी है?

उप मुख्यमंत्री ( गृह ) (श्री विजय शर्मा) : [(क) जानकारी निरंक है। (ख) प्रश्न की उपस्थित नहीं होता है। ](क) जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-अ'' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न ''प्रपत्र-व'' अनुसार है।

[पुनरीक्षित उत्तर ]

परिशिष्ट - तेरह

# कीटनाशक व उर्वरक अधिनियम अंतर्गत लगाया गया प्रतिबंध [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

24. (क्र. 1201) श्री धरमलाल कौशिक: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में प्रदेश में कौन सा कीटनाशक व उर्वरक अधिनियम अप्रैल, 2019 से नवम्बर, 2023 तक प्रभावशील था? उक्तानुसार अधिनियमों के अंतर्गत जिला स्तर पर कीटनाशक/उर्वरक लेने की प्रक्रिया तथा इस हेतु सक्षम अधिकारी व पद की जानकारी देवें? कीटनाशी/उर्वरक के अमानक नमूने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किस अधिकारी को दिया गया है? पदनाम की जानकारी देवें? अमानक कीटनाशक/उर्वरकों पर प्रतिबंध किन धाराओं के तहत किया जाता है? जानकारी देवें? (ख) क्या यह सही है कि जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2023 तक कई प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा ना तो नमूना लिया गया, न ही प्रतिबंध लगाया गया, बल्कि प्रतिबंध सक्षम अधिकारी के स्थान पर अन्य अधिकारी द्वारा लगाया गया? यदि हाँ तो किन-किन जिलों में, कितने प्रकरणों में, उप संचालक, कृषि द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है ? जानकारी देवें? क्या उप संचालक, कृषि अधिनियम अनुसार प्रतिबंध हेतु सक्षम अधिकारी है? यदि नहीं तो दोषी कौन है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (क) अप्रैल, 2019 से नवम्बर, 2023 तक (तथा वर्तमान में भी) कीटनाशी अधिनियम-1968, कीटनाशी नियम-1971 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 प्रभावशील था। जिला स्तर पर कीटनाशी/उर्वरक विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति (कीटनाशी) तथा अभिस्वीकृति (उर्वरक) उप संचालक कृषि द्वारा क्रमशः जिला अनुज्ञापन अधिकारी (पौध संरक्षण) तथा जिला अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) की हैसियत से जारी की जाती है। उर्वरक एवं कीटनाशी रसायनों के विक्रय अभिस्वीकृति (उर्वरक हेतु)/विक्रय अनुज्ञा (कीटनाशी रसायनों हेतु) लेने की प्रक्रिया क्रमशः संलग्न प्रपत्र अ एवं ब अनुसार है। समस्त सहायक संचालक कृषि/अनुविभागीय अधिकारी कृषि/विरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी,जो कृषि में स्नातक अथवा एक विषय रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान में स्नातक हो एवं कार्य क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव रखते हो,कीटनाशी/उर्वरक निरीक्षक के रूप में कार्य करते है। इसी प्रकार कृषि संचालनालय में पदस्थ समस्त उप संचालक कृषि/सहायक संचालक कृषि/विरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा संभागीय संयुक्त संचालक कृषि कार्यालय/जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय/अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय/विकासखंड स्तरीय

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय एवं कृषि विकास अधिकारी वृत्त में कार्यरत् समस्त सहायक संचालक कृषि/अनुविभागीय अधिकारी कृषि/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी,जो कृषि में स्नातक अथवा एक विषय रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान में स्नातक हो एवं कार्य क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव रखते हो,उर्वरक निरीक्षक के रूप में कार्य करते है। कीटनाशी नमूनें अमानक पाये जाने की स्थिति में कीटनाशी निरीक्षक द्वारा तथा कीटनाशी निरीक्षक की अनुशंसा पर जिला अनुज्ञापन अधिकारी (पौध संरक्षण) की हैसियत से उप संचालक कृषि द्वारा भी प्रतिबंध लगाया जाता है। इसी प्रकार उर्वरक नम्ने अमानक पाये जाने के स्थिति में उर्वरक निरीक्षक द्वारा तथा उर्वरक निरीक्षक की अनुशंसा पर जिला प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से उप संचालक कृषि द्वारा भी प्रतिबंध लगाया जाता है। अमानक उर्वरक नमुनों पर प्रतिबंध एवं अन्य अनुशांगिक कार्यवाहियां उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 28(2) एवं 31(1) के अंतर्गत की जाती है। अमानक कीटनाशी नमूनों पर प्रतिबंध एवं अन्य अनुशांगिक कार्यवाहियां कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 21(1) (क) एवं धारा 14 के अंतर्गत की जाती है। (ख) हॉ जनवरी, 2021 से नवंबर, 2023 तक समस्त उर्वरक एवं कीटनाशी नमूने उर्वरक/कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा ही लिये गये है,तथा प्रश्नाधीन अवधि में अमानक पाये गये उर्वरक नमूनों के परिपेक्ष्य में 192 प्रतिबंध उर्वरक निरीक्षक द्वारा तथा 227 प्रतिबंध उर्वरक निरीक्षक की अनुशंसा पर जिला प्राधिकृत अधिकारी (उर्वरक) की हैसियत से उप संचालक कृषि द्वारा भी लगाया गया। प्रश्नाधीन अवधि में अमानक पाये गये कीटनाशी नमूनों के परिपेक्ष्य मे 91 प्रतिबंध कीटनाशी निरीक्षक द्वारा तथा109 प्रतिबंध कीटनाशी निरीक्षक की अनुशंसा पर जिला अनुज्ञापन अधिकारी (पौध संरक्षण) की हैसियत से उप संचालक कृषि द्वारा भी लगाया गया। वर्षवार विवरण प्रपत्र सँ अनुसार है। शेष जानकारी निरंक है।

[पृथक वितरित उत्तर]

परिशिष्ट - चौदह

# प्रदेश में स्कूलों को प्रदल्त सेनेटरी नेपकीन प्रदाय व नष्ट करने की मशीन की अद्यतन स्थिति [महिला एवं बाल विकास ]

25. (क्र. 1204) श्री धरमलाल कौशिक: क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के कुल कितने स्कूलों में सेनेटरी नेपकीन प्रदाय व नष्ट करने हेतु कुल कितनी मशीन जनवरी, 2020 से नवम्बर, 2023 तक लगाई गई हैं? इसमें कितनी मशीने चालू हैं व कितनी मशीने बंद हैं? बंद मशीनों में 6 माह से बंद तथा एक वर्ष या अधिक अवधि से बंद मशीनों कितनी हैं? इन मशीनों को स्थापित करने में उनके संधारण की शर्ते क्या थीं और इन शर्तो के अनुरूप कितनी मशीनों का संधारण नहीं किया गया है? (ख) इन मशीनों के संबंध में क्या शिकायत, किसके द्वारा व किसको की गई है व शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है? जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े): [ (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। [ (क) प्रश्नांश अविध में कन्या शालाओं में 2542 सेनेटरी वेंडिंग मशीन व भस्मक लगाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त हैं। इसी के साथ ही वर्ष 2020 के पहले 2022 मशीनें यूरोपियन कमीशन के सहयोग से लगाये गये थे। स्कूलों में कुल प्रदायित 4564 मशीनों में से 3339 मशीनों में क्रियाशील है तथा 1225 मशीन बंद हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता हैं। बंद मशीनों में कुल निरंक मशीन प्रदाय के 6 माह में तथा पूर्व की 28 मशीनों एक वर्ष या उससे अधिक की अविध से बंद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदाय की गई मशीनों का क्रय सीएसआईडीसी के ई-मानक पोर्टल के माध्यम से किया गया है। सीएसआईडीसी एवं प्रदायकर्ता फर्मों के मध्य अनुबंध अनुसार प्रदायित मशीनें एक वर्ष की वांरटी पर होती है जिन्हें संबंधित फर्म को निःशुल्क सुधार करना होता है। (ख) विभाग को मशीनों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हैं। अतः शिकायतों पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

एक वित्तीय वर्ष में समान दवाईयों की खरीदी दर में अंतर [लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण] 1205) श्री धरमलाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मएससी, मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्जन व सीएमएचओं के द्वारा एजीथ्रोमाईसिन 250 एमजी व 500 परासिटामाल 500 व 650 एमजी, मल्टी विटामिन टेबलेट (एनएफआई) व कैप्सूल, लिवोसिट्रिजन टेबलेट, क्यों केलोवनिक टेबलेट/इंजेक्शन, पिपरासीलिन टेजोवेक्टम इंजेक्शन, एवरमेक्टीन टेबलेट, इथेनॉल 70 कितनी राशि की खरीदी की गई है ? इसमें किन-किन दवाईयों की खरीदी कोटेशन के आधार कितनी राशि की खरीदी गई .है ? उपरोक्त जानकारी एजेंसीवार, जिलेवार एवं वर्षवार तुलनात्मक रूप कितनी राशि की खरीदी गई .है ? उपरोक्त जानकारी एजेंसीवार, जिलेवार एवं वर्षवार तुलनात्मक रूप कितनी स्वाईयों में एक ही वित्तीय वर्ष में दरों में अंतर क्या कारण है तथा उपरोक्तानुसार एक ही वित्तीय वर्ष में दरों में अंतर क्या कारण है तथा उपरोक्तानुसार दवाईयों में एक ही वित्तीय वर्ष में दवाईयों के न्यूनतम एवं अधिकतम दर कितनी थी एवं इनमें किन जिलों में अधिक दरों में खरीदी की गई है, उनमें खरीदी की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

के स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल): [ (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी एकत्रित की जा रही है। ] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र "व" अनुसार है।

# फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत पर कृत कार्यवाही [सामान्य प्रशासन]

27. (क्र. 1378) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम: क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में ST/SC वर्ग के सीधी भर्ती के कितने पदों पर, कितने कि जाति प्रमाण पत्र धारी का कार्यरत होना पाया गया है ? विभागवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे ? (ख) अने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? विभागवार जानकारी उपलब्ध करायी जावे ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय): [ (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (क) छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति में ैज्ध्ैब् वर्ग के सीधी भर्ती के 57 पदों पर, 85 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी कर्मचारी कार्यरत होना पाया गया है। विभागवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्न "क" के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है।

# परिशिष्ट - पन्द्रह

# मेडिकल सर्विसेस लिमिटेड के द्वारा दवाईयां व उपकरणों का क्रय एवं आपूर्ति। [लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ]

28. (क्र. 1390) श्रीमती शेषराज हरवंश: क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री, यह बताने की कृपा कि लिं। क्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस लिमिटेड, रायपुर द्वारा वर्ष 2021-2022 से 15 जनवरी, 2024 तक कितनी शिश की दवाईयां, उपकरण एवं अन्य सामग्रियां, किस-किस फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में कितने फर्मों का भुगतान कर दिया गया है एवं कितने का किन कारणों से लंबित है ? (ख) प्रश्लां कि खरीदी गई सामग्री की किस-किस चिकित्सालय में कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई ? वर्षवार कि विवरण दें । (ग) क्या प्रश्लांश 'क' की दवाई, उपकरण एवं सामग्री खरीदी में अनियमितता की शिकायते कि इंट यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

तोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल): [ (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जनकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- "द" अनुसार है।

प्र.क्र.(1375) डॉ. चरण दास महंत ''आऊटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित अनिक कर्मचारियों को उपादान राशि की पात्रता'' का पूर्ण उत्तर पृ.क्र. 25 पर सरल क्र. 46 पर मुद्रित

# राशन दुकानों द्वारा अनाज आबंटन [खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ]

29. (क्र. 1546) श्री अजय चंद्राकर: क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 से 2023-24 में 30 जनवरी, 2024 तक राशन दुकानों में कौन-कौन से अनाज, कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर, किन-किन श्रेणी के कितने कार्डधारियों को, कौन सी योजना के तहत् मासिक/वार्षिक वितरित किये गये ? वर्षवार बतायें ? (ख) प्रश्नांश "क" राशन दुकानों में वितरित करने के बाद बचे हुये अनाज को क्या किया गया ? यदि उस अनाज को पुनः अगले माह में वितरित किया गया, तो इसके लिये शासन का क्या नियम-निर्देश बनाया गया है ? यदि शासन द्वारा कोई भी नियम-निर्देश नहीं बनाया गया है तो किस आधार पर राशन दुकानदारों द्वारा वितरण किया गया ? क्या यह नियम विरूद्ध है ? यदि हां तो किनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी ? (ग) क्या प्रश्नांश "ख" बचे हुये अनाज की वसूली के लिये सरकार द्वारा कोई नियम-निर्देश बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या तथा अब तक, कितने राशन दुकान संचालकों के ऊपर कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयाल दास बघेल) :[(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) उचित मूल्य दुकानों में प्रश्नांकित अवधि में प्रत्येक माह का बचत अनाज स्टॉक टेबलेट/ई-पॉस में वितरण योग्य मात्रा के रूप में उपलब्ध रहता है, जिसके आधार पर दुकान संचालक द्वारा आगामी माह मे इसे वितरित कर सकता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उचित मूल्य दुकान में बचे हुए स्टॉक की दुकान संचालनकर्ता द्वारा दुरूपयोग करने की स्थिति में छत्तीसगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के खंड 16 (7) के प्रावधान अनुसार ऐसे स्टॉक की वसूली दोषी पाये गये व्यक्ति से प्रचलित बाजार मूल्य पर आर्थिक लागत, जो भी अधिक हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जावेगा। माह सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक के दुरूपयोग किये जाने के आधार पर दिनांक 15.02.2024 की स्थिति में 226 दुकानों के आबंटन को निलंबित,147 दुकानों के आबंटन को निरस्त किया गया है, 415 दुकानों के विरूद्ध वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है एवं 23 दुकान संचालको के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी हैं साथ ही बचत स्टॉक की अनियमितता करने वाली दुकानों के संचालको से 25,351 टन चावल,1161 टन शक्कर एवं 892 टन चना की वस्तू/राशि के रूप में वसूली की जा चुकी है।] (क) **जानकारी संलग्न प्रपत्र अ से इ अनुसार है** । (ख) उचित मूल्य दुकानों में प्रश्नांकित अवधि में प्रत्येक माह का बचत अनाज स्टॉक टेबलेट/ई-पॉस में वितरण योग्य मात्रा के रूप में उपलब्ध रहता है, जिसके आधार पर दुकान संचालक द्वारा आगामी माह मे इसे वितरित कर सकता है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) उचित मूल्य दुकान में बचे हुए स्टॉक की दुकान संचालनकर्ता द्वारा दुरूपयोग करने की स्थिति में छत्तीसगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के खंड 16 (7) के प्रावधान अनुसार ऐसे स्टॉक की वसूली दोषी पाये गये व्यक्ति से प्रचलित बाजार मूल्य पर आर्थिक लागत, जो भी अधिक हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जावेगा। माह सितम्बर 2022) के बचत स्टॉक के दुरूपयोग किये जाने के आधार पर दिनांक 15.02.2024 की स्थिति में 226 दुकानों के आबंटन को निलंबित,147 दुकानों के आबंटन को निरस्त किया गया है, 415 दुकानों के विरूद्ध वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई है एवं 23 दुकान संचालको के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी हैं साथ ही बचत स्टॉक की अनियमितता करने वाली दुकानों के संचालको से 25,351 टन चावल,1161 टन शक्कर एवं 892 टन चना की वस्तू/राशि के रूप में वसूली की जा चुकी है।

# परिशिष्ट - सोलह

# ग्राम गौठान प्रबंधन समिति का गठन एवं वित्तीय-भौतिक स्थिति [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

**30.** (क्र. 1549) श्री अजय चंद्राकर: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम गौठान प्रबंधन समिति कब गठित की गयी? इसका उद्देश्य क्या है? इसका पंजीयन कराया गया है कि नहीं? अब तक कितनी समितियों का गठन किया गया है व इसमें अध्यक्ष और सदस्य कौन-कौन होंगें? इसकी चयन प्रक्रिया क्या है? कितने गौठानों में गौठान प्रबंध समितियां कार्यरत् हैं? (ख) उक्त समिति के लिये कौन-कौन से वर्ष में कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया है? गौठान समितियों को कितनी राशि प्रदान की गयी ? शासन द्वारा

उस राशि के व्यय के संबंध में क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किये है? उन दिशा-निर्देशों के अनुरूप राशि का व्यय की गयी है कि नहीं? यदि नहीं, तो उन सिमितियों के ऊपर क्या कार्यवाही अब तक की गयी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ क्) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। [क) ग्राम गोठान प्रबंधन समितियों के जिलेवार, तिथिवार गठन एवं कार्यरत गोठान प्रबंधन संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। किसी भी ग्राम गोठान प्रबंधन समिति का पंजीयन नहीं कराया गया है। ग्राम गोठान प्रबंधन समिति का उद्देश्य चयनित गौठान स्थल का संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन के रखरखाव व संचालन के लिए एवं आजीविका संवर्धन क्रियाकलाप को बढ़ावा देना है। ग्राम गोठान प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं-

- 1. अध्यक्ष एवं सदस्य उसी ग्राम पंचायत का नागरिक होगा, जिसका चयन ग्रामसभा के द्वारा प्रस्तावित एवं प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित होगा।
- 2. सिमिति में एक अध्यक्ष एवं 12 सदस्य होंगे। तथा 12 सदस्यों में से 03 पदेन सदस्य होंगे। (सरपंच, पंचायत सिचव एवं पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक) ग्राम गोठान प्रबंधन सिमिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार है -
- 1. ग्राम गौठान प्रबंधन समिति में अध्यक्ष एवं 12 सदस्य होगे। इस समिति में ग्राम पंचायत का सरपंच पदेन सदस्य होगा। एवं ग्राम पंचायत सचिव समिति का पदेन सचिव होगा। समिति में पशु चिकित्सा क्षेत्र समन्वयक पदेन सदस्य होगे।
- 2. सिमति के अन्य सदस्यों का चयन गौठान के संबंध में रूचि एवं जानकारी रखने वाले व्यक्तियों में से जिसका उस पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, चयनित किया जायेगा।
- 3. ग्राम पंचायत के निवासी जो ग्राम गौठान प्रबंधन समिति का सदस्य बनने की इच्छा रखते हों, उन व्यक्तियों (मिहला एवं पुरूष) का सहमित पत्र लेकर कम से कम चार गुना नामों की सूची ग्राम पंचायत द्वारा अपनी ग्राम सभा से अनुसंशा के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भेजेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जिला कलेक्टर को नामों की सूची भेजेगा। जिला कलेक्टर उक्त सूची को जिले के प्रभारी मंत्री को अनुमोदन हेतु सौंपेगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी।
- (ख) प्रश्नांश "क" के गोठान सिमितियों के लिए वर्षवार प्रावधानित बजट एवं प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। राशि के व्यय हेतु जारी दिशा-निर्देश पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है। गोठान सिमितियों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही राशि का व्यय किया गया है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

# प्रदेश के सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित अंतर्गत किसान राईस मिल की अद्यतन स्थिति [सहकारिता ]

31. (क्र. 1551) श्री अजय चंद्राकर: क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 25 जनवरी, 2024 की स्थित में कितनी सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राइस मिल) हैं? उनमें से कितनी चालू एवं कितनी बंद हैं? उसमें से कितने हानि में हैं और कितने लाभ में हैं? यदि बंद हैं तो कब से बंद हैं और उसके कारण क्या हैं? इन संस्थाओं के पास कितनी परिसंपत्तियां हैं? (ख) वर्तमान में ये संस्थाएं, कौन-कौन से कार्य संचालित कर रही है? इन संस्थाओं में कौन-कौन से स्तर के कितने कर्मचारी कार्यरत् हैं? (ग) यदि ये संस्थाएं घाटे में हैं तो इनकी कितनी देनदारी शासकीय/अशासकीय/सहकारी संस्थाओं के ऊपर हैं?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : [ (क) प्रदेश में 25 जनवरी, 2024 की स्थिति में 42 सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राइस मिले) हैं। उनमे से 9 किसान राइस मिल चालू एवं 33 किसान राइस मिल बंद हैं तथा 22 संस्थाएं हानि में एवं 20 लाभ में हैं। किसान राइस मिलो के बंद होने का कारण तथा संस्थाओं की परिसंपत्तियों की **जानकारी संलग्न <u>प्रपत्र-अ</u> अनुसार** है। (ख) वर्तमान में सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राइस मिल) द्वारा मुख्यतः मिल संचालन, गोदाम/भवन/दुकान किराया, पी.डी.एस. दुकान संचालन इत्यादि कार्य संचालित कर रही है, एवं कुछ संस्थाएं किसी भी प्रकार का कार्य संचालित नही कर रही है। उक्त संस्थाओं में मुख्यतः प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अतिरिक्त सहायक प्रबंधक, लीड प्रबंधक, लिपिक, सहायक लिपिक, विक्रेता, सहायक विक्रेता, लेखापाल, मिल हेल्पर, भृत्य, चौकीदार, इत्यादि स्तर के कुल 233 कर्मचारी कार्यरत है। (ग) घाटे वाली सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राइस मिल) के देनदारी की जानकारी संलग्न संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।] (क) प्रदेश में 25 जनवरी, 2024 की स्थिति में 42 सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राइस मिले) हैं। उनमे से 9 किसान राइस मिल चालु एवं 33 किसान राइस मिल बंद हैं तथा 22 संस्थाएं हानि में एवं 20 लाभ में हैं। किसान राइस मिलो के बंद होने का कारण तथा संस्थाओं की परिसंपत्तियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) वर्तमान में सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राइस मिल) द्वारा मुख्यतः मिल संचालन, गोदाम/भवन/दुकान किराया, पी.डी.एस. दुकान संचालन इत्यादि कार्य संचालित कर रही है, एवं कुछ संस्थाएं किसी भी प्रकार का कार्य संचालित नहीं कर रही है। उक्त संस्थाओं में मुख्यतः प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, अतिरिक्त सहायक प्रबंधक, लीड प्रबंधक, लिपिक, सहायक लिपिक, विक्रेता, सहायक विक्रेता, लेखापाल, मिल हेल्पर, भृत्य, चौकीदार, इत्यादि स्तर के कुल 233 कर्मचारी कार्यरत है। (ग) घाटे वाली सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राइस मिल) के देनदारी की **जानकारी संलग्न संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[पुनरीक्षित उत्तर ]

# परिशिष्ट - सत्रह

# अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत स्वीकृत कार्यवार राशि [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास ]

32. (क्र. 1578) श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2021 से दिनांक 20 जनवरी, 2024 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु कितनी राशि का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था? प्रस्ताव के आधार पर कितनी कितनी राशि केन्द्रीय बजट एवं राज्य सरकार से प्राप्त हुई है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांक "क" के प्रस्ताव हेतु क्या क्या योजना अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये बनायी गयी है? योजनावार कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है, कितनी शेष है तथा कितनी राशि लेप्स हुई है? नोडल एजेन्सी कौन कौन है, जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। ] (क)अनुसूचित जाति उपयोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) अनुसूचित जाति उपयोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।

# <u>फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के विरूद्ध प्रकरणों में जांच</u> [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास ]

33. (क्र. 1579) श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन सिमित में प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के विरूद्ध कितने प्रकरणों में जांच पूरी हुई? कितने प्रकरणों में जांच में शासकीय कर्मचारी, अधिकारी दोषी पाए गए? दोषी पाये गये कितने कर्मचारी / अधिकारी के विरूद्ध नौकरी से निकाले जाने के साथ ही उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही की गई, विभागवार बतावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन समिति में प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के विरूद्ध 508 प्रकरणां में जांच पूरी हुई है। 277 प्रकरणों मे जांच में शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र गलत पाए गए है। दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध नौकरी से निकाले जाने के साथ ही उनके ऊपर वैधानिक कार्यवाही की विभागवार जानकारी संकलित की जा रही है। ] अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अधीनस्थ उच्च स्तरीय छानबीन समिति में प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों के विरूद्ध 508 प्रकरणों में जांच पूरी हुई है। 277 प्रकरणों में जांच में शासकीय कर्मचारी/अधिकारी के जाति प्रमाण पत्र गलत पाये गए हैं। दोषी पाए गए कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकार संलग्न प्रपत्न अनुसार है।

परिशिष्ट - अट्ठारह

# राजनांदगांव जिले के अंतर्गत् संचालित कृषक हितैषी योजना [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

34. (क्र. 1774) श्री भोलाराम साहू: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी, 2024 तक कृषि विभाग के अंर्तगत किसानों के हित में कौन-कौन सी योजनायें संचालित की जा रही हैं ? वर्षवार, योजना के नाम सिहत जानकारी देवें ? (ख) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रश्नांश "क" अविध में हाँ-कहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया ? कितने किसानों को योजना का लाभ दिया गया एवं कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक किया जावेगा ? विकासखंडवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ (क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। कि) जिला राजनांदगांव में वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी, 2024 तक कृषि विभाग के अंर्तगत किसानों के हित में संचालित योजनाओं की वर्षवार सूची संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड-छुरिया, जिला-राजनांदगांव एवं विकासखण्ड-चौकी, जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में प्रश्नाधीन अवधि में आयोजित शिविर का स्थलवार विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। शिविर के दौरान 1490 किसानों को योजना का लाभ दिया गया एवं 42 आवेदन लंबित है। लंबित प्रकरणों के निराकरण की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विकासखण्डवार विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

# परिशिष्ट - उन्नीस

# कृषि आदान व्यवसाय के लिए अनुज्ञा का प्रदाय। [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

35. (क्र. 1834) श्री इंद्र साव: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्राथमिक कृषि सहकारी सिमितियों में भंडारित की जा रही किन-किन आदानों के लिए विक्रय, भंडारण हेतु अनुज्ञा या अनुमित आवश्यक है? क्या वर्ष 2021 से दिसंबार, 2023 तक बिना अनुज्ञा के भंडारण और विक्रय की जानकारी प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो सामग्री का नाम बताएं? (ख) क्या सी वीड जेल/एक्सट्रैक्ट/ग्रेन्युल के विक्रय के लिए भी अनुज्ञा आवश्यक है? यदि हाँ तो इस हेतु राज्य में प्रश्नांश "क" अवधि में कितनी अनुज्ञा/ अनुमित दी गयी है? (ग) उपरोक्त उत्पादों को राज्यस्तरीय तकनीकी सिमिति द्वारा कब कृषि ऋण हेतु आदानों के रूप में सिमितियों में भंडारण किस आधार पर किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (क) प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि आदानों यथा उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के विक्रय, भंडारण हेतु अभिस्वीकृति आवश्यक है। जी हाँ, वर्ष 2021 से दिसंबर 2023 तक बिना अभिस्वीकृति के सीवीड जेल/एक्सट्रेक्ट/ग्रेन्यूल का भण्डारण एवं विक्रय हुआ है। (ख) जी हां, सी वीड जेल/एक्सट्रेक्ट/ग्रेन्यूल के विक्रय के लिए अभिस्वीकृति आवश्यक है। प्रश्नांश 'क' अविध में कुल 06 कम्पनियों को राज्य स्तर से विक्रय अभिस्वीकृति जारी की गई है।(ग) विभाग के आदेश क्र./804/एफ-03/115/विविध/2019/14-2 दिनांक 09.02.2021 (संलग्न प्रपत्र-अ) द्वारा गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति का कार्य दायित्व "फसलीय ऋण तथा मत्स्य एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्यशील पूंजी ऋणों के वित्तमान निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्ताव का नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समीक्षा कर अनुमोदन प्रदान करना।" है। इस प्रकार आदान निर्धारण का कार्य राज्य स्तरीय तकनीकी समिति का नहीं है। सहकारी सोसाइटियों में भण्डारण पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 09.03.2016 (संलग्न प्रपत्र-ब) के अनुसार किया जा रहा है।

# परिशिष्ट - बीस

# सिहावा विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वीकृत राशि। [लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ]

**36.** (क्र. 1944) श्रीमती अंबिका मरकाम: क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वच्छता अभियान एवं संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिये वर्ष 2021-22 से 15 जनवरी, 2024 तक कौन-कौन से कार्य कितनी लागत के स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) स्वीकृत योजनाओं को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल): [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

# फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों पर कार्यवाही [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास ]

**37.** (क्र. 1946) श्रीमती अंबिका मरकाम: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के अधार पर शासकीय नौकरी प्राप्त करने के कितने-कितने प्रकरण किस-किस विभाग को प्राप्त हुए हैं? (ख) प्रश्नांश 'क' में प्राप्त शिकायतों की जांच क्या उच्च स्तरीय छानबीन समिति से करायी गयी है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों पर शिकायत सही पायी गई? कृपया विभागवार जानकारी प्रदाय करें? (ग) दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [(क) जानकारी संबंधित विभागों से संकलित की जा रही है। (ख) जी हां। छानबीन समिति द्वारा जांच किए गए कुल 277 प्रकरणों में शिकायतें सही पायी गई। विभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) जानकारी संबंधित विभागों से संकलित की जा रही है। (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी हां। छानबीन समिति द्वारा जांच किए गए कुल 277 प्रकरणों में शिकायतें सही पायी गई। विभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) दोषियों के विरूद्ध शासकीय सेवा से बर्खास्तगी, पेंशन रोकने, वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है।

## परिशिष्ट - इक्कीस

# बिलासपुर व भिलाई नगर निगम में टैक्स वसूली (नगरीय प्रशासन एवं विकास )

38. (क्र. 2007) श्री धरमलाल कौशिक: क्या उप मुख्यमंत्री ( लोक निर्माण ), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बिलासपुर व भिलाई नगर निगम में टैक्स आदि वसूली के लिये स्पायरों या अन्य कंपनियों को विगत तीन वर्षों से प्रश्न दिनांक तक में कार्य दिया गया है? यदि हाँ तो इन्हें कब-कब तक का कार्य, किसके आदेश पर कितने कमीशन/चार्ज पर दिया गया था? इनमें किसकी कार्य अवधि में बिना निविदा कब तक हेतु वृद्धि की गई? (ख) स्पायरों फर्म द्वारा अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक कुल कितना टैक्स उक्त दोनों निगमों में वसूल किया गया है तथा इन्हें किस दर पर कितना भुगतान किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें। (ग) क्या यह सही है कि फर्म को 90 प्रतिशत या अधिक टैक्स की वसूली करनी थी? यदि नहीं तो कितनी टैक्स की वसूली करने पर कितना प्रतिशत कमीशन/चार्ज दिया जाना निर्धारित था तथा कितना प्रतिशत टैक्स की वसूली इनके द्वारा की गई व कितना प्रतिशत कमीशन/चार्ज का भुगतान किन नियमों के तहत किया गया ? क्या यह सही है कि निर्धारित टैक्स वसूली करने के पश्चात् भी कमीशन/चार्ज का अनुबंध के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया? यदि हाँ तो कितना भुगतान किया जाना था व कितना भुगतान संबंधित फर्म को किया गया व कितना किया जाना शेष है?

उप मुख्यमंत्री ( लोक निर्माण ) (श्री अरूण साव) : [(क) जी हाँ। यह सही है कि बिलासपुर व भिलाई नगर निगम में टैक्स आदि वस्ती के लिये स्पायरों या अन्य कंपनियों को विगत तीन वर्षों से प्रश्न दिनांक तक में कार्य दिया गया है।नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर परिषद के पारित संकल्प दिनांक 24.11.2022 द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार दिनांक 30.12.2022 को स्वीकृत दर 5.6 प्रतिशत पर 05 वर्ष के लिए राजस्व वसूली कार्य हेत् कार्यादेश जारी किया गया। नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा अनुबंध में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् शासन से स्वीकृति प्राप्त किया जा कर स्वीकृत दर 7.15 प्रतिशत पर राजस्व वसली कार्य हेत् मेसर्स स्पायरों साफ्टेक प्रा. लि. से 05 वर्ष के लिए किए गये अनुबंध दिनांक 07.04.2017 की अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि की गई है। (ख) स्पायरों फर्म द्वारा अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक नगर पालिक निगम, बिलासपुर में राशि रू. 8308.00 लाख तथा नगर पालिक निगम भिलाई में राशि रू. 6504.15 लाख इस प्रकार कुल राशि 14812.15 लाख वसूल किया गया है। इन्हें भुगतान किये गये दर एवं वसूल की गइ राशि की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) हां, यह सही है कि फर्म को न्यूनतम 90 प्रतिशत टैक्स की वसूली करनी थी। इससे कम वसूली करने पर अनुबंध के प्रावधान अनुसार फर्म को देय कमीषन चार्ज राशि में से 10 प्रतिशत राशि कटौती कर भूगतान किया जाना निर्धारित है।फर्म द्वारा की गई टैक्स की वसूली व कमीषन चार्ज का भूगतान की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। यह सही नहीं है कि निर्धारित टैक्स वसूली करने के पश्चात भी कमीशन/ चार्ज का अनुबंध के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि फर्म द्वारा अनुबंध अनुसार न्यूनतम 90 प्रतिशत टैक्स की वसूली नहीं की गई है।] (क)हां, यह सही है कि बिलासपुर व भिलाई नगर निगम में टैक्स आदि वसूली के लिये स्पायरों की 7.15 प्रतिशत दर पर छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर के पत्र क्र. 2140 दिनांक 24.03.2017 के द्वारा 05 वर्षों के लिए अनुमति दी गई, जिसमें 02 वर्ष के अतिरिक्त वृद्धि का प्रावधान है। शासन की स्वीकृति अनुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा 05 वर्ष के लिए किए गये अनुबंध दिनांक 07.04.2017 की अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि की गई है। शासन की स्वीकृति अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा 05 वर्ष के लिए स्पायरों से किये गये अनुबंध दिनांक 12.06.2017 की समयावधि मे महापौर परिषद के द्वारा दिनांक 30.12.2022 तक समयाविध वृद्धि प्रदान की गई है। इसके पश्चात निकाय स्तर पर नवीन निविदा आमंत्रित कर महापौर परिषद द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार वर्तमान में 5.6 प्रतिशत दर पर नवीन एजेंसी मेंसर्स श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्रा.लि. के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। (ख) स्पायरों फर्म द्वारा अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक नगर पालिक निगम, बिलासपुर में राशि रू. 8321.20 लाख तथा नगर पालिक निगम भिलाई में राशि रू. 6504.15 लाख इस प्रकार कुल राशि 14825.35 लाख वसूल किया गया है। वसूल की गइ राशि तथा इन्हें भुगतान किये गये दर का वर्षवार विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ग) हां, यह सही है कि फर्म को न्यूनतम 90 प्रतिशत टैक्स की वसूली करनी थी। इससे कम वसूली करने पर अनुबंध के प्रावधान अनुसार फर्म को देय कमीशन चार्ज राशि में से 10 प्रतिशत राशि कटौती कर भुगतान किया जाना निर्धारित है।फर्म द्वारा की गई टैक्स की वसूली व भूगतान की गई कमीशन राशि का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। यह सही नहीं है कि निर्धारित

टैक्स वसूली करने के पश्चात् भी कमीशन/चार्ज का अनुबंध के अनुरूप भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि फर्म द्वारा अनुबंध अनुसार न्यूनतम 90 प्रतिशत टैक्स की वसूली नहीं की गई है।

[पुनरीक्षित उत्तर]

# परिशिष्ट - बाईस

# आईएएस,आईपीएस अधिकारियों व राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध चल रही जांच व कृत कार्यवाही [सामान्य प्रशासन ]

**39.** (क्र. **2067**) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा: क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि 25 जनवरी, 2024 की स्थिति में प्रदेश के किन-किन आईएएस,आईपीएस अधिकारियों व राज्य प्रशासनिक सेवा केे अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच चल रही हैं? क्या वर्ष 2019से 2023 तक पूर्व में उन्हें किन्हीं मामलों में दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय): [ जानकारी एकत्रित की जा रही है। ] राज्य आर्थिक अपराध एवं एन्टी करपशन ब्यूरो से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 25.01.2024 की स्थिति में 20 आईएएस अधिकारियों, 04 आईपीएस अधिकारियों व 06 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध है। जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। वर्ष 2019 से 2023 तक पूर्व में उन्हें किन्हीं मामलों में दोषी पाये जाने तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी अभियुक्ति को दोषसिद्ध नहीं किये जाने के कारण जानकारी निरंक है।

### परिशिष्ट - तेईस

# भंडार क्रय नियम के परिशिष्ट-1 सूची में आरक्षित वस्तुएं, दर [वाणिज्य एवं उद्योग ]

40. (क्र. 2118) श्रीमती शेषराज हरवंश: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के अन्तर्गत आरिक्षित वस्तुओं (पिरिशिष्ट-1) के नाम, निर्धारित दरें, वैधता अविध तथा अनुबंधित इकाईयों की संख्या तथा उत्पादन क्षमता (जहां लागू हो) बताएं? (ख) क्या क्रय आदेश देते समय उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखा जाता है? यदि हां तो यह किस प्रकार से संभव होता है? (ग) क्या सभी आरिक्षत वस्तुओं की विशेषता (स्पेसिफिकेशन) अथवा विन्यास (कान्फीग्युरेशन) का वर्णन स्पष्टतः किया जाता है? (घ) आरिक्षत वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की क्या-क्या व्यवस्थाएं हैं?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन): [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित) के अंतर्गत आरक्षित परिशिष्ट-1 के वस्तुओं के नाम, निर्धारित दरें, वैद्यता अविध तथा अनुबंधित इकाईयों की संख्या तथा उत्पादन क्षमता का राज्य शासन द्वारा संचालित ऑनलाईनई-मानक पोर्टल में उल्लेखित है। विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र पर दर्शित है। (ख) जी हां, ऑनलाईनई-मानक पोर्टल में इकाई की उत्पादन क्षमता अनुसार क्रेता द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वयं क्रय आदेश जारी किया जाता है। (ग) जी हां। (घ) ऑनलाईन ई-मानक पोर्टल प्रणाली से स्वतः आबंटित तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता एजेंसियों द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्ड (स्पेशिफिकेशन) के अनुसार प्रदाय होने वाली सामग्री का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इसके आधार पर ही क्रेता विभाग द्वारा सामग्री स्वीकार करके भुगतान जारी किया जाना प्रावधानित है।

# सीजीएमएससी द्वारा खरीदी गई दवाई और मेडिकल उपकरणों की जानकारी [लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ]

41. (क्र. 2168) श्रीमती चातुरी नन्द: क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉपोरेशन द्वारा वर्ष 2022-23और 2023-24, 2024-25 में दिनांक 20/01/2024 तक कितने फर्मों से, किस-किस प्रकार की दवाई, मेडिकल उपकरण समेत अन्य सामग्री की खरीदी कितनी राशि खर्च कर, की गई है ? क्या दवाई, मेडिकल उपकरणों की खरीदी हेतु कोई सिमिति गठित की गई है ? यदि हां, तो सिमिति में कौन-कौन हैं और सिमिति की बैठक में क्या निर्णय लिए गए है ? पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं? (ख) क्या खरीदी की गई दवाईयों, मेडिकल उपकरणों के अमानक होने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो संबधित फर्म के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल): [ (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। ] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-''ब'' और ''स'' अनुसार है। (ख) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र-''द'' अनुसार है।

# संविदा नियुक्ति के नियमों में संशोधन (सामान्य प्रशासन )

42. (क्र. 2354) श्री धरमलाल कौशिक: क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जनवरी एवं फरवरी, 2024 में आयोजित केबिनेट की बैठक में संविदा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया गया है/अनुमित प्रदान की गई है ? यदि हां, तो प्रचित नियमों में क्या संशोधन किया गया है तथा क्या इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गए हैं ? यदि हां, तो कब ? (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रदेश में प्रथम श्रेणी के पदों में, कितने अधिकारी संविदा नियुक्ति पर कार्यरत हैं और इनमें कितने अधिकारी नवीन नियमों के अनुसार अयोग्य हैं तथा इन्हें कब तक पद से पृथक किया जावेगा ? विभागवार बताएं।

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय): [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (क) जी हां, यह सही है कि जनवरी एवं फरवरी, 2024 में आयोजित केबिनेट की बैठक में संविदा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 9: सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएं की कंडिका (तीन) में उल्लेखित "विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने/आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिष्टित होने पर" के स्थान पर "(तीन) विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर" संशोधन किया गया है तथा नियम 13: अवकाश की पात्रता की कंडिका (1) "30 दिनों" के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर, "18 दिनों" का आकस्मिक अवकाश किया गया है तथा इस संबंध में अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कराया जाकर, दिनांक 23.02.2024 को निर्देश जारी कर दिये गए हैं। (ख) प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रदेश में प्रथम श्रेणी के पदों में, 87 अधिकारी संविदा नियुक्ति पर कार्यरत हैं, और इनमें से नवीन नियमों के अनुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 01 संविदा अधिकारी अयोग्य हैं। विभागवार जानकारी संलग्न प्रपत्न अनुसार है।

# परिशिष्ट - चौबीस

# प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना हेतु चयनित जिले [आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास ]

**43.** (क्र. **2395**) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनांतर्गत वर्ष 2021-22 में विभाग द्वारा किन-किन जिलों का चयन किया गया? जिलों के नाम बतावें ? किन-किन जिलों को विद्युत सेक्टर में कितनी-कितनी राशि प्रावधानित की गई है ? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रश्लांश "क" के प्रावधानित राशि से इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट स्थापना

की बजाय सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित की गई? यदि हाँ, तो क्या इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमित ली गई ? (ग) क्या प्रश्नांश "ख" हेतु निविदा प्रक्रिया तथा भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों/ कार्य एजेंसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [ (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। [क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख) जी हाँ। जिला जगदलपुर, कोण्डागांव एवं सूरजपुर के द्वारा प्रश्नांश "क" के प्रावधानित राशि से इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट स्थापना के बजाय सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना की गई, जिस हेतु निविदा आमंत्रित की गई। कार्य परिवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमित नहीं ली गई। (ग) जी हाँ। प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित परिवर्तित कार्यों हेतु क्रियान्वयन एजेंसियों के द्वारा निविदा प्रक्रिया तथा भंडार क्रय नियम का पालन किया गया।

### परिशिष्ट - पच्चीस

# प्रदेश में स्थापित गौठानों में गोबर खरीदी का भुगतान [कृषि विकास एवं किसान कल्याण ]

44. (क्र. 2435) श्री किरण देव: क्या आदिम जाति विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में अगस्त, 2020 से दिसम्बर, 2023 तक कुल कितने गौठान कहां-कहां स्थापित किए गए? इसमें कुल कितनी राशि किन-किन योजनाओं/मद से खर्च की गई? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश 'क' की अविध में कुल कितने किंटल गोबर की खरीदी की गई एवं विक्रेताओं को कितना-कितना भुगतान किया गया? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश 'क' में खरीदे गये गोबर से कुल कितने-कितने उत्पाद, कितनी-कितनी मात्रा में निर्मित किए गये एवं विक्रय किये गये? कितना लाभ-हानि हुई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्नांश 'ग' के विक्रय से प्राप्त लाभांश का बोनस, स्व सहायता समूह एवं सहकारी सोसाइटी को वितरित किया गया? यदि हां, तो कुल कितनी-कितनी राशि वितरित की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम): [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है। (क) बस्तर संभाग में अगस्त 2020 से दिसम्बर 2023 तक स्थानवार स्थापित गोठान एवं गोठानो की स्थापना हेतु योजनाओं/मद से खर्च की गई राशि का वर्षवार, जिलेवार विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। (ख) प्रश्नांश "क" की अविध में गोबर विक्रेताओं से कुल 13,99,272.22 किंटल गोबर क्रय किया जाकर राशि रु. 2763.76 लाख का भुगतान किया गया है। वर्षवार, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। (ग) प्रश्नांश "क" अनुसार ख़रीदे गए गोबर से निर्मित एवं विक्रय किये गए विभिन्न उत्पाद की मात्रावार जानकारी तथा लाभ-हानि की वर्षवार, जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। (घ) प्रश्नाश "ग" अनुसार गोधन न्याय योजना प्रारंभ दिनांक 20 जुलाई 2020 से 07 जुलाई 2023 तक स्व-सहायता समूहों को कम्पोस्ट विक्रय से प्राप्त राशि में से बोनस के रूप में रु. 135.69 लाख एवं सहकारी समितियों को रु. 24.12 लाख वितरित किया गया है। 07 जुलाई 2023 के उपरांत बोनस पर निर्णय लंबित होने के कारण स्व-सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों को बोनस का वितरण नहीं किया जा सका है।जिलेवार स्व-सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों को वितरित बोनस राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार है।

# राजनांदगांव जिलान्तर्गत किसानों के द्वारा आत्महत्या [गृह ]

**45. (क्र. 2623) श्री भोलाराम साहू :** क्या उप मुख्यमंत्री ( गृह ), यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में 01 जनवरी 2024 से जनवरी, 2024 तक किन-किन किसानों ने किन-किन कारणों से आत्महत्या की है? विकासखण्डवार, थानावार, जानकारी देवें? (ख) कंडिका "क" के अनुसार इनमें कौन-कौन दोषी हैं? दोषियों के

कार्यवाही की गई है? (ग) कंडिका "क" के किन-किन मृतक के आश्रितों को कितना-कितना स्थाय स्थाय प्रदान की गई है? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

जिस्मान द्वारा अवस्थित नहीं होता है। (क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में किसी भी किसान द्वारा नहीं की गई है। शेषांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश "क" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता का उपस्थित नहीं होता है। (क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में 06 किसानों द्वारा अलग-अलग से आत्महत्या की गई है। विकासखण्डवार, थानावार जानकारी संलग्न प्रपन्न "अ" अनुसार है। (ख) संलग्न प्रपन्न "ब" अनुसार है। (ग) मृतक किसानों के किसी भी आश्रित को मुआवजा राशि नहीं दिया

[पुनरीक्षित उत्तर ]

<u> चरियेष्ट -</u> छब्बीस

# आऊटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को उपादान राशि की पात्रता

[ 料円 ]

46. (क्र.1375) डॉ. चरण दास महंत: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:को क्या आऊटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से शासकीय विभागों/निगमों/ मंडलों/आयोगों में नियोजित क्रिमेकों एवं कर्मचारियों को उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपादान राशि प्राप्त करने की ब्लित वेंदि (ख) यदि हां, तो पात्रता की शर्तें क्या-क्या हैं? 2020-21 से 2022-23 तक विभाग अंतर्गत कितने किंकों तथा कर्मचारियों को कितनी-कितनी उपादान राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार बताएं? यदि हों. तो क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) : [(क) जी हां। (ख) उपादान भुगतान अधिनियम 1972, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/श्रमिक नियोजित करने वाले संस्थानों पर प्रभावशील है। उक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों में नियोजित ऐसे कर्मचारी/श्रमिक जिन्होंने उक्त संस्थान में 5 या 5 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, को 5 वर्ष की निरंतर सेवा कर लेने के पश्चात् उसके नियोजन के पर्यवसान पर, उसकी अधिवार्षिता पर, उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर अथवा किसी दुर्घटना या रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशक्तता पर उपादान पाने की पात्रता है। आऊटसोर्सिंग ब्बेंसियों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों को 2020-21 से 2022-23 तक किए गए उपादान भुगतान की जानकारी शासकीय विभागों/निगमों/मंडलों/आयोगों से संकलित की जा रही है।] (क) जी हां। (ख) उपादान भुगतान अधिनियम 1972, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/श्रमिक नियोजित करने बते संस्थानों पर प्रभावशील हैं। उक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों में नियोजित ऐसे कर्मचारी/श्रमिक जिन्होंने उक्त संस्थान में 5 या 5 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो, को 5 वर्ष की निरंतर सेवा कर लेने के पश्चात् उसके नियोजन के पर्यवसान पर, उसकी अधिवार्षिता पर, उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर अथवा किसी दुर्घटना या रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशक्तता पर उपादान पाने की पात्रता है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में आऊटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों, जिनके द्वारा 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक कार्य किया गया है, को सेवा से पृथक होने के उपरांत भुगतान किए गए उपादान राशि की जानकारी निरंक है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि में उपादान भुगतान कराए जाने का कोई भी प्रकरण प्राप्त नहीं है।

# फरवरी-मार्च, 2024 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

# परिशिष्ट — एक [प्रश्न संख्या—01 (क्रं.—58) की जानकारी]

प्रपत्र - अ

उचित मूल्य दुकानों के भौतिक सत्यापन उपरांत खाद्यान्न सामग्री के स्टॉक में पाई गई कमी की जिलेवार, दुकान संख्यावार, राशन सामग्री की मात्रावार एवं अनुमानित राशि की जानकारी (दिनांक 24.03.2023 की स्थिति में) (मात्रा में.टन में/राशि करोड़ रूपये में)

	a	जिले में कुल कितनी दुकानों का भौतिक		राशन सामार्ग्र कारणो मे	ो वसूली योग्य शामिल मात्रा	मात्रा (तकनीकी को घटाकर)
क्र	जिला	सत्यापन किया गया	खाद्यान्न	उचित मूल्य दुकान की संख्या	राशन सामाग्री की मात्रा	राशन सामाग्री की अनुमानित राशि
			चाँवल	367	3727.60	13.240
1	बस्तर	485	शक्कर	344	148.06	0.532
			चना	358	245.48	1.343
			चाँवल	8	37.63	0.134
2	बीजापुर	189	शक्कर	6	0.96	0.003
			चना	6	1.62	0.009
	3 दंतेवाड़ा		चाँवल	118	240.12	0.853
3		159	शक्कर	91	12.60	0.045
			चना	83	11.49	0.063
		487	चाँवल	288	3582.74	12.726
4	कांकेर		शक्कर	275	160.05	0.575
			चना	270	215.68	1.180
	, J.		चाँवल	232	612.58	2.176
5	कोंडागाव	402	शक्कर	233	58.77	0.211
			चना	190	45.89	0.251
			चाँवल	42	203.95	0.724
6	नारायणपुर	113	शक्कर	42	8.87	0.032
			चना	42	14.97	0.082
			चाँवल	34	420.01	1.492
7	सुकमा	170	शक्कर	26	8.29	0.030
			चना	26	18.07	0.099
	-		चाँवल	96	2241.12	7.960
8	बिलासपुर	673	शक्कर	88	77.70	0.279
			चना	25	14.14	0.077

अानुमार्ग श्रीयकारी नामरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नामरिक नामरिक सम्बन्ध अञ्चल नगर

	जिला	जिले में कुल कितनी दुकानों का भौतिक			राशन सामाग्री वसूली योग्य मात्रा (तकनीकी कारणो मे शामिल मात्रा को घटाकर)				
क्र	जिला	सत्यापन किया गया	खाद्यात्र	उचित मूल्य दुकान की संख्या	राशन सामाग्री की मात्रा	राशन सामाग्री की अनुमानित राशि			
	11000		चाँवल	42	292.72	1.040			
9	गौरेला पेंडरा मरवाही	199	शक्कर	39	19.49	0.070			
			चना	36	32.88	0.180			
10	जांजगीर चांपा	277	चाँवल	59	898.48	3.191			
10	ાં ગાંગમાં વાવા	377	शक्कर	53	33.94	0.122			
	_		चाँवल	303	4669.56	16.586			
11	कोरबा	477	शक्कर	307	212.05	0.762			
			चना	322	451.26	2.468			
12	मुंगेली	396	चाँवल	101	927.43	3.294			
12	4.1011	390	शक्कर	101	48.90	0.176			
			चाँवल	173	1315.57	4.673			
13	रायगढ़	646	शक्कर	140	128.50	0.462			
			चना	99	126.57	0.692			
			चाँवल	295	3262.79	11.589			
14	सकती	341	शक्कर	276	154.46	0.555			
			चना	30	13.17	0.072			
			चाँवल	185	2089.77	7.423			
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	387	शक्कर	181	108.56	0.390			
			चना	64	21.78	0.119			
			चाँवल	100	144.06	0.510			
16	बालोद	469	शक्कर	78	8.10	0.030			
			चना	21	3.20	0.020			
			चाँवल	196	1228.07	4.362			
17	बेमेतरा	458	शक्कर	167	59.00	7.423 0.390 0.119 0.510 0.030 0.020			
			चना	85	1.85	0.010			
18	दुर्ग	635	चाँवल	14	85.66	0.300			
10	3.,	033	शक्कर	8	1.87	0.010			
			चाँवल	315	3466.07	12.310			
19	कवर्धा	498	शक्कर	351	238.42	0.860			
			चना	40	17.37	0.090			

います しょうしょう かいしょう 一本の一の事ではないのできないないないできないしょう

		जिले में कुल कितनी दुकानों			राशन सामाग्री वसूली योग्य मात्रा (तकनीकी कारणो मे शामिल मात्रा को घटाकर)				
क्र.	जिला	का भौतिक सत्यापन किया गया	खाद्यान्न	उचित मूल्य दुकान की संख्या	राशन सामाग्री की मात्रा	राशन सामाग्री की अनुमानित राशि			
			चाँवल	118	1219.50	4.332			
20	राजनोदगांव	481	शक्कर	103	50.16	0.180			
			चाँवल	205	1030.33	3.660			
21	खैरागढ़ छुईखदान	238	शक्कर	207	65.51	0.235			
-,	, <b>3</b>		चना	24	7.65	0.042			
			चाँवल	179	403.50	1,433			
22	मोहला मानपुर	190	शक्कर	69	6.50	0.023			
			चना	67	7.10	0.039			
			चाँवल	311	1879.50	6.676			
23	बलौदाबाज़ार	555	शक्कर	227	74.56	0.268			
23	25		चना	85	6.44	0.035			
		440	चाँवल	42	241.78	0.859			
24	धमतरी		शक्कर	23	5.88	0.021			
27			चना	18	4.12	0.023			
			चाँवल	164	1568.38	5.571			
25	गरियाबंद	354	शक्कर	188	87.32	0.314			
23			चना	127	104.86	0.573			
			चाँवल	11	194.60	0.691			
26	महासमुंद	591	शक्कर	9	4.54	0.016			
20	1, 1, 1, 3, 1		चना	1	0.46	0.002			
			चाँवल	137	1935.34	6.874			
27	रायपुर	587	शक्कर	59	26.92	0.097			
			चाँवल	446	4002.61	14.217			
28	बलरामपुर	476	शक्कर	428	169.83	0.610			
۵ ــ			चना	439	151.13	0.827			
			चाँवल	308	3118.07	11.075			
29	जशपुर	480	शक्कर	408	243.71	0.875			
		ļ	चना	392	188.21	1.029			
		j	चाँवल	42	440.43	1.564			
30	कोरिया	169	शक्कर	44	35.29	0.127			
50			चना	39	25.43	0.139			

	जिला	जिले में कुल कितनी दुकानों का भौतिक		राशन सामार्ग्र कारणो मे	ो वसूली योग्य शामिल मात्रा	मात्रा (तकनीकी को घटाकर)
क्र	र प्राप्ति प्राप्ति सत्यापन किया गया	खाद्यात्र	उचित मूल्य दुकान की संख्या	राशन सामाग्री की मात्रा	राशन सामाग्री की अनुमानित राशि	
			चाँवल	389	4308.89	15.305
31	सरगुजा	510	शक्कर	371	243.09	0.873
			चना	382	401.70	2.197
			चाँवल	467	3678.15	13.060
32	सूरजपुर	514	शक्कर	434	262.21	0.940
			चना	422	254.55	1.390
			चाँवल	चाँवल 95 77		2.744
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी	निन्द्रगढ़ चिरमिरी   246		76	42.98	0.154
			चना	78	52.86	0.289

अनुभाग अधिकारी

अनुभाग अधिकारी

अन्यभिक अवर्थि महिल्ला संरक्षण विभाग

प्रपत्र— ब उचित मूल्य दुकानों के मौतिक सत्यापन उपरांत दुकानों के विरूद्ध जारी नोटिस, निलंबन एवं निरस्तीकरण की जानकारी (दिनांक 24.03.2023 की स्थिति में)

क.	जिला	खाद्यान्न	भौतिक सत	यापन उप विरूद्ध	ारांत उत्ति की गई	वेत मूल्य द् कार्यवाही	दुकानों के	विभागीय कर्मियों  के विरुद्ध पुलिस / विभागीय जांच की कार्यवाही  निरंक  निरंक  निरंक  निरंक  निरंक
			कारण बताओं नोटिस	निलंबित	निरस्त	आर.आर. सी. जारी	एफ.आई. आर. दर्ज	जांच की कार्यवाही
		चावल	367	4	0	0	0	1
1	बस्तर	शक्कर	344	4	0	0	0	निरंक
		चना	358	2	0	0	0	
		चावल	0	2	0	2	0	
2	बीजापुर	शक्कर	0	2	0	2	0	निरंक
		चना	0	2	0	2	0	
1	_	चावल	0	3	0	0	0	
3	दंतेवाड़ा	शक्कर	0	0	0	0	0	निरंक
	***	चना	0	0	0	0	0	
		चावल	127	0	1	19	0	
4	कांकेर	शक्कर	82	1	0	19	0	निरंक
	***	चना	77	0	0	19	0	
		चावल	0	1	0	0	0	
5	कोण्डागांव	शक्कर	0	0	0	0	0	निरंक
L		चना	0	1	0	0	0	
		चावल	42	0	0	0	0	
6	नारायणपुर	शक्कर	42	0	0	0	0	निरंक
		चना	42	0	0	0	0	
		चावल	0	0	0	0		"
7	सुकमा	शक्कर	0	0	0	0	1	
		चना	0	0	0	0		निरंक
		चावल	132	111	23	42	0	1112
8	बिलासपुर	शक्कर	129	108	23	42	0	निरंक
		चना	12	12	0	12	0	
		चावल	42	0	0	0	0	
9	गौरेला—पेण्ड्रा	शक्कर	39	0	0	0	0	निरंक
		चना	36	0	0	0	0	
		चावल	48	8	3	9		
10	जांजगीर–चांपा	शक्कर	48	8	3	9	1	निरंक
		चना	0	0	0	0	0	
		चावल	298	50	31	31	0	
11	कोरबा	शक्कर	302	49	31	27	0	निरंक
		चना	318	50	31	29	0	

क	जिला	खाद्यान्न	भौतिक सत	विभागीय कर्मियों के विरूद पुलिस/विभागीय				
			कारण बताओं नोटिस	निलंबित	निरस्त	आर.आर. सी. जारी	एफ.आई. आर. दर्ज	जांच की कार्यवाही
		चावल	101	2	1	61		
12	मुंगेली	शक्कर	101	2	1	61	1	निरंक
		चना	0	0	0	0	0	
1		चावल	134	23	30	53	4	
13	रायगढ़	शक्कर	134	22	22	50	0	निरंक
<u></u>		चना	134	4	21	50	0	
		चावल	191	6	25	9		
14	सक्ती	शक्कर	187	6	25	9	3	निरंक
		चना	9	0	0	0	0	10-000-miles
		चावल	0	0	0	0	0	
15	15 सारंगढ़—बिलाईगढ़	शक्कर	0	0	0	0	0	निरंक
		चना	0	0	0	0	0	
		चावल	100	4	3	7	0	
16	16 बालोद	शक्कर	82	4	2	6	0	निरंक
		चना	21	2	0	2	0	
		चावल	180	0	0	2	0	
17	बेमेतरा	शक्कर	161	0	0	0	0	निरंक
		चना	84	0	0	0	0	
		चावल	0	3	6	9	3	
18	दुर्ग	शक्कर	0	0	0	0	0	निरंक
		चना	0	0	0	0	0	
		चावल	0	5	8	38	2	-
19	कवर्धा	शक्कर	0	4	9	63	1	निरंक
		चना	0	2	5	. 16	0	
		चावल	123	1	25	26		
20	राजनांदगांव	शक्कर	108	1	23	24	1	निरंक
		चना	0	0	0	0	0	
		चावल	205	0	0		0	
21	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई[	शक्कर	207	0	0	2	0	निरंक
		चना	0	0	0	0	0	
		चावल	0	12	1	0	0	
22	22 मोहला—मानपुर	शक्कर	0	0	0	0	0	निरंक
		चना	0	0	0	0	0	
		चावल	294	10	1	9	0	
23	बलौदाबाजार	शक्कर	62	10	1	9	0	निरंक
		चना	25	3	1	2	0	

Φ.	जिला	खाद्यान्न	भौतिक सत	यापन उप विरूद्ध	ारांत उनि की गई	कार्यवाही आर.आर.	एफ.आई.	विभागीय कर्मियों के विरूद्ध पुलिस/विभागीय जांच की कार्यवाही
			बताओं नोटिस			सी. जारी	आर. दर्ज	
		चावल	35	4	0	4	0	
24	धमतरी	शक्कर	11	3	0	3	0	निरंक
<u> </u>		चना	2	3	0	3	0	
1		चावल	0	0	0	132	0	
25	गरियाबंद	शक्कर	0	0	0	132	0	निरंक
		चना	0	0	0	79	0	
		चावल	11	2	1	7	0	
26	महासमुंद	शक्कर	9	2	0	7	0	निरंक
		चना	1	0	0	0	0	
		चावल	40	3	0	11		
27	रायपुर	शक्कर	34	2	0	8	2	निरंक
		चना	0	0	0	0	0	
		चावल	0	0	0	325	0	
28	बलरामपुर	शक्कर	0	0	0	322	0	निरंक
		चना	0	0	0	321	0	
		चावल	192	0	0	0	0	
29	जशपुर	शक्कर	166	0	0	0	0	निरंक
		चना	206	0	0	0	0	
		चावल	42	7	4	20	0	
30	कोरिया	शक्कर	44	7	4	22	0	निरंक
		चना	39	7	4	21	0	
		चावल	4	5	22	280	0	
31	सरगुजा	शक्कर	3	5	22	275	0	निरंक
		चना	3	5	22	282	0	
		चावल	462	1	2	84	0	
32	सूरजपुर	शक्कर	434	1	2	84	0	निरंक
		चना	412	1	2	84	0	
		चावल	95	0	0	0	0	
33	मनेन्द्रगढ़— चिरमिरी	शक्कर	76	0	0	0	0	निरंक
		चना	78	0	0	0	0	

अनुभाग अधिका**र्थ** ज्ञास नागरिक कार्ज्स १५ अमोनता नंरक्षण विमान मंत्रालय, नेवा राजपुर, अटल नगर

# परिशिष्ट—दो [प्रश्न संख्या—02 (क्रं.—64) की जानकारी]

प्रपत्र

अतारांकित प्रश्न (क्र. 64) की जानकारी

प्रपत्र

			The same of the sa	•					(राशि करोड़	
	भारतीय रिजर्व	वैंक द्वार	ा ऋण (बाजार उधार)	राष्ट्रीय कृषि	म्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण					
माह	राशि	ब्याज दर	अवधि	राशि	ब्याज दर	अवधि	राशि	ब्याज दर	अवधि	
देसंबर-2018	-	•	•	202.24	5.25	प्रत्येक	156.76	Libor Rate	ऋण की	
न्नवरी-2019	1,500.00	7.64	जनवरा 2021 का मूलधन म्गलान	10.55	5 25	तिमाही ब्याज भुगतान 7	0.10		अवधि 25 वर्ष स्यगन अवधि 5 वर्ष	
	2,000.00	7.94	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 16 जनवरी 2023 को मृतधन भृगतान	10.00	0.20	वर्ष तक तथा ऋण प्राप्ति के 2 वर्ष			अर्थात् छठवे वर्षः से	
करवरी-2019	1,000.00	8.14	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 06 फरवरी 2025 को मृतधन भृगतान				पश्चात् मृतधन का			पुनर्भुगतान प्रारंभ होगा
		समान किश्ती	8.03							
	1,000.00	8.18	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 फरवरी 2025 को मूलधन भृगतान			मैं पांच वर्ष तक				
मार्च-2019	750.00	7.48	भाच 2022 का मुलयन मुनातान							
	750.00	7.43	414 5055 44 WHAT THE		5.00		-			
	500.00	7.68	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 20 मार्च 2024 को मूलधन भुगतान	303.02						
	700 00	8 04	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 20 मार्च 2026 को मूलधन भुगतान							
	700.00	7.57	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 मार्च 2023 को मूलधन भुगतान							
	500.00	7.69	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 मार्च 2024 को मूलधन भुगतान							
योग-	10400.00			557.00		4	164.89	उपरोक्त	गन गार्र	
ਮਧੋਕ-2019		निरक			निरक		56.92	344146		
मर्ड-2019 निरंक				निरंक		0.50				
जन-2019 निरंक					निरक		0.59			
ਜੁਗਵ-2019			<b>निरक</b>	17.97	4.5013	उपरोक्तानुसार	28.08			



	भारतीय रिजर्व	वैंक द्वार	ा क्ष्ण (बालार उधार)	राष्ट्रीय कृषि	एवं ग्रामीय से भूण	ग विकास बैंक	इवतपर्मट अ	के माध्यमः इण/ विश्व बैंक टी ऋण/ अन्य	से ऋणा
মাহ	राशि	ध्याल दर	अवि	राशि	म्याज दर	अविष	राशि	म्याज दर	अवधि
भगरत-2019	1000 00	7.03	पत्येक ए माही स्याज भुगतान एवं 28 अगरत 2026 को मृत्यान भुगतान	29 65	4.15	उपरोक्तानुसार	20 04	उपरोक	तानुसार
सितंबर-2019	1000 00	7.28	पत्येक छःमाही स्याज भुगतान एवं 25 सितंबर 2027 को मूतपन भुगतान	45.91	4.15		3 61		
2010			। निरंक	19.30	3 90	1 1	2 98		
अवरूबर-2019			निरं <b>क</b>	89,91	3.90	1	13.57		
नवंबर-2019 दिसंबर-2019	2000.00	7.18	पत्येक छःमाही बयाज भुगतान एवं 04 दिसंबर 2027 को भूतपन भुगतान	104.79	3.90		107 35		
	1000.00	7.17	पत्येक छःमाही ष्याज भुगतान एवं 08 जनवरी 2030 को भूतपन भुगतान	69 84	3.90				
जनवरी-2020	जनवरी 2030 पा भूगतान एवं 20 1000 00 7 18 जनवरी 2030 को भूतपन भुगतान एवं 20 जनवरी 2030 को भूतपन भुगतान					,,			
फरवरी-2020			निरं <b>क</b>	322.70	3.90	1			
	1000 00	7.08	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 04 मार्च 2030 को मूत्रपन भुगतान	151.32	3.90				
4	1000.00	7,11	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 18 मार्च 2030 को मूलधन भुगतान				46.04		
ਸਾਰ-2020	1000 00	The second second	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 25 मार्च 2030 को मूतधन भुगतान	78.53	3.15				
	2680 00	7.35	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 31 मार्च 2030 को मूलधन भुगतान	39.76	3.15				
पोग-	11680.00			969.68		1.3	279.18		W-1-10-1
ਮੁਸ਼ੈਕ-2020			निरक		निरक		0.98	34414	तानुसार
मई-2020			निरक		निरंक		2.03		
जून-2020			निरंक	57.22		उपरोक्तानुसार	77.60		
जुताई-2020			निरंक	38.98	2.75	-	11.60		
भॅगस्त-2020	1300.00	5.40	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 12 अगस्त 2024 को मूलधन भुगतान	50.31	2.75		-		
सेतंबर-2020	700.00		प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 09 सितंबर 2023 को मुलधन भुगतान	22.44	2.75		21.61		



	भारतीय रिजर्व	विंक द्वा	त ऋण (बाजार उधार)	राष्ट्रीय कृति	षे एवं ग्रार्म से ऋष	ण विकास <b>वै</b> क ा	34411116	र के माध्यमः ऋण/ विश्व बैंक टी ऋण/ अन्य	से ऋणा
माह	राशि	ब्याज दर	अवधि	राशि	ब्याज द	अविध	राशि	ब्याज दर	अवधि
अक्टूबर-2020	1000.00	5.94	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 07 अक्टूबर 2025 को मूलधन भुगतान	24.44		उपरोक्तानुसा		उपरोक	तानुसार
	1000.00	5.38	من تحد المحدد ال	34.44	2.7	5	-		
नवंबर-2020	1000.00	5.35	गानीस कामारी नामा शामार गानं ०४	142.05	0.71				
	1000.00	5.32	male served and some mi of	112.95	2.75	)	143.00		
दिसंबर-2020	1000.00	5.93	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 09 दिसंबर 2026 को मूलधन भुगतान	74.04	0.75				
1000.00 5.88 दिसंबर 2026 को मृतधन भगतान एवं 30		71.21	2.75		715.73				
जनवरी-2021	1000.00	5.97	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 13 जनवरी 2027 को मूलधन भुगतान	80.21	2.75	2.75	677.04		
	1000.00	6.10	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 जनवरी 2027 को मूलधन भुगतान	00.21	2.75		677.04		
फरवरी-2021	1000.00	7.08	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 23 फरवरी 2029 को मूलधन भुगतान	116.14	2.75		789.67		
ਸਾਰ-2021	1000.00	7.06	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 17 मार्च 2029 को मूलधन भुगतान	350.96	2.75		1,049.65		
,	1000.00	6.94	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 24 मार्च 2029 को मूलधन भुगतान	350.96	2.75		143.00		
योग-	13000.00	11		934.85	1 - 1 - 1	AND THE PARTY	* 3,620.31	- 4.	
अप्रैल-2021	-		निरक		निरक		59.65	उपरोक्त	नसार
	इ- 2021 निरक				निरक			3 ((14))	3,
	न-2021 निरक				निरक		10.64		
जुंताई-2021	1000.00	6.82	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 07 जुलाई 2028 को मूलधन भुगतान		निरंक		2,444.28		
अगस्त-2021	1000.00	0.50	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 15 सितंबर 2028 को मूलधन भुगतान	115.60	2.75	उपरोक्तानुसार	141.00		



	भारतीय रिजर्व	ं चैंक द्वार	त ऋण (बाजार उधार)	राष्ट्रीय कृषि	पर्व ग्रामी से ऋण	ग विकास वैंक	केन्द्र सरकार के माध्यम से पशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीपसटी ऋण/ अन्य ऋण			
माह	राशि	व्याज दर	अविध	राशि	ब्याज दर	अविष	राशि	ब्याज दर	अविप	
सितम्बर-2021	1000.00	6.59	पत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 08 अक्टूबर 2028 को मूलधन भुगतान	26 62	2.75		65.32	उपरोव	तानुसार	
अक्टूबर-2021	1000.00	6.62	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 अक्टूबर 2028 को मूलधन भुगतान	100.21	2.75		2,624.94			
नवम्बर-2021		La-della control control	निरक	1.77	2.75	1 1	141.00			
दिसम्बर-2021			निरक	125.58	2.75	1 1	49.45	]		
जनवरी-2022	-		निरक		निरक		2.64	1		
फरवरी-2022			निरक	43.00	2.75	उपरोक्तानुसार	213.27	1		
मार्च-2022			निरक	691.49	2.75	3	24.30			
योग-	4,000.00			1104.27			• 5,776.50			
ਮਪੈਕ- 2022			निरंकः	1	निरंक		91.54	उपरोव	<b>स्तानुसार</b>	
ਸ\$- 2022			निरक	1	निरंक		133.99	]		
जन-2022			निरक	13.45	3.65	उपरोक्तानुसार	25.95	]		
जনাई-2022			निरक			3	83.12	]		
अगस्त-2022			निरंक	35.24	4.15		52.36			
सितम्बर-2022			निरक	44.07	4.15		21.13			
अक्टूबर-2022			निरंक	8.72	4.65		921.89	]		
नवम्बर-2022			निरंक	162.36	4.65		357.18	]		
देसम्बर-2022			निरक	146.78	5.00		201.58	1		
जनवरी 2023		-	निरक	9.39	5.00		54.55	1		
			0.	151.31	5.00		50.04	1		
<b>करवरी 2023</b>			निरंक	25.92	5.25		52.31	1		
मार्च-2023	2000.00	7.75	बत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 29 पार्च 2031 को मुलधन भुगतान	613.26	5.25		1,704.52			
रोग-	2,000.00			1,210.50			* 3,700.13			
ਸਪੈਕ- 2023	2,000.00		निरक		निरंक		9.37	उपरो	<b>स्तान्</b> सार	
गई- 2023			निरंक	52.80	5.25	उपरोक्तान्सार	112.48			
1	1000	1.25	त्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 07 नून 2030 को मुलधन भुगतान			,		1		
नून-2023	त-2023 1000 7.40 प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 2 जून 2030 को मुलधन भुगतान						49.54			
	1000	7.42	त्येक <b>छ</b> ःमाही ब्याज भुगतान एवं 28 जुन 2031 को मुलधन भुगतान							
लाई-2023			निरक	120.78	5.25		19.11	1		
गस्त-2023			<b>निरक</b>	126.84	5.25		1,955.30	1		



	भारतीय रिजर्व	वैंक द्वार	ा ऋण (बाजार उधार)	राष्ट्रीय कृषि	र एवं ग्रामीर से ऋण	ग विकास दैंक	केन्द्र सरका डेवलपमेंट जीपस	र के माध्यम हं ऋण/ विश्व बैंक टी ऋण/ अन्य	से ऋणा
माह	राशि	म्याज दर	अवधि	राशि	व्याज दर	अविध	राशि	ब्याज दर	अविध
	1000.00	7.47	प्रत्येक छःमाही स्याज भुगतान एवं 22 सितंबर 2030 को मूलधन भुगतान	220.77		उपरोक्तानुसार		उपरोक्त	<b>गनु</b> मार
सितम्बर-2023	1000 00	7 49	पत्येक रू:माही ब्याज भुगतान एवं 27 सितंबर 2030 को मृतधन भुगतान	328.77	5.25		165.38		
अक्टूबर-2023	1000 00	7.54	पत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 04 अक्टूबर 2031 को मूतधन भुगतान	136 84	5.25				
	1000.00	7.73	पत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 01 नवंबर 2031 को मूलधन भृगतान	25.18	5.25		26 98		
नवस्बर-2023	1000.00	7.74	पत्येक छःमाही स्याज भुगतान एवं 29 नवंदर 2031 को मुलधन भृगतान	23.10	3.23				
योग-	8,000.00			837.27			• 2,338.16		
अवधि का योग-	49,080.00		The second second	5613.55		West Co	15,879.17	STREET, STREET	the second
महायोगः-	70,572.72								

<sup>\*</sup> उक्त ऋणों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्ययानिवेश हेतु विशेष सहायता योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 में प्रदत्त ऋण राशि क्रमशः 286 करोड़ रूपये, 423 करोड़ रूपये, 2942 करोड़ तथा 2020 करोड़ भी शामित है। केन्द्र सरकार द्वारा योजनातर्गत 50 वर्षों के लिये ब्याजमुक्त ऋण पदान किया गया है। यह ऋण विमुक्ति के 50 वर्षों बाद एकमुश्त चुकाया जाना है। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में क्रमशः 3109 करोड़ तथा 4965 करोड़ जीएसटी ऋण के रूप में केन्द्र सरकार से राशि शामित है।

0

विशेष कर्तट्यस्थ अधिकारी वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर

-		2018 से 30 नवंबर 2023 तक के प्रत्यागृति ऋ	ण का जानकार	1	(राशि लाख	रू. में)	
ъ	विभाग (प्रत्यामूति ऋण पाप्तकर्ता निगम-मंडल/बोर्ड का नाम)	ऋण प्रदाता शरेषा का नाम	ऋण की राशि	ऋणं की अनिध	ऋण की वापसी	शेष ऋण	रिमार्क
1	र्षि विकास एवं किसान कल्याण लगा	यूनियन वैक ओफ इतिया	8000	1 सर्प	0008	0	कैश केंडिट लिमिट
	पुर प्रदेश हिमारी प्रमानी हिल्लीहरू प्रदेश एक एक हिमारी मामनी हिल्लीहरू	रटेट केम जोग इंडिया	дооо	1 111	0	8000	कार्यशील पूजी माग ऋण / WCDL
		रटेट हैक ऑफ इडिया	2000	1 वर्ष	o	2000	केश केंडिट लिगिट
2	आवास एव पर्यावरण विभाग(छ ग गृह निर्माण मण्डल)	कैनरा बैक	30461.02	15 वर्ष+25 वर्ष	11972 43	18488 59	(*)
	आवास एव पर्यावरण विभाग(छ ग भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर)	शासन से (डी.डी.ओ नगर तथा ग्राम निवेश) से प्राप्त	100	ब्याज मुक्त ऋण	50	50	
	आदास एव पर्यावरण विभाग(नवा रायपुर अटल नगर विकास पाधिकरण)	पजाब नेशनल बैंक, कटोरा तालाब, रायपुर (छ.ग.)	10000	13 वर्ष 04 माह	2051.52	7948 48	
3	ऊर्जा विभाग (छ ग स्टेट पावर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	51500	1 वर्ष	(**)	0	वित्तीय वर्ष 2018-19
	डिस्ट्रीब्यूशन कपनी तिमिटेड)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	25000	1 वर्ष	(**)	0	
		युनियन बैक ऑफ इंडिया	51500	1 वर्ष	(**)	ol	वित्तीय वर्ष 2019-2
	<u> </u>	स्टेट बैक ऑफ इंडिया	50000	1 वर्ष	(**)	o	
	F	ओरिएटल बैंक ऑफ कामर्स	5000	1 वर्ष	(**)	0	
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	51500	1 वर्ष	(**)	0	दित्तीय वर्ष 2020-2
1		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	40000	1 वर्ष	(**)	0	
		वैक ऑफ बडौदा	15000	1 वर्ष	(**)	0	
		यूनियन वैंक ऑफ इंडिया	51500	1 वर्ष	(**)	0	वित्तीय वर्ष 2021-2
		रटेट बैंक ऑफ इंडिया	30000	1 वर्ष	(**)	0	
-		बैंक ऑफ वडौदा	25000	1 वर्ष	(**)	0	
		वैक ऑफ वडौदा	15329	5 माह	15329	0	
-		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	51500	1 वर्ष	(**)	0	वित्तीय वर्ष 2022-2
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	30000	१ वर्ष	(**)	0	
1		येक ऑफ वडीदा	35200	1 वर्ष	(**)	0	



	The second secon	कीवरा वैक	50000	1 यर्ष	(**)	0	
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	51500	1 यर्ग	(**)	37525	वित्तीय वर्ष 2023-24(नव
		रटेट बैंक ऑफ इंडिया	30000	1 বর্ণ	(**)	24518	2023 सक)
'		भैक ऑफ मर्खीदा	35200	1 वर्ग	(**)	35200	
		कैनरा भैक	50000	। धर्म	(**)	49950	
	लोक निर्माण विभाग(सी जी आर आई डी	पंजाब नेशनल बैंक	56317	17 वर्ष 03 माह	0	56317	
4	सी एत.)	भैक ऑफ इंडिया	21349	15 यर्ष 07 गाह	245	21104	
		सेन्टल वैक ऑफ इंडिया	113299	15 गर्म वर माह	835	112464	
		इंडियन अरेक्स्सील वैक	41271	3 में ४० में ह	982	40289	
5	क्रांदेम जाति तथा अनुसूचित जाति क्रिया (४ म राज्य अस्टानसारी	राष्ट्रीय अनुस्किर जाति विविधि नई दिल्ली	718.27	०५ वर्ष	261.65	456 62	
	सहकारी वितः एव विकास निगम)	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विविधि नई दिल्ली	2283.01	05 70	349 04	1933 97	
	A Equity and Ca same (1919)	राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वि.वि नि. नई दिल्ली	50.00	05 वर्ष	5.73	44 27	
		राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वि.वि.नि. नई दिल्ली	1024.56	05 वर्ष	1024,56	0	
	पसायत एव ग्रामीण विकास विभाग (छ.ग.	केनरा बैक	100000	2034-35	23333	76667	
	रूरत हाउसिंग कॉर्पोरेशन तिमिटेड)	नाबार्ड	79244	203435	5661	73583	
7	सूमाज कल्याण विभाग(छ.ग. निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम)	नेशनल दिय्यागजन फॉयनेंस एंड ढेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली	3600	10 वर्ष	3499	101	
F	नगरीय प्रशासन एव विकास दिभाग(राज्य शहरी विकास अभिकरण)	स्टेट बैक ऑफ इंडिया	82500	19 वर्ष			प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) अंतर्गत
		हुडको	70000	172 माह	15204	137296	राज्यांश की प्रतिपूर्ति हेतु
9	खाद्य एव नागरिक आपूर्ति तथा उपमोक्ता सरक्षण विभाग(छ ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड)	इलाहाबाद बैंक	100000	नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक	100000	0	

(\*)धीप-छ ग. गृह निर्माण मण्डल, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क. एफ 02-40/2016/32 दिनांक 21.06.2017 अनुसार राज्य के कर्मचारियाँ/अधिकारियाँ हेतु 146 ब्लॉक स्तर 6424 भवनों के निर्माण कार्य के लिए राशि रू. 800 करोड़ का ऋण लेने हेतु 0.5 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क सहित शासन की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। छ.ग. शासन द्वारा प्रदल्त राशि रू. 800 करोड़ का ऋणा नेने हेतु 0.5 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क सहित शासन की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। छ.ग. शासन द्वारा प्रदल्त राशि रू. 800 करोड़ कर्यामृति अतर्गत अविध दिनाक 10 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2023 तक के केनरा बैंक से उपरोक्तानुसार ऋण प्राप्त किया गया है।

<sup>(\*\*)</sup>टीप- इस सुविधा के तहत, ऋण की निकासी और पुनर्भुगतान कमशः निधि की आवश्यक्ता और निधि की उपलब्धता के अनुसार दैनिक आधार पर निरंतर चलता रहता है ताकि कंपनी के Cash Outflow और Cash Inflow में अस्थायी बेमेल के कारण, कंपनी के व्यवसाय संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।



## परिशिष्ट — तीन [प्रश्न संख्या—3 (क्रं.—217) की जानकारी ]

Khh

शिकायत पर की गई कार्यवाही गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत 과 막 매매 매매 न्हो 地 과 파 咿 नही ःयय साक्षि (लाख मे) 15.15 1.00 46.40 17.34 2.00 2.99 8.00 1.00 18.01.2022 26.12.2021 02.02.2022 02.11.2021 वास्ताविक तिथि पूर्णता तिथि 03.01.2022 अनुबंधानुसार 12.03.2022 सघार) 26.08.2021 20.09.2021 04.10.2021 कार्यादेश तिथि 2021-22 (ऐंच वर्क स्वीकृत राशि एजेंशी/फर्म का (लाख में) बिल्डकॉन "बी" वर्ग ठेकेदार मिलाई मे. सीमा बिल्डकॉन "बी" वर्ग ठेकेदार मिलाई में. नाकोड़ा करंद्रक्शन "अ" वर्ग ठेकेदार में सीमा विष् 15.15 2.00 1.00 46.40 8.00 1.00 1.00 2021-22 दुर्ग गुण्डरदेही बालोद मार्ग कि.मी. 46 से 49 = 4. 00 कि.मी. खुदनी से डढारी मार्ग लं. 1 से 3/2-4 = 2.40 कि.मे. हर्राठेमा मालगाँव मङ्बायथरा मार्ग लं 6.20 कि.मी. गलोद -पड़कीभाट बायणस मार्ग लं. 6.00 कि.मी. लोहारा-बालोद मुख्य जिला मार्ग कि.मी. 12/2 दुर्ग गुण्डरदेही बालोद मार्ग कि.मी. 46 = 1.00 । ने. देवारमाट से सेम्हरकोना मार्ग लं. 3.80 कि.मी. आदमाबाद घोटिया डौण्डी मार्ग कि.मी. 1 से जमरुवा से साल्हेटोला मार्ग लं. 2.10 कि.मी. 2021-22 ठिकवाडीह से दुपचेरा मार्ग ले. 1.00 कि.मी. 7 | 2021-22 | कंबर से देवकोट मार्ग लं. 100 कि.मी. सड़क का नाम से 20/4 = 8.40 कि.मी. 17/4 = 16.40 6品.相. 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 वब् स.फ ∞ 10 =

अनुआर्ग अधिकारी लोक निर्माण विभाग नंत्रालय, नसा सम्पुर (छ.ग.)

संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के पेचवर्क सुधार, संधारण / मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत राशि

स.म	वर्ष	सड़क का नाम	रवीकृत शाशि	रवीकृत राशि एजेंसी/फर्म का	कायदिश निक	पूर्णता तिथि	<u> </u>	व्यय राशि	गुणवत्ता के अंबंध में पाप्त	शिकायत पर की गर्द	टीय
			(લાહ્ય મ)	<u> </u>		अनुबधानुसार	वारतावक तिथि		शिकायत	कार्यवाही	
-	2	3	4	S	9	7	80	6	10	11	12
12		2021-22 जमरुवा से सेम्हकोना साल्हेटोला मार्ग कि.मी. 1	5.57	मे. सेवासिंह	01.12.2021	16.02.2022	06.02.2022	5.57	नही	ï	
		से 4/8 = 3.80 कि.मी.		ओबेराय एण्ड							
53	-	2021-22 उमरादाह से निपानी मार्ग कि.मी. 1 से 12 = 12. 00 कि.मी.	5.89	कम्पनी " अ" वर्ग ठेकेदार दुर्ग			¥	5.89	नही	,	
		योग :- 13 कार्य	114.32					114.32	5		
		राष्ट्रीय राजमार्ग	के कार्य								
-	2021-22	पुरुर-झलमला, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 930 के कि. मी. 0.000 से 30.600 में बी.टी. पैच रिपेयर का कार्य।	47.63	शिरोमणी माथुर, दल्लीराजहरा	08.11.2021	22.01.2022	05.01.2022	47.63	नही	ž	कार्य पूर्ण
		योग 01 कार्य	47.63					47.63			
				वर्ष 2021–22	(नवीनीकरण)	(F					
-	2021-22	2021-22 कोंहगाटोला ननौद मार्ग लं. 1.00 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	13.32	मे. सेवासिंह ओबेराय एंड	01.04.2022	15.07.2022	07.03.2023	13.32	नही		
CI	2021-22	2021-22 खेरा से दरबारी नवांगांव मार्ग लं. 1.60 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	23.23	कपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग				23.23	नही	-	
m	2021-22	2021-22 नेगरीकला—देदीनवागांव अरीद मार्ग कि.मी. 1/6 से 3/2 = १.७० कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	14.86	जय कंस्टक्शन 'ब' वर्ग ठेकेदार कुरूद (जामुल)	07.02.2022	21.05.2022	15.06.2023	14.86	नही		
4	2021-22	2021-22 हल्दी निपानी नार्ग कि.मी. 4 से 6/2 = 2.20 कि.मी. में डानरनवीनीकरण का कार्य।	28.02	<u>-</u>				28.02	नही	ı	
'n	2021-22	2021-22 लोण्डी—पोण्डी—बोडकी मार्ग कि.मी. 1/6 से 2/8 = 1.40 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	12.99			8		12.99	नही		
9	2021-22	2021-22 खपरी—लोण्डी—विरेतरा मार्ग लं. 4.60 कि.मी. में डामरनवीनीकरण का कार्य।	39.69					39.69	नही	,	0
		योग :- 06 कार्य	132.11	-	4			132.11			
					٠						

अनुसान आवस्त्र (छ.ग.) अनुसान जान तथर (छ.ग.)

		_	_	_					_		_				
<b>A</b>	5	:	12				1								
शिकायत पर	की गई कार्यवाही	101111111111111111111111111111111111111	=						ì						
गणवत्ता के	संबंध में प्राप्त शिकायत	9	01	नही	नही	नही	नही	नही	नही	नही	40	नहीं	- 1년 - 1년 - 1년	नही	नही
व्यय साक्ष	(लाख मे)	c		2.27	1.13	0.25	0.18	2.50	99.0	5.62	690	19.84	24.16	18.64	5.03
तिथि	वारतविक तिथि	000	,	18.11.2022									27.11.2022	04.03.2023	-1
पूर्णता तिथि	अनुबंघानुराार	7	गर)	19.10.2022 18.11.2022									03.01.2023	22.02.2023	
कार्यादेश	বিশ্বি	9	(पेंच वर्क सुधार)	05.07.2022	10								20.10.2022	08.12.2022	
रवीकृत शाशि एजेंसी / फर्म का	नाम	5	2022-23	में. सेवासिंह ओबेराय एंड	कंपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग		à						में नाकोड़ा कंभ्द्रक्शन कंपनी "अ" वर्ग ठेकेदार दल्लीराजहरा	में शंकर लाल गुप्ता "अ" वर्ग	ठेकेदार जगदलपुर
स्वीकृत साक्ष	(लाख मे)	4	विष्	2.27	1.13	0.25	0.18	2.50	99.0	8.62	0.62	19.84	24.16	18.64	5.03
सङ्क का नाम		3		2022-23 कलेक्टरोट पहुँच मार्ग लं. 1 से 2/6 = 160 कि.मी.	2022-23 सेम्हरकोना से साव्हे मार्ग तं. 1 से 2/6 = 1. 60 कि.में.	2022-23 मानपुरी से सुर्ग मार्ग लं. 2/2 से 2/4 = 0.40 किमी	2022-23 अमोरा से अर्जुनी मार्ग लं. 1/2 = 0.20 कि.मी.	2022-23 लाण्डी पोण्डी बोड़की कि.मी. मार्ग लं. 1/2 से 1/4 ,2/10 से 3/4 = 1,00 कि.मी.	2022-23 नेवारीकला देवीनवार्गोव अरोद मार्ग लं. 1/4 = 0.20 कि.मी.	7   2022-23 बोरी पसौद मार्ग लं. 1/2 से 2/2 कि.मी. = 1. 20 कि.मी.	2022-23 पोण्डी मटिया मार्ग लं. 1/2 =0.20 कि.मी.	2022-23 पड़कीमाट पोण्डी मार्ग लं. 1/2  से 5/4  = 4. 40 कि.मी.	10 2022-23 लोहारा बालोद मार्ग के कि.मी. 1 से 19/10 =18.90 कि.मी.	2022-23 बालोद पडकीभाट बायपास मार्ग लं. 6.00 कि.मी.	2022-23 सोमनी अर्जुन्दा वालोद मार्ग के कि.मी. 46 से 50/2 = 420 कि.मी.
वब		7		2022-23		2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23 7
# H		_		-	2	3	4	vo.	9	7		6	10	1	12 2

अनुष्पार्ग अधिकारी लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग)

	T	T	T	T -	_								-,-		
टीप	12										कार्य पूर्ण				
शिकायत पर की गई कार्यवाही	11				,									,	·.
गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत	10	नही	नही	नही	नही	नी	नुष्ट				म्ह			नही	नुष्टी
व्यय राशि (लाख मे)	6	3.45	8.42	0.25	0.03	5.56	20.00		13161	10:171	49.25	2007	77.64	10.81	09.9
तिथि वास्तविक तिथि	8	18.04.2023					23.02.2023				23.03.2023			13.11.2023	14.11.2023
पूर्णता तिथि अनुबंधानुसार वार ति	7	24.03.2023					03.04.2023				25.03.2023 23.03.2023			15.11.2023	
कायादश तिथि	9	10.01.2023					20.01.2023				11.11.2022		नवीनीकरण	01.08.2023	
रवाकृत साथ एजसा फम का (लाख में)	5	में. सेवासिंह	आवेराय एंड	कपनी 'अ' वर्ग ठेकेदार दुर्ग				कम्पनी ''अ'' वर्ग ठेकेदार दुर्ग			नागेश शुक्ला एण्ड बदर्स, डंगनिया रायपुर		वर्ष 2022—23 (नवीनीकरण)		कम्पनी ''अ'' वर्ग टेकेदार दुर्ग
रवाकृत साश (लाख में)	4	3.45	8.42	0.25	0.03	5.56	20.00		121.61	के कार्य	56.34	56.34		12.69	10.15 a
FIF 18 697	200		2022-23 लाण्डा पाण्डा बाड़की मार्ग ल. 1.00 कि.मी.	2022-23 हर्राठमा—मालगाव—मङ्वापथरा मार्ग लं. 1/2 से 5/10= 5.00 कि.मी.	16   2022-23 किलेक्टरोट पहुँच मार्ग लं. 1.00 कि.मी.	17   2022-23 रमतरा भानपुरी मार्ग का निर्माण लं. 1.00 कि.मी.	18   2022-23 पड़कीमाट बायपास मार्ग ल 6.00 कि.मी.	+	योग :- 18 कार्य	राष्ट्रीय राजमार्ग	2022-23 पुरुर-झलमला, राष्ट्रीय राजमार्ग क. 930 के कि. मी. 0.000 से 30.600 में बी.टी. पैच रिपेयर का कार्य।	योग 01 कार्य		2022-23 अकलवारा पहुँच मार्ग लं. 1.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।	2022-23 तमोरा से सतमरा मार्ग लं 0.80 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य।
	בר ררטר	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23				2022-23			2022-23 3	2022-23 ਰ ਜ
1	- 1	5 .	7 1	0	16	17	18				-				7

अनुभाग आवभाग तोक निर्माण विभाग मंत्रालय, नया राषपुर (छ.ग.)

		T				-							
टीव		!	21	<u> </u>	प्रगति						दायित्वाँ	भुगतान श्रुष	
शिकायत पर	की गर्ड कार्यवाही		=			li.		ī					
गुणवत्ता के	संबंध में प्राप्त शिकायत		≘ ¶	<u>.</u>	नही	नही	नही	नहा			नही	नही	नही
व्यय साक्ष	(लाख मे)	0				59.20	42.45	30.00	20 01	149.00		1.	
ताथ	नारत <i>विक</i> तिथि	œ				24.10.2023				(211	11.12.2023		
पूणता ताथ	अनुबंधानुसार	7	21.08.2023			28.08.2023				ंच वर्क सध	12.10.2023		
कावादश	प्राक्	9	22.05.2023			29.05.2023				024 तक (पे	29.08.2023		-
रवाकी सारा देशसा केने का	नाम	v	विकास	करंद्रक्शन "सी" वर्ग	ठेकेदार राजनांदगांव	में सेवासिंह ओबेराय एण्ड कम्पनी "अ"	वर्ग ठेकेदार दुर्ग			2023-24 में 11 जनवरी 2024 तक (पेंच वर्क सधार)	में ओम 2	एण्ड कर्द्रक्शन "अ" वर्ग	ठेकेदार दुर्ग
יאולנו נווגן	(लाख म)	4	12.69		6.35	59.20	42.45	30.00	173.53	2023-24 中	13.11	13.22	11.30
		3	31	1/4 एवं 2/4 से 3/4 = 1.00 कि.मी. में डामर नदीनीकरण का कार्य।	2022-23 नेवारीकता. देवीनवागॉव अरौद मार्ग कि मी. 1/2 से 1/6 = 0.50 कि.मी. मे मजबुतीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	2022-23 बिलोद बायचास मार्ग (पाररास से पड़कीमाट मार्ग) कि.मी. 3 से 4 = 200 कि.मी. में डामर नदीनीकरण का कार्य	2022-23 बालोद बायपाल नार्ग (पाररास से पड़कीमाट मार्ग) कि.मी. 5 से 6 = 2.00 कि.मी. में डामर नदीनीकरण का कार्य	7 2022-23 डेगरापार—घुनका मार्ग लं. 1.80 कि.मी. एवं डेगरापार बनगॉव मार्ग लं. 0.80 कि.मी कुल तंबाई 2.60 कि.मी. में डामर नवीनीकरण का कार्य	योग :- 07 कार्य	वर्ष 2	। 2023-24 जगन्नाधपुर परसदा दरवारी नवांगांव डेंगरापार मार्ग ल 5.80 कि मी	2023-24 जगन्नाथपुर-दरवारीनवागाद-डेगरापार मार्ग कि.मी. 1 से 6 / 10=5 85 कि मी.	2023-24 तरोंट मनोंट घुमका मार्ग कि मी. 1 से 5 = 5.00 कि मी
		7	2022			2022-		2022-2			2023-2	2023-2	2023-24
	1	-	10		4	v,	9	-			_	2	"

अनुभाग अधिकारी जोक निर्माण विभाग मंत्रालय, नया ययपुर (छ.म.)

शिकायत पर दीप की गई कार्यवाही - दायित्वों - सुगतान - प्रापतान - प	भ्गात पर
की गई कार्यवाही पर	
गुणवल्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत 10 नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं	
व्यय शिश्व में) 9 9	0.00
तिथि वास्ताविक होश्च 10.11.2023	
अनुबंधानुसार वार हि अनुबंधानुसार वार हि 7 12.10.2023 10.1 24.08.2023	
कायदिश होधि 6 29.08.2023 20.09.23 11.07.2023	
स्वीकृत साक्षि एजेंसी/फर्म का 4 5. 41.01 में. ओम इजिनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन "अ" वर्ग टेकेदार दुर्ग टेकेदार दुर्ग टेकेदार दुर्ग हेकेदार दुर्ग हेकेदार दुर्ग टेकेदार दुर्ग टेकेदार दुर्ग उन्हें केक्ट्रार वालोद 2.77 ठेकेदार वालोद 2.77 ठेकेदार वालोद के कार्य के कार्य विखलाकसा, दिल्लीराजहरा	
(लाख मे) 4 4 41.01 27.24 2.72 1.98   1 2.77 2.77 34.22 ने कार्य	34.22
स.क वर्ष     पडक का नाम       1     2       4     2023-24 सिविट्स लाईन मार्ग बालोद       5     2023-24 सिविट्स आईन मार्ग बालोद       6     2023-24 सिविट्स अम्लीडिह दैहान मार्ग कि.मी. 1 से 8 / 6 = 16.       8     2023-24 लोहारा से बालोद कि.मी. 2 / 2 से 17 / 6 = 16.       8     2023-24 लोहारा से घुमका मार्ग ले. 4.60 कि.मी.       9     2023-24 सिव्दम पहेंच मार्ग ले. 1.20 कि.मी.       10     2023-24 सिव्दम पहेंच मार्ग ले. 1.20 कि.मी.       11     2023-24 लोहारा से बालोद कि.मी. 12 / 2 से 20 / 4 = 8.       12     2023-24 लोहारा से बालोद कि.मी. 12 / 2 से 20 / 4 = 8.       12     2023-24 लोहारा से बालोद कि.मी. 12 / 2 से 20 / 4 = 8.       13     2023-24 लोहारा से बालोद कि.मी. 12 / 2 से 20 / 4 = 8.       14     कि.मी.       15     2023-24 सिव्दम संस्था पापरा मार्ग ले. 20 कार्य       16     मी. 0.000 से 30.600 में बी.टी. पैच सिपेयर का       कार्य ।     कार्य ।	योग :- 01 कार्य
23-24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	
(4. 部 で 1 1 1 1 202 202 202 202 202 202 202 202	

्रानुभाग अधिकारी होक निर्माण विभाग गंत्रालय, नया रागुर (छ.ग.)

		_					_
दीप		12		प्रगति		अप्रार्भ	
शिकायत पर	की गई कार्यवाही	11		•	3	1	
व्यय राशि मुणवत्ता के शिकायत पर	अनुबंधानुसार वास्तविक (लाख में) संबंध में प्राप्त तिथि	10		नही		1	
व्यय साक्षि	(लाख मे)	6		×			0.00
तिथि	वारतविक तिथि	8				1	
पूर्णता तिथि	अनुबंघानुसार	7	(नवीनीकरण)	08.01.2024	ě	20.12.2023	
कार्यादेश	নিথি	9	री 2024 तक	09.10.2023		06.10.2023	
रवीकृत राशि एजेंशी/फर्म का कार्यादेश	<del>П</del>	ĸ	वर्ष 2023-24 में 11 जनवरी 2024 तक (नवीनीकरण)	में सेवासिंह   09.10.2023   08.01.2024 ओवेराय एण्ड	कम्पनी "अ" वर्ग ठेकेदार दुर्ग	श्री नेतराम साहू   06.10.2023   20.12.2023   'ब'' वर्ग   देकेदार   राजनांदगांव	
रवीकृत राशि	(लाख मे)	7	वर्ष 2023-	59.22		50.76	109.98
सदक का नाम		3		1 2023-24 बालोद बायपाल मार्ग (पाररास से पड़कीमाट) कि. मी. 1 से 2 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीमीकरण	कार्य।	2 2023-24 बोरिदकला से कसावाही लं. 3.00 कि.मी. एवं हथौद पहुँच मार्ग लं.1.00 कि.मी. डामर नवीनीकरण कार्य	योग :-02 कार्य
বর্		Ľ		2023-24		2023-24	
₩. ₩.		-				2	

मुख्य अभियंता (योजना) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. नवा रायपर अटल नगर (छ ग)

> अनुमान अधिकारी जोड निर्माण विश्वान जोड निर्माण विश्वान जंजाल, न्या राषपुर (छ.ग.)

## परिशिष्ट—चार [प्रश्न संख्या—5 (क्रं.—275) की जानकारी ]

### ''प्रपत्र''

		`	` ` `	,	
क्र.	वर्ष	विभाग / कार्यालय	शासकीय सेवा में नियुक्त खिलाड़ी का नाम	पदनाम	खेल का नाम
1	2023	छत्तीसगढ़ गृह	कु. ज्ञानेश्वरी यादव	सहायक उप निरीक्षक	वेटलिपिंटग
2	2025	(पुलिस) विभाग	कु. आकर्षी कश्यप	उप पुलिस अधीक्षक	बैडमिंटन
3		वाणिज्य कर	श्री पीताम्बर चौधरी	आबकारी आरक्षक	नेटबॉल
4	2021	(आबकारी) विभाग	श्री अमर पिल्ले	आबकारी आरक्षक	नेटबॉल
5			श्री अनिमेष कुजूर	वनरक्षक	एथलेटिक्स
					200 मी.
6			श्री अमृत पाल सिंह	वनरक्षक	क्रिकेट
7	0000		श्री भूपेश साहू	वनरक्षक	एथलेटिक्स
	2022				10000 मी. पैदल चाल
8			कु. हर्षिता अग्रवाल	वनरक्षक	बैडमिंटन
9		वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	श्री सुनील सिंह ठाकुर	वनरक्षक	बास्केटबॉल
10		वारवरान विकास	श्री श्लोक सोनी	वनरक्षक	टेबल टेनिस
11			श्री दिलीप पटेल	वनरक्षक	पॉवरलिपिंटग
12			कु. मेघा तिवारी	वनरक्षक	राईफल शूटिंग
13	2023		श्री सृजन राजपूत	वनरक्षक	बास्केटबॉल
14			कु. पाखी भट्ट	वनरक्षक	लॉन टेनिस
15			श्री आर. त्रिनाथ राव	वनरक्षक	लॉन टेनिस

अनुभाग औंघकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन बक्त रायपुर. (छ.म.)

## परिशिष्ट — पांच [प्रश्न संख्या—9 (क्रं.—657) की जानकारी ]

#### प्रपत्र

### प्रदेश में आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम के प्रशासकीय / नोडल विभाग की जानकारी

क्र.	प्रशासकीय / नोडल विभाग	-	आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम का नाम
(1)	(2)	2 2	(3)
1	सामान्य प्रशासन विभाग	1	मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण
		2	बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
		3	सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
		4	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
		5	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण
		6	छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग
		7	छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग
		8	छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग
		9	छत्तीसगढ़ लोक आयोग
,	, ,	10	छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
		11	छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
2	जल संसाधन विभाग	12	अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण
		13	इन्द्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण
* .		14	छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मण्डल
		15	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
3	संस्कृति विभाग	16	छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम
		17	छ.ग. राजभाषा आयोग
4	पर्यटन विभाग	18	छत्तीसगढ़ टूरिज्म आयोग
5	ग्रामोद्योग विभाग	19	छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड
		20	छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
		21	छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड
6	पशुधन विकास विभाग	22	छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग
		23	छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर
		24	छत्तीसगढ़ राज्य भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड
7	आदिम जाति तथा	25	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग
	अनुसूचित जाति विकास विभाग	26	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग
	विभाग	27	छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
	,	28	छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग

क्र.	प्रशासकीय / नोडल विभाग	. 4	आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम का नाम
(1)	(2)		(3)
		29	छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
		30	छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड
		31	छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड
	4	32	छत्तीसगढ़ चर्म शिल्प विकास बोर्ड
		33	छत्तीसगढ़ रजककार विकास बोर्ड
8	खनिज साधन विभाग	34	छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलॅपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
9	स्कूल शिक्षा विभाग	35	छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डलम
		36	छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड
	1	37	छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
		38	छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम
	,	39	छत्तीसगढ़ शिक्षा आयोग
10	गृह (सामान्य) विभाग	40	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
11	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	41	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण
12	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	42	राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़
13	महिला एवं बाल विकास	43	छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
	विभाग	44	छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग
14	आवास एवं पर्यावरण विभाग	45	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
	,	46	छत्तीसगढ़ भू—संपदा विनियामक प्राधिकरण
		47	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
		48	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
15	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	49	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पीरेशन लिमिटेड
16	श्रम विभाग	50	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल
		51	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल
		52	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल
17	सहकारिता विभाग	53	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग
18	समाज कल्याण विभाग	54	छत्तीसगढ़ योग आयोग
	, ,	55	छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
		56	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम
19	वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग	57	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड
		58	छत्तीसगढ़ स्टेट गार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
20	मछली पालन विभाग	59	छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड
21	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	60	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

क्र.	प्रशासकीय / नोडल विभाग		आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम का नाम
(1)	(2)		(3)
22	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	61	छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल
23	वित्त विभाग	62	राज्य वित्त आयोग
24	वन एवं जलवायु परिवर्तन	63	छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड
	विभाग	64	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम
	,	65	छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड
	, ,	66	छत्तीसगढ़ प्रतीकात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
25	उच्च शिक्षा विभाग	67	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
26	खेल एवं युवा कल्याण	68	छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग
	विभाग	69	छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण
27	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	70	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
		71	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम
		72	छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, एवं जिला आयोग
		73	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग
		74	जिला आयोग, रायपुर
		75	जिला आयोग, बिलासपुर
	,	76	जिला आयोग, महासमुंद
		77	जिला आयोग, धमतरी
		78	जिला आयोग, दुर्ग
	* ,	79	जिला आयोग, राजनांदगांव
		80	जिला आयोग, कबीरधाम
	,	81	जिला आयोग, अम्बिकापुर
		82	जिला आयोग, रायगढ़
		83	जिला आयोग, कोरबा
		84	जिला आयोग, जांजगीर
		85	जिला आयोग, बैकुण्ठपुर
		86	जिला आयोग, जगदलपुर
		87	जिला आयोग, कांकेर
		88	जिला आयोग, बालोद
		89	जिला आयोग, बलौदाबाजार
		90	जिला आयोग, बेमेतरा
		91	जिला आयोग, जशपुर
		92	जिला आयोग, दंतेवाड़ा
		93	जिला आयोग, सूरजपुर

क्र.	प्रशासकीय / नोडल विभाग	आयोग, मण्डल, प्राधिकरण व निगम का नाम
(1)	(2)	(3)
		94 जिला आयोग, गरियाबंद
) )		95 जिला आयोग, मुंगेली
		96 जिला आयोग, बीजापुर
		97 जिला आयोग, नारायणपुर
		98 जिला आयोग, कोण्डागांव
		99 जिला आयोग, सुकमा
		100 जिला आयोग, बलरामपुर

अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विश्वमा मंत्रालय, अटल नगर, नवा रावपुर (छ.ग.)

# परिशिष्ट —छः [प्रश्न संख्या—13 (क्रं.—810) की जानकारी ]

#### प्रपत्र-अ

(राशि लाख में)

2 2 2		व्यय राशि
वित्तीय वर्ष	मद/योजना का नाम	
1	2	3
	14 वाँ वित्त	2911.2
	15 वाँ वित्त	64.1
	अधोसंरचना (नगरीय निकाय)	154.2
	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	225.4
	अन्य	10.8
	अन्य (मूलभूत मद)	5.7
	एल.डब्ल्यू.ई.	4.0
	गौण खनिज मद	14.9
	छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	280.1
	जिला खनिज न्यास	1672.
	नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना	149.
	बस्तर विकास प्राधिकरण	99.
	महात्मा गांधी नरेगा	27493.
2019-20	मूलभूत योजना	3.
	राज्य परिवर्तित योजना	20.
	राज्य प्रवर्तित योजना (नगरीय निकाय)	23.
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
	रूर्वन मिशन योजना	218.
	विकास प्राधिकरण	58.
	समस्त प्राधिकरण	338
	सौर सुजला योजना	356
	स्वच्छ भारत मिशन	950
	राज्य पोषित पोषण बाड़ी योजना	123
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	96
	विभागीय योजनाओं के अभिसरण	13
	अन्य विभागीय योजना नदी कछार एवं आरकेव्हीवाय	14934
	कैम्पा मद अंतर्गत भू-जल संरक्षण कार्य	50802
	योग	2659
	१५ वाँ वित्त	2602
	15 वा वित्त अधोसंरचना (नगरीय निकाय)	186
	अधोसंरचना मद (नरवा गरुवा घुरुवा बाड़ी)	100
	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	54
	अन्य	19
	अन्य (क्रेडा)	198
2020-21	अन्य (प्री.एच.ई.)	17
	अन्य (मृतभूत मद)	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	10
	एल.डब्ल्यू.ई.	31
	एरा.ठबरपू.२. छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	212
	जनपद विकास निधि	
	जिला खनिज न्यास	1591

वित्तीय वर्ष	मद/योजना का नाम	व्यय राशि
1	2	3
	नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना	152.21
	निकाय मद	21.84
	बस्तर विकास प्राधिकरण	74.16
	महात्मा गांधी नरेगा	26995.48
	मूलभूत योजना	26.88
	राज्य परिवर्तित योजना (एन.जी.जी.बी. मद) नगरीय निकाय	19.11
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	514.27
	रूर्बन मिशन योजना	34.57
2020-21	विशेष केन्द्रीय सहायता समस्त प्राधिकरण	48.39
	समस्त प्रायकरण सामान्य मद	268.62
	सौर सुजला योजना	985.72
	स्वच्छ भारत मिशन	253.96
	स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	13.85
	राज्य पोषित पोषण बाड़ी योजना	879.81
	कैम्पा मद अंतर्गत भू-जल संरक्षण कार्य	32120.18
	योग	70046.55
	14 वाँ वित्त	204.50
	15 वाँ वित्त	2230.81
	अधोसंरचना (नगरीय निकाय)	45.83
	अधोसंरचना मद (नरवा गरुवा घुरुवा बाड़ी)	7.70
	अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	50.96
	अन्य (क्रेडा)	73.52
	अन्य (पी.एच.ई.)	16.16
	अन्य (सी.एस.आर.) मद	71.04
	एन.एल.एम.	8.46
	एल.डब्ल्यू.ई.	4.99
	छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास ग्राधिकरण	54.9
	जनपद विकास निधि	21.30
	जिला खनिज न्यास	2689.8
	पंचायत प्रोत्साहन/पुरस्कार	28.1.
2021-22	बस्तर विकास प्राधिकरण	6.3
	महात्मा गांधी नरेगा	21731.8
	मूलभूत योजना	34.6
	राज्य परिवर्तित योजना	75.6
		0.07688
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	765.5
	रूर्बन मिशन योजना	16.7
	विशेष केन्द्रीय सहायता	55.0
	सौर सुजला योजना	617.6
	स्वच्छ भारत मिशन	83.2
	स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना	28.1
	राज्य पोषित पोषण बाड़ी योजना	909.7
	कैम्पा मद अंतर्गत भू—जल संरक्षण कार्य	32989.0
	योग	62821.9

वित्तीय वर्ष	मद/योजना का नाम	व्यय राशि
1	2	3
- 3	14 वाँ वित्त	1574.4
	15 वाँ वित्त	1799.9
	अधोसंरचना (नगरीय निकाय)	51.7
	अधोसंरचना मद (नरवा गरुवा घुरुवा बाड़ी)	23.0
	अधोसंरचना मद (विकास एवं पर्यावरण निधि)	159.4
	एल.डब्न्यू.ई.	91.7
	छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण	153.00
	जिला खनिज न्यास	6056.59
	पंचायत निधि	1.74
2022-23	महात्मा गांधी नरेगा	17444.10
	मूलभूत योजना	91.15
	रूर्बन मिशन योजना	11.40
	सौर सुजला योजना	8.39
	स्वच्छ भारत मिशन	9.36
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	250.00
	राज्य पोषित पोषण बाड़ी योजना	984.22
	कैम्पा मद अंतर्गत भू–जल संरक्षण कार्य	19321.62
	योग	48031.87
A 90 F 3-923	15 वाँ वित्त	154.50
	अधोसंरचना मद (नरवा गरुवा घुरुवा बाडी)	11.39
	जिला खनिज न्यास	491.13
	महात्मा गांधी नरेगा	2347.23
2023-24 (30.11.2023 নক)	सौर सुजला योजना	1087.11
(30.11.2023 (147)	स्वच्छ भारत मिशन	15.98
	राज्य पोषित पोषण बाडी योजना	834.99
	कैम्पा मद अंतर्गत भू-जल संरक्षण कार्य	1648.72
	योग	6591.05
	महायोग	6591.05

(अमित कुमार सिंह) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (इकाई मात्रा कि. एवं नग में राशि लाख में)

This   Section   Column   Co	5	मावर स्व	95						प्रयुक्त	प्रयुक्त गोबर के विरूद्ध	200						×	श्रष अनप्रयुक्त गांबर मात्रा	गोबर मात्रा	
This column					वर्मी कम	गेस्ट हेतु		सुपर क	म्पोस्ट/सुपर	कम्पोस्ट प्लस	हेत		5.50	न्य प्रयोजन हेतु			4		अज्ञात नष्ट	THE WIT
	क. जिला का माम	माआ	साम्	प्रयुक्त गोबर मात्रा	माआ		प्राप्त राशि	प्रयुक्त गोबर मात्रा		वेक्रय मात्रा		युक्त गोबर मात्रा	निर्मित उत्पाद का नाम	निर्मित मात्रा	विक्रय मात्रा	माह्य	टाका म उपलब्ध मात्रा	गोबर की मात्रा	गोबर की राथि	नह हान का कारण
		1		,	9	-	œ	0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2.1
	गरियाबंद	*											than the	44188.00	44188.00	1.17				
	गारेयाबट												क्टा	28630	28630	0.23				
Third   Thir	THE STREET	297877 2A	795 75	341200 45	75064.13	52826.12	628.26	50558.58	-	24554.05	147.73	1162.87	गो-काष्ठ	46700	46700	0.17	4955.34	0.00	0.00	
Thirties	- White				100 Carlo 100 Ca								अन्य उत्पाद	1501	1500	0.07				
The column   The	אווי אווי												गोबर पेंट	3472.00	900.00	2.03				
This can be called the called t	गीरयाबद							01 01100	+	200000	4 47 47	4467.07		124401 00	131918 00	2 67	4955 24	000	000	
Participa   Part	याग	397877.24	795.75	341200.45		52826.12	628.26	50558.58	+	24554.05	147.73	1707.01	- Dane	75.4437.00	200000	10:0	100000			
This can be caused by the ca	धमतरी												दाया	49282	43082	0.86				é
This control	smash					STATE SEN	108.8000	0.0000000000000000000000000000000000000		100	0.00		मा-काष्ट	26125	25013	1.21	75.43.01	1964 44	2 72	क्यायक
Control   Cont	171776	668732.24	1337.46	602726.95	150198.90	131666.85	1316.67	20039.12	10019.56	6420.05	38.52	36558.82	गोबर पेट	5189.00	3000.00	6.75	15.2467	1004.44	2	वक्षां स
1959   1959	यमपर												STIES YOU	376530.46	216245 00	6.16				
्याप्तित्ता स्विक्ता स्विक्	धमतरा								CONTRACTOR CHARLES	100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000	The section of the section of	NILTO BLES	250220.42	010240.00	OT CO	27.40.04	400 4 44		
स्वित्तिक्ताला स्वतिक्ताला स्वतिक्ताला स्वित्तिक्ताला स्वतिक्ताला स्वत	योग	668732.24	1337.46	602726.95	150198.90	131666.85	1316.67	20039.12	10019.56	6420.05	38.52	36558.82	4	40/126.38	38/339.70	13.98	1547.91	1864.44	3.73	
स्कृतिस्तारम् स्वित्तास्तार् स्वित्तास्तार स्वतास्तार स्वतास्तार स्वतास्तार स्वित्तास्तार स्वतास्तात्त स्वतास्तार स्वतास्तात्त स्वतास्तात्त स्वतास्तात्त स्वतास्तात्त स्वतास्तात्त स्वतास्तात्त स्वतास्तार स्वतास्तात्त	बलीदाबाजार												did.	7573500	6011310	45.08				
	बल्गिटाबाजाउ												गाःकाष्ठ	465876	373662	14.94				
्याप्ताप्ताप्ताप्ताप्ताप्ताप्ताप्ताप्ताप्त	Activity and	561955.01	1173 91	48743104	142148 50	119091.41	1190.91	30375.00	12397.15	8181.59	49.09	40513.15	केटा	48900	46175	0.46	3635.82	0.00	0.00	
		10000000				100000000000000000000000000000000000000							THE	217454	159552	23.93				
1985   1985												-	गोका पेट	12435,00	8935.00	20.10				
	क्लादाबाजार				of the state of th			and annual		04.00	00 00	40000		0310100	CC0063A 00	-	3625 87	000	000	
	याग	561955.01	1123.91	487431.04	142148.50	119091.41	1190.91	30375.00	17397.15	8181.59	49.03	40213.13	Abm	00.00100	00000	+	2022202	8	200	
11567115   1425.97   612418.09   202097.95   176306.81   1763.05   51925.38   31123.73   186.95   51848.39   31123.73   186.95   51848.39   31000   31000   34.0     115672115   2113.44   800814.46   224228.05   106698.70   2066.24   270089.28   31925.38   31123.73   186.95   8148.53   31923.28   3492.28   31923.28   31923.28   3492.28   31923.28   3492.28   31920.28   3492.28   349	महासमुद												2014	OCOCA	93330	2.10				
11567115   115701   1425.97   11418.09   202097.95   176306.81   1763.05   11763.05   13162.38   13123.73   186.95   18148.53   176306.31   1763.05   176306.81   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05   176306.81   1763.05	महासम्द								-	100000000000000000000000000000000000000	Three Books	- Contraction	अगरबना	2000	2000	0.03		40.0	000	
म्प्राप्ति मान्या प्रकार प्र	ग्रहासमंद	712983.72	1425.97	612418.09	202097.95	176306.81	1763.05	63850.85	-	31123.73	186.95	8148.53	मी-काछ	15000	15000	4.41	28566.25	0.00	0.00	*
1985   1985	KILLINII			No. of the Control of						The state of the s			कडा	125000	120667	3.62				
्यस्पूर्ण स्विक्तान स्व													अन्य उत्पाद	450.00	450.00	0.03				
स्प्राप्त स्प्		-		00 000000	10 100000	1000000	4763.00	200200	31075 30	21133 73	186.05	8148 53		240500.00	234667.00	10.79	28566.25	00.00	0.00	
स्प्रमुक्त स्वित्तात्त स्वित्तात्त स्वित्तात्त स्वित्तात्त स्वित्तात स्वतात स्वित्तात स्वतात स्वत	dia	117983.17	1472.97	612418.09	567/60707	1000001	1703.03	02020.02	34363:30	24440	20000		Ann	003100	201600	800				
स्प्रमुक्त स्प्रमुक्	श्चित्रं												HITM	00167	8240	0.00				
स्प्रमुद्ध्य   स्													m am	201100	647400	16.06		TANGE OF THE PARTY		
्यापुत् स्वित्ता स्वता स्वित्ता स्वित्ता स्वित्ता स्वता स्वता स्वित्ता स्वता		1156731 15	2212 44	900014 46	224228 05	204698 70	2046 24	270089.28	93180.80	67476.14	405.25	77480.92	200-11	692103	04/400	10,20	8336.50	0.00	00.00	6
स्पम्पुर्ण स्वित्ता स्वता स्वित्ता स्वता स्वित्ता स्वता स्वित्ता स्वित्ता स्वता स्वित्ता स्वता स्वित्ता स्वित्ता स्वता स्वता स्वित्ता स्वता स्वित्ता स्वता स्	शयपुर	27.77	********										יוומי לכ	40842.00	27148.00	47.83				
मान्ता प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रक्रिया प्रकार प्रक	सम्पूर												400	193/6/0	197000	40.10				
मुत्ता मित्ता													अन्य उत्साद	3650.00	3630.00		033550	00.0	00.0	
क्रमीशाम क्रमीश		1156721.15	2313.44	800814.46	224228.05	204698.70	2046.24	270089.28	93180.80	67476.14	405.25	77480.92		29/41/00:00	7833236.00	3	8338.50	0.00	0000	
中華日本日本         日本日本日本         日本日本日本         日本日本日本日本         日本日本日本日本         日本日本日本日本         日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	कर्बीरधाम												माबर पट	9500.00	8800.00	21.28				
क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मीरशाम क्रम्मिरशाम क्रमिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रमिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रमिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रमिरशाम क्रम्मिरशाम क्रम्मिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिरशाम क्रमिर	कर्बारधाम					100000000000000000000000000000000000000			_				दावा	17500	17500	0.88	10000	000	000	
क्ष्मीत्ता         क्ष्मित्ता         क्षमित्ता         क्ष्मित्ता         क्ष्मित्ता         क्ष्मित्ता         क्ष्मित्ता         क्ष्मित्ता         क्ष्मित्ता         क्षमित्ता         क्षमित्ता         क्षमित्ता		449004.50	898.01	372057.88	107899.16	93917.19	939.17	34826.01	_	12486.47	74.91	32500.00	मा-काश्व	2,000	45000	2.25	3620.61	0.00	0.00	
क्ष्मिल्लाम क्ष्मिल्ला क्षमिल्ला							ì						कडा	65267	52256	5.09				
प्राप्त 449004.50 88801 372057.88 1078991.6 99977.19 999.77 34826.01 16020.06 12466.47 44.91 32500.00 12500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	कबीरधाम												गमसा	2450	2450	4				
स्प्राप्ति-कृत्वित्तापण्डच्चे 22922289   458.45   134193.22   38607.39   34767.69   347.69   67135.73   21154.79   14248.66   85.50   0.000	योग	449004.50	898.01	372057.88	107899.16	93917.19	939.17	34826.01	16020.06	12486.47	74.91	32500.00		151717.00	126006.00	-	9620.61	0.00	0.00	
1,000   1,00		229222 89	458.45	134193.22	38607.39	34767.69	347.69	67135.73	22154.79	14248.66	85.50	00:00	×	0.00	00.00	0.00	27893.94	0000	0.00	
SS1538.99   1703.08   734538.75   208824.02   1792.68   58046.39   29184.74   21656.93   130.12   58953.85   71 mm   101563   1	+	229222.89	458.45	134193.22	38607.39	34767.69	347.69	67135.73	22154.79	14248.66	85.50	00.00		0.00	0.00	0.00	27893.94	0000		
S51538.99   1703.08   734538.75   208824.02   179267.54   1792.68   58046.39   29184.74   21556.93   130.12   58953.85   1703.08   744538.75   208824.02   1792.68   29184.74   21556.93   130.12   28953.85   1703.08													दीया	101563	101563	6.17				
S51538.99   1703.08   734538.75   208824.02   1792.67.54   1792.68   58046.39   73184.74   21656.93   130.12   58953.85   1703.08   17	15.			West Commence	10804100000	F1010000000000000000000000000000000000	The second second	20,000,000	W. (100 0000)	100 Carlot	250,000		गमला	47390	47390	2.53	00	0	00.0	
्या प्राप्त हाराइन्छ । 1783.08 1382715 208824.02 179267.54 1792.68 58046.39 29184.74 21656.93 130.12 58953.85 जाना व्याप्त व्याप्त विकास वितास विकास वितास विकास	दुर्ग	851538.99	1703.08	734538.75	208824.02	179267.54	1792.68	58046.39	29184.74	21656.93	130.12	28323.82	814-114	1129856	708349	0.63	9	200	0000	
स्थाप स्था				5									गाबर पट	15245.00	13024.00	76.56				
प्राप्त   851288 9   1793.08   73658.81   2267.54   1792.68   28046.39   130.12   28953.85   वीमा   225000   4.50   4				Comment of the last									अन्य उत्पाद	7123111	6225229	4				
14856711   149713   656858.31   182715.96   1592.10   69502.78   14567.70   10860.00   65.16   22206.02   14870   22206.02	योग	851538.99	1703.08	734538.75	208824.02	179267.54	1792.68	58046.39		21656.93	130.12	58953.85		8417165.00	7095555.00		0.00	0.00	0.00	
14856711   149713   656858.31   182715.96   159210.00   1592.10   69502.78   14567.70   10860.00   65.16   22206.02   Titabili   643   6	बालीद												सम	225000	225000	4.50				
The color of the	बालोद	740567 11	1407 12	656859 31	187715 96	159210.00	1592 10	87 50569	14567 70	10860 00	65.16	22206.02	गा-काष्ठ	643	643	1.93	0.00	0.00	00.0	3
बालींद स्वाहित स्वाहि		1100001	CT: /C+T	10.00000	2000	000000000000000000000000000000000000000							गोबर पट	20288.00	20288.00	37.05				
748567.11   1497.13   656858.31   182715.96   159210.00   1592.10   69502.78   14567.70   10860.00   65.16   22206.02   233035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2350035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2350035.00   235305.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   2353035.00   23	4 बालींद												фSI	7105	7105	0.14				
विदेश त्राप्त   विदेश त्रिक्त त्राप्त   विदेश विद	योग	748567.11	1497.13	656858.31	182715.96	159210.00	1592.10	69502.78	14567.70	10860.00	65.16	22206.02		253036.00	253036.00	43.63	0.00	00.00	0.00	
सित्रा सित् सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित् सित्रा सित्रा सित्रा सित्र सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित्रा सित् स	बेमेतरा												दावा	06909	06909	1.21				
भूतिरा 355287.61 730.58 294322.56 90907.10 78275.44 782.10 28571.15 9428.48 9378.08 56.30 32049.90 गाँगणा 119593 0.33 0.33 0.33 0.34 जांगणा 11959 119593 0.33 0.33 0.33 0.34 जांगणा 11959 119593 0.33 0.33 0.33 0.34 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.7	बेमेतरा			The second second	200000000000000000000000000000000000000	PHILIPPINI NUMBER		CHARTEDOTTE	14000000000000000000000000000000000000	100 march 100 ma	110000000000000000000000000000000000000	28000000000	गमला	1010	1010	0.30			000	
बेसेत्रा बेसित्रा बेसित्रा प्राप्त अह्रद्वहारा 730.58 28432.55 99907.10 7825.54 782.10 28571.15 9428.48 9378.08 56.30 32049.90 104379.00 102149.00 24.52	बेमेतरा	365287.61	730.58	294322.56	90907.10	78225.44	782.10	28571.15	9428.48	9378.08	56.30	32049.90	गा-काष्ट	17454	15953	0.32	10344,00	00.0	0.00	
35287.51 730.58 294322.56 90907.10 78225.44 782.10 28571.15 9428.48 9378.08 56.30 32049.90 104379.00 102149.00 24.52													गोबर पेट	10421.00	9692.00	21.94				
355287.61 730.58 294322.56 90907.10 78225.44 782.10 28571.15 9428.48 9378.08 56.30 32049.90 104379.00 102149.00 24.52													अन्य उत्पाद	14804	14804	-				
201000 OFFICE OF	योग	365287.61	730.58	294322.56	90907.10	78225.44	782.10	28571.15	9428.48	9378.08	56.30	32049.90		104379.00	102149.00	-	10344.00	00:00	0.00	

त नष्ट नष्ट होने	d=	20 21			+		गोबर चोरी होने के	कारण नष्ट		90.0	0.00	0.00	00:00	0.00		4.60 वर्षा में बहने	4.60	0.42 बारिस	0.42		00.0		0.00	0.00	00	0000	00.00	00:00	00:00	00:00	00.00		00:00		00:00	0.00	_	00:00		0.00	
अज्ञात नष्ट अज्ञात		+	000		-	0.00		30.00	+	+	0 00:0	0.00	0.00	0.00	_	2300.00 4	2300.00 4	21.10 0	21.10 0	_	00.0		0.00	0.00	+			0.00	0.00	00.00	0.00		00.0		0.00	0.00	-	0.00		00.00	1
45	19-01	+			-	-			-	-	and the	-	0.00	25		_	H		+		0.00		0000		65682.23	H	1	0.00	0.00	107485.14	107485.14		00:00	-	00.00	0.00		0.00		0.00	
1	Б	+	19190.83	-	Н	4 96088.99	TI	2 158059.17	1	0 158059.17	5 51415.00	5 51415.00	20752.52	7 20752	H	98744,39	0 98744.39	3444.61	3444.61		T	0 6	-	65682.23		+			H		Н	2	Т	00	1	_	Т		_	11	15
	मान साक्ष	+	0.00		$\vdash$	-	++	-	++	.00 18.40	98.9		2 0.02		H	0.10		0.01		0 1.00	+	0 0.19			167		H	0 0.16	H	09 0.40	Н	-	0.02	Н		98 0.94	+	$\vdash$	9.50		3.00 18.15
	विक्रय मात्रा	16	000	172733.00	92079:00	264812.00	106750	11277.00	2000	120537.00	60000	121000.00	1342	10603.00	219040	500	235938.73	200	200.00	2000	089	15000	31162.00	24199	36089.00	00:00	0.00	2000	7360.00	20109	20	H	300	28580.00	45170.00	38398	612	53694.00	249900	1258	12733.00
अन्य प्रयोजन हेत्	निर्मित मात्रा	15	000	172733.00	92079.00	264812.00	203	11847.00	2000	122300.00	61000	121000.00	1342	10603.00	220696	500	246870.44	200	200.00	11552	089	1930	31162.00	11840	20417	0.00	0.00	6970	17183.25	44376	166931.00	15790	300	30600,00	47190.00	43026	715	96522.00	266350	1348	14883.00
1	निर्मित उत्पाद का नाम	14		机-多陽	दीया		तीया गो.काष्ट	the the	अगरबती	K	मी-काष्ट	K	दीया गो.काष्ठ	गोबर पेंट	दीया	गामता गमता	OF VERV	दीया		दीया	गो.काष्ट्र	अगरबता		सीया मो काह	194			दीया गो.काष्ट्र		तीया गो काष	0	दीया	अका उत्पाय	गोबर पेट		तीया मो काष्ट्र	गमता		दीया	गो.काह	गोबर पेट
	प्रयुक्त गोबर मात्रा	11	0000	000	13125.30	13125.30		85.686	1	989.58	8757.00	8757.00	7966.00	2000	/300.00	21935.60	21935.60	2:00	2.00		2140.00		2140.00	1857.40	200.000	0.00	0.00	482.00	482.00	2743.20	2743.20		15455.00		15455.00	28352 00	40334.vv	28352.00		155.91	
हेर्च	4	12	68.32	200.00	194.76	194.76		32.81		32.81	69.54	69.54	91.47		91.47	94.81	94.81	35.55	35.55		20.08		20.08	41.36		16.06	16.06	40.69	40.69	13.09	13.09		18.25		18.25	83 33	03.63	83.23		127.95	
सुपर कम्पोस्ट/सुपर कम्पोस्ट प्लस हेतु	विक्रय मात्रा प्र	111	1348.20	11348.20	32459.80	32459.80		5463.89		5463.89	11586.00	11586.00	15245.25		15245.25	15797.27	15797.27	5927.15	5927.15		3346.40		3346.40	60.0689	1	2659 00	2659.00	6783.00	6783.00	2181.15	2181.15		2940.30		2940.30	00	13872.00	13872.00		21324.86	
गेस्ट/सुपर व	निर्मित वि	10	-	+	52341.22 3	52341.22	-	7945.33		7945.33		14665.00	16843,65	-	16843.65	16738.23	16738 23		19853.00		8177.82		8177.82	7941.04		7941.04	2659.00	00.7777	00.7777	3286.60	3286.60		5312.90		5312.90	00 0000	73038.00	23098.00		23400.80	
सुपर कम	प्रयुक्त गोबर मात्रा	++	1	+	158609.76	158609.76	-	19863.33		19863.33		31250.00	-	-	43620.12	33398.16	33398 16	-	42225.00		12555.66		12555.66	15882.08		15882.08	6814.00	15539,34	15539.34	6573.20	6573.20	200	27637.60		27637.60	00	46197.00	46197.00		46801.85	
	प्राप्त साक्षि	90	904.05	+	1198.01	1198.01		1229.18		1229.18		254.65	676.05		676.05	815.99	915 90	536.51	536.51		1941.72		1941.72	451.64		451.64	887.48	390.30	390.30	1284.47	1284 47	1404	670.36		670.36		871.44	871.44		831.58	
स्ट हेत्	E	7	90447.29	+	119827.91	119827.91	-	122918.33		122918.33	-	25465.00	67597.84		67597.84	81671.79	1671 70	53676.06	53676.06		194249.71		194249.71	-		45166.36	88754.05	39030.47	29020 47	128447.48	128447 A8	04.74407	67036.81		67036.81		87144.00	87144.00		83238.47	
वर्मी कम्पोस्ट		9		98626.51 90	133339.22 11	133339.22 11	-	151450.56 12		151450.56 12	-	34187.00 2	-	-	75807.61 6	101069.90	-	90126.91	90126.91	-	215263.48 19		215263.48	-	-	-	89550.92 8		46881.00			1	93666.45		93666.45 6	-	105570.00	105570.00	-	112427.19 8	
	प्रयुक्त गोबर नि	2	318561.08 98	+	451844.19 13	451844 19 13	1	378626.40 15		378626.40 15	1	+	-		7 279720.03 7	252674.75 10	-	256149.26 9	256189.26 9	-	787729.80 23		7877729 80		-	-	338329.41 8		102462 00			412321.17	359281.94	_	359281.94 9		407738.00 1	407738.00 1		433244.00 1	
+	राथि प्रयुव	9	П	768.99 318	1439.34 45.	1429 24 45	+	1115.14 379		37		+			704.12 27	818.11 25	1	665.75 25	26 25 229		1604.85 78	-	1604 85 78	-			690.29 33	1	300 00			1064.25 41	804 75 35		804.75 35		964.57 40	964.57 40	$\vdash$	960.40 43	
गाबर खरादा						+	-	780	_	+	-	-	-		+	11000	+		+	+	_		+	+			+		+	+	+	+			+	-		+	$\vdash$		_
	मात्रा		384492.76	384492.76	719668.23	710000 73	/1300	557568.47	П	557568 47	196518.00	196518 00	La paocac	23502	352058.67	409052.90		332841.97	33304	332841.37	802425.46	П	803435 46	212720.01	Г	212720.01	345143.41	199484.34	04004	533133 71	-	532122.71	402374 54	T	402374.54		482287.00	482287.00		480201.76	Т
	जिला का नाम	3	महिला-मानप्र-अ तकी	योग	राजनाद्रगाव	राजनाद्रशाव	क्रीरबा क्रीरबा	कोरबा	कोरबा	कारब	गौरेला-पेण्डा-मरवाही	-पण्डा-मरवाहा क्रांक	जाजगीर	जानगीर	योग	बिलासपुर बिलासपुर बिलासपुर	बिलासपुर	याग मुंगेली	mhr.	श्रीयगढ्	अध्याह	रायगढ्	रायगढ	सक्ती	सक्ती	lf1	हि-बिलाईगढ़ म	कोरिया कोरिया	क्रीरिया	जशपुर	जश्चपुर	वाग	बलरामपुर	बलरामपुर	मून जेर	मनेद्रगढ	मनेन्द्रगढ्	मन-द्रगढ़ योग	सरगुजा	सरगुजा	सरमाना

अज्ञात नष्ट		20 21	0.00	0.00			0.00	0.00	00.0	00.0	0000	000	0000	0000	0.00	0000	0000	0000	0000	0000																	
अज्ञात नष्ट	गोबर की मात्रा	19	00'0	0.00			00'0																														
The state of	उपलब्ध मात्रा	18	106080.62	106080.62			114514.13																														
-	मात्रा साथि	17	6 0.43	-		+	00 63.42	-	+	+++		+++++	++++++									<del></del>	<del></del>					<del></del>									
1त्रा विक्रय मात्रा 16 19146			700	19		00 27434.00	$\Box$	421540 00	1	11																											
का निर्मित मात्रा 18 23922 8 7950 31872.00 17421 8 30348				H		30166.00		2		9	1		6																								
ा मोनर उत्पाद का मान मान मान मान मान मान मान मान मान मा	++++++					अन्य उत्पाद		-	दीया	The second secon	_	क		44																							
प्त राशि मात्रा मात्रा मात्रा हो।								72 1018.00		1068.00			84 1068.00	-	-																						
11   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15			-	-	_	_		9452.83 56.72		2770.44 16.84			F	2770.44 16.84																							
निर्मित विक्रम मात्रा 10 12271.84 668 12271.84 668 9452.83 945		- Table 1			-			9452.83 949		2786.43 277			-	2786.43 277	-	-																					2786.43         277           2786.43         277           9721.74         666           175.50         70           175.50         71           175.50         74           6237.16         499           6237.16         499           11684.35         103           11684.35         103           6434.94         644           6434.94         644           6434.94         644
प्रपुक्त गोबर मात्रा			-		-			18906.00		5428.46 2				5428.46 2																<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>					<del>                                     </del>
प्राप्त राशि । 8 502.80 502.80					741.93			741.93		455.24			455.24	455.24	455.24	455.24	455.24	455.24	230.89	230.89	230.89 230.89 230.89	230.89 230.89 128.42 128.42	455.24 230.89 230.89 128.42	230.89 230.89 230.89 128.42	455.24 230.89 230.89 128.42 128.42 630.84	230.89 230.89 230.89 128.42 128.42 630.84	230.89 230.89 128.42 128.42 128.42 630.84		1 11 11 - 11		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>					
विक्रय मात्रा 7 50279.78 50279.78	50279.78 50279.78	50279.78	50279.78			74193.46		74193.46		45523.95			45523.95	45523.95	45523.95	45523.95	23171.23	45523.95	23171.23	23171.23	23171.23 23171.23 23171.23	23171.23 23171.23 12842.02 12842.02	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02	23171.23 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 63088.79	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 63088.79	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 63088.79 63088.79	23171.23 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 63088.79 63088.79	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 63088.79 63088.79	45523.95 23171.23 23171.23 17842.02 17842.02 63088.79 63088.79	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 63088.79 63088.79 33383.64	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 63088.79 63088.79 33383.64	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 12842.02 63088.79 63088.79 63088.79 33383.64 33383.64	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 12842.02 63088.79 63088.79 63088.79 33383.64 33383.64	45523.95 23171.23 23171.23 12842.02 12842.02 12842.02 133383.64 33383.64 331777.68
निर्मित मात्रा 6 57248.65	-			57248 65		86918.02		86918.02			53432.94	53432.94	53432.94	53432.94	53432.94	53432.94 53432.94 33768.30	53432.94 53432.94 33768.30	53432.94 53432.94 33768.30	53432.94 53432.94 33768.30	53432.94 53432.94 33768.30 33768.30	\$3432.94 \$3432.94 33768.30 33768.30	\$3432.94 \$3432.94 \$3768.30 33768.30 13395.22	53432.94 53432.94 33768.30 33768.30 13395.22	\$3432.94 \$3432.94 33768.30 33768.30 13395.22													
प्रयुक्त गोबर मात्रा s	5		177470.82	177/10 82		270715.00		270715.00			161918.00	161918.00	161918.00	161918.00	161918.00	161918.00 161918.00 84768.30	161918.00 161918.00 84768.30	161918.00 161918.00 84768.30	161918.00 161918.00 84768.30	161918.00 161918.00 84768.30	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 42214.81	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 42214.81	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 180525.20	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 42214.81 180525.20	161918.00 161918.00 84768.30 42214.81 42214.81 180525.20	161918.00 161918.00 84768.30 42214.81 180525.20 180525.20	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 42214.81 180525.20	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 180525.20 180525.20	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 180525.20 140241.50	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 180525.20 140241.50	161918.00 161918.00 84768.30 42214.81 42214.81 180525.20 140241.50	161918.00 161918.00 84768.30 42214.81 42214.81 180525.20 140241.50	161918.00 161918.00 84768.30 42214.81 42214.81 180525.20 180525.20 140241.50 117837.49	161918.00 161918.00 84768.30 84768.30 42214.81 180525.20 140241.50 117837.49	
साक्ष	4		617.13	617 13		810.31			810.31	810.31	810.31	810.31	473.55	810.31 473.55 473.55	810.31 473.55 473.55	810.31 473.55 473.55 253.41	473.55 473.55 473.55	473.55 473.55 473.55 253.41	473.55 473.55 473.55 253.41 253.41	473.55 473.55 473.55 253.41	473.55 473.55 473.55 253.41 253.41	473.55 473.55 473.55 253.41 253.41 111.76	473.55 473.55 473.55 253.41 253.41 111.76	473.55 473.55 473.55 253.41 253.41 111.76	473.55 473.55 473.55 253.41 253.41 111.76 111.76	473.55 473.55 473.55 111.76 111.76 111.76	473.55 473.55 473.55 253.41 253.41 111.76 111.76	473.55 473.55 473.55 473.55 111.76 111.76 111.76 567.28	473.55 473.55 473.55 253.41 111.76 111.76 111.76 567.28	473.55 473.55 473.55 253.41 111.76 111.76 567.28	473.55 473.55 473.55 111.76 111.76 111.76 567.28	473.55 473.55 473.55 111.76 111.76 111.76 111.76 329.28	473.55 473.55 473.55 111.76 111.76 111.76 111.76 329.98	473.55 473.55 473.55 253.41 253.41 111.76 111.76 111.76 357.28 567.28 567.28	473.55 473.55 473.55 253.41 111.76 111.76 111.76 567.28 567.28 329.98	810.31 473.55 473.55 473.55 111.76 111.76 111.76 567.28 567.28 329.98	
मात्रा			308566.15	20056 15	-	405153.13	T-		405153.13	405153.13	405153.13	405153.13	236776.00	405153.13 236776.00 236776.00	236776.00	236776.00 236776.00 236776.00	236776.00 236776.00 236776.00	236776.00 236776.00 236776.00	236776.00 236776.00 236776.00 126707.34	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 283641.24	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 55878.21 283641.24	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 283641.24	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 55878.21 55878.21 283641.24	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 55878.21 5283641.24	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 58878.21 58878.21 164989.79	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 55878.21 55878.21 55878.21 164989.79	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 55878.21 55878.21 164989.79 164989.79	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 55878.21 283641.24 283641.24 164989.79 164989.79	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 55878.21 55878.21 164989.79 164989.79	405153.13 236776.00 236776.00 126707.34 126707.34 55878.21 55878.21 58878.21 58878.21 164989.79 164989.79 135907.60
जिला का नाम		3	Hraur	THE THE	क्षिर	कांकर	with 3	'skish	योग	<b>योग</b> कोडागांव	<b>योग</b> कोडागांव कोडागांव	योगः कोडागांव कोडागांव कोडागांव	योग कोडागांव कोडागांव कोडागांव योग	योग कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव दनेताडा	<b>चाग</b> कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव द्येवाडा दरेवाडा	या व कोडामांव कोडामांव कोडामांव कोडामांव प्रेम दनेवाडा दनेवाडा	<b>प्रां</b> भीजा कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव देतेवाडा दत्तेवाडा दत्तेवाडा	<b>धोन</b> कोडागांत कोडागांत कोडागांत कोडागांत <b>धोग</b> दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा	योग कोडामांव कोडामांव कोडामांव कोडामांव योग दन्तेवाडा दन्तेवाडा दन्तेवाडा दन्तेवाडा दन्तेवाडा	<b>प्रां</b> कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा प्रांचा	मान कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव येतेवाडा दत्तेवाडा दत्तेवाडा दत्तेवाडा दत्तेवाडा प्रमा	योग कोडागांत कोडागांत कोडागांत योग दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा प्राप्त	प्रांग वर्गात कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव वर्गांवाडा दर्गवाडा दर्गवाडा दर्गवाडा दर्गवाडा दर्गवाडा दर्गवाडा दर्गवाडा वर्गांवाडा वर्गवाडा वर्गांवाडा वर्गांवाडाच वर्गांवाडा वर्गांवाडाचाडा वर्गांवाडाच वर्गांवाडाचाडाचाडाचाचाडाचाडाचाडाचाडाचाडाचाडाचा	<b>प्रां प्रां</b> कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव दिनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा व्याग	मीन कोडागांव कोडागांव कोडागांव मीम दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा दनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वनेवाडा वस्तावाडा वस्तावडा	प्रांत विश्वास्त्र कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव विश्वास्त्र विश्वास्त्य विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्र विश्वास्त्	मान कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव दन्तवाडा सरस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर	मान कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव प्रतेवाडा दन दन दन दन दन दन दन दन दन दन दन दन दन	मान कोडागांव कोडागांव कोडागांव प्रमा द देतेवाडा द देतेवाडा द देवाडा द द देवाडा द द द द द द द द द द द द द द द द द द द	मान कोडागांव कोडागांव कोडागांव प्रेम दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा दर्भवाडा वरव वरा वरव वरा वरा वरव वरा वरव वरा वरव वरव	प्रांत कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव दिनेवाड़ा विभाग स्थाप वस्तर बस्तर वस्तर बस्तर वस्तर वस्	<b>प्रांग प्रांग</b> कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव दिन्तवाडा दन्तवाडा दन्तवाडा दन्तवाडा दन्तवाडा दन्तवाडा दन्तवाडा दन्तवाडा वर्गां नारायणपुर नारायणपुर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बेंगां बीजापुर बीजापुर	मान कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव दन्तवाडा वस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बस्तर बक्तर बिक्तर बिक्तर बिक्तर बक्तर बिक्तर ब बिक्तर ब ब बिक्तर ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब ब	मान कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव मान	मान कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव विकास केडागांव दिनेवाडा विकास क्षा केडा हो	प्रांत व्यक्तिसम्बद्धा क्रिक्टामाव क्रिक्टामाव क्रिक्टामाव क्रिक्टामाव क्रिक्टामाव क्रिक्टामाव क्रिक्टामाव व्यक्तियाडा दन्तेवाडा दन्तेवाडाडा दन्तेवाडा दन्तेवाडाचाडा दन्तेवाडाचाडा दन्तेवाडाचाडा दन्तेवाडाचाडा दन्तेवाडाचाडाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्य	प्रांत कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव कोडागांव विकास केडागांव केडागां
	•	1	1,			3 2	4				1 2				12.54		1284 1284																			3 2 3 2 3 2 4 3 2 7 2 7 2 7 2 8 4 3 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7	

(अमित कुमार सिंह) अवर सविव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास पर विकास करवाण तथा जैव योगीतामी विभाग

### प्रपत्र-स

# (गौ-मूत्र खरीदी प्रारंभ दिनांक से 30.11.2023 तक)

(ईकाई लीटर में राशि लाख में)

		क्रय गौ	-मूत्र	March A. Walle A. Salah		गौ-मूत्र का उपयं	ोग
क्र.	जिला का नाम			मद का नाम जिसमें गौ-मूत्र	गौ-मूत्र	किस क	गर्य हेतु
0550050		मात्रा	राशि	क्रय किया गया है	मात्रा	उत्पाद का नाम	निर्मित मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गरियाबंद	3426.00	0.14	गोठान समिति	3426.00	वृद्धि वर्धक	300.00
	M1.7221. 10.92	1 Constitution Control of Con-	(5.107ks));	A 100 A		कीट नियंत्रक	2540.00
2	धमतरी	3975.00	0.16	गोठान समिति द्वारा स्वयं की अर्जित	4206.00	वृद्धि वर्धक	784.00
_	3-10.0	3373.00	0.10	आय से क्रय	1200.00	कीट नियंत्रक	2059.00
3	बलौदाबाजार-भाटापारा	1265.00	0.05	गोठान समिति द्वारा स्वयं की अर्जित	6729.00	वृद्धि वर्धक	6401.00
	1414.114.114.114	1200.00	0.05	आय से क्रय	0723.00	कीट नियंत्रक	328.00
4	महासमुंद	2875.00	0.12	स्व-सहायता समूह द्वारा स्वयं के	3133.00	वृद्धि वर्धक	2890.00
4	नहारानुद	28/3.00	0.12	अर्जित आय से	3133.00	कीट नियंत्रक	1463.00
5	रायपुर	6825.00	0.27	गौठान समिति द्वारा गौ-मूत्र क्रय किया गया है	5731.00	कीट नियंत्रक	3085.00
6	कबीरधाम	4815.00	0.19	गौठान प्रबंधन समिति द्वारा	4815.00	ब्रम्हास्त	2527.00
7	खैरागढ़-छुईखदान-	3876.00	0.15	गौठान प्रबंधन समिति द्वारा	3040.00	कीट नियंत्रक	1950.00
	गण्डई	3670.00	0.13		3040.00	वृद्धि वर्धक	90.00
				गो-मूत्र, गोठान प्रबंधन समिति द्वारा गोधन न्याय योजना अंतर्गत		कीट नियंत्रक	2892.00
8	दुर्ग	5696.00	0.23	प्राप्तियां,चक्रीय निधि,ब्याज की	5147.00	वृद्धि वर्धक	1638.00
				राशि आदि से गौ-मूत्र क्रय किया गया है		अन्य उत्पाद (गौमूत्र अर्क)	25.00
9	बालोद	12775.00	0.51	स्व सहायता समूहों द्वारा गौ-मूत्र की खरीदी की जाती है, शासन द्वारा	12589.00	वृद्धि वर्धक	210.00
		12773.00	0.51	इसके लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।	12303.00	कीट नियंत्रक	6193.00
10	बेमेतरा	9135.00	0.37	स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं से क्रय	9135.00	कीट नियंत्रक	4656.00
	M. SMILES					वृद्धि वर्धक	400.00
11	मोहला-मानपुर- अं.चौकी	9138.00	0.37	स्व-सहायता समूह द्वारा स्वयं क्रय	8730.00	कीट नियंत्रक	4433.00
12	राजनांदगांव	5024.00	0.20	स्व-सहायता समूह द्वारा स्वयं क्रय	3697.00	कीट नियंत्रक	2195.00
13	कोरबा	2974.00	0.12	गोठान समिति द्वारा ४ रु. प्रति ली.	2560.00	कीट नियंत्रक	2470.00
13	4/1(4)	2974.00	0.12	पर खरीदी	2560.00	वृद्धि वर्धक	90.00
14	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	2689.00	0.59	स्व-सहायता समूह द्वारा स्वयं क्रय	2689.00	वृद्धि वर्धक	1365.00
14	गारता-वज्ञा-मरवाहा	2009.00	0.39	200	2009.00	कीट नियंत्रक	537.00
15	जांजगीर	15423.00	0.62	स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं क्रय	14918.00	कीट नियंत्रक	7447.00
			ATOLTHOU	किया गया	HEAD TO THE REAL PROPERTY.	वृद्धि वर्धक	810.00
16	बिलासपुर	13518.00	0.54	गौठान प्रबंधन समिति एवं स्व-	11161.00	कीट नियंत्रक	5233.00
2023	3			सहायता समूह	,5,5,5,7,5,5,5	वृद्धि वर्धक	7226.00
17	मुंगेली	8145.00	0.33	गोठान समिति द्वारा स्वयं की अर्जित आय से क्रय	8145.00	कीट नियंत्रक	2669.00
18	रायगढ़	24575.00	0.98	स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं क्रय	19084.00	कीट नियंत्रक	9216.00
10	71-14	24373.00	0.30	किया गया	13004.00	वृद्धि वर्धक	200.00
19	सक्ती	2899.00	0.12	गोठान समिति द्वारा स्वयं की अर्जित आय से क्रय	2411.00	कीट नियंत्रक	1191.00
20	सारंगढ़— बिलाईगढ़	7904.00	0.32	गोठान समिति द्वारा स्वयं की अर्जित	7076.00	वृद्धि वर्धक	100.00
20	गारगर्क ।वताईगर्	7504.00	0.32	आय से क्रय	7076.00	कीट नियंत्रक	4065.00

		क्रय गौ	-मूत्र			गौ-मूत्र का उपये	ोग
क्र.	जिला का नाम		_	मद का नाम जिसमें गौ-मूत्र क्रय किया गया है	गौ-मूत्र	किस क	गर्य हेतु
	5	मात्रा	राशि	क्रय किया गया ह	मात्रा	उत्पाद का नाम	निर्मित मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
21	कोरिया	3762.00	0.15	स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं क्रय	2758.00	कीट नियंत्रक	1372.00
	erary at	3702.00	0.15	No.	2750.00	वृद्धि वर्धक	204.00
22	जशपुर	9413.00	0.38	गोठान समिति द्वारा स्वयं की अजित आय से क्रय	9154.00	कीट नियंत्रक	4446.00
23	बलरामपुर	13655.00	0.55	गोठान प्रबंधन समिति के द्वारा	11070.00	कीट नियंत्रक	5461.00
					11070.00	वृद्धि वर्धक	2950.00
24	मनेन्द्रगढ्	947.00	0.04	स्व सहायता समूह द्वारा स्वयं क्रय	796.00	कीट नियंत्रक	411.00
25	सरगुजा	6810.00	0.27	गोठान समिति	6810.00	कीट नियंत्रक	2946.00
2.5	,,,,,g-,,	0010.00	0.27	101131131	0010.00	वृद्धि वर्धक	3540.00
26	सूरजपुर	2374.00	0.09	गोठान प्रबंधन समिति के द्वारा	2158.00	कीट नियंत्रक	1057.00
					220000	वृद्धि वर्धक	190.00
27	कांकेर	24556.00	0.99	गोठान प्रबंधन समिति के द्वारा	24556.00	कीट नियंत्रक	22460.00
28	कोंडागांव	6450.00	0.26	स्व-सहायता समूह द्वारा स्वयं क्रय	6405.00	वृद्धि वर्धक	1484.00
20	4/101-114	0430.00	0.20	रव-राहानसा सन्तृह द्वारा स्वय प्रत्य	0403.00	कीट नियंत्रक	2302.00
29	दन्तेवाड़ा	5913.00	0.23	गौठान द्वारा	7019.00	वृद्धि वर्धक	5712.00
23	प रापाण	3313.00	0.23	The state of the s	7015.00	कीट नियंत्रक	1304.00
30	नारायणपुर	3288.00	0.13	गौठान प्रबंधन समिति के आय से प्राप्त राशि	2911.00	कीट नियंत्रक	1534.00
31	बस्तर	16277.00	0.65	स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा	16277.00	कीट नियंत्रक	16159.00
31		102/7.00	0.03	स्वयं खरीदा गया	10277.00	वृद्धि वर्धक	118.00
32	बीजापुर	6074.00	0.24	गोठान समिति के द्वारा	6066.00	कीट नियंत्रक	3025.00
33	सुकमा	8060.00	0.32	गोठान प्रबंधन समिति द्वारा गो-मूत्र क्रय किया गया	8497.00	कीट नियंत्रक	4298.00
						कीट नियंत्रक	131397.00
	योग					वृद्धि वर्धक	36702.00
	याग	254531.00	10.67		242899.00	ब्रम्हास्त	2527.00
						अन्य उत्पाद (गौमूत्र अर्क)	25.00

(अमित कुमार सिंह) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

### परिशिष्ट -सात

# [प्रश्न संख्या— 15 (क्र.ं—812) की जानकारी ]

### प्रपत्र–अ

### वर्षवार सिंचित एवं असिंचित फसल क्षेत्राच्छादन की जानकारी

स क	जिला	वर्ष	सिचित भूमि का क्षे. हे मे	असिचित भूमि का क्षे हे में	<b>ਯੂ</b> ल (4+5)	कुल क्षेत्रफल में कमी / वृद्धि	अन विवर
1	2	3	4	5	6	7	8
		2019-20	150247	44426	194673	_	
		2020-21	173740	48469	222209	27536	
1	रायपुर	2021-22	153397	44069	197466	-24743	
		2022-23	154477	38445	192922	-4544	
		2023-24	153171	36484	189655	-3267	
		2019-20	107343	84229	191572	-	
		2020-21	108740	84229	192969	1397	
2	बलौदाबाजार	2021-22	111890	86976	198866	5897	
		2022-23	99609	109779	209388	10522	
		2023-24	111989	102663	214652	5264	
		2019-20	45539	88564	134103	=	
		2020-21	45083	86422	131505	-2598	
3	गरियाबद	2021-22	45947	85117	131064	-441	
		2022-23	43793	87594	131387	323	
		2023-24	42156	78369	120525	-10862	
		2019-20	125688	182933	308621	-	
		2020-21	122411	177142	299553	-9068	
4	महासमुन्द	2021-22	128710	175691	304401	4848	
		2022-23	124530	183632	308162	3761	
		2023-24	73978	185804	259782	-48380	
		2019-20	102348	39632	141980	+	
		2020-21	103302	39256	142558	578	
5	धमतरी	2021-22	103207	38290	141497	-1061	
		2022-23	103176	38276	141452	-45	
		2023-24	96446	36653	133099	-8353	
		2019-20	146678	60436	207114	-	
		2020-21	151367	58797	210164	3050	
	<del>71</del>	202122	151853	56231	208084	-2080	
6	दुर्ग	2022-23	145022	47259	192281	-15803	
		2023-24	6831	13177	20008	-172273	
		2019-20	92659	83932	176591		
		2020-21	96564	82829	179393	2802	
7	बालोद	2021-22	97321	82652	179973	580	
		2022-23	96247	83922	180169	196	
		202324	96490	83498	179988	-181	
		2019-20	196123	200399	396522	-	
		2020-21	218714	176880	395594	-928	
8	बेमेतरा	2021-22	230783	169855	400638	5044	

н ф	जिला	वर्ष	सिंचित भूमि का क्षे. हे में	असिचित भूमि का क्षे. हे. मे	<b>ਯੂ</b> ल (4+5)	कुल क्षेत्रफल में कमी / वृद्धि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	_	2022-23	239958	142820	382778	-17860	
		2023-24	240788	141990	382778	0	
		2019-20	42196	153082	195278	_	
		2020-21	52493	143743	196236	958	
9	राजनादगाव	2021-22	53290	143346	196636	400	
		2022-23	64266	132916	197182	546	
		2023-24	43678	138228	181906	-15276	
		2019-20	33895	74082	107977	(m)	
	, ·	2020-21	46552	62092	108644	667	
10	खैरागढ-छुईखदान –गडई	2021-22	41915	66185	108100	-544	
	-1185	2022-23	33349	74706	108055	-45	
		2023-24	27117	81410	108527	472	
		2019-20	9127.51	89651.5	98779	-	
		2020-21	9944.6	88814.4	98759	-20	
11	मोहला–मानपुर –अ चौकी	2021-22	10127.45	90432.55	100560	1801	
	-अ पाका	2022-23	9885.21	90758.79	100644	84	
		2023-24	10015	90629	100644	0	
		2019-20	97781	91367	189148	_	
		2020-21	95942	91469	187411	-1737	
12	कवर्धा	2021-22	98754	87377	186131	-1280	
		2022-23	92186	94487	186673	542	
		2023-24	78136	113124	191260	4587	
		2019-20	8401.25	164184.1	172585.35	-	
		2020-21	8413.23	166259.11	174672.34	2086.99	
13	बस्तर	2021-22	8767.95	166479.52	175247.47	575.13	
		2022-23	9591.3	172106.89	181698.19	6450.72	
		2023-24	5181.99	165048.41	170230.4	-11467.79	
		2019-20	8542	139310	147852	-	
		2020-21	9040	139226	148266	414	
14	कोण्डागांव	2021-22	9685	140019	149704	1438	
		2022-23	10030	141377	151407	1703	
		2023-24	0	143923	143923	-7484	
		2019-20	346	20478	20824	2	
		2020-21	247	25601	25848	5024	
15	नारायणपुर	2021-22	181	24934	25115	-733	
		2022-23	285	25998	26283	1168	
		2023-24	0	26672	26672	389	
		2019-20	33708	171801	205509		
		2020-21	40310	163321	203631	-1878	
16	कांकेर	2021-22	41627	163919	205546	1915	
		2022-23	38367	184770	223137	17591	
		2023-24	20708	172246	192954	-30183	

सक्	जिला	वर्ष	सिचित भूमि का क्षे. हे. मे	असिचित भूमि का क्षे. हे. मे	कुल (4+5)	कुल क्षेत्रफल में कमी / वृद्धि	अन्य विवरप
1	2	3	4	5	6	7	8
		2019-20	5	90000	90005	=	
		2020-21	6	88354	88360	-1645	
17	दन्तेवाडा	2021-22	6	88354	88360	0	
		2022-23	6	88354	88360	0	
		2023-24	0	68512	68512	-19848	
		2019-20	3616	66538	70154	-	
		2020-21	3490	72608	76098	5944	
18	बीजापुर	2021-22	3657	77257	80914	4816	
		2022-23	2939	82090	85029	4115	
		2023-24	1754	81911	83665	-1364	
		2019-20	855	96119	96974	-	
		2020-21	644	94328	94972	-2002	
19	सुकमा	2021-22	608	95667	96275	1303	
		2022-23	179	90462	90641	-5634	
		2023-24	51	91906	91957	1316	
		2019-20	88761	84814	173575	-	
	200	2020-21	91074	83715	174789	1214	
20	बिलासपुर	2021-22	90583	84665	175248	459	
		2022-23	81508	98120	179628	4380	
		2023-24	74984	102537	177521	-2107	
		2019-20	6871	60721	67592	-	
	गौरेला–पेण्ड्रा–	2020-21	7341	62282	69623	2031	
21	मरवाही	2021-22	6706	60398	67104	-2519	
	1,4161	2022-23	6545	61512	68057	953	
		2023-24	2778	60401	63179	-4878	
		2019-20	78572	50178	128750	-	
		2020-21	78314	50468	128782	32	
22	मुंगेली	2021-22	79888	48817	128705	-77	
		2022-23	74135	55519	129654	949	
		2023-24	69172	61019	130191	537	
		2019-20	8488	113716	122204	-	
		2020-21	8010	117483	125493	3289	
23	कोरवा	2021-22	7087	116347	123434	-2059	
		2022-23	5329	117511	122840	-594	
		2023-24	1140	127108	128248	5408	
		2019-20	131791	19735	151526	-	
		2020-21	140511	16545	157056	5530	
24	जांजगीर-चाम्पा	2021-22	141276	16670	157946	890	
		2022-23	140847	16690	157537	-409	
		2023-24	140660	16690	157350	-187	
		2019-20	82083	32001	114084	=	
		2020-21	84486	31400	115886	1802	

स क	जिला	वर्ष	सिचित भूमि का क्षे. हे में	असिचित भूमि का क्षे हे में	कुल (4+5)	कुल क्षेत्रफल में कमी / वृद्धि	अन विवर
1	2	3	4	5	6	7	8
25	सक्ती	2021-22	84033	32212	116245	359	
		2022-23	81187	34382	115569	-676	
		2023-24	55146	60641	115787	218	
		2019-20	16781	176607	193388		
		2020-21	15955	170296	186251	-7137	
26	रायगढ	2021-22	15112	168541	183653	-2598	
		2022-23	14882	165052	179934	-3719	
		2023-24	14923	165095	180018	84	
		2019-20	20065	89695	109760	-	
		2020-21	21183	87736	108919	-841	
27	सारगढ–बिलाईगढ	2021-22	22357	86571	108928	9	
		2022-23	23706	86737	110443	1515	
		2023-24	19426	89971	109397	-1046	
		2019-20	16302	141476	157778		
		2020-21	15346	142783	158129	351	
28	सरगुजा	2021-22	16327	141510	157837	-292	
		2022-23	15646	142734	158380	543	
		2023-24	16856	143131	159987	1607	
		2019-20	15796	137087	152883	-	
		2020-21	14977	138135	153112	229	
29	सुरजपुर	2021-22	15234	136977	152211	-901	
		2022-23	16038	132600	148638	-3573	
		2023-24	3553	139689	143242	-5396	
		2019-20	17992	160832	178824	-	
		2020-21	15207	166891	182098	3274	
30	बलरामपुर	2021-22	14025	163608	177633	-4465	
		2022-23	6862	143648	150510	-27123	
		2023-24	11	148778	148789	-1721	
		2019-20	13166.02	247659.44	260825.46	-	
		2020-21	12168.15	250733.74	262901.89	2076.43	
31	जशपुर	2021-22	11961.64	255801.54	267763.18	4861.29	
		2022-23	11950.9	259680.53	271631.43	3868.25	
		2023-24	11054.44	254221.29	265275.73	-6355.7	
		2019-20	1899	44818	46717		
		2020-21	1992	44903	46895	178	
32	कोरिया	2021-22	2024	45977	48001	1106	
		2022-23	2039	46950	48989	988	
		2023-24	308	49049	49357	368	
		2019-20	3850.46	44075.23	47925.69	-	-
	मनेन्द्रगढ-चिरमिरी	2020-21	3896.46	44050.23	47946.69	21	
33	मनन्द्रगढ-ाचरामरा -भरतपुर	2021-22	4038.46	43891.23	47929.69	-17	
	311131	2022-23	4009.46	43722.23	47731.69	-198	

सक	जिला	वर्ष	सिचित भूमि का क्षे हे में	असिचित भूमि का क्षे हे मे	कुल (4+5)	कुल क्षेत्रफल में कमी / वृद्धि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
		2023-24	4044.46	44561.23	48605.69	874	
		2019-20	1707515.24	3344578.27	5052093.5	-	
		2020-21	1797463.44	3297260.48	5094723.92	42630.42	
	कुल	2021-22	1802378.5	3284836.84	5087215.34	-7508.58	
		2022-23	1752579.87	3314610.44	5067190.31	-20025.03	
		2023-24	1422545.89	3315138.93	4737684.82	-329505.49	

अनुभाग अधिकारी राजस्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, रायपुर

स क	राज्य	वर्ष	सिंचित भूमि का क्षे. हे. में	असिंचित भूमि का क्षे. हे. में	कुल (4+5)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
		2019-20	1707515.24	3344578.27	5052093.5	-
		2020-21	1797463.44	3297260.48	5094723.92	कुल क्षेत्रफल में वृद्धि 42630.41 हे
ਬ	हत्तीसगढ़ 	2021-22	1802378.5	3284836.84	5087215.34	कुल क्षेत्रफल में कर्म 7508.58 हे
		2022-23	1752579.87	3314610.44	5067190.31	कुल क्षेत्रफल में कर्म 20025.02 हे
		2023-24	1422545.89	3315138.93	4737684.82	कुल क्षेत्रफल में कमी 329505.49 हे

अनुभाग अधिकारी राजस्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, रायपुर

坏
Ĺ
区
片

जानकारी
中
中
(मी.टन
उत्पादन
फसलवार

200	_	_	_		_		_	_		_																															) E			M		ă					7	
अन	1255	17																																												I						T
रामितिल	20	97		i	1	Ü	1	ä	1	Į.	1	1.	1	1	1	1	1	1	1	1	į.	f)	1			1	1	1	ī	1	ò	1				1	ı	1	1	ï	ï	į.		1	1	1	í	1	1	1	1	
ज्वार	30	C7	1	1	1	,	1	1	J	1	E	0	6	6	0	1	1	1	1	1	-		1			1	1	1	f	1	î	1	j.	(	1	Ĩ	Ė	t	1	ı	ï	1	ı	1 1	,	1	t	1	1	13	1: 0	
गन्ना	2.4	47		ì	1	ŧ	9	i	î	j	e	94	107	89	69	43	1	1	1	t	r	32	37	32	32	1	1	ţ	(	1	55800	29925	53120	46/01	271380	39830	50770	108460	7	1	ï	-	r	1 1	1		á	)	1	ij	1	
कुलथी ग	23	67	1	1	-	10	1	1	1	E	1	13	125	93	26	81	1	1	ı	r	1	101	88	0/	74	1	1	1	1	1	1	i	1	1 1	i	t	ť	1		ī	1	1	,	1 1	1	1	9	1	163.67	152.09	30.561	105 501
सुरजमूखी व	22	77	1	T.	1	1	0	40	20	80	1	1	1	1	I.	į	'n	í	1	į.	1	1	1	1		j	1	E	1	1	1	î	ı ı	1 1	1	1	1	1	1	1	ı	1)		-		1	1	1	1	1	+	
कुसुम स्र	21	17	,	j.	ı	1	10	20		80	1	1	Ţ	1	t:	1	1	1	1	r:	1	1	1		1	1	1	i	T	3	1	į.	1	1 1	1	6	1	j	1	ĵ.	i.	1	, ,	1 1	1	.1	1	1	E.	1	1 )	1
अलसी	00	707	1	î	ï	1	10	20	30	06	1	3	1	0	1	1	4	-	0	2		0.00	7 0	0.1	1					1	1	1	1	1	101	30	20	06	ī	1	E			3.80	23.00	26.66	28.11	1	688.65	403.82	716.00	110.02
राई सरसों 3	10	889	1730	989	933	1	300	290	350	920	1	30	20	26	23	1	117	29	20	24	1	27.5	216	803	000	260	620	1050	1910	i	ī	E	t. 3	i	450	40	260	780	î	1	,	1		25.85	15.25	17.25	21.70	1	79.27	57.38	80.87	
तिवडा राष्ट्	18	01	1	1	1	1	2800	3140	3450	2240	1	327	431	460	416		r	1	1	0	7000	005/	0790	6306	1	ř	1	1	,	1	11593	12039	19761	10/71	i	1	1	1	Ě	4206	4708	6003	7506	38.41	320.16	392.20	486.72	ī	2036.42	2180.59	2654.82	1004.04
	1.7		,	1	1	1	400	200	630	350	1	0	2	2	2	1	1	1	,	1				1	1	1	1	1	1	1	ř.	i	, ,	1	1000	1880	1330	1720	,	530	729	476	11011	101	1				53.82 2		75.83	1
मसूर	91	0 1	1	1	3	1	620	260	200	730	1	43	36	37	22	1	1	ı	1	1				1	1	L	1	1	1	1	0	+	1 1	1	390	1010	250	420	I.	r	,					1			110.58			
मटर	15	582	1412	417	809	1	850	200	1260	770	1	216	149	157	136		84	21	61	52	2020	5014	8406	8410		820	13400	9460	13640			4976	10674	1001	2760	57470	46680	63550			23239				97.28	52365.10	54164.97			497.29		
च			7852	357	5859		7200	091	8160	7610		324	236	29	93		2668	07	1330	40	96	024	004		ľ	30																		27	100							
族	14	99	78	38	58						ţ.	9	2	71		1			51	61	.1	210	0	0	ī	4930	22870	22610	22960		3780	3325	5380	1	15480	87450		119220	L	5369		15363		3045.75	18129.89	17854.31	20789.59	1	684.6	630.80	523.34	1
सोयाबीन	13	2 1	1	1	1	Ţ			200			E	T	3	a	ı		0	710	7			19	1	1	t	ű	1	t	E	r	1	1	i	15723					4591	3434	1096	2431	24397.56	21894.35	14910.34	12461.70	12791.52	1	1 1	1	(1)
मृंगफल्ली	12		1	3	ī	r	400	240	320	250	06	201	257	274	193	158	2391	2695	1667	7567	1741	1	1	1	E	1	31	t	ï	i	ı	1 1	í	t	635	1200	2057	1550	2330	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1
पिल म	=		1	1	1	Į.	70	0	110	80	20	3	2	6	7	E.	1					1	Y	1	t	1	1	ì	ī	0	1	1 1	ı	ı	332	20	45	30	- 1	1	1 1	1	t	1	1	E	E	1	1	1 1	1	1
H.	10	20	42	4	12	-	160	20	70	80	09	9	0	12	-	1	4040	314	200	180	10	13.1	13	13	14	10	0	10	10	30	1	1 1	1	1	94	1	ŗ	1	1	1	1 1	,	1	1	1	ï.	1	9	1	1 1	1	1
	6		15	91	21	4	999	970	820	099	250	465	518	422	343	474	1864	2002	00001	1240	318	3.4	34	29	163	09	40	40	30	06	919	687	427	133	140	110	166	06	380	1	1 1	1	1	166.93	430.34	455.88	306.80	184.14	51.96	70.83	65.70	51.42
उड़द		105	118	141	70	17	470	180	280	250	220	244	283	296	202	244	74	33	00	43	57	29	32	32	32	019	1410	2080	1290	2100	1	-			1507	3790	5364	3070	3820	815	2070	2810	3286	573.48			19	62.	56.71	353.24	16	10
अरहर / तुअर	8																											2			1	1 1	1	1	1	3	5	8	3		- 6	2	1 10	573	2918.46	4875.71	1663.61	2055.79	20	353.24	269.91	179.19
सामी	7	1	1	1	E	98					10	1	i	T	i	ı	1	1	1	1	14	15	12	12	9	11	1	E	1	1	1		ı	1	1	ř.	E.	1	1	( )	. 1		ij	1	į	1	1	ì	,	6 9	7	1
कोदो-कुटकी	9	1	1	1	r.	1	100	80	70	100	190	0	2	2	00 5	81	00 0	7 6	0 -	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	206	235	158	į	į.	į.	1	,	, ,	1	1	3	86.099	556.11	848.45	935.48	922.77	259.37	433 56	633.22	459.93
TE .			725	492	273	011	620	390	490	780	410	5382	5465	4675	4536	0000	144	011	63	65	2343	2709	2067	2075	379	450	009	490	350	700	5701	653	999	161	246	750	269	507	1219	710	1012	2918	3410	77.896	1020.88	824.22	5.57	584.32	80.606	050.50	4.46	703.63
मकका	5		0	6.	6	6	0	0	0 2	0				į			7	0 6	-								0	6	0							0								6					1			
ᄪ	4	692101	700170	722739	754589	509499	535130	566140	816280	85393	960630	297382	310351	307567	341055	221/30	710/89	640243	710017	643345	499134	500558	497052	496901	495656	479150	518520	45430	082609	610510	104020	672470	741951	681742	363160	450010	519280	547860	531510	563037	567623	628315	726182	263112.99	264658.21	274119.44	307295.60	350534.80	190647.03	186291 58	221766.67	258662.12
वर्ष धान	м	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	12-0202	3033-33	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2021-22	3022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	022-23	2023-24
जिला	2			सायपुर					_			_1	i				1	महासमन्द	_	1.3		1	धमतरी			-1	_	2	1		1	बालोद	_	1.	15		बमतरा 2	1		15	राजनादगाव	-	1~	2	खैशगढ-छईखदान व	_		7	1	P-	अ.चाका	8
H. 40.	,-	-		-		+	_	c	_		+			0		+		4	_	-	-		2					9		+		7					00		+		6	_				10	_	+		17		_

14   15   15   15   15   15   15   15	Ē.	7	Т	Т	Т	Т	П		T	Т	Т	T	T	T	Т	Γ				1	Т	T	T	Т	T	Τ	Г	Г		1	Т	T	T	T	Γ	П	T	T	T	T	Г			Т	T	Т	T	Т	Т	Т	П		1
The color of the	अन्य विवरण				1		07.10	09.00	1.20	00 8	08.60	2153	2017	2000	1876	1638	1522	1495	1905	1863	73.15	67.2	90	58.83	00.00				1		1			1	1			1				ī	1	1	1		1			-	ī	î	1
		-	-	1	1	ŀ	20	16	16	2 :	2															ľ	ŀ				1	+	+	ľ		H	+	+	+	+	-			+	+	+	+	+	F	-	H	990	
	ज्यार	25	- 199	- 919	43	- 11	- 09	- 02	- 20	00	00	191	121	1/1		1	1	1	£.			'		_	1	1	I.	1	i	1	1	U.	1	1	1	- U	1	1		-	1	1	1	l.	-	1	1	-	-	1	1	01	573
	गन्ना	24	134	1410	221	266																				1	Û	1	3	1	È	t	1 3	П		i (i		i	1) 1	1	1	1	ï	T	1	ā ā	1 1	î	1	1	1	1	1
		23	1	-	1		81.40	85.80	53.60	81.00	23.40	1947	2037	2000	5050	1764	1857	1682	2136	2256	1364.85	1174.95	1093.5	1110	-	1	ı	1	-	1	f	r i		589	2	99	51	09	1		ī	a	I	T.	Te.	1	1 1		1		1	-	1
	रजमूखी	22	1	1		1	41.40	44.30	12.50	6.10	8.70	2924	2150	4C77	132	0	0	0	0	0	1	1	ī	ı	1	1	1)	ı	1	t	1	E.	1 0	1	Ė	100	1	1	1 1	t	1	1	ï	t.	T)	1	1 1	1	1	1	1	E)	1
	कुसुम स	21	1		1 1	-		0	0	0	0	80	0	0 70	67	á	1.	ï	i	(	í	1			1	i	ī	6	T	í	1	í	1	1	1	Ê	1	1	1 1	1	1	1	1	i.	ĉ	ī	1 1	ī	1	1	ï	ī	1
		20	t	1	( )	1	11.20	13.20	5.50	4.70	8.00	2928	3067	1066	3108	9	1	j	ť.	E.	66.15	72.9	23.4	577		ī	Ĭ.	E	1	3.	i	ř.		į	£	É	1	1		1	1	(1	257.508	228.84	277.896	350.937	0 1				ŧ	t	1
44         44         45         46         47         46         47         46         47         46         47         46         47         46         47<		16	1	1	1 1	1	438.90	428.00	387.60	478.00	520.00	8883	9830	C1711	0/03	1	1	1	1	D	79.95	46.8	26	16		,	1	E	1	1	1	1	į i	1	į	1	ı	-	292	99	42	1	791.615	680.52	693.365	781.097	0		Ī		1	1	1
		81	3249	4374	5661	1	11.30	2.00	00.9	2.10	3.70	2124	1967	3000	951	1	ā	1	1	E	1	,	1			1	-	ī	-	1	1	-	1 1	T	1	T	1	-	2180	1367	1183	1	162,547	315.263	126.156	182.691	0		T		1	1907	1562
		-	ı	1			18.50	40.10	22.40	33.80	35.70	800	186	1500	1451			1	1	E	62.88	45.12	48.48	31.92	15 0		1		10	1	1	E	0 0	1	1	1)	1	1	, ,			1					0	1			,	1	
	मसूर				1							4637						_	9							-					1				H	· ·	1	0000			606				~		0		1				
	मटर			1570															Ė							-	-	12		1	1	-				1	od.	9					148		109	+	1	'	1	-	1		
	चना	15		-		1				Ц					Ľ	1	7	1	1								1	1	1	1	1	F			,	1	1	1				1	- 46		- 29,		0	1	-		1		
	流	14						262.	119	195.	230.	38	30	200	18											1	.1	1.	1	Э.	1	1	ı.	1	1	1.	6	1	45	35	44	1	2872	2798.7	2230.7	245.	9	1			1		343
		13	26862	5850	11180	9836	1		à	K	ij	1			1. !		0		0	0	5.25	13.65	23.1	15.75	2.23	a	1	ı	-g	31	1	1	I I	1 1	1	ľ	E	1	1	1	1	31	.1	1	1		1					1	
		12	ı.	1		1	46.80	20.50	48.80	18.60	17.40	1682	7067	2553	496	11	0	0	0	0	Ę	1	1	1	1	1	1	1	r:	1	1	1	0	0 1	1	1	ı	1	1 1		t	ď	305.932	1464.7	399.685	362 392	181.243	150	173	118	120	1 1	
		=	1	1	1 1	1	11.60	7.00	7.30	13.80	11.70	1162	1251	1298	130	297	231	191	353	341	15.08	23.4	24 44	17.68	13.08		1	ī	0	1	1	1	r.	802	226	396	537	699	ı s	1 1	1	1	61.822	217.466	96.287	66.717	67.452				1	1	,
		10	i	i	1 1	ï	54.30	72.60	160.00	131.50	148.60	780	33/4	3618	3732	137	118	6	139	237	63.91	43.99	69.72	41.5	23.12	,	1	į	6	102	601	129	125	783	69	53	319	282	- 1	- 4	4	4	1	1	î	i i	1	0 -	1	-	-	1	
		6	T	r	1	1	149.60	191.10	243.80	359.00	366.50	11679	15392	15865	25031	3192	3479	2889	3512	3652	1946.67	1998.18	1903.83	1793.67	1028.43					65	70	78	- 1		89	70	123	137	208	07	101	14	392,404	1395.028	676.834	503.655	405.907		1	1 1	ī	10366	0330
			8860	10651	9715	7981	17.50	15.80	71.70	81.40	34.90	4259	6140	7126	2375	1165	1814	829	1014	1530						110	164	167	163				1	- 1	20	33	124	119	1092	468	107	107				1	100	160	105	127	129	1453	7065
	अवहरू / ह	8													6										-						3	1	ı		-	-	7	2									6		1	1			
	सामी	7	ï	į.	1	1	E		9		1.	_				1200	6							207.30						É			ï	E					1	1	1	i	16.8					1					
		9	3828	4024	7404	5550	785.60	737.90	06'996	1119.40	993.40	7817	8346	10893	10720	5000	597	785	1026	1037	1603.04	1061.24	1329.13	1360.52	1106.39	3700	2938	2937	2938	12	14	12	15	17754	1435	1100	1345	1328	1	1	1	i	167.098	503.503	250.631	270.162	226.328	0 0	DC.	56	27	2190	1551
		5	3896	4093	4188	3730	2999.20	9228.70	1259.80	4119.90	5542.50	104874	269958	303446	400581	000000	28724	23782	28704	28341	10277.48	29112.4	3473.88	6982.72	5761.16	1887	2939	2935	2927	582	547	464	399	347	3555	2873	2224	1947	2369	346	261	179	1961.013	5885.259	3402.044	1398.949	3159.253		4	1	-	52130	47310
2         3           2         3           2         3           3         3           2008-21         2008-24           2008-22         2008-24           2008-23         2008-24           2008-24         2008-27           2008-27         2008-27           2008-27         2008-27           2008-27         2008-27           2008-27         2008-27           2008-28         2008-27           2008-29         2008-27           2008-29         2008-27           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29           2008-29         2008-29	मक्स	+	926	162	195	138						800	544	809	368	206	123	348	305	503						119	264	304	742	137	927	714	812	875	235	850	466	782	042	225	214	100						025	074	086	089	026	200
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	ग्रान	4	4295	494	576	100	36018	38592	34457	37200	39658	167	189	1724	271.	329	55(	428	575	57.	609376	333716.	499847	648865	607612	157	158/	157	157.	15.	161	212	232,	126	147	1500	152.	171	458	251	3016	358	139799.	146893	152341	16935	201086.	45	10	90	680	3214	33.40
कक्क्षां कक्क्षां विद्यापुर नारायणपुर कोज्जार दन्तेवाडा सुकमा सुकमा सुकमा सुकमा सुकमा सुकमा सुकमा		3	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2030-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2020-24	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2000	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2023-24	2019-20	
		2			कवहा				बस्तर				3	कोण्डागाव				नारायणपर	,			80	कांकर				दम्तेवादा					बीजापुर				संक्रम	,			- Committee	A FELLOW			har mer	Transport of the same	HYGIEI			A-4-	में।जा			
	H. G.	*			12	_	-		13							-		-					16		-		17			-		18	_	+		19							-				+		cc	77	_	+	-

| 27 |   | +   | +  | +   | +  
   
  | -  |   
   | -   |   |   
   
   |   |   | L  |   |  | -   |   
  | -  |  | -   |  | -  |  
  | -      | 1   |  |         | -       | -      | -       | -      | 1        |         |         | 77      | 7 0    | 2       | 12      |        |        | 4      | _      | -      |                                       |                                       |                                       |               | 52        | 00 0                                  | 7 4       | 2 4  |
|----|---|---|--|---
--
--
---|--|---|---
---
--
--
---|---|---|--|---|--|---|--|--
--|---|--|--
---|--------|---|--|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------
--|
| 26 | -   |   | t i  | i i   | î  
   
  | 1  | 6   
   | 1   | 1   | 1   
   
   | ľ   | î   | 1  | ī   | i  | ľ   | Ü   
  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  |  
  |        |   | 1  | 1       | 1       | r      |         |        | 1        | E       | 1       | 77      | 761    | 106     | 86      | 1      | 1      | 1      | F      | 1      | 1                                     | 1                                     | JE.                                   |               |           |                                       | -         | _  |
| 25 | 18.   | 10.   | t  | 1   | T  
   
  | 1  | 1   
   | 1   | 1   | 1   
   
   | 1   | 1   | 1  | 1   | 1  | f   | 6   
  | 11   | 1  | 1   | E  | -  |  
  |        |   |  | 1       | - 9     | 1      | 0       | 0 3    | 1        | £       | 1       | 3       | 1 1    | 1       | 1       | 1      | į      | 1      | E      | ( )    | 1                                     | 1                                     | I.                                    |               |           | - 1                                   | _         |  |
| 24 | 1   | 1   | 1  | 1   | ï  
   
  | £  | 1   
   | 1   | î   | 1   
   
   | i   | t   | 1  | 1   | 1  | ř   | ı   
  | 1  | 1  | î   | ı  | i.   | 1  
  | 1      |   | 1780   | 1963    | 1987    | 2530   | 1       | ,      | 1        | Ē       | Í       |         |        | 1       | 1       | 1      | 1      | r      | E.     | 1      | 1                                     | ī                                     | ť                                     |               |           |                                       |           |  |
| 23 | 1   | 1   | ı  | 1   | 1  
   
  | 1  | 1   
   | 1   | i   | 1   
   
   | r   | 1   | 1  | 1   | 4  | 1   | r   
  | r  | 1  | 1   | 1  | r  | 1  
  | 1      |   | 1  | 1       | 1       | ı      | ı       |        | 1        | 0       | 1       | 161     | 161    | 185     | 188     | 1      | 1      | ).     | L      | 1 1    | 1                                     | i                                     | t                                     |               |           |                                       |           |  |
| 22 | 1   | 1   | E I  | 1   | 1  
   
  | ı  | 1   
   | 1   | 1   | ı   
   
   | 12  | 1   | 1  | ı   | 1  | E   |   
  | 1  | 1  | ī   | r  | 1  | 1  
  | 1      |   | 1  | 2       | 1       | į      |         |        | 1        | 1       | 0       | 1       |        |         | 1       | 1      | 1      | ı      | E.     | 1      | ,                                     | -                                     | 0                                     | 1             | 2965.4    | 2274.3                                | 1,690.1   | 140.7  |
| 21 | î   | ľ   | 6 6  | 1   | 1  
   
  | î  | 1   
   | 1   | 1   | 1.  
   
   | 1   | T   | 1  | 1   | 1  | i   | T.  
  | 1  | 1  | 1   | E  | 1  | 1  
  | 1      | 1   | 1  | 1       | 1       | 1      |         |        |          | E       | 1       | 1       |        | 1       | 1       | 1      | 1      | ı      | E.     | 1: 3   | 1                                     | r                                     | ſ                                     | $\rightarrow$ | -         | 1                                     |           |  |
| 20 | 1   | t   | 1  | 1   | 1  
   
  | i  | 1   
   | 1   | ì   | í   
   
   | i   | 1   | 1  | ï   | ,  | ť   | L   
  | 1  | ı  | 1   | į.   | I.   | 1  
  | i      |   | 1148   | 1229    | 1198    | 1219   | 10701   | 730    | 2749     | 279     | 0       | 1       | 1 1    | i       | 1       | 101    | 66     | 96     | 94     | 0      | 1                                     | E                                     | 1                                     | 1             | 6325 308  | 6074.76                               | 5018 267  | 0010.207   |
| 61 | 1   | 1   |  |   | 1  
   
  | 1  | 101.75  
   | 105.07  | 107 28  | 110.05  
   
   | -   | 1   | 1  | ,   | 1  | ı   | 1507  
  | 9623   | 22063  | 9370  | ı  | 1  | 1  
  | 1      |   | 6135   | 1099    | 7229    | 7405   | 3861    | 3333   | 3102     | 2091    | 0       | 1309    | 1308   | 1364    | 673     | 440    | 443    | 452    | 450    | 0      | 1                                     | ı.                                    | 1                                     | _             | _         |                                       |           | _  |
| 18 | 723   | 0   | 1  |   | 1  
   
  | ť  | 1   
   | 1   | 1   | F   
   
   | 1   | 1   | 1  | 1   | 1  | ī   | 1   
  | 1  | 1  | 1   |  |  |  
  | 1      |   | 1  | 1       | 1       | 1      | 1 1     |        | 1.       | 1       | 1       | 1       |        | ı       | 1       | 69     | 89     | 65     | 63     |        | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1             | 38109.677 | 39651.013                             | 44028.280 | 166,1104   |
| 17 | 1   | 1   | 1  | 1   | ı  
   
  | r  | t   
   | 1   | 1   |   
   
   | 6   | 1   | 1  | 1   | 1  | Ŀ   | 1   
  | 1  | 1  | 1   |  | I.   | 1  
  |        |   | 1  | 1       | 1       | E.     | 104     | 101    | 132      | 27      | 0       | 1       |        | 1       | i       | 1      | ı      | ı      | (      | 1 1    | 1                                     | 1                                     | 1.                                    | à             | -         | _                                     | _         |  |
| 16 | 1   | ī   |  | 1   | 1  
   
  | 1  | 1   
   | 1   | 1   | 1   
   
   |   | 1   | 1  | 1   | 1  | ř.  | 1   
  |  | 1  | 1   |  | 3028   | 3161   
  | 3391   | 1877  | 1  | 1       | ť       | r      | 100     | 306    | 352      | 80      | 0       | i       | , ,    |         | 1       | 1      | 1      | 1      | (      | 1 1    | 1                                     | ı                                     | 1                                     | 1             | 13056.723 | -                                     |           | 13394.743  |
| 15 | 298   |   |  | 1   | 1  
   
  | 1  | 1   
   | 1   | ,   | ť   
   
   | 1   | 4   | 4  | 1   | 1.   | 6   | 1   
  | 1  | 1  | 1   | 1)   | 109  | 637  
  | 707    | 751   | 3117   | 3221    | 3120    | 3215   | 0 040   | 1999   | 647      | 165     | 0       | 1507    | 1,408  | 1494    | 1491    | 137    | 122    | 139    | 129    |        | 1                                     |                                       | 1                                     | _             |           |                                       |           |  |
| 14 | 1520  | 0   | 1258   | 2004  | 1784   
   
  | 1788   | 633.64  
   | 642.32  | 654.26  | 89.659  
   
   | E   | 1   | )  | 1   | 1  | E   | 20492   
  | 34214  | 35463  | 21529   | 1  | 19601  | 10883  
  | 11600  | 11500   | 17623  | 19352   | 19301   | 20974  | 0 0     | 11705  | 10381    | 5224    | 0       | 1542    | 1633   | 1642    | 9601    | 2611   | 2595   | 2567   | 2867   | 3770   | 3909                                  | 4027                                  | 4172                                  | 4175          | 144659.98 |                                       |           |  |
| 13 | 1   | ı   | 1  | 1   | 1  
   
  | 6  | 1   
   | 1   | 1   | 1   
   
   | 1   | 1.  | 1  | 1   | ı  | į.  | 1   
  |  | ı  | 1   |  | 1  | ,  
  | 1      |   |  |         |         |        |         |        |          |         |         | 1       |        |         | 1       | 1      | ţ      | ľ      | 1      | 1 1    | 1                                     | 1                                     | 1                                     | 1             | 72162.81  | 34733                                 | 10861 45  | 7001.70  |
| 12 | ,   | r   | 1 1  | 1   | 1  
   
  | 1  | 208.88  
   | 225.59  | 233.94  | 235.61  
   
   | 50.13   | 3516  | 3804   | 4183  | 3030   | 3090  | 3011  
  | 7312   | 6559   | 2059  |  | t  | ,  
  | 1 1    | 1   | 9805   | 7315    | 9155    | 7980   | 1044    | 1004   | 1174     | 1772    | 491     | 11627   | 17071  | 12034   | 11622   | 1      | 1      | 1      | ı.     | 1 1    |                                       |                                       | ı                                     |               |           | _                                     | _         | -  |
| =  | ı   | 1   | 1 1  | 1   | ,  
   
  | 1  | 17.01   
   | 18.47   | 19.44   | 19.93   
   
   | 5.83  | 8330  | 8501   | 8368  | 7787   | 7754  | 29  
  | 1144   | 1316   | 437   | - 1  | 0  |  
  |        |   | 1  | a       | 1       | E      | 1243    | 7471   | 1132     | 1086    | 1067    | 0       | 0 0    | 0       | 0       | 4      | f      | í.     | ı      | 1      | ,                                     | 1                                     | 1                                     |               | 1         | -                                     | +         | +  |
| 10 | 1   | 1   | 1.   | ,   | ,  
   
  | E  | 1   
   | 1   | 1   | ı   
   
   | ı   | 1   | 1  | 1   | ř.   | Ē   | 1   
  | ,  | 1  | 1   | í.   | U  | 1  
  | i      | 1   | 1  | 1       | 1       | i)     | 1 1     | 1      | i.       | ï       | 1       | 1       | , ,    | Ü       | a       | ī      | î      | 1      | £      | 1 1    | ,                                     | ï                                     | 1                                     | 1             | 5680.21   | 4213.59                               | 4514.72   | 4730   |
| 6  | 6210  | 2090  | 80   | 31  | =  
   
  | Ξ  | 153.13  
   | 155.63  | 158.13  | 160.63  
   
   | 71.25   | 8053  | 7477   | 7137  | 6420   | 6464  | 1529  
  | 10965  | 9744   | 114   |  | 1  | 1  
  | 1      |   | 4589   | 4152    | 4225    | 4145   | 13121   | 1145   | 1214     | 1001    | 196     | 12036   | 19/45  | 19876   | 19586   | 908    | 698    | 878    | 688    | ~      | 1                                     | ı                                     | 1                                     | 3             |           | 81404.108                             | 73000 455 | 13900.435 4930   |
| 8  | 7407  |   |  |   | 1.   
   
  | t  | 145.83  
   | 148.77  | 156.14  | 159.08  
   
   | 8.84  | 1   | 1  | ī   | 1  | i   | 487   
  | 2247   | 1663   | 215   | 241  | 4177   | 3770   
  | 4275   | 4501  | 4560   | 3547    | 4149    | 4300   | 2000    | 5365   | 5118     | 4506    | 0       | 19239   | 20455  | 21039   | 20997   | 2569   | 2555   | 2527   | 2539   | 2506   | 4537                                  | 4581                                  | 4610                                  |               |           | _                                     | _         | _  |
| 7  | 1   | ī.  | ( )  | 1   | ,  
   
  | 1  | 1   
   | 1   | 1   | ı   
   
   | I.  | -   | .1   | 3   | 1  | Ē   | 1   
  | 1  | ,  | 1   | i)   | 1  | ,  
  | 1      |   | 1  | .1      | 1       | t:     | 1 1     |        | 1        | 1       | T.      | 3       | , ,    | 1       | 1       | 9      | 1      | 1      | ř.     | 1 1    | i                                     | ř                                     | 1                                     | 1             | 422.95    | 362.07                                | 1707 735  | 1707.233   |
| 9  | 1695  |   | 1 1  | 243<br>256<br>98  |  
   
  | E  | 1   
   | 3   | ī   | T   
   
   | 1   | 1.  | ij   | 7   | 1  | i   | ı   
  | 1  | ī  | į.  | 1  | 3448   | 3993   
  | 4091   | 4681  | 1  | 1       | 1       | į.     | 1 1     |        | í        | i       | 1       | 18      | 7.4    | 87      | 62      | 135    | 127    | 128    | 130    | 138    | \$28                                  | 543                                   | 549                                   | 495           | 42869.088 | 26887.453                             | 34731 787 | -  |
| 5  | 40176   | 32886   | 336  | 956   | 86   
   
  | 84   | 190.96  
   | 193.35  | 205.28  | 210.06  
   
   | 76.38   | 1873  | 2438   | 2404  | 2948   | 2930  | 469   
  | 741  | 166  | 455   | 300  | 29580  | 34609  
  | 32534  | 36508   | 39129  | 37202   | 34105   | 31941  | 58267   | 67116  | 58613    | 57475   | 59298   | 8723    | 10509  | 11798   | 11419   | 4253   | 3965   | 3926   | 3875   | 3896   | 2771                                  | 2851                                  | 2949                                  | 2899          | 89656.503 | 76862.089                             | 13574 650 | 13374,023  |
|    | 06543   | 33112   | 22384  | 87123   | 47733  
   
  | 47733  | 97.31   
   | .04.95  | 70.03   | 40.19   
   
   | 190.72  | 34483   | 69690  | 10856   | 82544  | 82580   | 02823   
  | 20011  | 17340  | 25764   | 23188  | 97532  | 05714  
  | 09135  | 24473   | 41052  | 52037   | 86385   | 79388  | 68575   | 02776  | 36281    | 92411   | 10525   | 46354   | 45055  | 58890   | 56035   | 12050  | 12630  | 13087  | 12064  | 13489  | 19749                                 | 12364                                 | 13346                                 | 12780         | 86 069    | 785.44 5.                             | 40 52 67  | 14320249.32 073374.039   |
| 4  |   |   |  |   |  
   
  |  | 45  
   | L   |   | L   
   
   |   |   |  |   |  |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |  |  |   |  |  |  
  |        |   |  |         |         |        |         |        |          |         |         |         |        |         |         |        |        |        |        |        |                                       |                                       |                                       | _             | _         | 4                                     | +         | +  |
| 8  | 2022-2.   | 2023-2  | 2019-2   | 2020-2  | 2022-2   
   
  | 2023-24  | 2019-20   
   | 2020-2  | 2021-2  | 2022-22   
   
   | 2023-24   | 2019-X  | 2020-2   | 2021-2  | 2022-2.  | 2023-2  | 2019-2  
  |  |  | 2022-2  | 2023-2   | 2019-2   | 2020-2   
  | 2021-2 | 2022-2  | 2019-X   | 2020-21 | 2021-22 | 2022-2 | 2023-2- | 2-8105 | 2021-22  | 2022-22 | 2023-24 | 2019-20 | 2020-2 | 2022-25 | 2023-24 | Z019-Z | 2020-2 | 2021-2 | 2022-2 | 2023—2 |                                       |                                       | 2025-23                               | 2023-24       | 2019-20   | 2020-2                                | 2021-2    | 27-7707  |
| 2  |   |   |  | जांजगीर-चाम्पा  |  
   
  |  |   
   |   | सक्ती   |   
   
   |   |   |  | रायगढ   |  |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  | 9  | ।।४ग६–।४लाइग६  |   |  |  |  
  | सर्वेत |   |  |         | सुरजपुर |        |         |        | बलरामपुर | )       |         |         | COLUMN | .6      |         |        |        | कोरिया |        |        | 0                                     | नन्द्रगद्ध—।चरामरा                    | אגטאג                                 |               |           |                                       | 53        |  |
|    | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 20543 40176 1695 - 7407 6210 1520 298 7723 185 | 3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-25         2105-43         40176         1695         -         7407         6210         -         -         -         1520         298         -         -         733         -         -         -         185           2023-13         3586         1369         -         6500         -         -         -         0         - | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           x0x2-x0         2106543         40176         166         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           x0x2-x0         2203112         3286         16         7         8         9         1         2         1         2 | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-23         2310643         40176         1695         -         7407         6210         -         -         -         173         -         -         -         -         185           2022-24         2231314         3386         -         -         -         0         -         -         -         -         -         -         -         -         185           2008-26         -         -         6506         5909         -         -         -         0         -         -         -         -         -         102           2008-26         -         -         -         -         0         0         - </td <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-24         2106-54         40176         1695         -         7407         6210         -         -         -         173         -         -         -         185           2022-24         223314         356         -         6506         5909         -         -         -         0         -         -         -         -         102           2028-27         441109         243         -</td> <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-23         210654         40176         1695         -         7407         6210         -         -         -         152         23         15         -         -         185           2022-24         223312         3286         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         185           2022-24         223312         3286         -</td> <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2002-23         2.106543         6.676         6.7010         -         -         150         -         -         173         -         -         -         185           2002-24         2.23164         3.56         -         -         -         173         -         -         -         -         185           2002-24         2.23164         3.56         -</td> <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           202-23         2.106543         40176         1695         -         6506         -         -         -         173         -         -         -         185           202-24         2.21314         356         -         6506         -</td> <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-23         2106543         40176         66         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         1         23         24         25           2022-23         21315         236         -         -         -         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-24         21315         236         -         -         -         13         -<td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxx-xx         210643         40176         160         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxx-xx         421384         356         150         -         -         15         12         2</td><td>s         4         5         6         7         8         9         10      
  11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           202-23         2.10643         40176         1669         -         6506         -         -         150         -         -         185         -         -         185         -         -         185           202-24         223312         3.286         -         -         -         173         -         -         -         185           202-24         421384         3.56         -         -         -         128         -</td><td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         23         24         25           2022-23         2106543         40176         169         7         8         -         -         150         20         -         -         185         -         -         185           2022-24         213151         3286         1369         -         -         -         10         0         -         -         -         185         -         -         -         18         19         20         21         22         21         22         20         19         10         11         -</td><td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2007-25         2006-43         40176         160         7         8         9         10         11         12         132         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2007-24         223314         356         130         -         -         1728         -         -         10         1         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         2         2         3         4         2         2         4         2         2         4</td><td>3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         23         24         25           200-2-2         2106434         40176         169         -         740         600         7         840         -         -         173         -         -         185           200-2-2         21206443         316         -         -         -         173         -         -         -         185           200-2-2         421364         356         -         -         -         178         -</td><td>3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           202-23         2.10643         40176         1669         -         6506         -         -         -         173         -         -         -         185           202-24         2.23114         356         -</td><td>3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-26         1506-36         1606         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-26         1360         1360         1360         1360         2         2         2         2         2         2         2         2         2         10           2022-26         1360         1360         1360         2</td><td>35         4         5         6         7         8         9         1</td><td>3         4         4         5         6         7         8         9         10         11         12         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxxx-3         21644         4077         169         7         407         60         7         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxxx-3         21384         150         1         6506         5900         2</td><td>3.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.5         6.6         7         8.4         9.0         1.1         1.2         1.3         1.4         1.5         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8</td><td>30         30         40         10         11         12         13         14         18         19         20         21         22         23         24         25           300-20-3         21056-34         4017         666         7         74         120         150
        150         170         173         1         20         21         22         23         24         25           200-24         213311         3386         1150         2         2         1         2         2         2         2         2         2         2         3         4         25         2         2         2         1         2         1         2         &lt;</td><td>30         40         61         10         11         12         13         14         15         14         18         14         18         14         18         14         18         14         18         10         20         21         22         23         24         23&lt;</td><td>3.2         4.4         5.5         6.5         7.4         8.8         9.0         1.1         1.2         1.5         1.6         1.7         1.8         1.9         2.0         2.1         2.0<td></td><td>30                 30                 40                 40                10                 11                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                  12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12&lt;</td><td>3.2         3.2         3.2         4.5         1.6         1.7         8.8         9         10         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         12         13         14         15         16         1         12         13         18         19         10         12         12         2         2         2         2         2         18         18         18         18         19         1         18         18         19         1         1         18         18         19         1         1         18         18         19         1         1         1         18         1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>  1</td><td></td><td></td><td></td><td>                                     </td><td>                                     </td><td>  1</td><td>  1</td><td></td><td></td><td>  18   18   18   18   18   18   18   18</td><td>  1   1   2   2   2   2   2   2   2   2</td><td>  1   1   2   2   2   2   2   2   2   2</td><td>  1</td><td>                                     </td><td>  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1</td><td>                                     </td><td>  Control   Cont</td></td></td> | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-24         2106-54         40176         1695         -         7407         6210         -         -         -         173         -         -         -         185           2022-24         223314         356         -         6506         5909         -         -         -         0         -         -         -         -         102           2028-27         441109         243         - | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-23         210654         40176         1695         -         7407         6210         -         -         -         152         23         15         -         -         185           2022-24         223312         3286         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         185           2022-24         223312         3286         - | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2002-23         2.106543         6.676         6.7010         -         -         150         -         -         173         -         -         -         185           2002-24         2.23164         3.56         -         -         -         173         -         -         -         -         185           2002-24         2.23164         3.56         - | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           202-23         2.106543         40176         1695         -         6506         -         -         -         173         -         -         -         185           202-24         2.21314         356         -         6506         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -        
-         - | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-23         2106543         40176         66         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         1         23         24         25           2022-23         21315         236         -         -         -         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-24         21315         236         -         -         -         13         - <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxx-xx         210643         40176         160         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxx-xx         421384         356         150         -         -         15         12         2</td> <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           202-23         2.10643         40176         1669         -         6506         -         -         150         -         -         185         -         -         185         -         -         185           202-24         223312         3.286         -         -         -         173         -         -         -         185           202-24         421384         3.56         -         -         -         128         -</td> <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         23         24         25           2022-23         2106543         40176         169         7         8         -         -         150         20         -         -         185         -         -         185           2022-24         213151         3286         1369         -         -         -         10         0         -         -         -         185         -         -         -         18         19         20         21         22         21         22         20         19         10         11         -</td> <td>s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2007-25         2006-43         40176         160         7         8         9         10         11         12         132         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2007-24         223314         356         130         -         -         1728         -         -         10         1         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         2         2         3         4         2         2         4         2         2         4</td> <td>3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         23         24         25           200-2-2         2106434         40176         169         -         740         600         7         840         -         -         173         -         -         185           200-2-2         21206443         316         -         -         -         173         -         -         -         185           200-2-2         421364         356         -         -         -         178         -</td> <td>3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           202-23         2.10643         40176         1669         -         6506         -         -         -         173         -         -         -         185           202-24         2.23114         356         -</td> <td>3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-26         1506-36         1606         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-26         1360         1360         1360         1360         2         2         2         2         2         2         2         2         2         10           2022-26         1360         1360         1360         2</td> <td>35         4         5         6         7         8         9         1     
   1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1</td> <td>3         4         4         5         6         7         8         9         10         11         12         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxxx-3         21644         4077         169         7         407         60         7         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxxx-3         21384         150         1         6506         5900         2</td> <td>3.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.5         6.6         7         8.4         9.0         1.1         1.2         1.3         1.4         1.5         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8</td> <td>30         30         40         10         11         12         13         14         18         19         20         21         22         23         24         25           300-20-3         21056-34         4017         666         7         74         120         150         150         170         173         1         20         21         22         23         24         25           200-24         213311         3386         1150         2         2         1         2         2         2         2         2         2         2         3         4         25         2         2         2         1         2         1         2         &lt;</td> <td>30         40         61         10         11         12         13         14         15         14         18         14         18         14         18         14         18         14         18         10         20         21         22         23         24         23&lt;</td> <td>3.2         4.4         5.5         6.5         7.4         8.8         9.0         1.1         1.2         1.5         1.6         1.7         1.8         1.9         2.0         2.1         2.0<td></td><td>30                 30                 40                 40                10                 11                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                  12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12&lt;</td><td>3.2         3.2         3.2         4.5         1.6         1.7         8.8         9         10         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         12         13         14         15         16         1         12         13         18         19         10         12         12         2         2         2         2         2         18         18         18         18         19         1         18         18         19         1         1         18         18         19         1         1         18         18         19         1         1         1         18         1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>  1</td><td></td><td></td><td></td><td>                                     </td><td>                                     </td><td>  1</td><td>  1</td><td></td><td></td><td>  18   18   18   18   18   18   18   18</td><td>  1   1   2   2   2   2   2   2   2   2</td><td>  1   1   2   2   2   2   2   2   2   2</td><td>  1</td><td>                                     </td><td>  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1</td><td>                                     </td><td>  Control   Cont</td></td> | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxx-xx         210643         40176         160         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxx-xx         421384         356         150         -         -         15         12         2 | s         4         5         6         7         8        
9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           202-23         2.10643         40176         1669         -         6506         -         -         150         -         -         185         -         -         185         -         -         185           202-24         223312         3.286         -         -         -         173         -         -         -         185           202-24         421384         3.56         -         -         -         128         - | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         23         24         25           2022-23         2106543         40176         169         7         8         -         -         150         20         -         -         185         -         -         185           2022-24         213151         3286         1369         -         -         -         10         0         -         -         -         185         -         -         -         18         19         20         21         22         21         22         20         19         10         11         - | s         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2007-25         2006-43         40176         160         7         8         9         10         11         12         132         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2007-24         223314         356         130         -         -         1728         -         -         10         1         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         1         2         2         2         3         4         2         2         4         2         2         4 | 3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         13         14         15         16         17         18         19         20         21         23         24         25           200-2-2         2106434         40176         169         -         740         600         7         840         -         -         173         -         -         185           200-2-2         21206443         316         -         -         -         173         -         -         -         185           200-2-2         421364         356         -         -         -         178         - | 3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           202-23         2.10643         40176         1669         -         6506         -         -         -         173         -         -         -         185           202-24         2.23114         356         - | 3         4         5         6         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-26         1506-36         1606         7         8         9         10         11         12         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           2022-26         1360         1360         1360         1360         2         2         2         2         2         2         2         2         2         10           2022-26         1360         1360         1360         2 | 35         4         5         6         7         8         9         1 | 3         4         4         5         6         7         8         9         10         11         12         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxxx-3         21644         4077         169         7         407         60         7         18         19         20         21         22         23         24         25           xxxxx-3         21384         150         1         6506         5900         2 | 3.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.4         5.5         4.5         6.6         7         8.4         9.0         1.1         1.2         1.3         1.4         1.5         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8         1.6         1.7         1.8 | 30         30         40         10         11         12         13         14         18         19         20         21         22         23         24         25           300-20-3         21056-34         4017         666         7         74         120         150         150         170        
173         1         20         21         22         23         24         25           200-24         213311         3386         1150         2         2         1         2         2         2         2         2         2         2         3         4         25         2         2         2         1         2         1         2         < | 30         40         61         10         11         12         13         14         15         14         18         14         18         14         18         14         18         14         18         10         20         21         22         23         24         23< | 3.2         4.4         5.5         6.5         7.4         8.8         9.0         1.1         1.2         1.5         1.6         1.7         1.8         1.9         2.0         2.1         2.0 <td></td> <td>30                 30                 40                 40                10                 11                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                  12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12&lt;</td> <td>3.2         3.2         3.2         4.5         1.6         1.7         8.8         9         10         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         12         13         14         15         16         1         12         13         18         19         10         12         12         2         2         2         2         2         18         18         18         18         19         1         18         18         19         1         1         18         18         19         1         1         18         18         19         1         1         1         18         1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>  1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>                                     </td> <td>                                     </td> <td>  1</td> <td>  1</td> <td></td> <td></td> <td>  18   18   18   18   18   18   18   18</td> <td>  1   1   2   2   2   2   2   2   2   2</td> <td>  1   1   2   2   2   2   2   2   2   2</td> <td>  1</td> <td>                                     </td> <td>  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1</td> <td>                                     </td> <td>  Control   Cont</td> |        | 30                 30                 40                 40                10                 11                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                  12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                 12                12                 12                 12                 12                 12< | 3.2         3.2         3.2         4.5         1.6         1.7         8.8         9         10         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         11         12         13         14         15         16         1         12         13         18         19         10         12         12         2         2         2         2         2         18         18         18         18         19         1         18         18         19         1         1         18         18         19         1         1         18         18         19         1         1         1         18         1 |         |         |        |         |        |          |         | 1       |         |        |         |         |        | 1      | 1      |        |        | 18   18   18   18   18   18   18   18 | 1   1   2   2   2   2   2   2   2   2 | 1   1   2   2   2   2   2   2   2   2 | 1             |           | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |           | Control   Cont |

अस्त्रमाग अधिकारी शजस्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, रायपुर वर्ष 20219—20 से 2023—24 तक वर्षों में विपणन संघ द्वारा धान खरीदी की जानकारी निम्नानुसार है:—

खरीफ विपणन वर्ष	समर्थन मूल्य की दर (रूपए प्रति क्विंटल में)		उपार्जित मात्रा (टन में)	रिमार्क
	ग्रेड-ए	कॉमन		
2019-20	1835	1815	8350768	
2020-21	1888	1868	9025580	
2021-22	1960	1940	9799367	
2022-23	2060	2040	10753025	
2023-24	2203	2183	1648568	30 नवम्बर 2023 तक की खरीदी मात्रा

अनुभाग अधिकारी राजस्य एवं आपदा प्रबंधन विभाः मंत्रालय, रायपुर

## परिशिष्ट— आठ [प्रश्न संख्याा—17 (क्रं.—859) की जानकारी ]

### प्रपत्र–अ

स.क.	भत्तों के	राशि (रूपये में)	रिमार्क (संवर्ग)
11.9.	प्रकार	रास (अवव ग)	1, 114 (11.7)
1	किट भत्ता	राशि रूपये 8000/- (वर्ष में एक बार)	आरक्षक से प्रधान आरक्षक तक
2	नक्सल ड्यूटी	संवेदनशील, अतिसंवेदनषील क्षेत्र के	पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर
2	भत्ता	आधार पर मूलवेतन का 15 प्रतिशत एवं	तक
	-1001	20 प्रतिशत प्रतिमाह	W. F.
		अतिसंवेदनशील / संवेदनशील एवं	पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर
		सामान्य क्षेत्र के आधार पर मूलवेतन का	तक
		50 प्रतिशत 35 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत	
		प्रतिमाह (बस्तर संभाग के 07 जिलों एवं	
		जिला राजनांदगाँव के 09 थाना क्षेत्र)	
		जिला नारायणपुर के थाना कुकराझोर में	पुलिस अधीक्षक से आरक्षक संवर्ग स्तर
		पदस्थ अधि0 / कर्म0 को मूल वेतन का	तक
		50 प्रतिशत	
3	विशेष भत्ता	मूल वेतन का 50 प्रतिशत	एस.टी.एफ. में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी
			(कार्यपालिक) बल को मूल वेतन का 50
	- 10		प्रतिशत भत्ता। विशेष आसचना शाखा के अधि.
		मूल वेतन का 50 प्रतिशत	
			/कर्मचारियों को मूल वेतन का 50 प्रतिशत भत्ता।
		च्या रेगा स्वर्गात	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा में
4	विशेष जोखिम भत्ता	मूल वेतन का 50 प्रतिशत	तैनात बल को 50 प्रतिशत विशेष भत्ता।
	जाखिम मत्ता	मूल वेतन का 50 प्रतिशत	माननीय राज्यपाल महोदय की सुरक्षा में
		नूल परान का 50 प्रारासर	तैनात बल को 50 प्रतिशत विशेष भत्ता।
5	रिस्पॉस भत्ता	जिला पुलिस बल के थानों में पदस्थ	जिला पुलिस बल के थानों में पदस्थ
3	Tecality steel	आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को राशि	आरक्षक से निरीक्षक तक
1		रूपये 1000/- प्रतिमाह तथा सहायक	
	4 (62.5)	उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक	
	1	को राषि रूपये 1200/- प्रतिमाह ।	
6	गृहभाड़ा भत्ता		प्रदेश के सभी जिला इकाईयों को नगरों
		सी, श्रेणी के नगरों को ०६ प्रतिशत	का वर्गीकरण के आधार पर
	1- 1-1-1	अन्य क्षेत्र, श्रेणी के नगरों को 06	1
		प्रतिशत	
		दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों	
		हेतु 27 प्रतिशत	
			1840



7	I I	रुपये 1000 / — प्रतिमाह	बस्तर संभाग के 07 जिलों एवं जिला राजनांदगॉव के 09 थाना क्षेत्रों में कार्यरत्
	भत्ता		राजनादगाव के 09 थाना क्षेत्रा न कायरत्
			सहायक आरक्षकों हेतु स्वीकृत निश्चित
			यात्रा भत्ता।
8	राशन भत्ता	रुपये 2000 / - प्रतिमाह	जिला पुलिस बल, सहायक आरक्षक एवं
		•	गोपनीय सैनिकों को देय। (बस्तर संभाग
			के समस्त जिला एवं राजनांदगांव के 09
			थाना क्षेत्र)
	/		निरीक्षक से आरक्षक संवर्ग तक
	(नक्सल क्षेत्र	रुपये 650/— प्रतिमाह	(बलरामपुर, जशपुर एवं राजनांदगांव के
	में पदस्थ		(बलरामपुर, जशपुर एवं राजनावनाव क
	कर्मचारियों		शेष थाना क्षेत्र)
	को)	रुपये 2200 / – प्रतिमाह	स्पेशल टॉस्क फोर्स के पुलिस जवानों को
			देय।
9	वर्दी धुलाई	रुपये 60/- प्रतिमाह	आरक्षक / प्रधान आरक्षक संवर्ग तक
	भत्ता	रुपये 80/- प्रतिमाह	स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग तक
		रुपये 100/- प्रतिमाह	उ.पु.अ. से उ.म.नि. संवर्ग तक
	वर्दी	रुपये 800/-	स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग
	नवीनीकरण	रुपये 1500/-	उ.पु.अ. से उ.म.नि. तक
	अनुदान (तीन	( ) ( )	3
	वर्ष में)		
	प्रारंभिक वर्दी	रुपये 1000/-	स.उ.नि. से निरीक्षक संवर्ग
	अनुदान	रुपये 2000/-	च.पु.अ. से च.म.नि. तक
10	बस्तर भत्ता	चतुर्थ श्रेणी को रु. ३५०/-प्रतिमाह	बस्तर संभाग के शासकीय सेवकों हेतु
10	9000	तृतीय श्रेणी को रुपये 500/-प्रतिमाह	बस्तर भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
		प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी को रुपये	
		600 / — प्रतिमाह	
11	चिकित्सा	रुपये 200/- प्रतिमाह	निरीक्षक से आरक्षक संवर्ग तक के अधि.
	भत्ता		/कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रस्तुत
			विकल्प के आधार पर चिकित्सा भत्ता
	-		प्रदाय किया जा रहा है। अन्य अधि.
	14 - 4		/कर्मचारी जिन्होने विकल्प नही दिया है
			यथावत् चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधीन है।
		आरमोररी शाखा में पदस्थ आरक्षक को	आरमोररी शाखा में पदस्थ आरक्षक एवं
12	रायफल	अरिनाररा शाखा न पदस्य आरतक का	
	मेंटनेंस भत्ता		प्रधान आरक्षक का
1		को राशि रूपये 300/- प्रतिमाह की	
		दर से	
13	अनुसूचित	प्रथम श्रेणी को रू. 120 से 600 तक	अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कूर्मचारियों को
	क्षेत्र भत्ता	प्रतिमाह	अनुसूचित क्षेत्र भत्ता प्रदाय किया जा रहा
		द्वितीय श्रेणी को रू. 80 से 400 तक	है।
		प्रतिमाह	
		तृतीय श्रेणी को रू. 40 से 200 तक	1
		प्रतिमाह	
14	वाहन भत्ता	रुपये 100/- प्रतिमाह	राज्य के बी-1 एवं बी-2 श्रेणी के नगरों
14	416-1 4((1)	A 100/ NIGHT	के लिये (रायपुर एवं दुर्ग-भिलाई)
			पर लिय (रायपुर एव युग-गराव)



15	पौष्टिक	रुपये 100/- प्रतिमाह	आरक्षक से निरीक्षक संवर्ग तक
	आहार भत्ता		
16	नगर क्षतिपूर्ति	रू० ७५ प्रतिमाह	जिला-रायपुर एवं दुर्ग-भिलाई
	भत्ता	रू० ५०/- प्रतिमाह	जिला बिलासपुर एवं कोरबा

अन्य सुविधाएँ

-	 निःशुल्क भोजन की दर में वृद्धि	रुपये 70/- दैनिक व्यय सीमा	
_			



### प्रपत्र 'ब'

स.क.	संवर्ग	सातवे वेतनमान में वेत	न मैट्रिक्स एवं लेवल
		मैट्रिक्स लेवल	प्रारंभिक मूल वेतन
1	आरक्षक	4	19500
2	प्रधान आरक्षक	5	22400
3	सहा.उप निरीक्षक	6	25300
4	उप निरीक्षक	8	35400
5	निरीक्षक	9	38100
1	उप पुलिस अधीक्षक	12	56100
2	अति.पुलिस अधीक्षक	13	67300

टीप :– आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधि. / कर्मचारियों को वर्ष में 01 माह का वेतन अतिरिक्त दिया जाता है।



#### प्रपत्र-'स'

1.	पौष्टिक आहार भत्ता	प्रकियाधीन है।
2.	निःशुल्क भोजन मद की दरों में वृद्धि करने वावत्	प्रकियाधीन है।
3.	प्रशिक्षण भत्ता	प्रकियाधीन है।
4.	स्मार्ट डिवाईस भत्ता	प्रकियाधीन है।



## परिशिष्ट — नौ [ प्रश्न संख्या —18 (क्रं.—896) की जानकारी ]

जिला कार्यालय राजनांदगांव एवं खैरागढ़ में पदस्थ कर्मचारियों की जानकारी

प्रपत्र

जिला	क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थी दिनांक
	1	श्री विजय कुमार बांधे	लेखापाल	31.10.2022
	2	श्री डी.एल. चौधरी	वरिष्ठ सहायक	07.01.2022
	3	श्री राजेन्द्र उसेंडी	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	14.12.2023
	4	श्री नरेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक	26.03.2021
	5	श्री बसंत साहू	सहायक	26.03.2021
राजनंदगांव	6	सुश्री चिंतामणी देवांगन	सहायक	26.03.2021
राजनदगाप	7	श्रीमती डुमेश्वरी साहू	कनिष्ठ सहायक	14.06.2021
	8	श्रीमती पूनम बम्बोड़े	सहायक	17.03.2023
	9	श्रीमती लक्ष्मीदेवी बघेल	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	20.12.2022
	10	श्रीमती जागेश्वरी चंद्रवंशी	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	22.10.2019
	11	श्री नीरजं झा	कनिष्ठ सहायक	04.11.2020
	12	श्रीमती नीरू बारसागड़े	भृत्य	21.10.2022
	13	श्री सुनील कुमार साहू	प्रबंधक, सूचना प्रणाली	23.02.2023
	14	श्री जितेन्द्र कुमार साहू	सहायक	05.01.2023
<u> वै</u> रागढ़	15	श्री गौरव खेडपाण्डे	सहायक	31.10.2022
	16	श्री आलोक चंद्रवंशी	तकनीकी सहायक	18.11.2022
	17	श्री मुकेश बघेल	आकस्मिक किनष्ठ सहायक	31.10.2022

अनुभाग अधिकारी ख़ाद्य नागरिक आपूर्ति स्वं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, नदा रायपुर, अटल नगर

## परिशिष्ट—दस [ प्रश्न संख्या—10 (क्रं.—912) की जानकारी ]

Ю	वर्ष		वित्तरित वन	वित्तरित वन अधिकार पत्र			वितारित क	वितारित भूमि (हेक्टेयर मे)	
			व्यक्तिगत		सामुदायिक		व्यक्तिगत		सामुदायिक
		एसटी	ओटी एफडी	योग		एसटी	ओटी एफडी	योग	
1	2	3	4	5	9	7	æ	6	10
1	2008-09	145918	4410	150328	1140	129438.117	4599.254	134037.371	41757.844
2	2009-10	34106	633	34739	924	34327.858	626.466	34954.324	31389.521
3	2010-11	14350	1356	15706	859	9227.317	1347.934	10575.251	26940.794
4	2011-12	18067	440	18507	1021	15064.229	678.626	15742.855	17821.818
5	2012-13	57046	608	57855	2765	49135.737	761.967	49897.704	74021.567
9	2013-14	43839	4763	48602	1138	37286.617	4237.500	41524,117	35922.519
7	2014-15	15194	1116	16310	1000	13758.251	1179.066	14937.317	31934.763
8	2015-16	17791	2881	20672	6081	15976.108	2140.019	18116.127	190233.141
6	2016-17	11850	5106	16956	2638	7751.249	3551.492	11302.741	128524.832
10	2017-18	11954	9630	18584	4884	5194.712	3854.948	9049.660	164845.175
11	2018-19	4126	1318	5444	5790	2987.721	919.065	3906.786	206898.292
12	2019-20	11265	4857	16122	4040	28339.939	3503.319	31843.258	154371.632
13	2020-21	12715	6051	18766	16345	-19338.681	2269.702	-17068.979	721680.480
14	2021-22	4638	2812	7450	1411	3921.101	814.144	4735.245	156634.906
15	2022-23	9415	5921	15336	1327	7738.610	3205.068	10943.678	23446.300
16	2023-24 (दिनांक 15 जनवरी 2024 तक)	9666	7359	17355	2179	5939.922	2834.854	8774.776	76377.662
	योग	422270	56462	478732	49270	346748.807	36523.424	383272.231	2082801.246

अन्याप अधिकारी

अनुमाम साधकार। आदिम **आरि** तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रात्स्य, न**ना** रायपुर

प्रपत्र

# परिशिष्ट — ग्यारह [ प्रश्न संख्या—21 (क्रं.—961) की जानकारी ]

प्रपत्र जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र / निवास प्रमाण पत्र के शिकायतों के संबंध में विभागों से

			אול חושטוגו	नकारा	
सरल	विभाग का नाम	जनवरी, 2019 से	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023	कितने	की गई कार्यवाही
₩.		तक अधिकारी/	'कर्मचारियों के	शिकायतों की	
		निवास प्रमाण पत्र तथा जाति	मत्र तथा जाति	जांच की गई	
		प्रमाण पत्र के	संबंध में प्राप्त		
		शिकायत	ायत		
		निवास प्रमाण	जाति प्रमाण पत्र		
		দস			
01	सामान्य प्रशासन विभाग	निरंक	01	10	उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, कार्यालय आयक्त.
	(কম—2)				आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, द्वारा
					श्री आनंद कुमार मसीह, भाग्रसे (सी.जी. : 2013) के जाति प्रमाण
					पत्र को निरस्त किया गया है। श्री मसीह द्वारा उक्त आदेश के
					विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपूर में रिट याचिका दायर
					किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपूर ने आदेश
					दिनांक 10.05.2023 द्वारा समिति के आदेश दिनांक 27.02.2023 पर
					स्थगन लगाया है।
05	सामान्य प्रशासन विभाग	निरंक	01	01	कार्यवाही प्रकियाधीन
	(4/41—4)				
03	ऊजा विभाग	निरंक	02	02	01. श्री प्रकाश तलवार, प्रशासनिक अधिकारी
					(छ०ग०स्टे०पॉ०कं०लिमि०):- छानबीन समिति का आदेश विभाग को
					प्राप्त होने के पूर्व ही कर्मचारी श्री प्रकाश तलवार, प्रशासनिक
					अधिकारी (चालू प्रमार ) दिनांक 29.02.2020 को अर्घवार्षिकी आयु
					पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति हो गये हैं। सेवानिवृत्ति उपरांत उच्च
					स्तरीय छानबीन समिति के आदेश दिनांक 25.01.2020 की प्रति
					मुख्य अभियंता, रायपुर शहर क्षेत्र का दिनांक 14.08.2020 को प्राप्त
					हुई। श्री प्रकाश तलवार के विरुद्ध आरोप पत्र क्रमांक 47, दिनांक
					23.01.2017 जारी किया गया, जिसके विरुद्ध श्री प्रकाश तलवार
					द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष रिट पिटीश्रन
					(एस) 1642/2017 दायर किया गया है। जिस पर स्थगन आदेश
					दिनांक 07.04.2017 पारित करते हुए विभागीय कार्यवाही पर अंतिम
					आदेश पारित करने पर रोक लगाया गया है। यह भी अवगत

की गई कार्यवाही		कराया जाना है कि, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के तारतम्य में थाना प्रमारी गुढ़ियारी को एफआईआर दर्ज किए जाने हेतु कार्यपालक निदेशक (स.श.क्ष.) रायपुर के पत्र क्रमांक 9385, दिनांक 25.03.2022 द्वारा अनुरोध किया गया है।  02. श्रीमती भगवती सिंह तंवर, सहायक (छ०ग०स्टे०पॉ०कं०िलिमि०):—श्रीमती भगवती सिंह तंवर, कार्यालय— मुख्य अभियंता (जनरेशन, छ०ग०स्टे०पॉ०कं०िलिमि०, डी.एम.पी.सी., कोरबा पूर्व में कार्यरत है) श्रीमती भगवती सिंह तंवर द्वारा प्रस्तुत की गई तंवर छत्री, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र जिसे अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा जारी किया गया था, जिसे उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा दिनांक 02.09.2021 को निरस्त कर दिया गया है। श्रीमती तंवर का नियोजित भू—अर्जन के तहत पुनर्वास लाभ के रूप में किया गया है एवं नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु जाति संवर्ग से संबंधित कोई लाभ / छूट प्रदान नहीं की गई है। अतः श्रीमती भगवती सिंह तंवर को अनारक्षित वर्ग के कर्मवारी संवर्ग में शामिल कर लिया गया है।	01.         網 जीवन लाल मेहरा, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला, वेलाचुवा, वि.ख. सक्ती:— शिकायत निराधार पायी गई।           02.         श्री भोलाराम वर्मन, व्याख्याता(एल.बी.), शा.उ.मा.वि., गोरपार, वि.ख. खरसिया:— निलंबित           03.         श्री गोवर्धन डनसेना, सहायक ग्रेड—02, शा.उ.मा.वि., कोइपाली, वि.ख. पुसौरः— बर्खास्त (उच्च स्तरीय छानबीन समिति में प्रकरण विचाराधीन)           04.         श्री इन्द्रपाल भास्कर, सहायक शिक्षक(एल.बी.), प्राथ.शाला, शिकाटोला, वि.ख. डौण्डी:— न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन           05.         श्री अधनूराम कोटेन्द, शिक्षक(एल.बी.), शा.मा.शाला, बोरियाठेकेदारी:— न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन
कितने शिकायतों की जांच की गई			32
ो, 2019 से दिसम्बर, 2023 अधिकारी / कर्मचारियों के स प्रमाण पत्र तथा जाति ण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	जाति प्रमाण पत्र		32
जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	निवास प्रमाण पत्र		<u>निरंक</u>
विभाग का नाम			स्कूल शिक्षा विभाग
सरल क्र.			40

की गई कार्यवाही				06. श्रीमती थनवारिन कोटेन्द्र, शिक्षक(एल.वी.), शा.मा.शाला, व्यक्तिमारकेत्मक्षे. न्यामात्रम में पक्ष्ण निमाणक्षीन	अस्याराः निवासन्य निवासन्य निवासन्य । श्री रोहित कुमार पाटकर, प्राचार्य, शा.उ.मा.वि., तरपोंगी, तेल्दाः— बर्खास्त	श्रीमती आशा बौधरी, प्राचार्य, शा. महारानी लक्ष्मी बाई	3.मा.वि., जशपुरः- बर्खास्त ०१ ===क्रांत्र मतमत्र आस्त्रामानामान्त्रती भारतमानि	त्रतार, व्याख्याता(रुल:बा.), ता.७.ना.ाय., त्रवारः– बर्ग्वास्त	त्वरूर चन्द्रास्त गद्, व्याख्याता(एल.बी.), शा.उ.मा.वि., कलचा,		आासक कुमार ठाकुर, प्रधान पाठक, प्राथ. शाला वि.ख. कोण्टा:– बर्खास्त (न्यायालय में प्रकरण		12. श्री सलवम गिरीश, प्रधान पाठक, बालक आश्रम, इंजरम, के क क्रोगक्त, बार्कान्य से गरूउण विज्ञायक्षीन)	श्रीमती सलवम गीता, प्रधान पाठक, प्राथ. शाला पटेलपारा,	वि.ख. कोण्टा:– बर्खास्त (न्यायालय में प्रकरण	TOTAL	नाठम,		श्री पीकला राम कश्यप, प्रधान पाठक, प्राथ. शाला, परिया,	मेवृत्त	श्री साधुराम नाग, प्रधान पाठक, प्राथ. शाला, नालामङ्गू:– नहीं पाठी गई	श्री बी. सुंशीला, सहायक शिक्षक(एल.बी.), न. बालक आश्रम,	- जाति सही पायी गई श्री सेमल वीर बाबू, प्रधान पाठक, प्राथ. शाला, कन्नापारा
कितने	शिकायतों की जांच की गई			06. श्रीमती थनवा होरियादेकेंद्राप्तेः स्था	भारपाठअभाराः नाय 07. श्री रोहित कुम विख तिल्दाः— बर्खास्त	08. श्रीमती आशा	ᆏ	. जा व"द्रयगत प्रसाद, प्या बह्मग्रमा निज्य जनगदलपञ्⊸ बश्वस्थिन	10. श्री कांति प्रसाद,	जगद	11. श्रा आसिक मलपल्ली, वि.ख. ं	विचाराधीन)	12. श्री सलवम नि	13. श्रीमती सलव	फंदीगुड़ा, वि.ख. व	विचाराधीन)	<b>14.</b> श्रानता परल धावडामाटा विख		15. श्री पीकला र	ज	16. श्री साधुराम न जाति सही पायी गर्ड	17. श्री बी. सुंशील	इंजरमः— जाति सही पायी गई 18. श्री सेमल वीर बाबू उ
जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023	अधिकारी / कर्मचारियों के स प्रमाण पत्र तथा जाति	संबंध में प्राप्त ायत	जाति प्रमाण पत्र																				
जनवरी, 2019 से	तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति	प्रमाण पत्र के संबंध शिकायत	निवास प्रमाण पत्र															8					
विभाग का नाम																							
सरल	₩.																						

क्र.	विभाग का नाम	जनवरी, 2019 से तक अधिकारी / निवास प्रमाण । प्रमाण पत्र के शिक	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	कितने शिकायतों की जांच की गई	की गई कार्यवाही
		निवास प्रमाण पत्र	जाति प्रमाण पत्र		
					मनीकोण्टा:— जाति सही पायी गई 19. श्री मड़कम शंकर, व्याख्याता(एल.बी.), शास. हाईस्कूल, डुब्बाटोटा:— जाति सही पायी गई 20. श्री के. अंजी बाबू सहायक ग्रेड—02, शा.उ.मा.वि., जगरगुण्डा:— जाति सही पायी गई 21. श्री मड़कम साहेब, शिक्षक(एल.बी.) बालक आश्रम वि., कोण्टा(पोटाकेबिन):— जाति सही पायी गई अन्य 11 प्रकरण प्रकियाधीन है
05	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	10	90	20	केए गए एवं
90	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01	01	02	निवास प्रमाण पत्र जांच में सही पाया गया। जाति प्रमाण पत्र जांच में गलत पाया गया। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर से कार्यवाही पर स्थगन जारी हुआ है।
20	वन एवं जलवायु परिवर्तन विमाग	90	10	02	जाति प्रमाण पत्र के संबंध में:-  01. शीमती गणेशी ठाकुर, तत्का. वनरक्षक, वर्तमान में वनपाल, बस्तर वनमण्डल जगदलपुर की जाति फर्जी पाये जाने के फलस्वरूप मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त के आदेश क्र.77, दिनांक 22.03.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से पृथक(बर्खास्त) किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा गणेशी ठाकुर, वनपाल के प्रकरण क्र. डब्ल्यूपी.एस. 2092/2022 में दिनांक 29.03.2022 को मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने से पूर्व बचाव हेतु अपना पक्ष रखने के पत्र दिनांक 10.03.2022 पर बिना न्यायालय के अनुमित के अंतिम आदेश पारित करने से रोका गया।
					निवास प्रमाण पत्र के संबंध में:- 01 श्री पवन कुमार धुव, भारी वाहन वालक, दन्तेवाड़ा

की गई कार्यवाही		वनमण्डल:— वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा द्वारा निवास प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री पवन कुमार धुव, भारी वाहन चालक का निवास प्रमाण पत्र विधिवत् जारी किया जाना पाया गया।  02. श्री प्रिंसिपाल सिंह दर्री, वनरक्षक, दन्तेवाड़ा वनमण्डल:— वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा द्वारा निवास प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री प्रिंसिपाल सिंह दर्री, वनरक्षक का निवास प्रमाण पत्र विधिवत् जारी किया जाना पाया गया।  03. श्री गिरीश राम खुंटे, वनरक्षक, दन्तेवाड़ा वनमण्डल:— श्री गिरीश राम खुंटे, वनरक्षक का निवास प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कार्यवाही प्रगति पर है।  04. श्री शिवशंकर साह, वनरक्षक, बीजापुर वनमण्डल:— वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर द्वारा निवास प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत की प्राथमिक जांच किया गया। जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री शिवशंकर साह, वनरक्षक का निवास प्रमाण पत्र विधिवत् जारी किया जाना पाया गया।	शिकायत जांच में सही नहीं पायी गई। अतः कार्यवाही निरंक है।	03 शिकायत पूर्ण कर ली गई है तथा 10 शिकायतें प्रकियाधीन हैं।	01.श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, प्रधान पाठक, माशा बरियो, वि.ख. सूरजपुर:— शिकायत पत्र ब्यूरों के पत्र क्र. जी—117, दिनांक 28.03. 2019 को जिला शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर, रामानुजगंज को मूलत: आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 02.श्री समयाल कांछी, मैकेनिक, छ.ग. बायोपयूल विकास प्राधिकरण:— शिकायत पत्र ब्यूरों के पत्र क्र. जी—4343, दिनांक 06.08.2019 को सिवव, छ.ग. शासन, ऊर्जा विभाग को मूलत:
कितने शिकायतों की जांच की गई			01	13	10
ं दिसम्बर, 2023 'कर्मचारियों के गत्र तथा जाति संबंध में प्राप्त यत	जाति प्रमाण पत्र		01	11	10
जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	निवास प्रमाण पत्र		निरंक	02	निरं <i>क</i>
विभाग का नाम			जेल विभाग	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-7)
सरल क्र.			80	60	10

की गई कार्यवाही			आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  03.श्री सुशील कुमार इंदुरकर, प्राध्यापक, पंठ रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर:— शिकायत पत्र ब्यूरो के पत्र क्र. जी—4334, दिनांक 06.08.2019 को सविव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन को मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  04.श्री यूनुस सुफी, एफ.सी.आई. डोंगरगढ़:— शिकायत पत्र ब्यूरो के पत्र क्र. पी—5936, दिनांक 07.09.2019 को पुलिस अधिक्रक, रायपुर को मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  05.कु. संस्कृति जोसफ, प्राध्यापक, पंठ रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर :— शिकायत पत्र ब्यूरो के पत्र क्र. पी—2321, दिनांक 15.02.2021 को पुलिस अधिक्षक, रायपुर को मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  06.श्री पंकज पादरी, रोमन कैशोलिक चर्च, ग्राम मनसेर, रानिम सीपतः :— शिकायत पत्र ब्यूरो के पत्र क्र. एम—9302, दिनांक 03.09.2021 को कार्यवाही हेतु प्रेषित।  07.श्री शिकायत पत्र ब्यूरो के पत्र क्र. जी—9285, दिनांक 03.09.2021 को सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन को मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  08.श्री गंगा सिंह धोबी, पूजीपथरा, रायगढ़ :— शिकायत पत्र ब्यूरो के पत्र क्र. एम—11678, दिनांक 08.11.2021 को कलेक्टर, जिला रायगढ़ प्रेषित क्राविद्ध किया।  08.श्री गंगा सिंह धोबी, पूजीपथरा, रायगढ़ :— शिकायत पत्र ब्यूरो के पत्र क्र. एम—11678, दिनांक 14.07.2022 को नस्तीबद्ध किया गया।  09.श्री ए. अमीन, आई.टी. सलाहकार, ठा. प्यारेलाल पंचायत एवं यागन, प्रामण विकास संस्थान, निमोरा एवं उनकी पत्ती श्रीमती देवांनन,	जे. योगानंदम छ.ग. महाविद्यालयः- शिकायत पत्र ब्यूरो के पत्र क्र.
कितने शिकायतों की जांच की गई				
1, 2019 से दिसम्बर, 2023 अधिकारी / कर्मचारियों के स प्रमाण पत्र तथा जाति	संबंध में प्राप्त ायत	जाति प्रमाण पत्र		
जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति	प्रमाण पत्र के संबं शिकायत	निवास प्रमाण पत्र		
विभाग का नाम		ž -		
सरल क्र.		×		

की गई कार्यवाही				12824, दिनांक 14.12.2021 को सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं	ग्रामीण विकास विभाग का मूलतः प्राषत। <b>01 प्रकरण लंबित है</b>	प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	01.श्री शैलेष चन्द्रा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी:- शिकायत की	जांच उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कायांलय, आयुक्त	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा की जा	रही है, जिस पर निर्णय अपेक्षित है। जांच निर्णय प्राप्त होने पर	कार्यवाही की जावेगी।	02.श्रीमती नमीता दास, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी:- उच्च	स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कार्यालय, आयुक्त आदिम	जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेश क./छा.स.	/एस.सी. / 38 / 2006 / 790, दिनांक 23.03.2019 द्वारा प्रमाण पत्र	निरस्त किया गया। श्रीमती नमीता दास द्वारा शिकायत के पूर्व ही	दायर याचिका के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के	आदेश दिनांक 22.04.2019 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया।	03.श्री एस.के. डोंगरे, सहायक कृषि अभियंता:— संचालनालय कृषि	के पत्र क./अ-7-ब/शिका./ 1-24/57, दिनांक 19.01.2024	द्वारा कृषि अभियंता रायपुर से संबंधित की जाति प्रमाण पत्र	सत्यापन हेत् भर्ती के समय प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र, प्रथम नियुक्ति	आदेश तथा सेवा पुरितका के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति	चाहा गया है। उक्त वांछित अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण उच्च	स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कार्यालय, आयुक्त आदिम	ास विभाग को भेउ	04.डॉ. दुष्यंत कुमार कौशिक, सहायक प्राध्यापक (कीटविज्ञान):-	सहायक प्राध्यापक (कीटविज्ञान) के पद हेतु आयोजित साक्षात्कार	दिनांक 12.07.2023 में डॉ. दुष्यत कुमार काशिक उपास्थत हुए थ।
कितने शिकायतों की	जांच की गई					02	04																						
जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के	पत्र तथा जाति संबंध में प्राप्त सम्ब	जाति प्रमाण पत्र				02	04																						
जनवरी, 2019 से तक अधिकारी /	निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त षिक्सायत	निवास प्रमाण	ня			निरंक	निरंक																						
विभाग का नाम						सहकारिता विभाग	कृषि विकास एवं किसान	कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी	विभाग																			**	
सरल क्र.						-	12																						

सरल	विभाग का नाम	जनवरी, 2019 से	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023	कितने	की गई कार्यवाही
<del> 6</del>		तक अधिकारी,	तक अधिकारी / कर्मचारियों के	शिकायतों की	
		निवास प्रमाण	निवास प्रमाण पत्र तथा जाति	जांच की गई	
		प्रमाण पत्र के	प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त <sub>विकासन</sub>		
	1	אוא אוא	ואנו		
		निवास प्रमाण पत्र	जाति प्रमाण पत्र		
					उनका ओ.बी.सी. सर्टिफिकेट का सत्यापन नहीं हुआ है। यह शिकायत प्राप्त हुई है। उपरोक्त शिकायत की जांच हेतु एक समिति गठित की गई। जांच समिति के अनुसार डॉ. दुष्यंत कुमार कौशिक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर डॉ कोशिक के ओबीसी सर्टिफिकेट का सत्यापन उत्त्व स्तरीय
ě				q	छानबीन समिति, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा सत्यापन प्रमाणपत्र सरल क्र. सी / 107519. दिनांक
					म्मागीय अधिकारी, अनुभाग स्थायी सामाजिक प्रास्थिति
					पत्र क. लो.से.के.स.क. / 814 / 2018–19, दिनांक 13.12.2019 जारी किया गया है।
13	वाणिज्यिक कर विभाग	निरंक	03	03	जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत के 02 प्रकरण में
	Y				दाना कमचाारया क आकारमक निधन हा जान के उपरात जाच की कार्यवाही समाप्त की गई है, तथा 01 प्रकरण में संबंधित कर्मचारी
					के जाति से संबंधित प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाकर सत्यापन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को पत्र
*	The same of the sa		3		जारी किया गया है। जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
4	आदन जात तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	444	61	61	प्राप्त शिकायता म स 23 शिकायता प्रकरणा का जांच का गड़ है। जिनमें से 06 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र सही पाये गये, 04
					अधिकारी / कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया, 01 कर्मचारी
					की पश्चन राकन एव सवाानद्यात्त पर दय अन्य स्वत्व लाभ नहां दन का दण्ड अधिरोपित किया गया, 02 कर्मचारियों के निधन होने के
					कारण कार्यवाही नहीं की गई, 05 प्रकरणों में माननीय छ ग. उच्च
					न्यायालय बिलासपुर से स्थागन आदेश प्राप्त है एवं 05 प्रकरणों में नियागरें से जनकक्षी श्लोधन है। तस मन्दर्य ६५
					त आत्रकारा जनावार है। इस अन्तर १/कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र की प्राप्त शिकायतों
					से 23 प्रकरणों की जांच की गई, शेष 38 प्रकरणों में से 03 प्रकरणों

H H H	विभाग का नाम	जनवरी 2019 र	मे दिसम्बर 2023	कितने	की गर्ह कार्यवासे
<del> 6</del>		तक अधिकारी,	तक अधिकारी / कर्मचारियों के	<b>€</b>	מונים מו
		निवास प्रमाण	पत्र तथा जाति	जांच की गई	
		प्रमाण पत्र के शिव	ा के संबंध में प्राप्त शिकायत		
		निवास प्रमाण पत्र	जाति प्रमाण पत्र		
					को म.प्र. राज्य को हस्तांतरित किया गया तथा ३६ प्रकरण छानबीन समिति के स्तर पर जांच हेत पकियाधीन है।
+	चिकित्सा शिक्षा विभाग	निरंक	90	90	फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त कुल 06 प्रकरणों में से ०२ पकरणों (०४ शीमती ममता नागक सनगर पारणात्र
					नर्सिंग महाविद्यालय राजनांदगांव ೧२ श्रीमती नीलम पाल सहायक
					प्राध्यापक, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपर) में उच्च स्तरीय
					छानबीन के पारित आदेश अनुसार संबंधितों के जाति प्रमाण पत्र व
					वैधानिकता प्रमाणित पाई गई है एवं 02 प्रकरणों (01 श्रीमती वर्षा
					गुर्देकर, प्रदर्शक, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपूर, 02. श्रीमती
					वीणा डेविड, प्रदर्शक, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपुर)
					उच्च स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष जांच प्रचलन में हैं। अन्य
					02 प्रकरणों में में उच्च स्तरीय छानबीन समिति की जांच के पश्चात
					चिकित्सा शिक्षा के आदेश क्र. एफ 3-46/2019/नौ/पचपन-4,
					दिनांक 23.10.2019 द्वारा डॉ. उल्हास गोन्नाडे, सहायक प्राध्यापक,
					फोरेंसिक मेडिसीन विभाग, सिम्स बिलासपुर के हत्बा जाति प्रमाण
					पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा निरस्त
					किए जान के कारण इनकी संवाए तत्काल प्रभाव से समाप्त की
					गई। तत्पश्चात डॉ. उल्हास गोन्नाडे द्वारा शासन द्वारा सेवा समाप्ति
					के आदश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका
					क. डब्ल्यू पी (एस) 8761/2019 में दायर कर दिनांक 23.10.2019
					नि प्राप्त किया गया है। उच्च स्तरीय छानबीन
					श्रामता वदना खापड, लब टक्नाशियन, शा. दत्त ाचाकत्सा
					महाविद्यालय, रायपुर के महार, अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र
					निरस्त किए जाने की सूचना प्राप्त होने उपरांत नियोक्ताकर्ता संस्थ
					शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
					श्रीमती वंदना खापडें के विरूद्ध जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने
					उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतू संचालनालय के पत्र

म्र	विभाग का नाम	जनवरी, 2019 र तक अधिकारी,	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के	कितने शिकायतों की	की गई कार्यवाही
		निवास प्रमाण	निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के अंबंध में गान	जांच की गई	
		भू ५५ पुर शिव	शिकायत		
		निवास प्रमाण	जाति प्रमाण पत्र		
		<u>r</u>			क./1135/वि०स0/संचिशि/2024, रायपुर दिनांक 26.01.2024 हारा लेख किया है।
16	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	निरंक	10	70	अरा राज प्रयोग है। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कार्यालय, नवा रायपुर अटलनगर के आदेश क्र./छास/अजा/2018/2021/486, दिनांक 03.01.2023 द्वारा प्रस्तुत "बंजारा" अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है एवं विभागीय आदेश दिनांक 19.06.2023 के द्वारा पेंशन रोकने एवं सेवानिवृत्ति पर देय अन्य स्वत्व का भुगतान नहीं किए जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया
17	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विमाग	निरंक	10	01	ह। जिला रायपुर में पदस्थ श्रीमती पवित्रा अहिरवार, सहायक खाद्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च स्तरीय छानबीन समिति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यवाही लंबित हैं, क्योंकि उक्त प्रकरण माननीय उच्च त्यायात्वय में त्यतित है।
82	जल संसाधन विभाग	निरंक	05	05	01.श्री भगवती प्रसाद वर्मा, सहायक अभियंता:— सेवा समाप्त 02.श्री जितेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता:— सेवा समाप्त 03.श्री मधुकर कुम्मारे, सहायक ग्रेड—2:— सेवा समाप्त 04.श्री महेश हंडाऊ, कार्यपालन अभियंता:— सेवा समाप्त 05. श्री लाल बहादुर शाह, कार्यपालन अभियंता:— अपचारी की सेवा समाप्त करने बाबत् प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। मान० छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा डब्ल्यू, पी. एस. 1442/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 में आगामी सुनवाई की तिथि तक कोई Coercive Steps न उठाए जाने के
19	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	निरंक	02	02	प्राप्त 02 शिकायतों में से 01 अधिकारी श्री कविराज पैकरा, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षक करारोपड़ अधिकारी, जनपद पंचायत दुलदुला जिला जशपुर के विरूद्ध जांच प्रकियाधीन है तथा 01 अन्य प्रकरण में श्री अनिल कुमार, सहायक परियोजना अधिकारी

क.	विभाग का नाम	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 202 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	कितने शिकायतों की जांच की गई	की गई कार्यवाही
	-	निवास प्रमाण पत्र	जाति प्रमाण पत्र		
					के विरुद्ध जांच हेतु विभागीय पत्र क्र. 3456/आर 704/2021/22–2, दिनांक 14.09.2021 द्वारा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति एवं संचालक, आ.जा. तथा अनु.जा. विकास, इन्द्रावती भवन को प्रेषित किया गया है। जांच प्रतिवेदन आज दिनांक तक अपेक्षित है।
20	वित्त विभाग	निरंक	10	10	श्री द्वारिका प्रसाद, सहायक ग्रेड—1 को संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, के आदेश क./टीसीएस स्था./2024/6270, दिनांक 29.01.2024 के द्वारा पदच्युत किया गया।
21	लोक निर्माण विभाग	निरंक	20	20	छ.ग. शासन आदिन जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्र. एफ 06—04/2024/25—2, दिनांक निरंक के साथ संलग्न उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन सिमित द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में जांच किए गए अधिकारी/कर्मचारियों के प्रकरणों की सूची के सरल क्र. 70 में श्री अश्वनी कुमार पटेल, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग के अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 24.11.2023 की निरस्त करने का उल्लेख है। सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन सिमित, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथ अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्र. / छास/अजा/181/2017/199, दि० 07.07. 2020 एवं पत्र क्र. / छास/अजा/181/2017/795, दि० 12.03. 2021 के अनुसार श्री अश्विवनी कुमार पटेल, सहायक अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही को कारण बताओ सूचना जारी की गई है।
22	ग्रामोद्याग विभाग	<del>ا</del> ۲۲ <i>Φ</i>	83	80	01.अमिह्यां संवालनालयं, हाथकरवा अमानः— 02 आवयारा था आर. सेन्द्रे के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य किया गया है, जिस पर कार्यवाही हेतु आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विमाग से परामर्श/सहमति वाही गई है जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

विभाग का नाम	जनवरी, 2019 <sup>र</sup> तक अधिकारी निवास प्रमाण	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति	कितने शिकायतों की जांच की गई	की गई कार्यवाही
	प्रमाण पत्र के शिव	के संबंध में प्राप्त शिकायत	<b>,</b>	
	निवास प्रमाण पत्र	जाति प्रमाण पत्र		
				उच्च स्तरीय छानबीन समिति छ.ग., रायपुर द्वारा 01 अधिकारी श्री राजू कोल्हे के जाति प्रमाण पत्र की जांच संबंधी प्रकरण पर उच्च स्तरीय छानबीन समिति म.प्र., भोपाल को हस्तांतरित किया गया है, जिस पर निर्णय अपेक्षित है।
				02.छ.ग. हस्ताशिल्प विकास बोर्डः– श्री अनिरुद्ध कोचे, प्रबंधक के जाति प्रमाण पत्र के विरुद्ध उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया
				के विरूद्ध श्री कोचे द्वारा मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्र. डब्ल्यू पी सी 1593/2021 दायर की गई जिसमें मान.
				उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा स्थगन प्रदाय किया गया है। नियमानुसार स्थगन हटाए जाने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा मान. उच्च सागालय विज्ञास्त्रय में मिरुग्गतीन है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	निरंक	04	04	01.उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनसचित जाति विकास विभाग का पत्र क
				385/छास/अजजा/प्र.क./200/2007, दिनांक 04.07.2019 द्वारा श्री भोलाराम कीर अधीक्षक संचालनालय नगरीय प्रणायन गर्न
				सि विभाग के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया। र श के विरुद्ध श्री भोलाराम कीर दारा मान उच्च न्यायात्तर
				याचिका दायर की गयी। जिस पर मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक २१ ०७ २०५० दारा गानिकाकर्ता के विक्र.न धमनी सन्तार्न
				तिथि से पूर्व कोई भी अग्रिम कार्यवाही नहीं किए जाने का आदेश
				पारित किया गया है। तत्त्पश्चात संचालनालय के पत्र क्र. 10825, दिनांक २०,००,००,० दाया श्री भोलाणम त्रीय अशीकक के जन्म
				के संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु शासन से मार
				चाहा गया। शासन के आदेश क्र. एफ 10-153/2019/18,
				दनाक 13.08.2019 द्वारा १२ट पिटाशन (एस) क. 5604 / 2019 द्वारा श्री भोलाराम कीर वि० छ.ग. शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक
				क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रभारी

की गई कार्यवाही		अधिकार। नियुक्त किया गया। प्रभार। आविकार। द्वारा उद्यंत प्रकरण में दिनांक 13.11.2019 को जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।  02.उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानवीन समिति कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का पत्र क. /छास /अजजा / 200 / 2007 / 949 / 4987, दिनांक 04.10.2019 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2019 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद मीणा, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री जगदीश प्रसाद मीणा हारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी। जिस पर मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2019 को स्थगन आदेश परित किया गया है। तत्पश्चात संचालनालय के पत्र क. 855, दिनांक 12.02.2020 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद मीणा अधीक्षक के उक्त प्रकरण के संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु शासन से मार्गदर्शन चाहा गया। शासन के आदेश क. एफ 10–287 / 2019 / 18, दिनांक 28.12.2019 द्वारा सिट विटीशन (सी) क. 4538 / 2019 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद मीणा वि० छ.ग. शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर को प्रमारी अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रमारी	अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 14.11.2020 को जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।  03.श्री पद्मभूषण काशी, संयुक्त संघालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संघालनालय का प्रकरण मान. हाईकोर्ट से स्थगन प्राप्त है।  04.श्री वासुदेव चौहान, संयुक्त संघालक, क्षेत्रीय कार्यालय न.प्र.वि., अंबिकापुर का प्रकरण मान. हाईकोर्ट से स्थगन प्राप्त है।
कितने शिकायतों की जांच की गई			
दिसम्बर, 2023 'कर्मचारियों के गत्र तथा जाति संबंध में प्राप्त ।यत	जाति प्रमाण पत्र		
जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	निवास प्रमाण पत्र		,
विभाग का नाम			
सरल क्र.			

विभाग का नाम	जनवरी, 2019	से दिसम्बर, 2023		का गई कायवाहा
	तक अधिकारी,	/कर्मचारियों के	शिकायतों की	
	निवास प्रमाण	पत्र तथा जाति	जांच की गई	
	प्रमाण पत्र के	प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त		
	शिव	शिकायत		
	निवास प्रमाण	जाति प्रमाण पत्र		
	ਮੁ			
पशुधन विकास विभाग	निरंक	05	90	01.श्रीमती कल्पना लिखार, सहा0 ग्रेड–01, संचालनालय पशु विकित्सा सेवाये:– एलेक्स पाल मेनन, सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के आदेश क्र./छास/एस.टी.
				/589/2019, दिनांक 10.04.2019 के द्वारा तत्काल प्रभाव से
				पदच्युत किया गया है।
				02.श्रो बाबू राव पात्रे, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, जिला
				राजनांदगांव:— उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के आदेश
				क. 436/छास/अजना/प्र.क.271/2008, अटल नगर नवा ১ ন নিন্দু নিন্দু নিন্দু নিন্দু নি
				<del>§</del> 1
				जाति प्रमाण पत्र का निरस्त किया भवा हे गात्रेस के ६७०४ किया /िक्षाचा / हि९० / २०
			į	संचालनालय क आदश क. 6/01/14.जा./ १४.जा./ २०७/ २०१९, दिनांक २६०९ २०१९ के द्रारा तत्काल प्रभाव से पदच्यत किया गया
				70
				बिलासपुर:- उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कार्यालय
				आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के आदेश क.
				छास/अजा/117/2010/525, दिनांक 04.01.2024 के द्वारा
				संबंधित का 'महार' अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र को
				निरस्त किया गया है। उक्त आदेश संचालनालय में 29.01.2024
				को प्राप्त हुआ है, अतः प्रकरण परीक्षणाधीन है। अद्यतन स्थिति यह
				है कि संबंधित कर्मचारी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक
				31.08.2017 को सेवानिवृत्ति हो चुके हैं।
				04.कु. पार्वती राय, सहायक ग्रेड-3:- उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण
				छानबीन समिति के आदेश क्र. 670/छास/अजजा/297/2008,
				दिनांक 21.08.2019 के द्वारा संबंधित का 'गोंड़' अनुसूचित जनजाति

की गई कार्यवाही		का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। मान. उच्च न्यायालय, विलासपुर के समक्ष दायर रिट पिटीशन डब्ल्यू,पी.सी. नं 3097 / 2019 छ.ग. व अन्य अंतर्गत मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2019 द्वारा स्थागनादेश प्रदाय किया गया।  05.कृ. पत्लवी मेश्राम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, जिला राजनांदगांवः— एलेक्स पाल मेनन, सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के आदेश के छास / एससी / 165 / 2014 / 2019 / 785, दिनांक 15.03.2019 के द्वारा संबंधित का महार अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। मान. उच्च न्यायालय, विलासपुर के समक्ष दायर रिट पिटीशन डब्ल्यू,पी.एस. नं 3045 / 2019 छ.ग. व अन्य अंतर्गत मान. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2019 द्वारा स्थानादेश प्रदाय किया गया।	ा में 01 प्रकरण में जांच वं 01 प्रकरण में जांच प्र में 15 प्रकरणों में व समिति आदेवासी विक रण कार्यवाही प्रक्रियाधी यालय में दर्ज याचिका प्रालय में दर्ज याचिका विका गया है। मामला बीन समिति कार्यालय स्वान्ति भवना विकास इंद्रावती भवना	05 जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में से 02 प्रकरण नस्तीबद्ध, 01 अप्रमाणित, 02 प्रकरणों पर जांच जारी है, 04 जाति प्रमाण पत्र प्रकरण में से 01 प्रकरण नस्तीबद्ध, 01 प्रमाणित एवं 02 में जांच
कितने शिकायतों की जांच की गई			&	60
। दिसम्बर, 2023 / कर्मचारियों के पत्र तथा जाति संबंध में प्राप्त ायत	जाति प्रमाण पत्र		16	09
जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023 तक अधिकारी / कर्मचारियों के निवास प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	निवास प्रमाण पत्र		20	04
विभाग का नाम			उच्च शिक्षा विभाग	गृह (पुलिस) विभाग
क.			25	26

सरल	विभाग का नाम	जनवरी, 2019 र	जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2023	कितने	की गई कार्यवाही
18		तक अधिकारी,	तक अधिकारी / कर्मचारियों के	शिकायतों की	
		निवास प्रमाण	पत्र तथा जाति	जांच की गई	
		प्रमाण पत्र के	संबंध में प्राप्त		
		शिव	शिकायत		
		निवास प्रमाण	जाति प्रमाण पत्र		
		पत्र			
					जारी है।
27	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-5)	निरंक	01	01	छानबीन समिति से प्रकरण के संबंध में आज दिनांक तक किसी प्रकार का आदेश /मिर्देश / जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।
28	खनिज साधन विभाग	निरंक	01	01	
29	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
30	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
31	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
32	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-9)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
33	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष—10) अधी.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
34	सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
35	सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
36	संसदीय कार्य विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
37	श्रम विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
38	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
39	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
40	पर्यटन विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
41	संस्कृति विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
42	विमानन विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
43	जन शिकायत निवारण विभाग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

	निवास प्रमाण पत्र तथा जाति जांच की गई प्रमाण पत्र के संबंध में प्राप्त शिकायत	ण जाति प्रमाण पत्र	निरंक निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक निरंक	निरंक	निरंक निरंक	निरंक निरंक	निरंक निरंक			निरंक	निरंक	निरंक		निरंक निरंक	
जनवरी, 20 तक अधिव	निवास प्र प्रमाण प्र	निवास प्रमाण पत्र	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
विभाग का नाम			सार्वजनिक उपकम विभाग	विधि और विधायी कार्य विभाग	परिवहन विभाग	वणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	जनसंपर्क विभाग	इले0 एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	बीस सूत्रीय कार्यकम क्रियान्वयन विभाग	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	मछली पालन विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	समाज कल्याण विभाग	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	आवास एवं पर्यावरण विभाग	चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग	
सरल क्र.			44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	

द्रमुंबाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-3, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रामपुर

## परिशिष्ट–बारह [ प्रश्न संख्या—22 (क्रं.—1059) की जानकारी ]

धमतरी जिले में कार्यरत एन.जी.ओ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ

The second second		
रिमाक	7	जनपद पंचायत मगरलोढ — भहंदी कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—14) भरदा कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—13) सिगपुर कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—10) हारा की गई है। संबंधित परियोजना क्षेत्र में मानव करेलीबडी कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—13) मंसाधन (मनरेगा एवं क्रियान्वयन एजेंसी) के कर्मियों को जनपद पंचायत कुरूद — ग्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता है। मंदरौद कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—14) मंदरौद कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या— 06) इस प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा एन.जी.ओ को कोई मंदरौद कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या— 06) इस प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा एन.जी.ओ को कोई सी राशि नहीं दी जाती। उन्हें बी.आर.एल.एफ नई दिल्ली तथा एक्सीस बैंक फाउंडेश्वन, मुबंई द्वारा आबंटन प्रदाय
्रन.जी.ओ द्वारा किये गये प्रशिक्षण कार्य स्थल का नाम	9	जनपद पंचायत मगरलोड – मोहंदी कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—14) भरदा कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—13) सिंगपुर कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—10) करेलीबडी कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—13) जनपद पंचायत कुरूद – नारी कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—14) मंदरौद कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या— 06)
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये कार्य हेतु भुगतान की राशि	5	1
कार्यरत एन.जी.ओ. एन.जी.ओ. द्वारा किये जा का नाम रहे कार्य का नाम	4	हाई इम्पेक्ट मेगा वॉटर शेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य
कार्यस्त एन.जी.ओ.	3	एग्रोक्रेट्स सोसायटी फॉर जरल डेव्हलपमेंट (ASORD)
वर्ष	2	महास्मागांधी नरेगा 1 2021-22 क्
ki	1	1



ab:		m कार्यों के II जाता 1.औ. 1नेयों को किया को कोई है दिल्ली			
रेमाक	7	उक्त संस्था के द्वारा मनरेगा योजना में अनुमेय कार्यो के कियान्यन हेतु प्लानिंग प्रकिया में सहयोग किया जाता है। उक्त हेतु प्लानिंग प्रकिया में सहयोग किया जाता द्वारा की गई है। संबंधित परियोजना क्षेत्र में मानव संसाधन (मनरेगा एवं क्रियान्यन एजेंसीद्ध के कर्मियों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता है। इस प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा एन.जी.ओ को कोई स्म प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा एन.जी.ओ को कोई भी राशि नही दी जाती। उन्हे बी.आर.एल.एफ नई दिल्ली तथा एक्सीस बैंक फाउंडेश्म, मुबंई द्वारा आबंटन प्रदाय किया जाता है।			राज्य कायालय द्वारा गर—ावत्ताय अनुबध् <b>(एम.ओ.यू.)</b> किया गया है।
एन.जी.ओ द्वारा किये गये प्रशिक्षण कार्य स्थात का नाम	9	जनपद पंचायत मगरलोड —  जक्त संस्था के द्वारा मनरेगा योजना में अनुमेय कार्यो के मोहंदी कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—13) संसाप्त कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—13) संसाधन कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—13) अनम्पद पंचायत कुरूद —  जनपद पंचायत कुरूद —  जाता है। अन्तर्य कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—14) मंदरौद कलस्टर, (ग्राम पंचायत की संख्या—14) संसाधन अंबंधन कार्यो हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता है। संसाधन पंचायत कुरुत —  जाता है। संसाधन प्रबंधन कार्यो हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता है। संसाधन प्रबंधन कार्यो हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता है। संसाधन प्रवंधन कार्यो हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता है। संसाधन प्रवंधन कार्यो हेतु प्रशिक्षित भी किया जाता है।		z I	f
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये कार्य हेतु भुगतान की राशि	5	1		I	1
एन.जी.ओ. द्वारा किये जा रहे कार्य का नाम	4	हाई इम्पेक्ट मेगा वॉटर शेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य		बिहान अंतर्गत स्व–सहायता समूह एवं उनके संगठनों के क्षमतावर्धन संबंधी कार्य	बिहान अंतर्गत स्व–सहायता समूह एवं उनके संगठनों के साध जेण्डर रणनीति पर क्षमतावर्धन संबंधी कार्य
कार्यरत एन.जी.ओ. का नाम	3	एग्रोक्रेट्स सोसायटी फॉर रूरल डेव्हलपमेंट (ASORD)	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	प्रदान संस्था	यैतन्य वार्हज
वर्ष	2	2022-23	ग्रामीण आ	2021–22	2022–23
l <del>&amp;</del>	-	74	राज्य	-	2

टाटीसनाट, संगाल्य बत दुर्व ग्रामीन दिजार विकास स, मंत्रालय, अटत लग, स्या यक्षुर (राशि रूपये मे)

धमतरी जिले में कार्यरत एन.जी.ओ.की जानकारी

अन्य विमाग अंतर्गत कार्यरत एन.जी.ओ

रिमार्क	7	जिला शिक्षा अधिकारी (जिला	स्तर से अनुबंध)	महिला एवं बाल	विकास विभाग (शासन स्तर से अनुबंध)
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये प्रशिक्षण कार्य स्थल का नाम	9	ı		6	जुनजा स्टाल गला, रत्नाबांधा रोड धमतरी
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये कार्य हेतु भुगतान की राशि	5	4660362.00	3745784.00	4972015.00	2337540.00
एन.जी.ओ. द्वारा किये जा रहे कार्य का नाम	4	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना	(मध्यान्ह भोजन) का संचालन		बालगृह (बालक)
कार्यरत् एन.जी.ओ. का नाम	3	चिंतक सेवा समिति	धमतरी		प्रतिज्ञा विकास संस्थान
व कि	2	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
18	-	-	7	8	4

2

रिमार्क		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धमतरी (शासन स्तर से	अनुबंध)	North Control of the
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये प्रशिक्षण कार्य स्थल का नाम	E.	कार्यालय सी.एम.एच.ओ. धमतरी आई.एम.ए. मीटिंग	Ĺ	j
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये कार्य हेतु भुगतान की राशि	353000.00	1028000.00	भुगतान नहीं किया गया है।	भुगतान नहीं किया गया है।
एन.जी.ओ. द्वारा किये जा रहे कार्य का नाम	निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के टी.बी. मरीजों का पंजीयन, जांच, उपचार	निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के टी.बी. मरीजों का पंजीयन, जांच, उपचार	आदिवासी क्षेत्र में टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत	टी.बी. मुक्त ग्राम पंचायत
कार्यरत् एन.जी.ओ. का नाम	2021-22 एच.एल.एफ.पी.पी.टी.पी.पी.एस.	२०२२-२३ ए.		निर्मान का तर्करान
वर्ष	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
l <del>8</del>	ß	ø		80

La

रिमार्क	ı	Ē	समाज कन्याण	धमतरी (शासन स्तर से	अनुबंध)	
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये प्रशिक्षण कार्य स्थल का नाम	Ī	1	ग्राम सिरीं तहसील कुरूद जिला धमतरी	ग्राम रूद्री तहसील व जिला धमतरी	धमतरी	ग्राम रुद्री तहसील व जिला धमतरी
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये कार्य हेतु भुगतान की राशि	895000.00	1765000.00	895160.00	350800.00	640640.00	0.00
एन.जी.ओ. द्वारा किये जा रहे कार्य का नाम	छ.ग.राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा संचालित लक्षित हस्ताक्षेप परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा उच्च जोखिम समूह (महिला यौन कर्मी, एम.एस.एन. ट्रांसजेण्डर, आईडीयू (इन्जेविटंग इग	यूसर) समुदाय की एच.आई.वी.पॉजीटीव की जा रही है। एच.आई.वी.पॉजीटीव पाये गये व्यक्तियों को नजदीकी एआरटी केन्द्र के माध्यम से आवश्यक उपचार एवं परार्मश दिया गया है।	विद्यालय एवं छात्रावास संचालन	वृद्धाश्रम का संचालन	विद्यालय संचालन	विद्यालय एवं छात्रावास संचालन
कार्यरत् एन.जी.ओ. का नाम	सहभागी समाज सेवी संस्था,	מאטען			2021-22 सर गौरीशंकर श्रीवास्तव सेवा समिति (सार्थक) धमतरी	2021-22 एक्जेट फाउडेंशन रूद्री धमतरी
विष्	2021-22	2022-23	2021-22	2021-22	2021-22	2021-22
₩.	o	0	1	12	13	41

				-					
रिमाक	111111111111111111111111111111111111111	धमतरी	(शासन स्तर प अनुबंध)			समाज कल्याण	धमतरी (शासन स्तर से अनुबंध)		
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये प्रशिक्षण कार्य स्थल का नाम	नगरी जिला धमतरी	पंचवटी कॉलोनी धमतरी	ग्राम सिरीं तहसील कुरूद जिला धमतरी	ग्राम रुद्री तहसील व जिला धमतरी	धमतरी	ग्राम रुद्री तहसील व जिला धमतरी	नगरी जिला धमतरी	पंचवटी कॉलोनी धमतरी	
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये कार्य हेतु भुगतान की राशि	0.00	2376320.00	954080.00	572400.00	663440.00	2042880.00	1163920.00	2204820.00	
एन.जी.ओ. द्वारा किये जा रहे कार्य का नाम	विद्यालय एवं छात्रावास संचालन	नशामुक्ति केन्द्र संचालन	विद्यालय एवं छात्रावास संचालन	वृद्धाश्रम का संघालन	विद्यालय संचालन	विद्यालय एवं छात्रावास संचालन	विद्यालय एवं छात्रावास संचालन	नशामुक्ति केन्द्र संघालन	
कार्यरत् एन.जी.ओ. का नाम	उन्नायक सेवा समिति रायगढ़ 2021-22 द्वारा संचालित श्री बालाजी विशेष विद्यालय नगरी।	शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान।		2022-23 धमतरी	2022-23 समिति (सार्थक) धमतरी समिति (सार्थक)	2022-23 एक्जेट फाउडेंशन रुद्री धमतरी	उन्नायक सेवा समिति रायगढ़ 2022-23 द्वारा संचालित श्री बालाजी विशेष । विद्यालय नगरी।	2022-23 संस्थान।	
व	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	2022-23	
10.	15	16	17	18	19	20	21	22	

h

रिमार्क	समग्र शिक्षा, जिला	מאטגו		समग्र शिक्षा, जिला धमतरी	
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये प्रशिक्षण कार्य स्थल का नाम	विभिन्न प्राथमिक शालाओं में	विभिन्न प्राथमिक शालाओं में	विभिन्न प्राथमिक शालाओं में	विभिन्न प्राथमिक शालाओं में	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शालाओं में
एन.जी.ओ. द्वारा किये गये कार्य हेतु मुगतान की राशि	भुगतान नहीं किया गया है।	भुगतान नहीं किया गया है।	भुगतान नहीं किया गया है।	भुगतान नहीं किया गया है।	भुगतान नहीं किया गया है।
एन.जी.ओ. द्वारा किये जा रहे कार्य का नाम	शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (भाषा गणित आधारित प्रशिक्षण), असर सर्वेक्षण	शिक्षक प्रशिक्षण	इंग्लिस लिटरेसी प्रोग्राम एंड वर्ड पावर चैम्पयनशिप (English Literacy program and word power Championship)	टीचर प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट सर्पोट इन गर्वमेन्ट प्रोग्राम फॉर इन्सयोर क्वालिटी एजूकेशन स्कूल लीडरशीप स्कूल एंड टीचर एजूकेशन करिकुलम एंड मटेरियल डेव्हलपमेंट (Teacher Professional development Support in Government Program for ensure quality education school leadership school and Teacher education curriculum and material development)	भुगतान नहीं आउट आफ स्कूल (OUT OF SCHOOL) किया गया है।
कार्यरत् एन.जी.ओ. का नाम	प्रथम फाउण्डेशन	एल.एल.एफ (L.L.F.)	लीफ फारवर्ड (LEAF FORWARD)	अजीमप्रेमजी फाउण्डेशन	ह्यूसन अ पीपल टू पीपल इंडिया (HUMAN A PEOPLE TO PEOPLE INDIA)
वर्ष				2021–22 एवं 2022–23	
18∙	23	24	25	56	27

परिशिष्ट—तेरह [ प्रश्न संख्या—23 (क्रं.—1142) की जानकारी ]

01 जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक

अंतर्गत गौण खनिज मद से प्राप्त राजस्व के संबंध में जानकारी

40.14 34.80 16.20 15.50 2.16 17.00 11.00 8.05 0.50 योग 2.40 9.00 4.00 4.39 3.50 0.30 1.00 0.90 16.00 0.50 10 गौण खनिज मद में प्राप्त राजस्व (राशि लाख रू. में) 2023 16.20 7.20 09.0 5.40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.14 13.50 2022 0.60 7.00 2.00 1.75 2.50 2.50 1.75 0.39 0.30 8.60 8 0 0 0 0 936 4.44 1.56 09.0 2021 4.50 4.00 3.50 3.00 2.10 2.50 5.00 1.00 2.50 0.60 0.50 2.00 0 0 10.95 10.00 2020 5.10 00.9 09.0 09.0 5.50 5.00 4.00 0.50 1.05 1.50 1.00 0.30 0.50 1.00 0 0 0 ग्राम पंचायत सोनासिल्ली सिर्धकला पितईबंद लचकरा कुरूसकरा वहेरामांठा बरभांठा बासीन कोपरा बोरसी पसौद खुडसा भसरा विनौरी चैतरा जेजरा सरकडी पोंड नाम कुरूसकेरा गण्डरीतराई सोनासिल्ली पितईबंद लचकेरा पोलकर्रा बरमांठा वहेरामांटा बासीन भसेरा बोरसी पसौद कोपरा खुडसा विनौरी पत्थरी सरकडा खदान का पोंड रवेली जनपद पंचायत फिंगेश्वर फिगेश्वर फिंगेश्वर फिंगेश्वर फिंगेश्वर गरियाबंद गरियाबंद गरियाबंद गरियाबंद गरियाबंद गरियाबंद गरियाबंद गरियावंद गरियावद गरियाबंद गरियाबंद गरियावंद गरियावंद गरियावंद गरियावंद गरियावंद गरियावंद गरियावंद गरियावंद जला B. 7 m 4 9  $\infty$ 6 10 11 9 18 12 13 14 15 16 17

なったかれ

297.82	115.13	75.93	53.16	53.60			योग	
20700	0	00.1	0	0	शवह	रावड़	फिंगेश्वर	गरियावंद
1 00	,	00.1					539	200
1.00	0	1.00	0	0	महेली	मडेली	छिदा	गिरमाबंद
15.35	4.35	11.00	0	0	फिंगेश्वर नगर	गदहीडीह	फिंगेश्वर	गरियाबंद
36.60	36.10	0.50	0	0	हथखोज	हथखोज	फिंगेश्वर	गरियाबंद
14.98	13.33	1.65	0	0	सरकडा	बिडोरा	फिंगेश्वर	गरियावंद
35.55	28.80	6.75	0	0	परसदाजोशी	परसदाजोशी	फिंगेश्वर	गरियाबंद
2.00	0	0	2.00	0	चरौदा	चरौदा	फिंगेश्वर	गरियाबंद
0.50	0	0	0.50	0	कुटेना	कुटेना	छुरा	गरियाबंद
1.00	0	0	1.00	0	सरकडा	सरकडा	छुरा	गरियाबंद
1.00	0	0	1.00	0	कुण्डेल	कुण्डेल	फिंगेश्वर	गरियाबंद
0.50	0	0	0.50	0	अतरमरा	अतरमरा	छुरा	गरियाबंद
1.00	0	0	1.00	0	चैतरा	चैतरा	फिंगेश्वर	गरियाबंद
10	6	80	7	9	4	5	3	2
타	2023	2022	2021	2020				
1	1				ग्राम पचायत	खदान का नाम	जनमय मनायप	5



गौण खनिज मद अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिए आबंटित राशि

23430634	8333643	2384099	12712892	0			1	4	
6509782	2075910	0	4433872	0	वासीन		बासीन	फिंगेश्वर बासीन	
1724521	1724521	0	0	0	बोरसी		बोरसी	फिंगेश्वर वोरसी	
436833	87433	0	349400	0	मसेरा		भसेरा		भसेरा
8347673	2830966	0	5516707	0	बरमांठा	ত	बरभांटा ब		बरभांटा
622989	0	622989	0	0	पोंड		पोंड		पोंड
1092699	170000	0	922699	0	भसेरा	+	मसेरा म		भसेरा
2690214	1200000	0	1490214	0	बिनौरी	ক	बिनौरी हि		बिनौरी
2005923	244813	1761110	0	0	सोनासिल्ली	सोन	सोनासिल्ली सोन		सोनासिल्ली
10	6	8	7	9	4		5	3 5	. 2 3 5
योग	2023	2022	2021	2020			_		पंचायत
	हेतु प्रदाय राशि	कार्य	ग्राम पंचायत को निमीण		पंचायत	-	_		खटान का नाम
जनवरी 2020 से दिसबर 2023 तक								जनपद छदान का नाम प्राम पंचायत	.संबाह

### परिशिष्ट-चौदह

### ि प्रश्न संख्या—24 (क्रं.—1201) की जानकारी **ो**

प्रपत्र-'अ'

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अंतर्गत उर्वरकों के विक्रय हेतु अभिस्वीकृति लेने की धारा एवं प्रकिया की जानकारी

- 1. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की खण्ड— 7 उर्वरक के विक्य हेतु अभिस्वीकृति लिए जाने का प्रावधान है।
- 2. उर्वरक के विक्रय हेतु अभिस्वीकृति प्राप्त करने के लिए निर्धारित शैक्षाणिक अहर्ता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से कृषि अथवा विज्ञान में स्नातक की उपाधि (रंसायन शास्त्र) अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि में डिप्लोमा की उपाधि (एक विषय उर्वरक अथवा कृषि आदानों पर होना चाहिए) तथा फुटकर विक्रेता हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में विज्ञान स्नातक, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन में विज्ञान स्नातक, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में डिप्लोमा, या राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एम.ए.एन.ए.जी.ई.) राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एन. आई.पी.एच.एम.) और अन्य सरकारर द्वारा अनुमोदित संस्थानों में न्यूनतम छह माह की अवधि का कृषि इनपुट में प्रमाणपत्र पाठ्यकम। उक्त के अतिरिक्त ऐसे सभी डीलर जिनके द्वारा उर्वरक के विक्रय हेतु अभिस्वीकृति उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 वर्ष 2018 के पूर्व प्राप्त किया गया है को उपरोक्त अनुसार शैक्षाणिक अहर्ता की आवश्यकता विक्रय प्राधिकार पत्र के नवीनिकरण के समय नहीं होगी।
- 3. आवेदक द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 8 में उल्लेखित प्रपत्र— A1 में आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।
- प्रस्तुत आवेदन के साथ रू. 2250 (थोक विकेय हेतु) एवं रू. 1250 (फुटकर विकेय हेतु) का शुल्क चालान के माध्यम से आवेदक को जमा करना होता है।
- 5. उक्त आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जाना होता है
  - (i) विकय एवं भण्डारण स्थल का नजरी नक्शा
  - (ii) पार्षद अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
- (iii) यदि विकय/भण्डारण स्थल किराए का तो उसका किरायानामा
- (iv) आवेदक को जिस कंपनी के उर्वरक का व्यवसाय करना है उस कंपनी का राज्य स्तर से अनुमोदित स्त्रोत प्रमाण पत्र
- (v) प्रोपराइटर का फोटो
- (vi) पेनकार्ड कीी छायाप्रति
- (vii) टीन नम्बर (छायाप्रति) / जी.एस.टी. नम्बर
- (viii) प्रोपराइटर का मोबाइल नम्बर
- (ix) बैंक का नाम एवं बैंक खाता क्रमांक

संचालक कृषि \* छ.ग. रामपुर

(अमित कुमार सिंह) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

### कीटनाशक अधिनियम 1968 तथा नियम 1971 अंतर्गत कीटनाशकों के विक्रय हेतु अनुज्ञा लेने की धारा एवं प्रकिया की जानकारी

1. कीटनाशी अधिनियम 1968 की घारा- 13 एवं कीटनाशी नियम 1971 के नियम 10 के

तहत कीटनाशकों के विकय हेतु अनुज्ञा लिए जाने का प्रावधान है।

2. कीटनाशकों के विकय हेतु अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए निर्धारित शैक्षाणिक अहर्ता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से कृषि अथवा बॉयो केमेस्ट्रि अथवा जैव प्रौद्योगिकी अथवा जीव विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन शास्त्र या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान के साथ विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा कृषि/उद्यानिकी/अन्य संबद्ध विषयों में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्य जिसमें पौध संरक्षण एवं कीटनाशी रसायन प्रबंधन का विषय सम्मिलित हो अनिवार्य है।

3. आवेदक द्वारा कीटनाशी नियम 1971 के नियम 10 (1) में उल्लेखित प्रपत्र— 2 में

आवेदन अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तृत किया जावेगा।

4. प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रत्येक कीटनाशक जिसके लिए अनुज्ञा प्राप्त की जा रही है रू. 500 का शुल्क चालान के माध्यम से आवेदक को जमा करना होता है जिसकी अधिकतम सीमा रू. 7500 है।

- 5. उक्त आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जाना होता है
  - विकय एवं भण्डारण स्थल का नजरी नक्शा
  - पार्षद अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (ii)

(iii) यदि विकय/भण्डारण स्थल किराए का तो उसका किरायानामा

आवेदक को जिस कंपनी के कीटनाशकों का व्यवसाय उस कंपनी का राज्य स्तर से प्रतिवर्ष अनुमोदित स्त्रोत प्रमाण पत्र एवं कीटनाशकों की अभिप्रमाणित सूची

आवेदक का फोटो (v)

> (आमेत कुमार सिंह) अवर सचिव छत्तीसगढ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण

तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

अमानक पर पाये गये उर्वरक/कीटनाशी रसायनों पर प्रतिबंध की कार्यवाही का विवरण

		T	T	1	T 1	
	प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया	उप संघालक कृषि	10	27	72	109
d d	प्रतिबंध लगा	निरीक्षक	1	20	909	16
पीय संरक्षण अपिषि	विक्रय	प्रतिबंध की संख्या	19	46	125	190
पीध	अमानक पाये	गये नमूनो की संख्या	19	48	125	140
		नमूनो की संख्या	714	621	1220	2555
	प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया	उप संचालक कृषि	49	69	76	227
	प्रतिबंध कि	निरीक्षक	99	4	80	192
खबरक	विक्रय प्रतिबंध ही संख्या		132	112	174	418
	अमानक पाये	मये नमूनो की संख्या	132	113	174	419
		नमूनो की संख्या	3108	3460	4911	11479
	<u>da</u>		2021 群	2022 明	2023 से 2023	100
			जनवरी दिसंबर	जनवरी दिसंबर	जनवरी 2023 नवम्बर 2023	

(आमित कुमार सिंह) अवर सविव छस्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग घंत्रालय, महानदी भदन, नवा रावपुर

# परिशिष्ट — पन्द्रह [ प्रश्न संख्या—27 (क्रं.—1378) की जानकारी ]

पदों की संख्या कार्यरत फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी शासकीय सेवकों की संख्या	01	02 02	01 01	05	01 01	01 01	01 01	
पद का नाम पदो	(1) सहायक संचालक	(1) संयुक्त संचालक (2) पर्यवेक्षक	(1) स्टेनो टायपिस्ट	(1) अंकेक्षक अधिकारी के पद पर 1 अधिकारी कार्यरत है। (2) उप अंकेक्षक अधिकारी के पद पर 1 अधिकारी कार्यरत है। है। (3) सहायक विस्तार अधिकारी के पद पर 2 अधिकारी कार्यरत है। (4) अधिकारी कार्यरत है।	(1) सहायक अधीक्षक/लेखापाल	(1) उपअभियंता	(1) भारतीय प्रशासनीक सेवा	
विभाग का नाम	जनसम्पर्क विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–8)	सहकारिता विभाग	आवास एवं पर्यावरण विभाग	लोक निमार्ण विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2)	
कुमांक	10	05	03	40	90	90	20	

कार्यरत फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी शासकीय सेवकों की संख्या	90	10	05	02	03	03	05
पदों की संख्या	90	10	10	02	02	03	04
पद का नाम	<ul> <li>(1) प्रमारी संयुक्त संचालक</li> <li>(2) सहायक ग्रेड-3</li> <li>(3) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी</li> <li>(4) सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी</li> <li>(5) सहायक ग्रेड-2,</li> <li>(6) सहायक ग्रेड-1</li> </ul>	01	(1) अधीक्षक संचालनालय	(1) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (2) ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	(1) सहायक अभियंता (2) स्टेनो टायपिस्ट	(1) सहायक अभियंता (2) अतिरिक्त मुख्य अभियंता (3) स्टेनो टायपिस्ट	<ol> <li>(1) चिकित्सा अधिकारी</li> <li>(2) स्टॉफ नर्स</li> <li>(3) वार्ड आया</li> <li>(4) ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला</li> </ol>
विभाग का नाम	पशुष्टन विकास विभाग	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग	जल संसाधन विभाग	कर्जा विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
कमाक	60	10	7	12	13	14	12

प का नाम (1) वाग (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (6) (6) (7) (7) (7)	पद का नाम द विकित्सा अधिकारी द विकित्सा अधिकारी के र 1 कार्यरत है। । संयोजक के पद पर 2 त है। के पद पर 5 कार्यरत त है। पाठक के पद पर 7 त है। । ल के पद पर 1 कार्यरत ला के पद पर 3 कार्यरत त है। । ल के पद पर 1 कार्यरत त है। । ल के पद पर 1 कार्यरत त है। । के पद पर 3 कार्यरत त है। । के पद पर 3 कार्यरत त है। । के पद पर 3 कार्यरत त है।	पदों की संख्या 01 07	कार्यरत फर्जी जाति प्रमाण मञ्ज्या 01 02 02 02
विभाग का खाद्य, नागरिक आपूर्ति एर संरक्षण विभाग विभाग विभाग उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा विभाग अनुसूर्व शिक्षा जाति तथा अनुसूर्व विभाग विभाग निभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग	E E Ø E E Ø E Ø ® F	(1) सहायक खाद्य अधिकारी पद पर पर कार्यरत है। (2) औषष्टि संयोजक के पद पर कार्यरत है। (3) प्राचार्य (1) प्राचार्य (1) प्राचार्य (2) प्राचार्य (3) प्राचार्य (4) लेखापाल के पद पर 5 कार्यरत है। (3) प्रधान पाठक के पद पर 7 कार्यरत है। (4) लेखापाल के पद पर 1 कार्यरत है। (5) द्याख्याता के पद पर 4 कार्यरत है। (6) प्राचार्य के पद पर 3 कार्यरत है। (6) प्राचार्य के पद पर 3 कार्यरत है। (7) सहायक ग्रेड—2 के पद पर 1 कार्यरत है। (7) सहायक ग्रेड—2 के पद पर 1 कार्यरत है।	(1) ंसहायक खाद्य अधिकारी (1) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर 1 कार्यरत है। (2) औषधि संयोजक के पद पर 2 कार्यरत है। (3) प्राचार्य (1) शिक्षक के पद पर 5 कार्यरत है। (3) प्राचार्य (4) लेखापाल के पद पर 1 कार्यरत है। (4) लेखापाल के पद पर 1 कार्यरत है। (5) याच्यता के पद पर 2 कार्यरत है। (6) प्राचार्य के पद पर 3 कार्यरत है। (6) प्राचार्य के पद पर 3 कार्यरत है। (7) सहायक ग्रेड—2 के पद पर 1 कार्यरत है। (8) प्राचार्य के पद पर 3 कार्यरत है। (9) प्राचार्य के पद पर 3 कार्यरत है। (1) सहायक ग्रेड—2 के पद पर 1 कार्यरत है। (1) सहायक ग्रेड—2 के पद पर 1 कार्यरत है।

45				
कार्यरत फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी शासकीय सेवकों की संख्या	02	80	01	85
पदों की संख्या	02	05	01	22
पद का नाम	(1) प्लाटून कमांडर (2) आरक्षक 38 / 761,	(1) सहायक अधीक्षक भू—राजस्व (2) पटवारी (3) राजस्व निरीक्षक (4) सहायक ग्रेड—2 (5) वाहन चालक	(1) तत्कालीन खनिज अधिकारी	
विभाग का नाम	गृह (पुलिस) विभाग	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	खनिज साधन विभाग	कूल योग—
क्रमांक	23	24	25	

सामान्य प्रशासन विभाग यन-3, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रावपुर <u>"</u>b" кьк

प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी	प्रकरण में उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के विरुद्ध मान.उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त किया है।	(1) श्रीमती किस्टीना एस.लाल संयुक्त संचालक का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के आदेश द्वारा निरस्त करने पर आदेश के विरूद्ध मान.उच्च न्यायालय में स्थगन दिया गया है।मान.उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।	(2) श्रीमती रूपा रोजलीन, पर्यवेक्षक का जाति प्रमाण पत्र को छानबीन समिति द्वारा आदेश पारित कर निरस्त किया गया है उक्त आदेश के विरूद्ध प्रवेक्षक द्वारा मान.उच्च न्यायालय में स्थगन प्रदान किया गया है। मान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुकम में सेवा समाप्ति की कार्यवाही स्थगित रखी गयी है।	जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के आदेश के विरूद्ध मान.उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिका पर स्थागन प्राप्त।	(1) श्री सुमाष कोल्हे (अकेक्षक अधिकारी) द्वारा मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त किया है जो वर्तमान में मान.न्यायालय में विचाराधीन है।	(2) मनोज कुमार पाल, उप अंकेक्षक अधिकारी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यवाही उच्च स्तरीय छानबीन समिति में प्रकियाधीन है।	(3) श्री गोपाल प्रसाद बिंद, सहा.वि.अ. का प्रकरण मान.उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश की अगली सुनवाई तक यथावत है।	(4) कु.अनिता नंदे, सहा.वि.अ. का प्रकरण मान्.उच्च न्यायालय में आगामी सुनवाई तिथि तक के लिये स्थगन प्रदान किया गया है।	(5) श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, अधीक्षक, की फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर सहकारिता विभाग में जांच प्रकियाधीन है।
नाम एवं पदनाम	(1) श्री अटल बिहारी काशी, सहायक संचालक	(1) श्रीमती किस्टीना एस.लाल , संयुक्त संघालक	(2)श्रीमती रूपा रोजलीन, पर्यवेक्षक	(1) स्टेनो टायपिस्ट	(1) श्री सुमाष कोल्हे, (अकेक्षक अधिकारी)	(2) मनोज कुमार पाल, उप अंकेक्षक अधिकारी	(३) श्री गोपाल प्रसाद बिंद, सहायक विस्तार अधिकारी	(4) कु.अनिता नंदे, सहायक विस्तार अधिकारी	(5) श्री सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, अधीक्षक
विभाग का नाम	जनसम्पर्क विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग	*	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–8)	सहकारिता विभाग				
कमांक	01	05		03	04				

क्रमांक	विभाग का नाम	नाम एवं पदनाम	प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी
05	आवास एवं पर्यावरण विभाग	(1) श्री पुनीत कश्यप सहायक अधीक्षक/लेखापाल	श्री पुनीत कश्यप की जाति अनु.जनजाति कीर होना नहीं पाया गया अपितु कहार अ.पि.व.पाये जाने के कारण विभाग द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करने पर आदेश के विरूद्ध मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कर स्थगन प्राप्त किया गया है।
90	लोक निमार्ण विभाग	(1) उपअभियंता	प्रकरण मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थगन प्राप्त होने के कारण लंबित है।
20	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–2)	(1) भारतीय प्रशासनीक सेवा	मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन प्राप्त है। भारत सरकार को छानबीन समिति तथा मान. न्यायालय के आदेश की प्रति को भेजा गया है। प्रकरण में आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया है।
80	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	(1) कु.दिच्या गौतम, भारतीय वन सेवा	(1) कु.दिव्या गौतम, भा.वन सेवा प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन प्राप्त है। प्रकरण में उप संचालक, अनुजाअनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत
		(2) श्रीमती गणेशी ठाकुर, वनपाल,	किया गया है। वर्तमान में प्रकरण मान.उच्च न्यायालय में विचाराष्टीन है। (2) श्रीमती गणेशी ठाकुर, वनपाल, मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन आदेश जारी होने पर शासन की ओर से मान.उच्च न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में प्रकरण विचाराष्टीन है।
200	विभाग	(1) अ.आनता अवना नावक् प्रमारी संयुक्त संवालक, सहायक ग्रेड—3 (3) श्री दिलीप पात्रे, सहायक पशु विकित्सा क्षेत्र अधिकारी, (4) पल्लवी मेश्राम, सहायक पशु विकित्सा क्षेत्र अधिकारी, (5) पार्वती राय उर्फ ग्रीति जेम्स, सहायक ग्रेड—2,	(1) डा.आनेता अंगना नायक, प्रनार प्युक्त पंचालक, जगदलपुर के प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थानन प्रदान किया गया है। स्थान को खारिज करवाने हेतु संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें एवं नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है। १८ भी गिरजा प्रसाद महार, सहायक ग्रेड—3 मुंगेली के प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थान प्रदान किया गया है। स्थान को खारिज करवाने हेतु संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें एवं नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है। १८ गणनांदगांव के प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थान प्रदान किया गया है। स्थान को खारिज करवाने हेतु संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें एवं नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है।  (4) पत्लवी मेश्राम, सहा.पशु.चिक. क्षेत्र अधिकारी, राजनांदगांव के प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थान प्रदान किया गया है। स्थान को खारिज करवाने हेतु संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें एवं नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है।  (5) पार्वती राय उर्फ प्रीति जेम्स, सहा.ग्रेड—2, बिलासपुर के प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय किया गया है।
			ाबलाराचुर द्वारा रचनान प्रदान प्रयान क्यांन का खारज करवान हतु संयुक्त संचालक, पश्च चिकित्सा सेवायें एवं नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

क्रमांक	विभाग का नाम	नाम एवं पदनाम	प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी
		(६) श्रीमती कत्पना लिखार, सहायक ग्रेड–1	( <b>6) श्रीमती कल्पना लिखार, सहा.ग्रेड</b> —1 द्वारा सेवा बर्खास्तांगी आदेश के विरुद्ध मान.उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर स्थागन प्राप्त।
10	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01	दोषी अधिकारी द्वारा मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर से उसके विरुद्ध कार्यवाही पर अगले सुनवाई तक स्थगन दिया गया है।
7-	नगरीय प्रशासन विभाग	(1) श्री मोलाराम कीर, अधीक्षक संवालनाल (2) श्री जगदीश प्रसाद मीणा, अधीक्षक, संवालनालय	(1) श्री मोलाराम कीर, अधीक्षक संवालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश जारी कर निरस्त किया गया है। छानबीन समिति के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया गया है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आगामी कार्यवाही नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्पश्चात, संवालनालय द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु शासन से मार्गदर्शन वाहा गया है।प्रकरण में प्रमारी अधिकारी नियुक्त कर जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण मान.उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।  (2) श्री जगदीश प्रसाद मीणा, अधीक्षक, संवालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश जारी कर निरस्त किया गया है। छानबीन समिति के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ब्वारा किया गया है। तत्पश्चात संवालनालय द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु शासन से मार्गदर्शन वाहा गया है।प्रकरण में प्रमारी अधिकारी नियुक्त कर जवाबदावा प्रस्तत किया जा वका है। प्रकरण मान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
12	कृषि, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग	(1) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (2) ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	04 प्रकरण मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। 01 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थगन दिया गया है।
13	जल संसाधन विभाग	(1) सहायक अभियंता (2) स्टेनो टायपिस्ट	03 प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय में स्थागन प्रदान किया गया है।
4	ऊर्जा विभाग	(1) सहायक अभियंता (2) अतिरिक्त मुख्य अभियंता (3) स्टेनो टायपिस्ट	03 प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय से स्थ्यगन प्रदान किये जाने के कारण लंबित है।
12	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	(1) चिकित्सा अधिकारी (2) स्टॉफ नर्स (3) वार्ड आया (4) ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला	02 प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदाय किया गया है। 03 प्रकरण आदिवासी विकास शाखा जिला सुकमा में विचाराधीन है।

प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी	<b>सुश्री पवित्रा अहिरवार, सहा:खाद्य अधिकारी</b> के प्रकरण में मान.उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश  में दिये गये निर्देश के पालन में याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रकरण में आगामी सुनवाई तक कोई प्रतिगामी कार्यवाही न किये जाने के कारण प्रकरण मान.उच्च न्यायालय में लंबित है।	(1) <b>डॉ.बहादुर सिंह मार्को, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी</b> के पद पर कार्यरत अधिकारी के प्रकरण पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है। (2) <b>श्री मथुरा प्रसाद, औषधि संयोजक</b> का प्रकरण विजिलेंस सेल के समक्ष विचाराधीन है।	(3) श्री काशीराम बैगा, औषधि संयोजक के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध श्री काशीदाम द्वारा मान.उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया है जिसमें मान.उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है।	<b>कु.ज्योति मेश्राम, तकनीकी सहायक</b> द्वारा छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध मान.उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मान.उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है।	(1) <b>डॉ. मधुलिका लाल, प्राचार्य</b> के प्रकरण पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया जिसमें नियुक्ति जाति के आधार पर नहीं हुई है। अतः आगामी आदेश तक कोई भी कार्यवाही नहीं किए जाने के निर्देश है। (2) डॉ.शिखा शर्मा, प्राचार्य के प्रकरण पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है।	13 प्रकरणों में विभाग द्वारा बर्खास्त किया गया है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। 10 प्रकरण मान.उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 01 प्रकरण की जॉच प्रकियाधीन।	दोनो प्रकरणों में मान.उच्च न्यायालय में स्थगन प्रदान किया गया है।
नाम एवं पदनाम	(1) सुश्री पवित्रा अहिरवार, सहायक खाद्य अधिकारी	(1)डॉ.बहादुर सिंह मार्को, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	(2) श्री मथुरा प्रसाद, औषधि संयोजक (3)श्री काशीराम बैगा, औषधि संयोजक	(1) कु.ज्योति मेश्राम, तकनीकी सहायक	(1) डॉ.मघुलिका लाल, प्राचार्य (2)डॉ.शिखा शर्मा, प्राचार्य	(1) शिक्षक (2) सहायक शिक्षक (3) प्रधान पाठक (4) लेखापाल (5) व्याख्याता (6) प्राचार्य (6) सहायक ग्रेड–2	02 ਧਵ
विभाग का नाम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपमोक्ता संरक्षण विभाग	चिकित्सा शिक्षा विभाग		कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	उच्च शिक्षा विभाग	स्कूल शिक्षा विभाग	आदिम जाति तथा अनु.जा.वि.विभाग
क्रमांक	16	17		18	00	50	21

प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी	(1) श्री उमेश रायकवार, निरीक्षक के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश को विरुद्ध श्री रायकवार द्वारा मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया गया है। मान.उच्च न्यायालय से उक्त याचिका में स्थान दिया गया है। मान.उच्च न्यायालय से उक्त याचिका में स्थान दिया गया है। स्थान को हटाने हेतु दिनांक 17.01.2024 को अधिवक्ता को निर्देशित किया गया है।	(2) श्री अनिरुद्ध कोचे, प्रबंधक के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश पारित कर निरस्त किया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री कोचे द्वारा मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया गया है। मान.उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में स्थान प्रदाय किया गया है। स्थगन को हटाने बोर्ड द्वारा मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में कार्यवाही प्रकियाधीन है।	, (1) श्री जितेन्द्र कुमार सोनकुसरे, प्लाटून कमांडर, 2री वाहिनी छसबल, सकरी बिलासपुर के हल्बा अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश जारी कर निरस्त किया गया।छानबीन समिति के आदेश के विरुद्ध श्री सोनकसरे ने मान सच्च	न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कर स्थान ने लिया। मान.उन्न न्यायालय द्वारा दिये गये स्थान को समाप्त कराये जाने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किया गया। जिसके परिपालन में मान.न्यायालय में कार्यालय महाधिवक्ता से मिलकर उक्त याचिका में वेकेटिंग एवं तत्काल सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर उनके कार्यालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया गया है। वर्तमान में मान.उच्च न्यायालय से उक्त प्रकरण में निर्णय अपेक्षित है।	(2) श्री राजेन्द्र राम भगत, आरक्षक 38/761, 13वी वाहिनी छसबल तत्कालीन इकाई एसटीएफ बघेरा के विरुद्ध आरेप पत्र जारी किया गया जिसके संबंध में श्री भगत द्वारा जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर प्रकरण में विधिवत विभागीय जांच करने हेतु जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रकरण उच्च स्तरीय छानबीन समिति को विस्तृत जांच कर संबंधित कलेक्टर से जाति प्रमाण पत्र निरस्त कराने हेतु दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
नाम एवं पदनाम	1) श्री उमेश रायकवार, निरीक्षक (2) श्री अनिरूद्ध कोचे, प्रबंधक		(1) श्री जितेन्द्र कुमार सोनकुसरे, प्लाटून कमांडर	(2) श्री राजेन्द्र राम भगत, आरक्षक 38 / 761,	
विभाग का नाम	ग्रामोद्योग विभाग		गृह (पुलिस) विभाग		
कमांक	22		23		

केमीक	24					25
विभाग का नाम	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग					खनिज साधन विभाग
नाम एव पदनाम	(1) श्री रामाश्रय सिंह, सहायक अधीक्षक भू–राजस्व (2) श्री मनीराम बैगा, पटवारी	(३) श्री किशोर कुमार निनावे, राजस्व निरीक्षक (4) श्री रामाश्रय सिंह, सहायक अधीक्षक भू–राजस्व	(5) श्रीमती मनीषा प्रसाद, सहायक ग्रेड—2 (6) श्रीमती पल्लवी टेकाम, सहायक ग्रेड—2	<ol> <li>श्री ओम प्रकाश कश्यप, पटवारी</li> <li>श्री प्रदीप कश्यप, वाहन चालक</li> </ol>		(1) श्री राजेश मालवे, तत्कालीन खनिज अधिकारी,
प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी	(1) श्री रामाश्रय सिंह, सहायक अधीक्षक मू—राजस्व के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश को विरुद्ध श्री सिंह द्वारा मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिक दायर किया गया। मान.उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर छानबीन समिति द्वारा जारी आदेश के प्रमाव पर रोक लगाई गई अतः वर्तमान में मान.उच्च न्यायालय में मान.उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।	(2) श्री मनीराम बैगा, पटवारी के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश जारी कर निरस्त किया गया। अनुविभागीयी अधिकारी, तह खैरागढ़ के आदेश द्वारा श्री बैगा को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई। निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री बैगा द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया जिस पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर निलंबल से बहाल किया गया। विभागीय जांच को यथावत रखने तथा अंतिम निर्णय अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।	(3) श्री किशोर कुमार निनावे, राजस्व निरीक्षक के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश जारी कर निरस्त किया गया जिसके परिपालन में विभाग के आदेश द्वारा श्री निनावे की सेवा समाप्त की गई। सेवा समाप्ति के आदेश के विरूद्ध मान.उच्च न्यायालय में श्री निनावे द्वारा दायर याचिका पर मान.उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है।	(4) श्री रामाश्रय सिंह, सहायक अधीक्षक मू–राजस्व के जाति प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा आदेश के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिक दायर किया गया। मान.उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर छानबीन समिति द्वारा जारी आदेश के प्रमाव पर रोक लगाई गई अतः वर्तमान में मान.उच्च न्यायालय है।	(5) श्रीमती मनीषा प्रसाद, सहायक ग्रेड—2 के प्रकरण में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है। (6) श्रीमती पल्लवी टेकाम, सहायक ग्रेड—2 के प्रकरण में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है। (7) श्री ओम प्रकाश कश्यप, पटवारी के प्रकरण में जांच की कार्यवाही प्रकियाधीन है। (8) श्री प्रदीप कश्यप, वाहन चालक के जाति प्रमाण पत्र की जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। छानबीन समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।	<b>श्री राजेश मालवे, तत्कालीन खनिज अधिकारी,</b> जिला कार्यालय (खनिज शाखा) महासमुंद की फर्जी जाति प्रमाण पत्र की शिकायत प्राप्त होने पर उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के विजिलेंस सेल में जांच अन्वेषणाधीन है।

अनुभाग आधिकार। सामान्य प्रशासन विभाग इस्-3, मंत्रालय, महानदी भवन,

## परिशिष्ट— सोलह [ प्रश्न संख्या—29 (क्रं.—1546) की जानकारी ]

प्रपत्र–अ

### राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राशनकार्डों पर माहवार वितरित केन्द्रीय पूल के चावल की मात्रा

क्र.	अवधि	अन्त्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	उपभोक्ता दर
1	अप्रैल 2019 से मार्च 2020	35 किलो	5 किलो प्रति सदस्य	1 रू./किलो
2	अप्रैल 2020 से जून 2020	35 किलो	5 किलो प्रति सदस्य	निःशुल्क
3	जुलाई 2020 से अप्रैल 2021	35 किलो	5 किलो प्रति सदस्य	1 रू./किलो
4	मई 2021 से मार्च 2022	35 किलो	5 किलो प्रति सदस्य	निःशुल्क
5	अप्रैल 2022 एवं अक्टूबर 2022	35 किलो	5 किलो प्रति सदस्य	1 रू./किलो
6	मई 2022 से दिसंबर 2023 (अक्टूबर 2022 को छोड़कर)	35 किलो	5 किलो प्रति सदस्य	निःशुल्क

टीप -1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अविध के दौरान अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डों पर खाद्यान्न की मासिक पात्रता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की संयुक्त खाद्यान्न पात्रता तथा छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम की मासिक पात्रता में से जो भी बेहतर थी, उसके आधार पर चावल का वितरण कराया गया।

2. प्रश्नांकित अविध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्ड पर खाद्यान्न की मासिक पात्रता छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रपत्र - 2 में उल्लेखित राशनकार्डों की मासिक खाद्यान्न पात्रता के समतुल्य थी।

## प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डों पर माहवार वितरित चावल की मात्रा

	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
क्र.	अवधि	अन्त्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	उपभोक्ता दर
1	अप्रैल 2020 से नवंबर 2020	5 किलो प्रति सदस्य	5 किलो प्रति सदस्य	निःशुल्क
2	मई 2021 से मार्च 2022	5 किलो प्रति सदस्य	5 किलो प्रति सदस्य	निःशुल्क
3	अप्रैल 2022 से दिसंवर 2022	5 किलो प्रति सदस्य	5 किलो प्रति सदस्य	निःशुल्क
4	जनवरी 2024	35 किलो	5 किलो प्रति सदस्य	निःशुल्क

टीप - भारत सरकार द्वारा जनवरी 2024 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मासिक खाद्यान्न पात्रता और आबंटन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःश

> अनुभाग अधिकारी खाद्य नगरिक आपूर्ति (वं उपयोक्ता नंदाव विभाग मंत्रालय, नेया रायपुर, अटल नगर

## छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डों पर माहवार वितरित चावल की मात्रा

큙.	अवधि	अन्त्योदय कार्ड	प्राथमिकता कार्ड	उपभोक्ता दर
1	अप्रैल 2019 से सितंबर 2019	35 किलो	7 किलो प्रति सदस्य	1 रू./किलो
2	अक्टूबर 2019 से मार्च 2020	35 किलो	<ul> <li>1 सदस्य वाले कार्ड - 10 किलो</li> <li>2 सदस्य वाले कार्ड - 20 किलो</li> <li>3 से 5 सदस्य वाले कार्ड - 35 किलो</li> <li>5 से अधिक सदस्य वाले कार्ड - 7 किलो प्रति सदस्य</li> </ul>	1 रू./किलो
3	अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020	35 किलो की सामान्य पात्रता के अलावा 5 किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त पात्रता	<ul> <li>1 सदस्य वाले कार्ड - 10 किलो</li> <li>2 सदस्य वाले कार्ड - 20 किलो</li> <li>3 सदस्य वाले कार्ड - 35 किलो</li> <li>4 सदस्य वाले कार्ड - 40 किलो</li> <li>5 सदस्य वाले कार्ड - 50 किलो</li> </ul>	अप्रैल 2020 से जून 2020 निःशुल्क एवं जुलाई 2020 से नवम्बर 2020 तक 1 रू./किलो
4	दिसम्बर 2020 से अप्रैल 2021	35 किलो	1 सदस्य वाले कार्ड - 10 किलो 2 सदस्य वाले कार्ड - 20 किलो 3 से 5 सदस्य वाले कार्ड - 35 किलो 5 से अधिक सदस्य वाले कार्ड - 7 किलो प्रति सदस्य	1 रू./किलो
5	मई 2021 से दिसंबर 2022	35 किलो की सामान्य पात्रता के अलावा 5 किलो प्रति सदस्य	<ul> <li>1 सदस्य वाले कार्ड - 10 किलो</li> <li>2 सदस्य वाले कार्ड - 20 किलो</li> <li>3 सदस्य वाले कार्ड - 35 किलो</li> <li>4 सदस्य वाले कार्ड - 40 किलो</li> <li>5 सदस्य वाले कार्ड - 50 किलो</li> </ul>	अप्रैल 2022 तथा अक्टूबर 2022 में 1 रूपये प्रति किलो, शेष माहों में नि:शुल्क
6	जनवरी 2023 से जनवरी 2024	35 किलो	<ul> <li>1 सदस्य वाले कार्ड - 10 किलो</li> <li>2 सदस्य वाले कार्ड - 20 किलो</li> <li>3 से 5 सदस्य वाले कार्ड - 35 किलो</li> <li>5 से अधिक सदस्य वाले कार्ड - 7 किलो प्रति सदस्य</li> </ul>	निःशुल्क

टीप - इस अधिनियम के अंतर्गत अक्टूबर 2019 से जनवरी 2024 तक सामान्य (एपीएल) कार्डधारियों को प्रतिमाह 10 रूपये प्रतिकिलो की दर से 1 सदस्य वाले कार्ड पर 10 किलो 2 सदस्य वाले कार्ड पर 20 किलो एवं 3 या 3 से अधिक सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो चावल प्रदाय किया र

अनुपाग अधिकारी जारा नामिक अमृति एवं उपभोगता वंदसव विभाग मंत्रालय, नेवा रायपुर, अटल नगर

#### प्रपत्र-स

### मुख्यमंत्री खाद्यात्र सहायता योजना के राशनकार्डों पर माहवार वितरित चावल की मात्रा

1     अप्रैल 2019 से जनवरी 2024     10 किलो     10 किलो	निःशुल्क

टीप - भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से 10 किलो निःशुल्क चावल तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत 1 रूपये प्रतिकिलो की दर से प्रतिमाह 25 किलो चावल हितग्राहियों को अप्रैल 2019 से अगस्त 2021 तक प्रदाय किया गया।

### अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को चना वितरण

प्रश्नांकित अविध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल अन्त्योदय तथा प्राथिमकता राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब अन्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1 किलो चना/दाल निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया, जिसका निर्धारित पात्रता अनुसार निःशुल्क वितरण किया गया।

छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल अनुसूचित विकासखंड एवं माडा क्षेत्र में समस्त निवासरत अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक प्रतिमाह 5 रूपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चना की वितरित किया गया। माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक राज्य के समस्त क्षेत्र में निवासरत अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को राज्य पूल से प्रतिमाह निःशुल्क 1 किलो चना वितरित किया गया।

दिसंबर 2020 से जनवरी 2024 तक छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल अनुसूचित विकासखंड एवं माडा क्षेत्र में निवासरत अन्त्योदय तथा प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 5 रूपये प्रति किलो की दर से 2 किलो चना वितरित किया गया।

> खनुभाग अधिकारी खाद्य नगरिक आयूर्ति एवं उपयोक्ता संदश्न विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, जटल नगर

प्रपत्र–द

क्र.	वर्ष	माह	जावानपम् फ		छत्तीसगढ़ व के	खाद्य सुरक्षा अ राशनकार्डधाः	ाधिनियम री	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारी		अन्नपूर्णा योजना	योग
			अंत्योदय	प्राथमिकता	अंत्योदय	प्राथमिकता	सामान्य	निराश्रित	निःशक्त जन	पाजना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2019	अप्रैल	694717	4457030	279042	106968	0	49336	10051	6582	5603726
2	2019	मई	695754	4465823	281148	114078	0	49499	10098	6647	5623047
3	2019	जून	693729	4455282	279150	115339	0	48724	10170	6584	5608978
4	2019	जुलाई	694507	4464976	280274	121695	0	48814	10243	6585	5627094
5	2019	अगस्त	689330	4448026	276187	142020	0	47112	10200	6418	5619293
6	2019	सितंबर	689138	4450046	275723	143389	0	46860	10161	6397	5621714
7	2019	अक्टूबर	671436	4360095	251794	135339	22978	41052	9151	5726	5497571
8	2019	नंवबर	673854	4375425	260017	137570	449223	36841	9287	5850	5948067
9	2019	दिसंबर	675502	4384363	262386	141905	547538	36958	9374	5888	6063914
10	2020	जनवरी	702365	4335189	253834	147105	613714	36175	9267	5803	6103452
11	2020	फरवरी	703218	4344053	254682	152609	656262	36361	9337	5819	6162341
12	2020	मार्च	704440	4352165	255823	155746	660705	36515	9425	5835	6180654
13	2020	अप्रैल	706653	4366633	258278	172275	751666	36872	9643	5842	6307862
14	2020	मई	706334	4364506	257959	170099	723205	36758	9643	5833	6274337
15	2020	जून	702862	4348146	255892	170179	674939	35776	9490	5769	6203053
16	2020	जुलाई	704453	4357527	259363	194652	741478	36558	9793	5804	6309628
17	2020	अगस्त	701094	4340163	257801	200890	719271	35991	9674	5752	6270636
18	2020	सितंबर	699813	4332986	257978	217020	696350	35919	9671	5728	6255465
19	2020	अक्टूबर	700750	4342314	259750	228900	718594	36125	9891	5714	6302038
20	2020	नंवबर	692130	4315997	285666	242473	702255	35986	9864	5693	6290064
21	2020	दिसंबर	692424	4318587	287469	252511	738549	35848	9950	5687	6341025
22	2021	जनवरी	692523	4318761	286258	259856	762682	35852	9966	5704	6371602
23	2021	फरवरी	692570	4320437	286540	262963	784254	35743	9971	5707	6398185
24	2021	मार्च	692859	4319112	288053	286362	797378	35729	10103	5694	6435290
25	2021	अप्रैल	692053	4317683	289583	296033	771758	35556	10153	5661	6418480
26	2021	मई	695047	4332698	292845	309398	804154	35857	10331	5683	6486013
27	2021	जून	695353	4336645	293168	310509	780839	35775	10357	5700	6468346
28	2021	जुलाई	692326	4320538	292792	320340	754852	35398	10256	5652	6432154
29	2021	अगस्त	692563	4322752	292973	333490	753404	35315	10347	5611	6446455
30	2021	सितंबर	691609	4318790	297707	335131	732816	34986	10290	0	6421329
31	2021	अक्टूबर	691883	4319240	296761	350419	732418	34748	10311	0	6435780
32	2021	नंवबर	690619	4313111	294627	363580	723668	34624	10288	0	6430517
33	2021	दिसंबर	690332	4313179	293927	378984	732339	34188	10354	0	6453303
34	2022	जनवरी	690113	4312235	293659	394739	732633	34024	10461	0	6467864
35	2022	फरवरी	689800	4309902	292729	462580	740504	34014	10442	0	6539971
36	2022	मार्च	655898	4235250	296098	463369	629450	27037	9523	0	6316625
37	2022	अप्रैल	666932	4291632	287825	405190	579938	26696	9373	0	6267586
38	2022	मई	643213	4147936	292918	480668	543788	26372	9493	0	6144388

शनुभाग अधिवारी आव मागरिक आपूर्ति एवं स्पर्भोक्ता संरक्षण विमान पंचालयः, नेवा संवपुर, अटल नगर

क्र.	वर्ष	माह	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डधारी		छत्तीसगढ़ के के	खाद्य सुरक्षा अ राशनकार्डधार	धिनियम री	मुख्यमंत्री खाद्यात्र सहायता योजना के राशनकार्डधारी		अन्नपूर्णा   योजना	योग
			अंत्योदय	प्राथमिकता	अंत्योदय	प्राथमिकता	सामान्य	निराश्रित	निःशक्त जन	41411	
39	2022	जून	678488	4248435	294642	487299	541910	26619	9854	0	6287247
40	2022	जुलाई	674055	4246605	296617	516898	534761	26584	10154	0	6305674
41	2022	अगस्त	674897	4266945	297586	541474	533486	26672	10444	0	6351504
42	2022	सितंबर	672081	4308958	660859	183377	536834	26833	10713	0	6399655
43	2022	अक्टूबर	673381	4297565	666934	203136	503638	26258	10593	0	6381505
44	2022	नंवबर	659230	4226832	656185	239356	507915	25069	10603	0	6325190
45	2022	दिसंबर	680486	4360872	680363	263380	527285	25691	11041	0	6549118
46	2023	जनवरी	676117	4333049	680217	286900	500982	25291	10858	0	6513414
47	2023	फरवरी	676624	4345317	684447	317815	499849	25295	10980	0	6560327
48	2023	मार्च	678678	4368182	691219	348399	504279	25648	11140	0	6627545
49	2023	अप्रैल	684615	4421689	700439	378390	530023	26430	11632	0	6753218
50	2023	मई	690069	4460378	706533	384926	560586	26923	11929	0	6841344
51	2023	जून	675185	4364765	690236	405941	507980	25083	11397	0	6680587
52	2023	जुलाई	671228	4379556	689746	427295	533043	25363	11624	0	6737855
53	2023	अगस्त	669800	4399690	692032	446147	537687	25504	11670	0	6782530
54	2023	सितंबर	670280	4410292	698235	472667	544840	25373	11892	0	6833579
55	2023	अक्टूबर	682018	4461140	718324	502221	557130	25403	12149	0	6958385
56	2023	नंवबर	681284	4474330	724629	527247	557998	25072	12394	0	7002954
57	2023	दिसंबर	682430	4496910	731281	545147	579376	24836	12574	0	7072554
58	2024	जनवरी	682072	4497855	732065	548791	587600	24809	12545	0	7085737

टीप. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अत्र योजना के आवंटन अविध के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशनकार्डधारियों द्वारा इस योजना के चावल का संवंधित आवंटन माह में उठाव किया गया हैं।

> अनुभाग अधिकारी ाह्य नज़रिक आपूर्ति (मं उपभोजता संसाम किमाग मंत्रात्मय, नेवा राजनुर, अटल मगर

## प्रपत्र–इ

वर्ष 2019

		माह में चन	ना उठाव करने	वाले राशनक	नर्डधारियों की	संख्या		
क्रमांक	माह	राज्य की	ो चना वितरण	। योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना			
		अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	
1	अप्रैल	60648	280825	341473	0	0	0	
2	मई	60984	282170	343154	0	0	0	
3	जून	60720	281333	342053	0	0	0	
4	जुलाई	59990	226144	286134	0	0	0	
5	अगस्त	120490	403056	523546	0	0	0	
6	सितंबर	317795	1322648	1640443	0	0	0	
7	अक्टूबर	421611	1774894	2196505	0	0 ·	0	
8	नवंबर	433672	1799321	2232993	0	0	0	
9	दिसंबर	418111	1751886	2169997	0	0	0	

वर्ष 2020

	W	माह में चन	ग उठाव करने	वाले राशनव	गर्डधारियों की	संख्या			
क्रमांक	माह	राज्य की	ो चना वितरण	योजना	प्रधानमंत्री व	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना			
,		अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग		
1	जनवरी	451175	1811877	2263052	0	0	0		
2	फरवरी	453871	1823781	2277652	0	0	0		
3	मार्च	434925	1767303	2202228	0	0	0		
4	अप्रैल	189515	784085	973600	669268	2224587	2893855		
5	मई	181398	722094	903492	623727	2132955	2756682		
6	जून	116320	431328	547648	430028	1511870	1941898		
7	ज्लाई	429694	1666945	2096639	623209	1978902	2602111		
8	अगस्त	451249	1733827	2185076	608057	2000342	2608399		
9	सितंबर	463147	1773758	2236905	591968	2025317	2617285		
10	अक्टूबर	472944	1827391	2300335	634660	2143121	2777781		
11	नवंबर	507371	1899687	2407058	648117	2114328	2762445		
12	दिसंबर	473219	1870881	2344100	ı	17	18		

W

अनुमान अधिकारी ंड गापरिक आपूर्ति एवं स्ममोजना संस्कृत है

वर्ष 2021

		माह में	चना उठाव करने	वाले राशनकाः	- ईधारियों की संख	ज्या			
क्रमांक	माह	राज्य	की चना वितरण	योजना	प्रधानमंत्री	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना			
		अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग		
1	जनवरी	466430	1870951	2337381	. 1	14	15		
2	फरवरी	459557	1843403	2302960	11752	38837	50589		
3	मार्च	486172	1915092	2401264	141173	356097	497270		
4	अप्रैल	468742	1887902	2356644	15240	14971	30211		
5	मई	468313	1888040	2356353	0	0	0		
6	जून	439039	1783397	2222436	0	0	0		
7	जुलाई	430457	1761912	2192369	0	0	0		
8	अगस्त	467616	1898455	2366071	0	0	0		
9	सितंबर	472304	1903675	2375979	0	0	0		
10	अक्टूबर्र	472185	1910640	2382825	0	0	0		
11	नवंबर	470314	1911146	2381460	0	0	0		
12	दिसंबर	462990	2012643	2475633	0	0	0		

वर्ष 2022

		माह में	चना उठाव करन	ने वाले राशनकाई	धारियों की संख	ऱ्या		
क्रमांक	माह	राज्य	की चना वितरण	योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना			
יפורסייצ		अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	
1	जनवरी	461832	1905790	2367622	0	0	0	
2	फरवरी	461833	1910646	2372479	0	0.	0	
3	मार्च	373215	1581753	1954968	0	0	0	
4	अप्रैल	186262	729652	915914	0	0	0	
5	मई	354311	1489281	1843592	0	0	0	
6	जून	398743	1578492	1977235	0	0	0	
7	जुलाई	394614	1572456	1967070	0	0	0	
8	अगस्त	397190	1589575	1986765	0	0	0	
9	सितंबर	569522	1436126	2005648	0	0	0	
10	अक्टूबर	603745	1512594	2116339	0	0	0	
11	नवंबर	570125	1432293	2002418	0	0	0	
12	दिसंबर	615939	1561668	2177607	0	0	0	

अनुभाग अधिकारी ाव नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरवाण विभा मंत्रालय, नया रावपुर, अटल नगर 2023

	-	माह में चना		ले राशनकार्डधारि	रेयों की संख	या		
क्र	माह	राज्य	की चना वितर	ग योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना			
		अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	
1	जनवरी.23	612495	1552668	2165163	0	0	0	
2	फरवरी.23	614561	1563513	2178074	0	0	0	
3	मार्च.23	619599	1586556	2206155	0	0	0	
4	अप्रैल.23	622153	1591996	2214149	0	0	0	
5	मई 23	541994	1401146	1943140	0	0	0	
6	जून.23	616310	1589945	2206255	0	0	0	
7	जुलाई.23	608907	1581714	2190621	0	0	0	
8	अगस्त.23	611893	1602380	2214273	0	0	0	
9	सितम्बर 23	616006	1611807	2227813	0	0	0	
10	अक्टूबर 2023	633218	1648545	2281763	0	0	0	
11	नवम्बर 23	637189	1663502	2300691	0	0	0	
12	दिसम्बर.23	639857	1673135	2312992	0	0	0	

2024

	माह में चना उठाव करने वाले राशनकार्डधारियों की संख्या										
<b>a</b>	माह	राज्य	की चना वितरप	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना							
7.		अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग	अन्त्योदय	प्राथमिकता	योग				
1	जनवरी.24	640742	1678246	2318988	0	0	0				

खनुभाग अधिकारी जारा नागरिक संग्रीत एवं उपनोक्ता संस्तव विभाग मंत्रालय, नेया रायपुर, अटल नगर

## परिशिष्ट—सत्रह [ प्रश्न संख्या—31 (क्रं.—1551) की जानकारी ] प्रपत्र —अ

## प्रदेश के सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था (किसान राईस मिल) की बंद होने का वर्ष, कारण तथा परिसंपितयों की दिनांक 25 जनवरी 2024 की स्थिति में जानकारी

		सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था		चा	लू/बंद की	स्थिति (25 जनवरी 2024 को)	परिसम्पत्तियां
क्र	जिला	(किसान राईस मिल)	चालू /	ਗੰਟ		यदि बंद है तो	(लाख रू. में)
			11.67	44	कब से	कारण	
1	2	3	4		5	6	9
1	बस्तर	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था जगदलपुर	बंद		वर्ष 2018—19 विगत वर्षों से मिल प्लांट की मशीन खर होने के कारण		107.03
2	कोण्डागांव	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था कोण्डागांव	बंद		वर्ष 2006	मशीन खराब होने तथा निविदा बुलाये जाने पर निजी व्यक्तियों द्वारा किराये पर नही लिया गया।	219.09
3	कांकेर	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. कांकेर बंद 200		2004	संयत्र अत्याधिक खराब एवं पुराना होने के कारण	106.26	
4	सरगुजा	विपणन सहकारी समिति मर्या. अंबिकापुर	बंद		वर्ष 1993	संस्था के पास पर्याप्त पूंजी नही होने के कारण	45.18
5	जांजगीर— चांपा	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था जांजगीर	चालू		-	-	194.72
6	सक्ती	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था सक्ति	बंद		2011-12	मिल मशीन जर्जर व पुराना होने के कारण।	16.68
7	रायगढ़	प्राथमिक विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. खरसिया	बंद		200001	मशीनरी कलपुर्ज जर्जर	35.03
8	सारंगढ़ बिलाईगढ़	किसान सहकारी राईस मिल एवं सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. भटगांव	बंद		2007	पुराना होने से पार्टस नहीं मिल रहा	20.12
9	जी.पी. एम	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्या. (किसान राईस मिल) पेण्ड्रा रोड़	बंद		1991-92	जर्जर	164.71
10	मुंगेली	दि मुंगेली सहकारी विपण संस्था मर्या., (किसान राईस मिल ) मुंगेली	बंद		1986	पुराने मॉडल होने के कारण	138.84
11	मुंगेली	सहकारी विपणन संस्था मर्या. किसान राईस मिल लोरमी	बंद		2016	जर्जर एवं कंडम स्थिति में	110.74
12	मुंगेली	सहकारी विपणन संस्था मर्या. (किसान राईस मिल) सरगांव	चालू		-	-	269.93
13		विपणन सहकारी समिति बिलासपुर	बंद	$\exists$	1986-87	जर्जर	610.24
14		विपणन सहकारी समिति कोटा	बंद	1	198687	जर्जर	69.03
15	बिलासपुर	विपणन सहकारी समिति जयरामनगर	बंद		1986-87	जर्जर	56.51
16		विपणन सहकारी समिति तखतपुर	बंद		1986-87	• जर्जर	12.18
17		विपणन संस्था अभनपुर	बंद		2008	मिल का जर्जर होना।	40.55



18	रायपुर	विपणन संस्था तिल्दा	बंद	2015	मिल का जर्जर होना।	20.4
19	1	विपणन संस्था आरंग	बंद	1988	मिल का जर्जर होना।	46.19
20		बलौदाबाजार विकासखंड सहकारी विपणन (मार्के.) संस्था मर्या. बलौदाबाजार	बंद	2017-18	2022	243.09
21		उत्तम विपणन सहकारी संस्था समिति किसान राईस मिल भाटापारा	बंद	2017-18	विपणन सहकारी समितियों से प्राप्त जानकारी अनुसार किसान राईस मिल का निर्माण लगभग 1961–62 में किया गया। उक्त मिलों	33.87
22	बलौदाबाजार	सुभाष विपणन सहकारी संस्था मर्या. पलारी	बंद	2016-17	में उपयोग किये जाने वाले मशीनें अत्यंत पुराने एवं जिर्ण–शीर्ण होने के कारण मरम्मत	102.16
23	-	सिमगा विकासखंड सहकारी विपणन एवं प्रकिया संस्था मर्या. सिमगा	बंद	1990-91	अधिक होने अथवा मशीनों का समान नहीं मिलने के कारण बंद है।	14.39
24		उत्तम विपणन एवं प्रकिया सहकारी संस्था मर्या. कसडोल	बंद	2017—18		88.51
25		किसान को—ऑपरेटिव्ह राईस मिल एण्ड मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड महासमुन्द	बंद	1990-91	स्वयं के पूंजी के अभाव में	549.5
26	महासमुन्द	अरूणोदाय सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यां० बागबाहरा	ं बंद	2010-11	राईस मिल है जो कि वर्ष 1965–66 में स्थापित की गई है। अत्यधिक पुरानी मशीने जो कि अनुपयोगी व जर्जर स्थिति में आ . चुकी है एवं समिति की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण भी मिल बन्द पड़ी है	314.5
27		कौड़िया विपणन एवं प्रकिया सहकारी संस्था मर्याo पिथौरा	चालू	-	-	4966.00
28		बसना सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्याo बसना	बंद	1997-98	आर्थिक रूप से असक्षम।	67.96
29		फुलझर विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या० सरायपाली	बंद	1997—98	आर्थिक रूप से असक्षम।	2050.30
30		विपणन सहकारी समिति मर्यादित, धमतरी	बंद	198990	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्थाओं द्धारा संचालित किसान राईस मिलों में कस्टम	254.64
31	धमतरी	विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कुरूद	बंद	2008-09	मिलिंग का काम बंद होने के बाद मशीन—उपकरण एवं कल—पुर्जे लम्बे समय से	69.29
32		विपणन सहकारी समिति मर्यादित, नगरी	बंद	2006-07	सतत् अप्रयुक्त रहने की वजह से खराब हो गए।	29.64
33		दि बिन्द्रानवागढ़ सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्यादित गरियाबंद, 03	चालू	_	-	56.78
34	गरियाबंद	छुरा सहकारी विपणन संस्था मर्यादित छुरा,	चालू	_	_	62.92
35		राजिम विकासखण्ड विपणन सहकारी समिति मर्यादित फिगेश्वर 05	बंद	वर्ष 2005	हानि होने के कारण	. 13.75
36	दुर्ग	दुर्ग सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सिमति मर्या. दुर्ग पं.कं. 0529	चालू	-	-	224.18
37	बालोद	बालोद सहकारी विपणन समिति मर्या. बालोद	चालू	-		135.48
38	बेमेतरा	विपणन सहकारी समिति मर्या. बेमेतरा	चालू	-	_	245.11
39		सहकारी विपणन एवं प्रकिया सहकारी सिमति मर्या. डोंगरगढ़	बंद	वर्ष 2004	लगातार हानि मे होने के कारण	52.02
40	राजनांदगांव	डोंगरगांव सहकारी विपणन एवं प्रकिया सहकारी समिति मर्या. डोंगरगांव	बंद	वर्ष 2013	लगातार हानि में होने के कारण	36.06
41		अशोक सहकारी चांवल मिल एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव	चालू	_	-	44.73
42	कबीरधाम	सहकारी विपणन समिति पंडरिया	बंद	वर्ष 2000	लगातार हानि में होने के कारण	8.69



प्रपत्र-ब

## प्रदेश के घाटे वाली सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित (किसान राइस मिल) के देनदारी की दिनांक 25 जनवरी 2024 की स्थिति में जानकारी

(राशि लाखो में

Γ		Т				(राशि लाखो में)
क्र	जिला	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था		देनद	ारियां	
		(किसान राईस मिल)	शासकीय	अशासकीय	सहकारी संस्था	योग
1	सरगुजा	विपणन सहकारी समिति मर्या. अंबिकापुर	4.72	27.03	13.43	45.18
2	जांजगीर—चांपा	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित, जांजगीर	10.67	180.64	4.24	195.55
3	सक्ती	सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया संस्था मर्यादित, सक्ति	26.60		_	26.60
4	मुंगेली	दि मुंगेली सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, (किसान राईस मिल) मुंगेली	56.02	-	57.02	113.04
5	बिलासपुर	विपणन सहकारी समिति जयरामनगर	3.33	7.03	0.66	11.02
6	i identige	विपणन सहकारी समिति तखतपुर	1.64	2.90	7.57	12.35
7		विपणन संस्था तिल्दा	0.8	20.82	5.35	26.97
8	रायपुर	विपणन संस्था आरंग	5.15	25.34	26.51	57.00
9	बलौदाबाजार	उत्तम विपणन सहकारी संस्था समिति किसान राईस मिल भाटापारा	1.00	24.60	0.63	26.23
10	dential on t	सिमगा विकासखंड सहकारी विपणन एवं प्रकिया संस्था मर्या. सिमगा	5.99	43.25	1.10	50.34
11		किसान को–ऑपरेटिव्ह राईस मिल एण्ड मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड महासमुन्द	4.75	21.88	34.50	61.13
12	महासमृन्द	अरूणोदाय सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्या० बागबाहरा	9.75	7.70	49.20	66.65
13		बसना सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्या० बसना	11.02	5.30	56.34	72.66
14		फुलझर विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या० सरायपाली	4.57	0.37	76.46	81.40
15	धमतरी	विपणन सहकारी समिति मर्यादित, कुरूद	7.76	0.59	51.48	59.83
16	गरियाबंद	राजिम विकासखण्ड विपणन सहकारी समिति मर्यादित फिंगेश्वर 05	3.40	_	35.00	38.40
17	दुर्ग	दुर्ग सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी सिमति मर्या. दुर्ग पं.कं. 0529	9.50	228.75	2.01	240.26
18	बेमेतरा	विपणन सहकारी समिति मर्या. बेमेतरा प.कं. 577	8.22	329.51	1.87	339.60
19		सहकारी विपणन एवं प्रकिया सहकारी सिमति मर्या. डॉगरगढ़	5.52	45.01	3.87	54.40
20	राजनांदगांव	डोंगरगांव सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति मर्या. डोंगरगांव	110.19	13.87	0.81	124.87
21		अशोक सहकारी चांवल मिल एवं विपणन सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव	1.75	4.31	97.48	103.54
22	कबीरधाम	सहकारी विपणन समिति पंडरिया	2.28	9.99	8.20	20.47



# परिशिष्ट—अठ्ठारह [ प्रश्न संख्या—33 (क्रं.—1579) की जानकारी ]


प्रपत्र

गलत / फर्जी पाये गये जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की विभागवार जानकारी

<b>क</b> .	विभाग का नाम	कर्मचारी/अधिकारी की संख्या जिनके जाति प्रमाण पत्र गलत पाये गये	नौकरी से निकाले जाने के साथ ही की गई वैधानिक कार्यवाही की संख्या
1_	2	3	4
1	सामान्य प्रशासन विभाग	16	2
2	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	10	2
3	राजस्व विभाग	8	1
4	लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	9	1
5	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	10	0
6	महिला एवं बाल विकास विभाग	5	3
7	जल संसाधन विभाग	14	7
8	समाज कल्याण विभाग	1	0
9	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	4	1
10	वाणिज्यिक कर विभाग	1	0
11	गृह विभाग	7	0
12	ग्रामोद्योग विभाग	14	5
13	उर्जा विभाग	8	2
14	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	4	0

अनुभाग अधिकारी आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग मेत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

<b>क</b> .	विभाग का नाम		नौकरी से निकाले जाने के साथ ही की गई वैधानिक कार्यवाही की संख्या
1	2	3	4
15	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	6	3
16	उच्च शिक्षा विभाग	3	1
17	कृषि विभाग	12	3
18	उद्यानिकी विभाग	1	0
19	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	5	0
20	वन विभाग	7	0
21	सहकारिता विभाग	3	0
22	लोक निर्माण विभाग	3	1
23	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग	3	2
24	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	8	3
25	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	1	0
26	स्कूल शिक्षा विभाग	61	13
27	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय	1	0
28	जनसंपर्क विभाग	1	0
29	आवास एवं पर्यावरण विभाग	1	0
30	महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर	3	0
31	वित्त विभाग	1	1
32	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1	0
33	ग्रामीण बैंक	1	0
34	भारतीय स्टेट बैंक	4	1



· · · ·			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
<b></b>	विभाग का नाम		नौकरी से निकाले जाने के साथ ही की गई वैधानिक कार्यवाही की संख्या
1	2	3	4
35	स्वास्थ्य विभाग (भारत सरकार)	1	1
36	इंजिनियर्स इंडिया प्राय. लिमि. नई दिल्ली	1	1
37	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुंबई	1	1
38	भारतीय जीवन बीमा निगम	3	1
39	राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान रायपुर	1	0
40	भारतीय रेल्वे	3	1
41	भिलाई ईस्पात संयंत्र	19	17
42	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	1	0
43	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2	0
44	भारतीय डाक एवं तार विभाग	3	0
45	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग	1	0
46	दूरदर्शन केन्द्र रायपुर	1	1
17 1	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	2	0
48	छ.ग. राज्य इन्डरिट्रयल	1	0
	योग —	277	75

Show

अनुभाग अधिकारी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नका रायपुर

# परिशिष्ट— उन्नीस [ प्रश्न संख्या—34 (क्रं.—1774) की जानकारी ]

प्रपत्र-अ

राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी 2024 तक कृषि विभाग के अंतर्गत किसानों के हित में संचालित योजनाओं की वर्षवार योजनावार जानकारी

क	वर्ष	योजनावार जानकारी
<b>큙.</b> (3)	qq	संचालित योजना का नाम
		राज्य पोषित् योजनाएं-
1		गोधन न्याय योजना
2		राजीव गांधी किसान न्याय योजना
3		किसान समृद्धि योजना
4		कृषक समग्र विकास योजना (अक्ती)
5		कृषक समग्र विकास योजना (दलहन)
6		जैविक खेती मिशन
7		ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का प्रोत्साहन योजना
8		द्धि-फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम
9		शाकंभरी योजना
(ৰ)		केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं-
1		नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए-आर.ए.डी.)
2		नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन एम एस ए-स्वायल हेल्थ कार्ड)
3	वर्ष 2021-22	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स मेनेजमेंट (आत्मा)
4		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-आयल सींड
5		सर्ब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल (बीज ग्राम)
6		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चांवल
7		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन
8		राष्ट्रीय खाद्य सरक्षा मिशन न्यटीसिरियल्स
9		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
10		परम्परागत कृषि विकास योजना
11		टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजना
12		कृषि अभियांत्रिकी सबमिशन योजना
13		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
14		प्रधानमंत्री फेसल बीमा योजना
15		प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
16		राष्ट्रीय बांस मिशन
( <del>3</del> )		राज्य पोषित योजनाएं-
1		गोधन न्याय योजना
2		राजीव गांधी किसान न्याय योजना
3		किसान समृद्धि योजना
4		कृषक समग्र विकास योजना (अक्ती)
5		कृषक समग्र विकास योजना (दलहन)
6		जैविक खेती मिशन
7		ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का प्रोत्साहन योजना
8		द्वि-फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम
9		शाकंभरी योजना
<u>a</u> )		केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं-
1		नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए-आर.ए.डी.)
2	नर्ष २०२२ २२	नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए-स्वायल हेल्थ कार्ड)
3	वर्ष 2022-23	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स मैनेजमंेट (आत्मा)
4		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-आयल सीड
5		सब मिशन औन सीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल (बीज ग्राम)
6		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चांवल
7		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन
8		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रीसिरियल्स
9		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
10		परम्परागत कृषि विकास योजना
11		टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजना
12		कृषि अभियांत्रिकी सबमिशन योजना
13		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
14		प्रधानमंत्री फेसल बीमा योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

क्र.	वर्ष	संचालित योजना का नाम	
(왕)		राज्य पोषित योजनाएं-	
1		गोधन न्याय योजना	
2		राजीव गांधी किसान न्याय योजना	
3		किसान समृद्धि योजना	
4		कृषक समग्र विकास योजना (अक्ती)	
5		कृषक समग्र विकास योजना (दलहन)	
6		ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का प्रोत्साहन योजना	
7		द्वि-फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम	
8		शाकंभरी योजना	
(ৰ)		केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं-	
1		नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए-आर.ए.डी.)	
2		नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए-स्वायल हेल्थ कार्ड)	
3	वर्ष 2023-24	एक्सर्टेशन रिफॉर्स्स मैनेजर्म <i>ेट (आ</i> त्मा)	
4		राष्ट्रीय खाद्य सरक्षा मिशन-आयल सीड	
5		सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मटेरियल (बीज ग्राम)	
6		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चांवल	
7		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	
8		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रीसिरियल्स	
9		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
10		परम्परागत कृषि विकास योजना	
11		टारगेटिंग राईस फेलो एरिया योजना	
12		कृषि अभियांत्रिकी सबमिशन योजना	
13		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	
14		प्रधानमंत्री फैसल बीमा योजना	
15		प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	

(अमित कुमार सिंह) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र-ब

### विधानसभा क्षेत्र-खुज्जी, जिला-राजनांदगांव में वर्ष 2021-22 से 25 जनवरी 2024 तक आयोजित शिविर में विभागीय योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषक, लंबित आवेदन की वर्षवार-विकासखण्डवार जानकारी

वर्ष	विकासखण्ड	शिविर का नाम	क्र.	स्थान का नाम	योजना का नाम जिसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ	कितने कृषकों को कॉलम 5 अन्तर्गत योजना का लाभ हुआ	कितने आवेदन लंबित है।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1	महराजपुर	-	0	0	-
			2	पाटेकोहरा		0	0	-
			3	शिकारीटोला	(a)	0	0	-
		-3	4	पेण्ड्रीडीह	-	0	0	-
		गौठान मेला	5	भरीटीला ब	-	0	0	2
2021-22	छुरिया		6	घोरतलाब	-	0	0	-
			7	जोशीलमती	1-0	0	0	-
			8	जयसिंगटोला	-	0	0	-
			9	मासुल	-	0	0	-
		अमृत मोहत्सव एवं खेल प्रतियोगिता	10	भोलापुर	-	0	0	-
	वि.खछु	रिया योग- (वर्ष 2021-			0	0	0	-
			11	सांगली	-	0	0	-
			12	केशला		0	0	-
			13	ब्राम्हणभेड़ी	-	0	0	-
			14	कोटरा	-	0	0	-
			15	अं0चौकी	-	0	0	-
			16	तारमटोला	-	0	0	(=)
			17	देवरसूर	-	0	0	/ <del>=</del> :
			18	परसाटीला		0	0	-
2021-22	चौकी	रबी चौपाल	19	भरीटोला		0	0	
			20	नीचेकोहड़ा	-	0	0	-
			21	माहुदमंचादुर आतरगांव	-	0	0	
			22			0	0	
			23	हितागुटा	(*)	0	0	-
			24	मुड़पार	•	0	0	(5)
			25	टार्टकसा	-	0	0	-
			26	दाउटोला	-	0	0	
			27	आटरा		0	0	-
	B 77 -	ाँकी योग- (वर्ष 2021-	28	छछानपाहरी	-	0	0	-
			22)		0	0	0	-
	4	ग- (वर्ष 2021-22)	201	-A \ \	0	0	0	-
			29	छुरिया	किसान समृद्धि योजना	1	0	-
		मुख्यमंत्री भेट मुलाकात	30	छुरिया	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना	2	0	-
2022-23	छुरिया	3	31	छुरिया	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1	0	-
	5		32	छुरिया	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	1	0	-
			33	छुरिया	पी.एम किसान सम्मान निधी	2	0	-
		प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शिविर	34	छुरिया	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	206	0	18

वर्ष	विकासखण्ड	शिविर का नाम	क्र.	स्थान का नाम	योजना का नाम जिसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ	कितने कृषकों को कॉलम 5 अन्तर्गत योजना का लाभ हुआ	कितने आवेदन लंबित है।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			35	खोभा	पी.एम किसान सम्मान निधी	1	0	
			36	बम्रीचारभाठा	पी.एम किसान सम्मान निधी	1	0	- 2
		जन समस्या नारण शिविर	37	बादराटोला	पी.एम किसान सम्मान निधी	2	0	-
		स्थापर	38	करमरी	पी.एम किसान सम्मान निधी	2	0	100
			39	कल्लूबंजारी	पी.एम किसान सम्मान निधी	3	0	
services and	.		40	कुमरदा	पी.एम किसान सम्मान निधी	4	0	-
2022-23	छुरिया		41	बादराटोला	पी.एम किसान सम्मान निधी	0	0	-
			43	महराजपुर कल्लूबंजारी	पी.एम किसान सम्मान निधी	0	0	-
			44		पी.एम किसान सम्मान निधी पी.एम किसान सम्मान निधी	0	0	-
		गौठान मेला	45	मासुल कांपा	पी.एम किसान सम्मान निधा	0	0	-
			46	घोरतलाब	पी.एम किसान सम्मान निधी पी.एम किसान सम्मान निधी	0	0	-
			47	तुरेगढ़	पी.एम किसान सम्मान निधी	0	0	
			48	जोशीलमती	पी.एम किसान सम्मान निधी	0	0	-
	वि.खछ	रिया योग- (वर्ष 2022-	23)	SHAIRTHAI	0	0	0	-
			49	जोरातराई	-	<b>226</b> 0	0	(7)
		I —	50	बहोरनभेड़ी	-	0	0	1.5
			51	भडसेना	-	0	0	
			52	कहाडकसा		0	0	12
			53	सांगली	-	0	0	
			54	हालमकोडो	-	0	0	-
2022-23	चौकी	गौठान मेला	55	सोनसायटोला	-	0	0	-
2022-23	41471	गाठान मेला	56	नीचेकोहड़ा	-	0	0	-
		1	57	कौड़ीकसा	-	0	0	-
			58	खुर्सीटिकुल	-	0	0	-
			59	तुमड़ीकसा	-	0	0	-
			60	बिहरीकला	-	0	0	-
			61	ठाकुरबांधा	-	0	0	-
			62	मोहड़	-	0	0	-
	वि.खची	की योग- (वर्ष 2022-2	23)		0	0	0	
	या	ग- (वर्ष 2022-23)			0	226	0	-
			63	महराजपुर		0	0	-
			64	रामपुर	-	0	0	-
			65	शिकारीटोला		0	0	
2023-24		विकसित भारत	66	झिथराटोला	-	0	0	-
(25 जनवरी	छुरिया	संकल्प यात्रा	67	कल्लूटोला	-	0	0	-
2024 तक)			68	मगरधीखरा	-	0	0	-
			69	जरहामहका	-	0	0	-
			70	पुरीमटोला शिकारी महका	-	0	0	-
		-	71	बोईरडीह	•	0	0	-
			72	वाइरडाह	2	0	0	-

वर्ष	विकासखण्ड	शिविर का नाम	क्र.	का नाम	योजना का नाम जिसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ	कितने कृषकों को कॉलम 5 अन्तर्गत योजना का लाभ हुआ	कितने आवेदन लंबित है।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			73	घोघरे	-	0	0	-
			74	हालेकोसा	-	0	0	-
			75	गुण्डरदेही	-	0	0	
		-	76	जोंधरा गिदरी	-	0	0	(-)
2023-24	0	विकसित भारत	77 78		-	0	0	-
(25 जनवरी	छुरिया	संकल्प यात्रा	79	भण्डारपुर	-	0	0	-
2024 तक)			80	लालूटोला गहिराभेंड़ी	-	0	0	-
			81	बेलरगोंदी		0	0	
			82	पठानढ़ोड़गी	:	0	0	-
			83	पिनकापार	-	0	0	-
			84	नागरकोहरा	-	0	0	-
			85	रंगीटोला		0	0	•
			86	पाटेकोहरा	_	0	0	-
			87	अरजकुण्ड	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना	0	10	विडर 5 रोटावेटर 5
			88	अरजकुण्ड	पी.एम किसान सम्मान निधी	1	0	-
			89	करमरी	सौर सुजला योजना	0	6	सोलर पंप
- 1			90	करमरी	सुक्ष्म सिंचाई योजना	0	5	
			91	करमरी	पी.एम किसान सम्मान निधी		-	स्प्रिरकलर
- 1			92	रतनभाट		1	0	
			$\vdash$		सौर सुजला योजना	0	3	सोलर पंप
1			93	रतनभाट	शांकभरी योजना	0	1	डीजल पंप
			94	गोडलवाही	-	0	0	-
			96	मासूलकसा राणामटिया	-	0	0	(0)
			97	रानीतलाब		0	0	-
			98	सड़क चिरचारी	-	0	0	-
			99	कांपा		0	0	-
1			100	कलडबरी	-	0	0	
- 1			101	घोरतलाब		0	0	-
			102	पेण्ड्रीडीह		0	0	-
	- 1		103	तेलीनबांधा	-	0	0	•
- 1			104	भरीटोला ब		0	0	-
			105	महरूम	-	0	0	-
			106	बड़गाँव	-	0	0	
2023-24		विकसित भारत	107	उमरवाही	-	0	0	
25 जनवरी	छुरिया	संकल्प यात्रा	108	बरबसपुर	-	0	0	-
024 तक)			109	गोपालपुर	-	0	0	
			110	खोभा	-	0	0	
			111	जैतगुण्डरा	3-	0	0	-
			112	पण्डरापानी	-	0	0	-
			113	परेवाडीह	-	0	0	2
			114	चिखलाकसा	-	0	0	-
			115	जोब	सौर सुजला योजना	0	1	सोलर पंप
			116	मरकाकसा		0	0	
			117	सीताकसा		0	0	
			118	तुरेगढ़	पी.एम किसान सम्मान निधी	0	0	
			119	भरीटोला अ		0	1	

वर्ष	विकासखण्ड	शिविर का नाम	क्र.	स्थान का नाम	योजना का नाम जिसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ	कितने कृषकों को कॉलम 5 अन्तर्गत योजना का लाभ हुआ	कितने आवेदन लंबित है।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			121	आयबांधा	•	0	0	
			122	साल्हे		0	0	
			123	बननवागाँव	-	0	0	
			124	पांगरीखुर्द	-	0	0	
			125	बं. चारभांठा	किसान समृद्धि योजना	0	3	नलकूप खनन + पम्प प्रतिस्थापन
			126	नांदियाखुर्द	पी.एम किसान सम्मान निधी	1	0	
			127	झाड़ी खैरी		0	0	2.0
			128	बेंदाड़ी	सौर सुजला योजना	0	6	सोलर पंप
			129	कन्हारपुरी	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0	2	उथला नलकूप
			130	कन्हारपुरी	किसान समृद्धि योजना	0	1	नलकूप खनन + पम्प प्रतिस्थापन
			131	खुसीटिकुल	-	0	0	-
			132	ऑमगॉव कु. अछोली	-	0	0	-
			134	आमगाँव छु.		0	0	-
			135	गेरूघाट	-	0	0	-
			136	भकुरी	-	0	0	-
			137	दामाबंजारी	-	0	0	-
			138	भण्डारीभरदा	-	0	0	-
			139 140	चांदो धनगाँव	-	0	0	-
			141	नांदिया कृ.	-	0	0	-
			142	नांदिया कु. कल्लूबंजारी	-	0	0	
			143	टिपानगढ्	(#)	0	0	-
			144	चारभांठा कु	-	0	0	-
			145	घुपसाल कु घोटिया	•	0	0	-
			147	कुहीकला	कसान समृद्धि योजना	0	2	- नलकूप खनन + पम्प प्रतिस्थापन
			148	कुहीकला	पी.एम किसान सम्मान निधी	6	0	
			149	आलीवारा		0	0	-
				जयसिंगटोला	-	0	0	-
			151	हालाडुला कुमरदा	-	0	0	-
			152 153	मेटेपार		0	0	<del></del>
			154	फाफामार	-	0	0	-
2023-24		विकसित भारत	155	सागर	-	0	0	-
(25 जनवरी	छुरिया	संकल्प यात्रा	156	मुंजालपाथरी छुरियाकला		0	0	-
2024 तक)			157 158	सोमाझिटिया	<del>-</del>	0	0	<del>-</del>
			159	चिरचारीखुर्द	-	0	0	-
			160	मुंजालकला	-	0	0	-
			161	चिरचारीकला बूचाटोला	-	0	0	-
			162 163	बूचाटाला मासूल	-	0	0	-
			164	मातेखेड़ा	-	0	0	-
			165	गैंदाटोला	-	0	0	-
			166 167		-	0	0	-

वर्ष	विकासखण्ड	शिविर का नाम	<b>क्र</b> .	स्थान का नाम	योजना का नाम जिसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ	कितने कृषकों को कॉलम 5 अन्तर्गत योजना का लाभ हुआ	कितने आवेदन लंबित है।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			168	आतरगाँव	-	0	0	-
			169	लक्ष्मणभरदा		0	0	-
			170	केशाल		0	0	_
			171	जोशीलमती		0	0	-
			172	कोलिहालमती	-	0	0	-
			173	सीताकसा गैं.	( <del>-</del> )	0	0	-
			174	पदगुड़ा	-	0	0	-
			175	खुर्सीपार	-	0	0	-
			176	घुपसाल कु	_	0	0	<u> -</u> 7
			177	लाममेटा		0	0	
			178	बादराटोला	-	0	0	1=11
			179	केरेगाँव	-	0	0	(=)
			180	भोलापुर	-	0	0	-
				बैरागीभेंड़ी		0	0	
			181		•			-
		A-A	182 183	साल्हेटोला धरमूटोला	-	0	0	-
		विकसित भारत	184	हैदलकोड़ो	-	0	0	-
		संकल्प यात्रा	185	बागद्वार	-	0	0	-
			186	बिटाल	2	0	0	-
			187	पाण्डेटोला घोघरे	पी.एम किसान सम्मान निधी	51	0	-
			188 189	घोटिया	पी.एम किसान सम्मान निधी	23	0	-
			190	भकुरो	पी.एम किसान सम्मान निधी	38	0	-
			191	गेरूघाट	पी.एम किसान सम्मान निधी	17	0	-
			192	टीपानगढ्	पी.एम किसान सम्मान निधी	47	0	
			193 194	आमगांव बेंदाड़ी	पी.एम किसान सम्मान निधी पी.एम किसान सम्मान निधी	92 11	0	-
			194	केशोटीला	पी.एम किसान सम्मान निधी	29	0	
			196	भरीटोला ब	पी.एम किसान सम्मान निधी	40	0	(#)
			197	रानीतलाब	पी.एम किसान सम्मान निधी	28	0	-
2023-24			198	पिनकापार लालुटोला	पी.एम किसान सम्मान निधी पी.एम किसान सम्मान निधी	85 94	0	-
(25 जनवरी	छुरिया	4-0-	199 200	भण्डरापुर	पी.एम किसान सम्मान निधी	33	0	-
2024 तक)	81741	पी.एम.किसान	201	पेण्ड्रीडीह	पी.एम किसान सम्मान निधी	54	0	-
2021(14)		सम्मान निधी	202	मरकाकसा	पी.एम किसान सम्मान निधी	16	0	
			203	पण्डरापानी	पी.एम किसान सम्मान निधी	85	0	-
			204	खीभा गोपालपुर	पी.एम किसान सम्मान निधी पी.एम किसान सम्मान निधी	41 96	0	
			205 206	जीब	पी.एम किसान सम्मान निधी	51	0	
			207	सड़क चिरचारी	पी.एम किसान सम्मान निधी	20	0	-
			208	तुरेगढ्	पी.एम किसान सम्मान निधी	16	0	-
			209	आयबांधा	पी.एम किसान सम्मान निधी	7	0	-
			210	बननवागाँव सीताकसा	पी.एम किसान सम्मान निधी पी.एम किसान सम्मान निधी	129 4	0	-
			211	मुंजालपाथरी	पी.एम किसान सम्मान निधी	5	0	
			213	कांपा	पी.एम किसान सम्मान निधी	30	0	-
			214	गिदरी	पी.एम किसान सम्मान निधी	11	0	-
		पी.एम.किसान	215	उमरवाही	पी.एम किसान सम्मान निधी	23	0	-
		सम्मान निधी	216		पी.एम किसान सम्मान निधी पी.एम किसान सम्मान निधी	3	0	
		प्रमागागम	218		पी.एम किसान सम्मान निधी	54	0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.खछरिया योग- 2				1264	42	-

वर्ष	विकासखण्ड	शिविर का नाम	क्र.	स्थान का नाम	योजना का नाम जिसके अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुआ	कितने कृषकों को कॉलम 5 अन्तर्गत योजना का लाभ हुआ	कितने आवेदन लंबित है।	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	चौकी	विकसित भारत संकल्प यात्रा	219	बिहरीकला	(*)	0	0	_
			220	मोगरा		0	0	=
			220 221	चिल्हाटी		0	0	8
2023-24 (25 जनवरी 2024 तक)			222	ओटेबांधा	*	0	0	2
			222 223 224	कोटरा		0	0	· · ·
			224	ब्राम्हणभेड़ी	(*)	0	0	-
			225 226	जोरातराई	*	0	0	Ħ
			226	जादूटोला		0	0	-
			227	बिटाल	(#)	0	0	
			228 229 230	आमाटोला	2.5	0	0	
			229	गौलीटोला	-	0	0	-
			230	पीपरखार		0	0	5
			231	नीचेकोहड़ा	+	0	0	2
			232	भरीटोलां		0	0	-
			233	देववाड्वी	+	0	0	-
वि.खचौकी योग- 2023-24 (25 जनवरी 2024 तक)							0	-
योग- 2023-24 (25 जनवरी 2024 तक)							42	-
महायोग- (वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 (25 जनवरी 2024 तक)							42	-

(अमित कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

# परिशिष्ट—बीस

## [ प्रश्न संख्या—35 (क्रं.—1834) की जानकारी ]

छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

(FE-KPR)

-: आदेश :-

नवा ,जिला—रायपुर दिनांक ° 9/0३/21 कमांक / 8 ° 4/ एफ—03/115/विविध/2019/14—2ः राज्य शासन एतद् द्वारा फसलीय ऋण तथा मत्स्य एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्यशील पूंजी ऋणों के वित्तमान (Scale of Finance) निर्धारण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (State Level Technical Committee) का गठन करता है: —

1	कृषि उत्पादन आयुक्त, छ.ग.शासन	अध्यक्ष				
2	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़					
3	आयुक्त/संचालक कृषि, छ.ग.					
4	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग.					
5	संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं, छ.ग.					
6	संचालक, मत्स्य पालन विभाग, छ.ग.	सदस्य				
7	प्रबंध संचालक, छ.ग राज्य लघु वनोपज सह.संघ मर्या.	सदस्य				
8	क्षेत्रीय संचालक, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य				
9	मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	सदस्य				
10	संयोंजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छ.ग.	सदस्य				
11	राज्य के प्रमुख वाणिज्य बैंक (प्रतिनिधि एस.एल.बी.सी.)					
12	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक					
13	संचालक अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय					
14	संचालक अनुसंधान सेवाएं, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय	सदस्य				
15	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या. रायपुर					

#### समिति के दायित्व -

फसलीय ऋण तथा मत्स्य एवं पशुपालन क्षेत्र में कार्यशील पूंजी ऋणों के वित्तमान निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्ताव का नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समीक्षा कर अनुमोदन प्रदान करना।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(कुडा मुक्स) । संयुक्त संचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विमाग

Jal

AOffice documently working section VIVI Drivividh Letters

्रह. / १९५/एफ-03 / 115 / विविध / 2019 / 14-2 अटल नगर. दिनांक <u>0</u>9 ′ 0<u>1</u> / 2021 ) प्रतिलिपि-

 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, कृषि, जल संसाधन, पशुपालन, मछली पालन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय महानदी भवन।

 उप सचिव छ.ग.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर।
 स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्यो. विभाग।

4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छ.ग. शासन, वित्त/वन/सहकारिता/कृषि ।

5. समिति के अध्यक्ष / संयोजक / सदस्यगण.... की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ।

> संयुक्त सचिद् छत्तीसगढ़) शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

#### कार्यालय पंजीयक, . सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंदावती भवन, नया रायपुर वूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल- res.coop@nic.in

क्मांक / विपणन-2 / 2016 / प्रति.

नया रायपुर, दिनांक : //03/2016

1. प्रबंध संचालक छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्या० पंडरी रायपुर

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय धैक मर्या०, रायपुर/दुर्ग/ राजनांदगांव/जगदलपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर (छ०ग०)

राज्य के सहकारी समितियों को इफको/कृभको द्वारा सूक्ष्म तत्व आधारित उर्वरक, षय:-कीटनाशक एवं नींदानाशक दवाई के विक्रय के संबंध में।

(1) कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर का पत्र क्रमांक/3282 दिनांक दर्भ :-04/07/2015.

(2) छ०ग० शासन, सहकारिता विभाग 'मंत्रालय' का पत्र क्रमांक/आर-1744/15-02/ 2015/113/ नया रायपुर, दिनांक 18/01/2016.

(3) इफको का पत्र क्र./रा.का.रा./कृ.सं./2015-16/हि. 725 दिनांक 04/01/2016.

(4) कृभको का पत्र क्र./रा.वि.का./रायपुर/छ.ग./ दिनांक 04/01/2016.

---00-उपरोक्त विषयांतर्गत सोसाइटियों के माध्यम से कृषकों को वितरित किये जाने वाले खाद बीज के संबंध में जारी परिपन्न क्रमांक 3282 दिनांक 04/07/2015 का अवलोकन करें, जिसके नम्य में कृषकों, जनप्रतिनिधियों तथा इफकों / कृभको से प्राप्त आवेदन तथा शासन से कृषकों को नाशक दवाई क्रय बाबत् जारी दिशा निर्देश का पत्र क्रमांक 113 दिनांक 18/01/2016 के परिप्रेक्ष्य विस्था दी जाने हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर में 19/02/2016 को बैठक में विचारोपरांत र्षों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :-

त्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग 'मंत्रालय' महानदी भवन, नया रायपुर के परिपन्न मांक/आर-1744/15-2/2015/113 नया रायपुर, दिनांक 18/01/2016 का कंडिका क्रमांक 01 अनुसार व्यवस्था दी गई है कि "कृषकों को स्वीकृत नगद एवं वस्तु ऋण सीमा के अंतर्गत वस्तु ण की सीमा शेष होने एवं सहकारी समितियों में दयाओं का भंडारण नहीं होने की रिथिति में सानों को दवाओं की आवश्यकता का आकलन कर उन्हें प्रति हेक्टेयर दवा क्रय करने हेतु नगद ग दिया जावे, जिससे किसान अपनी मंशा के अनुरूप दवा क्रय कर फसलों को बचा सके।" ानुसार शासन के पत्र की कंडिका क्रमांक 01 के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

क में उपस्थिति इफको / कृभकों के अधिकारियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों विशेष कर जिंक की कमी बड़े पैमाने पर पाये जाने के कारण जिंक हेट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में विपणन संघ द्वारा सहकारी समितियों को पोषक तत्व उर्वरक/जल-विलेय उर्वरक/कीटनाशक/नींदानाशक की आपूर्ति नहीं की जाती

Vipnan/P-1

है। इपनाने, कुमानों द्वारा संत्यादी को समिति स्तर पर कसाइनमट दिस्स पर प्रतुवाकर ५००० ५००० स्रोदेगा तथा समितियों पर कोई परिवान का भार भी नहीं आदमा तथा कृपका को दिली ५००० छान्। समिति द्वारा इपनाने/द्वानको को प्रवान की जाना है।

3 प्रका संचालक, अपेक्स वेक, समपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी कन्धांव १४ त्यापुर द्वारा अथगत कराया गया है कि पैक्स / लैन्स्न की सूक्ष्म तत्व आधारित उर्वरक / कीटनामक / कोज इत्यादि / नीदानामक को इकको / कृभको द्वारा समिति स्तर पर पहुँचाकर कसाइन्मेंट वेसिन पर प्रदाय करने इफको / कृभको सहमत है किसानों को बिक्री परचात् ही इसकी राशि इफको / कृभको के स्थानीय अधिकारी जानकारी भी इफको / कृभको के स्थानीय अधिकारी कृषकों को उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसानों को उनकी आवश्यक सामग्री हनारी समितियों के माध्यम से कृषकों को इफको / कृभकों के उत्याद उपयुक्त गुणवत्ता तथा उद्यित दर में प्राप्त होन के दृष्टिकोण से वितरण की व्यवस्था दी जाना उचित हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यालयीन परिपृत्र क्रमांक/विप-2/2015/3282 रायपुर, दिनांक 107/2015 में संशोधन कर, निर्देशित किया जाता है कि इफको/कृभकों के उक्त उत्पादों को सहकारी समिति के माध्यम से कंसाइनमेंट आधार पर रखकर समिति के कृषक सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें तथा उन्तानुसार वितरित आदान में ब्याज अनुदान की पात्रता होगी। उक्त निर्देश इफको एवं कृभकों से ही कंसाइनमेंट बेसिस से प्राप्त आवान हेतु होगी। इस हेतु नियमानुसार आवश्यक लाईसंस एवं अन्य वैधानिक औपचारिकताएँ पैक्स/लैम्स सौसाइटी हारा पूरी करनी होगी।

(जे0) पी0 पाठक) पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ०कंमांक / विपणन-2 / 2016 / (372

नया रायपुर, दिनांक 9/03/2016

 कृषि उत्पादन आयुक्त, छ०ग० शासन, कृषि विमाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

2. सचिव, छ०ग० शासन, सहकारिता विभाग 'मंत्रालय' महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3. संचालक कृषि, संचालनालय कृषि विभाग, लामांडी रायपुर (छ०ग०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक, छ०ग० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

मंयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं समस्त संमाग / जिला .......(७०७०)।

- 6. राज्य विपणन प्रबंधक, इंडियन फॉरमर्स फर्टिलाईजर को—ऑपरेटिव्ह लिमिटेड,मकान नंबर-2. सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर (छ०ग०) के संदर्भित आवेदन क्रमांक 03 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- राज्य विपणन प्रबंधक, कृषक भारतीय को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड, सी-76, सेक्टर-2, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ०ग०) के संदर्भित आवेदन क्रमांक 04 के संदर्भ में सूचनार्थ।

समन्वय / योजना / साख / अंकेक्षण कक्ष, मुख्यालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

/Jan-2 Vipnan/P-2

जप सचिव छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

# परिशिष्ट-इक्कीस [ प्रश्न संख्याा—37 (क्रं.—1946) की जानकारी ]

प्रपत्र

	छानबीन समिति द्वारा सही पाये गये शिकायती प्रकरणों की	विभागवार संख्या
क.	विभाग का नाम	सही पाये गये शिकायती प्रकरणों की संख्या
1	2	3
1	सामान्य प्रशासन विभाग	16
2	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	10
3	राजस्य विभाग	8
4	लोक रवारथ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	9
5	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	10
6	महिला एवं बाल विकास विभाग	5
7	जल संसाधन विभाग	14
8	समाज कल्याण विभाग	1
9	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	4
10	वाणिज्यिक कर विभाग	1
11	गृह विभाग	7
12	ग्रामोद्योग विभाग	14
14	उर्जा विभाग	В
15	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	4
16	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	6
17	उच्च शिक्षा विभाग	3
18	कृषि विभाग	11
	इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय	1
19	उद्यानिकी विभाग	1
20	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	4
21	वन विभाग	7
22	सहकारिता विभाग	3
23	लोक निर्माण विभाग	3
24	योजना. आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग	3
25	पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग	8

अनुभाग अधिकारी आजा. तथा अनुजावि, विभाग मत्रालय, नवा राजपुर, अटल नगर

क.	विभाग का नाम	सही पाये गये शिकायती प्रकरणों की संख्या
1	2	3
26	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	1
27	स्कूल शिक्षा विभाग	61
28	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय	1
29	जनसंपर्क विभाग	1
30	आवास एवं पर्यावरण विभाग	2
31	महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर	3
32	वित्त विभाग	1
37	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1
38	बैंक	5
39	स्वास्थ्य विभाग (भारत सरकार)	1
40	इंजिनियर्स इंडिया प्रायः लिमिः नई दिल्ली	1
42	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुंबई	1
43	भारतीय जीवन बीमा निगम	3
44	राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान रायपुर	1
45	भारतीय रेल्वे	3
46	भिलाई ईस्पात संयत्र	19
47	पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	1
48	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2
49	भारतीय डाक एवं तार विभाग	3
50	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग	1
51	भारतीय प्रसारण निगम आकाशवाणी, रायपुर	1
52	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय	2
53	छ.ग. राज्य इन्डरिट्रयल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	1
	योग -	277

अनुभाग अधिकारी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नक्ष रायपुर

# परिशिष्ट— बाईस [ प्रश्न संख्या—38 (क्रं.—2007) की जानकारी ]

प्रप	7	
गइ		

疎.	निकाय का नाम	फर्म का नाम	अवधि	लक्ष्य राशि (लाख में)	वसूल की गई राशि (लाख भें)	वसूली का प्रतिशत	मुगतान की दर	स्वीकृत दर @ 7.15% अनुसार कंमीशन चार्ज	90 प्रतिशत से कम वसूली के कारण कटौती की गई राशि	भुगतान की गई राशि (लाख में)
1			2021-2022	4852.00	2883.98	59%		206.20	20.62	185.58
	नगर पालिक निगम्	बेलासपुर प्रा. लि.	2022-2023	5439.00	3333.43	61%	7.15%	238.34	23.83	214.51
	बिलासपुर		2023-2024 (दिसम्बर 2023 तक)	5663.00	; 2103.79	37%		150.42	15.04	135,38
			योग	15954.00	8321.20	52%		594.96	59.49	535.47
2			2021-2022	4564.18	3461.01	76%	14.60	247.46	~ 24.75	222.71
	नगर पालिक निगम, मिलाई	स्पायरों सॉफ्टेक प्रा. लि.		5050.03	3043.14	60%	7.15%	217.58	21.76	195.82
			योग	9614.21	6504.15	68%	-	465.04	46,51	418.53

### परिशिष्ट—तेईस [ प्रश्न संख्या—39 (क्रं.—2067) की जानकारी ]

प्रपत्र

प्रश्नांश — 25 जनवरी, 2024 की स्थिति में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर (छ.ग.) में आईएएस, आईपीएस एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध चल रही जांच की जानकारी

#### भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों के विरूद्ध चल रही जांच

क्र.	आरोपी/अनावेदक का नाम एवं पदनाम	अपराध क्र.		
1.	श्री रघुनाथ प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं संभागायुक्त, रायपुर संभाग रायपुर	अपराध क.— 17 / 1995 धारा—409, 420, 467, 468 ,120—बी, भा.द.		
2.	श्री जी. वैकन्ना, तत्कालीन अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं संभागायुक्त, रायपुर संभाग रायपुर	ਕਿ., एवं 13 (1)ਫੀ (II) (III) 13(2) ਸ਼.ਜਿ.ਸ. 1988		
3.	श्री आर.पी. यादव, तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर	अपराध क. – 18 / 1995		
4.	श्री अजय नाथ, तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर	धारा 409, 420, 467, 468 120—वी, मा.द. वि.एवं 13 (1) III) (III) 13(2) भ्र.नि.अ. 1988		
5.	श्री एन.पी. तिवारी, तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर			
6.	श्री टी.एस. छतवाल, तत्कालीन प्रबंध संचालक, मार्कफेड, रायपुर, छ०ग०	धारा-120-बी भा.द.वि. एवं 13 (1) सी डी		
7.	श्री आर.पी. बगई, तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी, मार्कफंड रायपुर			
8.	श्री बाबूलाल अग्रवाल तत्कालीन सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय–रायपुर	अपराध क 06 / 2010 धारा-13 (1) ई 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 सहपठित धारा 3 बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 1988		
9.	श्री व्ही०के० धुवे, तत्कालीन अपर कलेक्टर/प्रोटोकाल अधि० अम्बिकापुर जिला सरगुजा	अपराध क.— 33 / 2012 धारा—13(1)(सी)(डी) 13 (2)म्न.नि.अधि.1988 यथासंशोधित2018 तथा 120बी. 420, 409, 467, 468, 471, 34 भादवि		
10.	श्री एच0पी0 किण्डों, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, भिलाई	अपराध क.— 27 / 2012 धारा–120—बी भा.द.वि. एवं 13(1) डी (II), (III) 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988		

याना प्रभारी /निरीदाक आर्थिक अपराध अन्तेवण, एन्टी करणान ब्यूरी स्वपुर (छ.ज.)

अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7 मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

화.`	आरोपी / अनावेदक का नाम एवं पदनाम	अपराध क.		
		अपराध क्रमांक — 02/2002, 03/2002. 04/2002, 05/2002, 06/2002,		
11.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद, रायपुर	जगराध क.— 09 / 2019 धारा— 120बी, भादवि एवं 7 (सी), 13(1)(ए) भ्र.नि.अ. 1988 यथा संशोधित भ्र.नि.अ. 2018 अपराध क.— 10 / 2019 धारा— 120बी, भादवि एवं 7 (सी), 13(1)(ए) भ्र.नि.अ. 1988 यथा संशोधित भ्र.नि.अ. 2018		
12.	श्री संजय अलंग, तत्कालीन, प्रबंध संचालक, छ०ग० पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर			
13.	श्रीमती रानू साहू, तत्कालीन कलेक्टर, जिला कोरबा	अपराध क.— 02 / 2024 धारा—420, 120बी भादवि एवं 7, 12 भ्रनिअ. 1988 यथा संशोधित 2018		
	श्रीमती रानू साहू, तत्कालीन कलेक्टर, जिला कोरबा			
14.	श्रीमती किरण कौशल, कलेक्टर, कोरबा	अपराध क03/2024		
15.	श्री जे.पी. मौर्य	धारा–420, 120बी भादवि एवं 7, 7ए, 12 भ्रनिअ, 1988 यथा संशोधित 2018		
16.	श्री के.डी. कुंजाम	भागन, 1900 पद्मा सरामिया 2010		
17.	श्री समीर विश्नोई, तत्कालीन निदेशक भू-विज्ञान एवं खनिज			
18.	श्री निरंजन दास, तत्कालीन आवकारी आयुक्त	अपराध क्र 04/2024,		
19.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	(यथासंशोधित) 2018 एवं 420, 467, 468,		
20.	श्री विवेक ढांड, तत्कालीन चेयरमेन, रेरा	471, 120बी भा.द.वि.,		

वाना प्रधारी /निरीदाक आर्थित अपराव अन्दे त्रण, एन्टी करणन व्यूरो संयपुर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7 मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

# भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों के विरूद्ध चल रही जांच

क्र.	आरोपी / अनावेदक का नाम एवं पदनाम	अपराध कमांक		
1.	श्री रजनेश सिंह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, एसीबी, रायपुर।	अपराध क.— 06/2019 व अपराध क.— 07/2019 धारा—166, 166ए, (बी), 167, 193, 194, 196, 201 218, 466, 467, 471, 120बी ता.हि. 25, 26 सहपठिर धारा 5(2) भारतीय टेलीग्राफ एक्ट		
2.	श्री मुकेश गुप्ता, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू / एसीबी / गुप्तवार्ता रायपुर			
	श्री मुकेश गुप्ता	अपराध क 18/2020 धारा-7(ग) भ्र.नि.अधि. एवं 120बी, 406, 420 भा.द.वि.		
3.	श्री दीपांशु काबरा	अपराध क 03/2024		
4.	श्री भोजराम पटेल	धारा—420, 120बी भादवि एवं 7, 7ए, 12 भ्रनिअ. 1988		

्रिक्ष्म धाना प्रः ती /निरीदा जिले : अवस्थ अन्देश्न एन्टी करामन ब्यूरो स्थपुर (छ.म.)

> अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7 मंत्रालय, महानवी भवन, अटल नगर, रायपुर

# राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध चल रही जांच

क्र.	आरोपी / अनावेदक का नाम एवं पदनाम	अपराध कमांक
1.	श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर	अपराध क.— 17 / 1995 धारा—409, 420, 467, 468 ,120—बी, भा.द वि., एवं 13 (1)डी (II) (III) 13(2) म्र.नि.अ. 1988
2.	श्री के.पी. देवांगन, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर वर्तमान-निलंबित संयुक्त कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय रायपुर	अपराध क.— 31 / 2008 धारा—420, 120बी, भा.दं.वि. 13(1)(सी)(डी) 13(2) भ्र नि.अ. 1988
3,	श्री नवल सिंह मंडावी, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाडा	अपराध क.— 25/2017 धारा—13(1)डी, 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
4.	श्रीमती सौम्या चौरसिया, तत्कालीन उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय छ०ग०	अपराघ क.— 03 / 2024 धारा—420, 120बी भादवि एवं 7, 12 भ्रनिअ. 1988
5.	श्री शिव बनर्जी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर, सूरजपुर	अपराध क.— 03 / 2024 धारा—420, 120बी भादवि एवं 7, 12 भ्रनिअ. 1988
6.	श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर, खनिज, सूरजपुर	अपराध क.— 03 / 2024 धारा—420, 120वी भादवि एवं 7, 12 भ्रनिअ. 1988

थाना प्रचारी गिरीद् आर्थिक अपराध अन्यान, एन्टी करण्यन ब्यूरी सम्बपुर (छ.ज.)


> अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-7 मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

# परिशिष्ट—चौबीस [ प्रश्न संख्या—42 (क्रं.—2354) की जानकारी ]

प्रपत्र

विधानसभा द्वारा पूछे गये प्रश्नांश (ख) की जानकारी

कमांक	विभाग का नाम	सभा द्वारा पूछे गये प्रश्नांश दिनांक 12.02.2024 की स्थिति में प्रथम श्रेणी के	संशोधित/नवीन नियम के अनुसार अयोग्य संविदा	संबंधित अधिकारी के विरुद्ध	
		पदों पर संविदा पर	अधिकारियों की संख्या	विभागीय जांच/	
		कार्यरत अधिकारियों की	311-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	अभियोजन के	
		संख्या		प्रकरण लंबित/	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 12.000	प्रचलित हो, तो	
				उसकी जानकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01	सामान्य प्रशासन विभाग	14	_	_	
02	समाज कल्याण विभाग	01	_	-	
03	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	01	_	-	
04	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	03	_	_	
05	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	01	-	-	
06	स्कूल शिक्षा विभाग	01	_	-	
07	उच्च शिक्षा विभाग	02	_	-	
08	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	09	_	-,	
09	चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग	05	_	-	
10	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	07	01 संविदा अधिकारी मोहम्मद शाहिद, मुख्य परिचालन अधिकारी, आयुर्वेदिक इकाई जामगांव		
11	जल संसाधन विभाग	07	-	_	
12	लोक निर्माण विभाग	01	_	_	
13	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	05	-	-	
14	कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग	03	-,	_	
15	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	01	-	-	
16	वित्त विभाग	01	-	-	
17	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	01	1.15.7	-	
18	वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	01	_	-	
19	विमानन विभाग	10	_	_	
20	गृह (पुलिस) विभाग	05	_	_	
21	ऊर्जा विभाग	07	_	_	
22	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	01	- , ,	-	
	कुल	87			



# परिशिष्ट—पच्चीस [ प्रश्न संख्या—43 (क्रं.—2395) की जानकारी ]

प्रपत्र

(राशि लाखों में)

क्र.	चयनित जिला का नाम	विद्युत सेक्टर में प्रावधानित
	9	राशि
1	जगदलपुर	654.79
2	कोण्डागांव	1426.60
3	नारायणपुर	240.57
4	सरगुजा	336.70
5	सूरजपुर	476.11
6	बलरामपुर-रामानुजगंज	141.70
7	जांजगीर–चांपा	15.00
	योग :	3291.47

अनुभाग अधिकारी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, विकास विभाग, मंत्रालय, नका रायपुर,

# परिशिष्ट—छब्बीस [ प्रश्न संख्या—45 (क्रं.—2623) की जानकारी ]

प्रपत्र - ''अ''

	जिला राजनांदगाँव अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक किसानों के द्वारा								
	आत्महत्या की जानकारी :-								
<u> </u>	_		T	1					
क्रं.	विकासखण्ड	थाना	मृतक का नाम	मर्ग	आत्महत्या का कारण				
1	छुरिया	डोगरगॉव	स्व.श्री लक्ष्मण साहू	04/2024	मानसिक प्रताड़ना				
2	छुरिया	छुरिया	सोन सिंह तुमरेकी	02/2024	नशे का आदी।				
3	छुरिया	छुरिया	कुंदूराम कोर्राम	05/2024	मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से				
4	छुरिया	छुरिया	मोतीराम पटेल	07/2024	अत्याधिक शराब सेवन से मानिसक				
					स्थिति ठीक नही होना।				
5	राजनांदगॉव	बंसतपुर	मैलू यादव	06/2024	मानिसक स्थिति ठीक नही होना।				
6	राजनांदगॉव	लालबाग	सुखदेव सिंन्हा	06/2024	बीमारी				

अमुधान अभिकारी गृह विभाग मंत्रालव, सम्मुर

प्रपत्र - "ब"

Γ									
	जिला राजनांदगाँव अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक किसान आत्महत्या पर की गई कार्यवाही :-								
<u> </u>	16	1			·				
क्र	विकासख	थाना	मृतक /	दर्ज मर्ग	आत्म हत्या	दोषी व्यक्ति	दोषी व्यक्ति के विरूद्ध की गई कार्यवाही		
	ण्ड		मृतिका का		का कारण	का नाम			
			नाम						
1	डोगरगॉव	डोगरगॉव	स्व.श्री	04/2024	मानसिक	एकान्त	मर्ग जॉच उपरांत दिनांक 04.02.2024 को		
			लक्ष्मण साहू		प्रताड़ना	चंद्राकर	आरोपी एकान्त चंद्राकर के विरूद्ध अप.क		
							30/2024 धारा- 306 भारतीय दण्ड विधान		
							पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण का अरोपी		
							फरार है जिसकी हर संभव पतासाजी की जा		
							रही है।		

কুলাত আমিকাৰী তেওঁৰ ক্ষমত

# फरवरी—मार्च, 2024 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्रं.	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन
1	06/02/2024	ता.प्र.सं.—1(क्र.—58)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संक्षरण	संशोधन
2	06/02/2024	ता.प्र.सं.—03(क्र.—02)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संक्षरण	संशोधन
3	06/02/2024	ता.प्र.सं.—11(क्र.—151)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संक्षरण	संशोधन
4	06/02/2024	ता.प्र.सं.—21(क्र.—144)	वाणिज्यिकर (आबकारी)	संशोधन
5	07/02/2024	ता.प्र.सं.—04(क्र.—268)	वन एवं जलवायु परिवर्तन	संशोधन
6	07/02/2024	ता.प्र.सं.—06(क्र.—244)	वन एवं जलवायु परिवर्तन	संशोधन
7	07/02/2024	ता.प्र.सं.—09(क्र.—296)	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	संशोधन
8	दिनांक 07/02/	2024 का शुद्धि पत्र		
9	08/02/2024	ता.प्र.सं.—04(क्र.—486)	श्रम	संशोधन
10	08/02/2024	ता.प्र.सं.—11(क्र.—553)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
11	09/02/2024	ता.प्र.सं.—९(क्र.—704)	पर्यटन	संशोधन
12	09/02/2024	ता.प्र.सं.—15(क्र.—160)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
13	दिनांक 12/02/	2024 का शुद्धि पत्र		
14	13/02/2024	ता.प्र.सं.—24(क्र.—1008)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
15	दिनांक 13/02/	2024 का शुद्धि पत्र		
16	14/02/2024	ता.प्र.सं.—04(क्र.—622)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संशोधन
17	14/02/2024	ता.प्र.सं.—10(क्र.—1310)	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	संशोधन
18	14/02/2024	ता.प्र.सं.—16(क्र.—834)	सहकारिता	संशोधन
19	14/02/2024	ता.प्र.सं.—18(क्र.—568)	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	संशोधन
20	14/02/2024	ता.प्र.सं.—25(क्र.—1152)	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	संशोधन
21	दिनांक 14/02/	2024 का शुद्धि पत्र		
22	15/02/2024	ता.प्र.सं.—06(क्र.—1155)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
23	दिनांक 15/02/	2024 का शुद्धि पत्र		
24	16/02/2024	ता.प्र.सं.—05(क्र.—1275)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
25	दिनांक 16/02/	2024 का शुद्धि पत्र		
26	20/02/2024	ता.प्र.सं.—02(क्र.—918)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संक्षरण	संशोधन

27	20/02/2024	ता.प्र.सं.—13(क्र.—1071)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संक्षरण	संशोधन
28	21/02/2024	ता.प्र.सं.—09(क्र.—864)	नगरीय प्रशासन एवं विकास	संशोधन
29	दिनांक 21/02/	2024 का शुद्धि पत्र		-
30	22/02/2024	ता.प्र.सं.—13(क्र.—2132)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
31	23/02/2024	ता.प्र.सं.—01(क्र.—2199)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
32	23/02/2024	ता.प्र.सं.—04(क्र.—1516)	स्कूल शिक्षा	संशोधन
33	23/02/2024	ता.प्र.सं.—13(क्र.—2187)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
34	26/02/2024	ता.प्र.सं.—25(क्र.—2395)	आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	संशोधन
35	27/02/2024	ता.प्र.सं.—14(क्र.—2357)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संक्षरण	संशोधन
36	दिनांक 27/02/	2024 का शुद्धि पत्र		
37	28/02/2024	ता.प्र.सं.—15(क्र.—2337)	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	संशोधन
38	दिनांक 28/02/	2024 का शुद्धि पत्र	-	

# प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 06.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक --में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (\*क्रमांक 58) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ''क'' के प्रपत्र ''अ'' के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित/**पुनरीक्षित** उत्तर पढ़ा जावें:-

जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

खाद्य, नागरिक आपूर्त एवं उपभावता संरक्षण मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - अ

उचित मूल्य दुकानों के भौतिक सत्यापन उपरांत खाद्यान्न सामग्री के स्टॉक में पाई गई कमी की जिलेवार, दुकान संख्यावार, राशन सामग्री की मात्रावार एवं अनुमानित राशि की जानकारी (दिनांक 24.03.2023 की स्थिति में) (मात्रा मे.टन में/राशि करोड़ रूपये में)

		जिले में कुल कितनी दुकानों का भौतिक		राशन सामार् कारणो म	ी वसूली योग्य वे शामिल मात्रा	मात्रा (तकनीकी को घटाकर)
क्र.	जिला	का भारतक सत्यापन किया गया	खाद्यात्र	उचित मूल्य दुकान की संख्या	राशन सामाग्री की मात्रा	राशन सामाग्री की अनुमानित राशि
rs i			चाँवल	367	3727.60	13.240
1	बस्तर	485	शक्कर	344	148.06	0.532
1 5			चना	358	245.48	1.343
	_		चाँवल	8	37.63	0.134
2	बीजापुर	189	शक्कर	6	0.96	0.003
	2		चना	6	1.62	0.009
			चाँवल	118	240.12	0.853
3	दंतेवाड़ा	159	शक्कर	91	12.60	0.045
			चना	83	11.49	0.063
		J (8)	चाँवल	288	3582.74	12.726
4	कांकेर	487	शक्कर	275	160.05	0.575
			चना	270	215.68	1.180
			चाँवल	232	612.58	2.176
5	कोंडागाव	402	शक्कर	233	58.77	0.211
			चना	190	45.89	0.251
			चाँवल	42	203.95	0.724
6	नारायणपुर	113	शक्कर	42	8.87	0.032
			चना	42	14.97	0.082
			चाँवल	34	420.01	1.492
7	सुकमा	170	शक्कर	26	8.29	0.030
			चना	26	18.07	0.099
			चाँवल	96	2241.12	7.960
8	बिलासपुर	673	शक्कर	88	77.70	0.279
"			चना	25	14.14	0.077

		जिले में कुल कितनी दुकानों का भौतिक		राशन सामार् कारणो मे	गि वसूली योग्य वे शामिल मात्रा	मात्रा (तकनीकी को घटाकर)
क्र.	जिला	का भौतिक सत्यापन किया गया	खाद्यात्र	उचित मूल्य दुकान की संख्या	राशन सामाग्री की मात्रा	राशन सामाग्री की अनुमानित राशि
			चाँवल	42	292.72	1.040
9	गौरेला पेंडरा मरवाही	199	शक्कर	39	19.49	0.070
			चना	36	32.88	0.180
1000	-i0i		चाँवल	59	898.48	3.191
10	जांजगीर चांपा	377	शक्कर	53	33.94	0.122
	, ,		चाँवल	303	4669.56	16.586
11	कोरबा	477	शक्कर	307	212.05	0.762
			चना	322	451.26	2.468
	1:3-9	206	चाँवल	101	927.43	3.294
12	मुंगेली	396	शक्कर	101	48.90	0.176
			चाँवल	173	1315.57	4.673
13	रायगढ़	646	शक्कर	140	128.50	0.462
	=		चना	99	126.57	0.692
			चाँवल	295	3262.79	11.589
14	सकती	341	शक्कर	276	154.46	0.555
	**************************************		चना	30	13.17	0.072
			चाँवल	185	2089.77	7.423
15	सारंगढ़ बिलाईगढ़	387	शक्कर	181	108.56	0.390
			चना	64	21.78	0.119
			चाँवल	100	144.06	0.510
16	बालोद	469	शक्कर	78	8.10	0.030
			चना	21	3.20	0.020
			चाँवल	196	1228.07	4.362
17	बेमेतरा	458	शक्कर	167	59.00	0.212
			चना	85	1.85	0.010
	ਤਸ਼ੀ	(25	चाँवल	14	85.66	0.300
18	दुर्ग	635	शक्कर	8	1.87	0.010
			चाँवल	315	3466.07	12.310
19	कवर्धा	498	शक्कर	351	238.42	0.860
			चना	40	17.37	0.090

		जिले में कुल कितनी दुकानों का भौतिक		राशन सामार्थ कारणो मे	ो वसूली योग्य । शामिल मात्रा	मात्रा (तकनीकी को घटाकर)
क्र.	जिला	का भौतिक सत्यापन किया गया	खाद्यान्न	उचित मूल्य दुकान की संख्या	राशन सामाग्री की मात्रा	राशन सामाग्री की अनुमानित राशि
20	राजनांदगांव	गांव 481		118	1219.50	4.332
20	राजनादगाव	481	शक्कर	103	50.16	0.180
			चाँवल	205	1030.33	3.660
21	खैरागढ़ छुईखदान	238	शक्कर	207	65.51	0.235
			चना	24	7.65	0.042
			चाँवल	179	403.50	1.433
22	मोहला मानपुर 📩	190	शक्कर	69	6.50	0.023
	मोहला मानपुर 190		चना	67	7.10	0.039
		ਚ ਚਾ		311	1879.50	6.676
23	बलौदाबाज़ार	555	शक्कर	227	74.56	0.268
The second second			चना	85	6.44	0.035
			चाँवल	42	241.78	0.859
24	धमतरी	440	शक्कर	23	5.88	0.021
			चना	18	4.12	0.023
			चाँवल	164	1568.38	5.571
25	गरियाबंद	354	चाँवल		87.32	0.314
			चना	127	104.86	0.573
			चाँवल	11	194.60	0.691
26	महासमुंद	591	शक्कर	9	4.54	0.016
_			चना	1	0.46	0.002
	77777		चाँवल	137	1935.34	6.874
27	रायपुर	587	शक्कर	59	26.92	0.097
			चाँवल	446	4002.61	14.217
28	बलरामपुर	476	शक्कर	428	169.83	0.610
	3		चना	439	151.13	0.827
_			चाँवल	308	3118.07	11.075
29	जशपुर	480	शक्कर	408	243.71	0.875
			चना	392	188.21	1.029
			चाँवल	42	440.43	1.564
30	कोरिया	169	शक्कर	44	35.29	0.127
			चना	39	25.43	0.139

		जिले में कुल कितनी दुकानों का भौतिक		राशन सामार्ग कारणो मे	गि वसूली योग्य रे शामिल मात्रा	मात्रा (तकनीकी को घटाकर)
क्र.	जिला	का भौतिक सत्यापन किया गया	खाद्यान्न	उचित मल्य   राशन		राशन सामाग्री की अनुमानित राशि
_			चाँवल	389	4308.89	15.305
31	सरगुजा	510	शक्कर	371	243.09	0.873
			चना	382	401.70	2.197
			चाँवल	467	3678.15	13.060
32	सूरजपुर	514	शक्कर	434	262.21	0.940
-			चना	422	254.55	1.390
			चाँवल	95	772.60	2.744
33	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी	246	शक्कर	76	42.98	0.154
	le T		चना	78	52.86	0.289

Beganial

अनुधान अधिकारी ज्य नागरिक सार्वेत इवं उपयोदता संस्थान विद्या ज्यानायः नदा साज्यः स्टब्स गणर

# प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 06.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 03 (\*क्रमांक 02) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग ''क'' के कॉलम भुगतान की गयी राशि (करोड़ो में) 23501.68 एवं प्रपत्र ''अ'' के वर्ष 2022-23 में भुगतान की गई राशि 23501.68 (करोड़ो में) के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावें:-

'भाग 'क'' के कॉलम भुगतान की गयी राशि (करोड़ो में) 21963.98 एवं प्रपत्र 'अ'' में वर्ष 2022-23 में भुगतान की गई राशि 21963.98 '(करोड़ो में)

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम (दयालदास बधल) पदनाम (मंगी मंत्री) खाद्य, नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता संरक्षण भंत्रात्य, नता संयपुर, अटल नगर

धान खरीदी एवं भगतान की जानकारी
4
भगतान
Td.
खरीदी
धान
रक्वा,
किसान,
पंजीकृत
本
2023-24 में पजीकृत
प्व
2022-23
2021-22,
9

जिला का नाम	कुल पंजीकृत	धान वेचने वाले	बेचे गये धान का	बेची गयी पान	भुगतान की गई	कुल पंजीकृत	धान बेचने वाले	बेचे गये धान का	बेची गयी पान	भुगतान	कि व	पान बेचने वाले	包	वेची गयी धान	भुगतान
	ें किसान -	किसानों की संख्या	(क वा	की मात्र	<b>E</b>	किसान	किसानों की संख्या	रक्बा	की मात्र	स गई	पजीकृत किसान	किसानों की संख्या	धान का रकबा	भाग	朝朝
बस्तर	49899	31047	42950.10	158915.36	308.42	50013	35460	53976.76	199714.02	407.4522	54937	36996	43503.52	225739.76	448.01
बीजापुर	15495	13061	17219.01	63710.32	123.60	17199	15134	25439.95	94127.8	192.0207	19502	16384	17807.01	92400.60	188.41
दन्तेवाझ	11136	4935	4712.77	17437.24	33.83	12593	6169	6821.76	25240.52	51,49092	15451	7270	4544.95	23583.72	44.27
कांकर	91208	77948	86209.29	318974.36	619.70	92506	86801	110703.11	409601.52	835.979	101222	87214	87948.41	456364.32	966.49
कोंडागांव	44527	34753	41444.76	153345.60	299.97	47507	40550	58410.04	216117.16	443.6231	52031	43145	51024.65	264766.92	555.50
नारायणपुर	9602	5314	6160.75	22794.76	44.62	9383	6099	8618.11	31887	65.57871	11232	6069	5275.93	27376.80	57.70
सुकमा	14612	10481	12511.07	46290.96	89.80	16413	11848	15808.21	58490.36	119.3203	16932	12583	12311.86	63886.24	126.05
बिलासपुर	117277	110102	130847.33	484135.12	940.02	123674	119151	138649.87	513004.52	1046.848	132546	112912	117745.49	610981.36	1304.28
गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	19628	13976	18790.43	69524.60	135.08	20745	16129	24598.51	91014.48	185.6942	23284	17446	21691.60	112557.72	241.81
जांजगीर चाम्पा	199878	190898	222932.17	824849.04	1600.21	117112	113976	124882.69	462065.96	942.6146	122816	106959	107743.93	559082.80	1198.18
कोरवा	40537	34077	46013.89	170251.40	330.29	45158	38994	57547.32	212925.08	434.3672	51175	41039	50097.15	259954.12	556.45
मुंगेली	92188	87872	103747.18	383864.56	745.20	97617	95013	107472.26	397647.36	811.2849	104798	97252	97943.40	508228.28	1083.75
रायगढ	121048	108117	155100.49	573871.80	1113.31	76813	69346	111612.90	412967.72	842.4541	83054	64916	87487.79	453974.16	978.46
सक्ती	0					86844	84509	98677.60	365107.12	744.8186	91957	84006	92346.04	479183.60	1028.64
सारंगद बिलाईगद	0					81255	78581	89383.19	330717.8	674.5643	86271	76303	78361.66	406618.64	883.01
बालोद	138723	130679	140406.28	519503.24	1011.62	142863	139101	153513.83	568001.16	1162.971	149159	138761	133950.43	695068.80	1517.70
वेमेतरा	145421	137005	170436.63	630615.52	1224.51	150669	147376	179520.36	664225.32	1355.75	158731	146133	161709.64	839111.32	1828.30
दुर्ग	102652	66956	112730.59	417103.20	810.21	104968	101608	116583.28	431358.12	880.9419	110762	103382	108745.74	564281.64	1228.61
कवर्धा	114911	102085	112513.84	416301.20	812.26	111582	106852	120236.68	444875.72	911.305	119878	105248	105737.71	548672.96	1177.70
राजनांदगांव	211940	196035	223009.41	825134.80	1608.46	121001	117097	143100.35	529471.28	1084.282	128060	120490	129859.30	673839.92	1451.93
खैरागद छुईखदान गण्डई	0					63224	61279	76028.56	281305.68	576.0434	68166	62709	77.67869	362606.12	789.11
मोहला मानपुर अं.चौकी	0					39982	37425	49288.16	182366.2	374.8046	43186	38004	38799.06	201328.32	434.77
बलौदाबाजार	177942	168471	188224.56	696430.88	1351.24	153491	149166	167190.72	618605.68	1262.138	160804	146724	147644.71	766128.40	1665.58
धमतरी	. 117362	112227	116593.78	431397.00	839.28	121234	117846	122450.19	453065.72	926.832	124993	116989	102771.69	533282.32	1158.39
गरियाबंद	81573	73005	89298.68	331515.12	643.62	84155	79486	103206.94	381865.68	779.3425	87623	75485	84649.91	439248.40	954.49
महासमुंद	150220	139691	209281.87	774342.92	1502.25	152863	148502	222714.42	824043.36	1681.084	157436	144848	189731.69	984517.72	2104.01
रायपुर	128780	122290	137826.01	509956.24	989.84	130827	126731	139548.31	516328.76	1053.899	134393	122900	120677.12	626193.60	1352.14
बलरामपुर	43300	36835	52397.65	193871.32	376.44	42223	35830	46659.73	172641	352.191	48147	36701	43849.91	227537.20	470.89
अशपुर	32184	23772	41674.27	154194.80	299.14	37624	28003	53155.45	196675.16	401.2173	45593	30058	50100.73	259972.68	552.77
कोरिया	33829	28304	37862.89	140092.68	271.78	20351	17976	25409.97	94016.88	191.7944	22329	18375	21104.53	109511.40	230.82
सरगुजा	49613	41467	59450.58	219967.16	426.78	52082	45153	64412.05	238324.6	486.1827	58481	46902	55207.80	286473.28	604.23
मुख्यस	52309	47331	67831.36	250976.04	486.91	55291	50650	71617.39	264984.36	540.5681	60202	50613	57438.85	298050.20	628.31
33मनेन्द्रगढ चिरमिरी भरतपु	0					16029	13737	19133.39	70793.56	144,4189	18069	13949	15569.71	80791.20	170.78
कत योग :-	2405288	TTATTE	10 177 64	AC 7350070	00 0000	100000									

(भोलेनाथ सारथी) अनुभाग अधिकारी इ. नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरक्षण विश्

# प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 06.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक --में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (\*क्रमांक 151) में में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित/प्नरीक्षित उत्तर पढ़ा जावें:-

नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र के जनपद पंचायत सारंगढ़ में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 22 जनवरी 2024 तक 11799 नवीन राशनकार्ड जारी किये गये है। नवीन राशनकार्ड जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। विधान सभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता की अविध दिनांक 09.10.2023 से दिनांक 04.12.2023 तक में जनप्रतिनिधियों के फोटोयुक्त राशनकार्ड जारी होना संभव नहीं था, जिससे नवीन राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई । वर्तमान में नवीन राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया निरंतर प्रचलित है।

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हर्स्ताक्षर प्रेवं पदनाम हर्स्ताक्षर प्रवे पदनाम वाह्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संस्थाण पंजालय, नव (मार. मंत्री)

# प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 06.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 1120वि12 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या २। (क्रमांक 144) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ —

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर (ख) में अंकित प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त राजस्व का उपयोग किन—किन कार्यो में किया गया है की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपन्न द अनुसार है।

# के स्थान पर पढ़ा जावे -

(ख) प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त राजस्व का उपयोग किन—किन कार्यो में किया गया है की जानकारी पुस्तकालय में रखे संशोधित प्रपन्न द अनुसार है।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(माननीय मंत्री)

### प्रपा र


- 1. अतिरिक्त आबकारी शुल्क(विशेष कोरोना शुल्क) एवं अधोसंरचना उन्नयन शुल्क मदों से प्राप्त राशि के विरूद्ध व्यय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसरंचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण योजना मद में वर्ष 2021–22 में प्रावधानित राशि 400 करोड़ में से स्वामी आत्मानंद अग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन हेतु राशि रूपये 38.8752 करोड़ सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग को विमुक्त करने की सहमति वित्त विभाग से दी गई है। इसके पश्चात् इस मद की राशि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही स्कूल शिक्षा विभाग को विमुक्त की की जा रही है, अतः यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग से ही प्राप्त की जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त इन दोनों मदों की राशि से मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों हेतु भी राशि स्वीकृत कर व्यय किया जाना है। अतः इस मद से व्यय/स्वीकृत राशि की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही दी जा सकती है।
- 3. गोठान विकास शुल्क में जमा राशि में से वित्तीय वर्ष 2020—21 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को ₹64.72 करोड़, नगरीय प्रशासन विकास विभाग को ₹9.48 करोड़ एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण को 27.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2021—22 में कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग को ₹8.00 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रूपये ₹109.19 करोड़ राशि विमुक्त की गयी है। इसके पश्चात् इस मद की राशि कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा ही विमुक्त की जा रही है, अतः यह जानकारी कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग से ही प्राप्त की जा सकती है।

अवर सचिव । छत्तीसगढ़ शासन गणिज्यिक दार (आवकारी) विधान मंत्रालय, महानदी भवन नवा सवपुर, अटल नगर (छ.ग.)

## मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की जानकारी वित्तीय वर्ष 2021–2022

#### राशि लाख में

क्रमांक	बजट शीर्ष	मूल	अनुपूरक में	पुनर्विनियोज	कुल	व्यय राशि	शेष राशि	कार्य का	विभाग
		प्रावधानित राशि	प्रावधान राशि	न	प्रावधान राशि		(कालम 6 - 7)	नाम	जिसको आबंटित किया गय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	राजस्व अनुभाग								
1	02-2052-090-64 52-14-001- स्थापना अनुदान	19660	0	-445	19215	14382.05	4832.95	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के सचालन हेतु	म्कूल शिक्षा विभाग
							213		
2	02-2052-090 -6452-14-011 वैयक्तिक अनुदान	0	400	445	845	845	0	छ ग महतारी दुलार योजना–2021 के क्रियान्ययन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
3	022052090 645214012 अन्य अनुदान	12340	0	0	12340	342	11998	स्वामी आत्मानद उत्कृष्ठ विद्यालयों के सचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
	योग	32000	400	0	3240Ó	15569.05	16830.95		
	पूंजी अनुमाग								
4	02-800-0101-64 52-45-001- पूजीगत परिसपत्तियो का निर्माण	8000	0	0	8000	0	8000	-	-
	योग	8000	0	0	8000	0	8000		
	महायोग	40000	400	0	40400	15569.05	24830.95		



### मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की जानकारी वित्तीय वर्ष 2022–2023

राशि लाख में

क्रमांक	बजट शीर्घ	मूल प्रावधान		द्वितीय पुनर्विनियोज न	कुल प्रावधान	व्यय	शेष (कालम ६ - १)	कार्य का नाम	विमाग जिसको आबंटित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15.00	राजस्व अनुभाग								
1	02—2052—090—6452 -14—001— स्थापना अनुदान	19660	0	2440	22100	22100	0	रयामी आत्मानद उत्कृष्ट विद्यालयो के सवालन हेत्	रकूल शिक्षा विभाग
2	02-2052-090 -6452-14-011 वैयक्तिक अनुदान	400	942.74	0	1342.74	1342.74	0	छ ग. महतारी दुलार योजना- २०२१ के कियान्त्रयन हेतु	स्कृत शिक्षा विभाग
3	02—2052—090 —6452—14—012 अन्य अनुदान	12340	-942.74	-2440	8957.26	1395	7,562.26	स्वामी आत्मानद उत्कृष्ट विद्यालयो के संवालन हेतु	स्कृत्न शिक्षा विभाग
-	योग	32400			32400	24837.74	7562.26		
	पूंजी अनुभाग								
4	02-800-0101-6452 -45-001- पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण	8000			8000	0	8000		
	योग	8000			8000	0	8000		-
	महायोग	40400			40400	24837.74	15562.26		

अवर सचिव । छरतीसगढ़ शासन वाणिडियक कर (आबकारी) विमान मंत्रालय, महानदी भवन मंत्रालय, अदल नगर (क.ग.)

# मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण की जानकारी वित्तीय वर्ष 2023—2024 दिनांक 23 जनवरी 2024 की स्थिति में

#### राशि लाख में

क्रमांक	बजट शीर्ष	मूल प्रावधान	व्यय	शेष (कालम 3 – 4)	कार्य का नाम	विभाग जिसको आबंटित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	राजस्व अनुभाग					
1	02-2052-090-645 2-14-001- स्थापना अनुदान	19660	19660	0	स्वामी आत्मानद उत्कृष्ट विद्यालयो के संचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
2	02-2052-090 -6452-14-011 वैयक्तिक अनुदान	400	400	0	छ गः महतारी दुलार योजना–2021 के क्रियान्वयन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
3	02-2052-090 -6452-14-012	12340	2045	10291.83	स्वामी आत्मानय उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु	स्कूल शिक्षा विभाग
	अन्य अनुदान		3.17		पर्यवेक्षण व्यय	कलेक्टर जिला कोरवा
	योग	32400	22108.17	10291.83	1	
	पूंजी अनुभाग		751			
4	02—800—0101—645 2—45—001— पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण		0	8000		
7.7	योग	8000	0	8000	- 1	-
	महायोग	40400	22108.17	18291.83		

अवर सचिव । छत्तीसगढ़ शासन ाजिनियक कर (आवकारी) विश्वाम गंगाच्य, महानदी भवन गंगाच्य, महानदी भवन गंगाच्य, भटान नगर (छ.ग.)

T			(A) (A)					वर्ष				in in the court in the	राशि रू. ताख में	
			2020-21			2021-22	\$11, mar on 1 2 to 100 10	W. C.	2022-23		20	)23-24 अ <b>द्य</b> तन व	पय	
5.	इकाई/मद	बजट प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	बजट प्रावधान	प्राप्त राशि	व्यय राशि	
1	1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	गांबर खरीदी			2341.60	. 1	4000.00	3293 95		6000.00	5206 69		5500 00	2317.78	
2	मानदेय				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1000.00	1072.20
3	पेरादान		2700.00 2700.00	0.00	00 17500 00	248C 00	2480 00	17510.00	3079 70	2826.50		0.00	0.00	
4	गाठान रख रखाव एवं संधारण	2700.00		0 00		2441 60	2441 60		0.00	0 00	17510.00	0.00	9.00	
5	बोनस		- 116	0.00		0 00	0 00		1916 33	1835 59		0.00	1355.43	
6	अन्य अकास्मिक गद					0.00	0.00		10.00	10.00		10.00	3.19	
7	प्रशासकीय मद (३ प्रतिशन)			0.00		0 00	0.00		0 00	269 10		0 00	269.83	
1,007 Lad	योग	2700.00	2700.00	2341.60	17500.00	8921.60	8215.55	17510.00	11006.03	10147.88	17510.00	6510.00	5023.43	

अवर संचिव । छतीसगढ़ शासन गणिज्यिक कर (आवकारी) विमाग मंत्रालय, महानदी भवन ग्वा सायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

# प्रश्नो में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

उत्तर के भाग 'क' में पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र—अ" में दर्शित है, का लेख किया गया था ।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार पुनरीक्षित प्रपत्र पढ़ा जावें :--

उत्तर के भाग 'क' में पुस्तकालय में रखे पुनरीक्षित "प्रपत्र—अ" में दर्शित है"

(संलग्न पुनरीक्षित "प्रपत्र-अ")

(केदार कश्यप)

(कदार कश्यप) मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन च ं जसवायु परिवर्तन, जल संसाधन विभाग विकास तथा सहकारिता विभाग नवा रायपुर, अटल नगर

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. :- 268 द्वारा डॉ. चरणदास महंत, सदस्य विधानसभा के प्रश्नांश 'क' के संबंध में पुनरीक्षित

ा महाला गामी नेमा अंतरित वस्ताव्य को माने प्रकरण में सहिवत विमानीय कार्यवाही का पन क्रमांक / दिनात विमानी विमान का पार जाया का माने माने हिनाह अपने का माने विमान का पार जाया जाया का के क्रमांक वस्ताव्य के अपने विमान का पार जाया जाया जाया जाया जाया जाया जाया जा	H	5 विषय		विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी		रिमाक
भी राकेश कुमार मिश्ना, सेति स.व.   5.11, शास्त वन एवं जतवायु परिवर्तन मिश्ना, नवा रायपुर के भी मिश्रा से प्रतिवाद उत्तरर प्राप्त। उच्च कार्यवाही   सं. तकालीन प्रमारी वात्र, मरवाही   पत्र क. एफ 1-24/2022/10-1 / उन्त, दि. 15.05.2023 हाप परिवासपुर को लेख क्या करें हुं मु प्रिकेशकी   व्याप्त कार्यवाही   उत्त प्रतिवासपुर को लेख किया गया है।   जार्यवाही   उत्त प्रतिवासपुर को लेख किया गया है।   जार्यवाही   उत्त प्रतिवासपुर को लेख किया गया है।   अप्रिवासपुर को लेख किया गया है।   प्रक्रिया   प्रतिवासपुर को लाव्याही   प्रक्रिया   प्रतिवासपुर को आवश्व के प्रतिवासपुर के आवश्व के प्रतिवासपुर को आवश्व के प्रतिवासपुर कुत्त   तिवासपुर को आवश्व के आवश्व के प्रतिवासपुर के प्रतिवासपुर का आवश्व के प्रतिवासपुर का आवश्व के प्रतिवासपुर के प्रतिवासप्वासप्वासप्वासप्वासप्वासप्वासप्वासप्			दोषी अधिकारी / कर्मचारी का नाम	प्रकरण में संस्थित विभागीय कार्यवाही का पत्र क्रमांक/दिनांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	
3 को क्षेत्र क्षित्रकों, स.व.स. तक्कातीन किमा वर्ग अप्तवायु परिवर्त विकास के अपने क्षेत्र किप्ता के अपने क्षेत्र किप्ता के अपने का प्रवास के प्रविद्ध के अपने क्षेत्र के प्रविद्ध के अपने का अपने का प्रविद्ध के अपने का अपने का प्रविद्ध के अपने का प्रविद्ध के अपने का प्रविद्ध के अपने का प्रविद्ध के अपने का अप		<ul> <li>महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वनमण्डल मरवाही द्वारा कराये गये पुलिया एवं स्टापडेम निर्माण कार्यों में अनियमितता</li> </ul>	1 श्री राकेश कुमार मिश्रा, से.नि. स.व. सं. तत्कालीन प्रभारी व.म.अ. मरवाही,	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर के पत्र क. एफ 1–24/2022/10–1 /वन, दि. 15.05.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी।	श्री मिश्रा से प्रतिवाद उत्तर प्राप्त। उक्त उत्तर पर अभिमत उपलब्ध कराने हेतु मु. व.सं. बिलासपुर को लेख किया गया है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
अभी पापल प्रसाद जांगड़े दाही   अपने प्रकाद जांगड़े दाही   अपने सहस्रक एवं वन बल प्रमुख, नवा रायापुर के अपने प्रकंधी कार्यवाही   प्रक्रियाधीन हैं।   प्रक्रियाधीन हैं।   प्रक्रियाधीन हैं।   प्रक्रियाधीन हैं।   प्रक्रियाधीन हैं।   प्रक्रियाधीन हैं।   प्रक्रिया गया है।   प्रक्रियाधीन हैं।   प्रक्रियाधीन हैं।   प्रक्रिया गया है।   प्रक्रिया प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।   प्रया।   प्राप्ता वनपाल   मुख्य वन संस्थक, बिलासपुर कुल, बिलासपुर का आदेश क / 200 मु.व.स. बिलासपुर के आक. / 20 दिनांक विकासपुर के पत्र क / 30 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संक्षित ।   दिनांक 24.01.2024 द्वारा ए वेतन वृद्धि विनांक 24.01.2024 द्वारा ए वेतन वृद्धि विनांक 24.01.2024 द्वारा विभागीय जांच संक्षित ।   दिनांक 24.01.2024 द्वारा पत्र के जांकर प्रकरण   दिनांक 24.01.2024 द्वारा पत्र के अपने जांकर प्रकरण   दिनांक 24.01.2024 द्वारा पत्र के अपने जांकर प्रकरण   दिनांक 24.01.2024 द्वारा पत्र विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक प्रकरण   दिनांक 24.01.2024 द्वारा पत्र विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक प्रकरण   दिनांक विनांक विनांक विनांक प्रकरण   दिनांक विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक विनांक प्रकरण   दिनांक विनांक विनांक विनांक विनांक प्रकरण   दिनांक 03.08.2022 द्वारा विनांगीय जांच संक्षित ।   दिनांक विनांक विन		<ul> <li>उक्त अनियमितता संबंधी प्राप्ति</li> <li>शिकायत की जांच आयुक्त मनरेगा द्वारा</li> <li>किया गया था। उनके जांच प्रतिवेदन के</li> </ul>	7	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर के आदेश क./एफ 1—10/2022/ 10—1/वन, दिनांक 03.01. 2023 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।	जांच प्रतिवेदन शासन को प्रेषित।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
भी राजकुमार शर्मा, से.नि. उप पुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर कुत्त, बिलासपुर का आदेश क / 220 मु.व.स. बिलासपुर के आ.क. / 22 दिनांक वनसंत्रक, बिलासपुर कुत्त, बिलासपुर का आदेश क / 220 मु.व.स. बिलासपुर के आ.क. / 22 दिनांक वनसंत्रक, बिलासपुर कुत्त, बिलासपुर का आदेश क / 220 मु.व.स. बिलासपुर के आ.क. / 28 दिनांक विनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  भी अत्रवनी दुबे वनपाल पुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर बृत्त, बिलासपुर का आदेश क / 207 मु.व.स. बिलासपुर के पत्र क / 29 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  भी अख्या दुबे वनपाल पुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर बृत्त, बिलासपुर का आदेश क / 208 मु.व.स. बिलासपुर के पत्र क / 30 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  भी अख्या दुबे वनपाल पुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर बृत्त, बिलासपुर का आदेश क / 208 मु.व.स. बिलासपुर के पत्र क / 30 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  भी अख्या दुबे वनपाल पुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर बृत्त, बिलासपुर का आदेश क / 208 मु.व.स. बिलासपुर के पत्र क / 31 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  नस्तीबद्ध किया गया।  पुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर बृत्त, बिलासपुर का आदेश क / 208 मु.व.स. बिलासपुर के पत्र क / 31 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  सम्वीवा प्रमांव से रोकी जांकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।  सम्वीवा संदेशक, जांकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।  सम्वीवा संरक्षक, बिलासपुर बृत्त, बिलासपुर का आदेश क / 208 मु.व.स. बिलासपुर के पत्र क / 31 दिनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन बृद्धि संवयी प्रमांव से रोकी जांकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।		आधार पर कायवाहा का गड्ड है।		प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, नवा रायपुर के आदेश क./626 दिनांक 27.09.20222 द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया है।	₽ E	
भी अनूप मिश्रा, वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर बृत्त, बिलासपुर का आदेश क./206 मुज्ञसं, बिलासपुर के आक./28 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  भी उदय तिवारी वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर कुत्त, बिलासपुर का आदेश क./207 मुज्ञसं, बिलासपुर के पत्र क./29 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  भी अम्र्रवानी दुबे वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर कृत्त, बिलासपुर का आदेश क./208 मुज्ञसं, बिलासपुर के पत्र क./30 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  भी अम्ब्रीश दुबे वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर कृत्त, बिलासपुर का आदेश क./208 मुज्ञसं, बिलासपुर के पत्र क./30 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  स्थित्वाद्ध किया गया।  भी अम्ब्रीश दुबे वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का आदेश क./209 मुज्ञसं, बिलासपुर के पत्र क./31 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।  संच्यी प्रमाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तिबद्ध किया गया।  दिनांक 24.01.2024 द्वारा प्रवेश क./31				मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का आदेश क./329 दिनांक 13.12.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।	मु.व.सं. बिलासपुर के आ.क./27 दिनांक 24.01.2024 द्वारा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।	w.34
भी उदय तिवारी वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर कृत्त, बिलासपुर का आदेश क./207 मुज.सं. बिलासपुर के पत्र क./29 दिनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।  भी अस्वनी दुबे वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर कृता, बिलासपुर का आदेश क./208 मुज.सं. बिलासपुर के पत्र क./30 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच सिश्यत।  भी अम्ब्रीश दुबे वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का आदेश क./209 मुज.सं. बिलासपुर के पत्र क./31 दिनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।  दिनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।  विनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।				मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का आदेश क./206 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।	मुव.सं. बिलासपुर के आ.क./28 दिनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।	
भी अश्वनी दुबे वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का आदेश क./208 मु.व.सं. बिलासपुर के पत्र क./30 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच सिश्यत। सन्यो प्रमाव से रोकी जांकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। भी अम्ब्रीश दुबे वनपाल दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। सन्यो प्रमाव से रोकी जांकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। सन्यो प्रमाव से रोकी जांकर प्रकरण				आदेश क. / 207	मुन्दसं. बिलासपुर के पत्र क./29 दिनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रमाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।	
श्री अम्ब्रीश दुबे वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का आदेश क./209 मु.व.सं. बिलासपुर के पत्र क./31 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। संचयी प्रभाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।				मुख्य वन संरक्षक, बिलासंपुर वृत्त, बिलासपुर का आदेश क./208 दिनांक 03.08.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।	मुव.स. बिलासपुर के पत्र क./30 दिनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रमाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।	
			श्री अम्ब्रीश दु	<b>Φ./2</b> 09	मुन्स. बिलासपुर के पत्र क./31 दिनांक 24.01.2024 द्वारा 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रमाव से रोकी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।	

स्मित्र मांध्री स्पेता अंतिकासी, कर्मवारी का नाम प्रकरण में संस्थित विभागी।  मांध्री सर्पा अंतर्गत वनमण्डल 9 श्री वीरेम्द्र साहू वनरक्षक वनमण्डलाविकारी, मरवाही व व व वनमण्डलाविकारी, मरवाही व व व व व व व व व व व व व व व व व व व	रिमाक		म्याधी न				ग्रधीन	ग्रधीन		
प्रियंत्र व्यक्तिकारी (क्रमांत्र होते गई का नाम प्रकरण में स्विष्यित विभागिय कार्यवाही को अद्यवत्त जानकारी     क्रमांत्र कार्यवाही को गई है।   क्रमांत्र का नाम प्रकरण में स्विष्यत विभागिय कार्यवाही का आदेश क   क्रमांत्र का अपना कार्यवाही का आदेश क   क्रमांत्र कार्यवाही का कार्यवाही का आदेश क   क्रमांत्र कार्यवाही का आदेश क   क्रमांत्र कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाही कार्यवाही का आदेश क   क्रमांत्र कार्यवाही		प्रकरण की वर्तमान स्थिति	है।		कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रिर है।	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रिय है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
मांची नरेगा अंतर्गत वनमण्डल व श्री वीरेन्द्र साहू वनरक्षक विकास कराये गये पुलिया एवं विकास को जांच आयुक्त मनरेगा द्वारा कराये गये पुलिया एवं विकास को जांच आयुक्त मनरेगा द्वारा कराये गये पुलिया एवं विकास को जांच आयुक्त मनरेगा द्वारा पर कार्यवाही की गई है। 12 श्री पन्नालाल जांगड़े वनरक्षक ाधार पर कार्यवाही की गई है। 12 श्री पन्नालाल जांगड़े वनरक्षक वाराया था। उनके जांच प्रतिवेदन के श्री नवीन बंजारे वनरक्षक वाराया था। उनके जांच प्रतिवेदन के श्री नवीन बंजारे वनरक्षक वार्यहाण परिक्ष में 50.00 है। श्री पानलबहादुर कीशिक वार्यहाल वार्यहाली वार्यहाली वार्यहाली वार्यहाली वार्यहाली प्राप्ति वार्यहाल वार्यहाली प्राप्ति वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाला वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाल वार्यहाला वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाला वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाला वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाला वार्यहाली प्रवेदार वार्यहाल वार्	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी	प्रकरण में संस्थित विभागीय कार्यवाही का पत्र क्रमांक / दिनांक	वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही का आदेश क. / 223 दिनांक 16.09.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही का आदेश क. / 224 दिनांक 16.09.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही का आदेश क. / 225 दिनांक 16.09.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही का आदेश क. / 226 दिनांक 16.09.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही का आदेश क. / 227 दिनांक 16.09.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही का आदेश क. / 228 दिनांक 16.09.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।	क्ष्मागीय जांच संस्थित।	संशोधित आरोप पत्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मुख्य संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को लेख किया गया है। संशोधित आरोप पत्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मुख्य संश्रमक बिलासपर तत्त्त को लेख किया गया है।	अरोप पत्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मुख्य बिलासपुर वृत्त को लेख किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपर के आदेश दिनांक 15.01.2024 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।	,	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर के पत्र क. एफ 1–18/2022/10–1 /वन, दि. 12.05.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी।	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर के पत्र क्र./एफ 1–21/2022/ 10–1/वन नवा रायपुर, दिनांक 18.04.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी।
भा गांधी नरेगा अंतर्गत वनमण्डल जाही द्वारा कराये गये पुलिया एवं डिम निर्माण कार्यो में अनियमितता उक्त अनियमितता संबंधी प्राप्ति यत की जांच आयुक्त मनरेगा द्वारा गया था। उनके जांच प्रतिवेदन के धार पर कार्यवाही की गई है। जरहापारा परिसर में 50.00 हे0 में सिंचित ब्रित्याती वृक्षारोपण में मेतता			श्री वीरेन्द्र साहू वनरक्षक श्री दीपक कोसले वनरक्षक श्री देवेन्द्र कश्यप वनरक्षक श्री पन्नालाल जांगड़े वनरक्षक श्री नवीन बंजारे वनरक्षक		श्री राकेश कुमार मिश्रा, से.नि. स.व. सं. तत्कालीन प्रभारी व.म.अ. मरवाही श्री संजय त्रिपाठी, स.व.सं. तत्का प्रभारी व मं.अ. मरवाही वनमंद्रल	श्री के.पी.डिण्डोरे तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी गौरेला	श्री सुखेन्द्र सिंह परिहार, उपवनक्षेत्रपाल तत्कालीन प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी खोडरी	श्री गिरधर सिंह कंवर, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक खोडरी	श्री राकेश कुमार मिश्रा, से.नि. स.व. सं. तत्कालीन प्रभारी व.म.अ. मरवाही	श्री के.पी.डिण्डोरे तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी गौरेला
3.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	বিদ্য		महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वनमण्डल प्र मरवाही द्वारा कराये गये पुलिया एवं स्टापडेम निर्माण कार्यो में अनियमितता – उक्त अनियमितता संबंधी प्राप्ति शिकायत की जांच आयुक्त मनरेगा द्वारा किया गया था। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की गई है।		अंतर्गत कक्ष कमांक परिसर में 50.00 हे0 <b>सतिपूर्ति वृक्षारोपण</b> में	3	4	5	य ज	

Æ	5 विषय			विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी		रिमार्क
			दोषी अधिकारी / कर्मचारी का नाम	प्रकरण में संस्थित विभागीय कार्यवाही का पत्र क्रमांक / दिनांक		
8	16 E	,e	श्री चंदनकेतु महिपाल, से.नि. वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी खोडरी	प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख रायपुर का पत्र क्रं./प्रशा.अराज. /340/2022/9185 दि. 13.09.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।	प्रकरण में वसूली योग्य राशि का निर्धारण किये जाने संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	स्टापडेम ⁄ एनीकट निर्माण कार्य में अनियमितता	4	श्री संतोष कांत, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बेलपत	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के आदेश क्रमांक/268 दिनांक 14.10.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
		2	श्री भानूप्रताप यादव, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक खोडरी	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के आदेश क्रमांक/270 दिनांक 14.10.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।		
		9	श्रीमति टेरेसा भगत, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक खोडरी	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के आदेश क्रमांक / 269 दिनांक 14.10.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।		
		2	श्री श्रवण कुमार शर्मा, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक	वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही के आदेश दिनांक 04.11.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।		
		ω	श्री निर्मल कुमार सोनवानी, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक ललाती खोडरी	वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही के आदेश दिनांक 04.11.2022 द्वारा विभागीय जांच संस्थित।		
4		-	तिवारी, से.नि. तत्कालीन काष्टागार	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के पत्र क्रमांक/स्था श्री तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर / 1724 दिनांक 06.03.2023 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी संतोषप्रद नहीं होने के कारण प्रकरण में	本	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	कार्य में अनियमितता		अधिकारी मढ़ना	किया गया।	शासन को हुई कुल हानि राशि 729128/— में से 40 प्रतिशत राशि 291651/— रू. उनके से.नि. उपरांत	
					वसूली किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	9	N	श्री रामदत्त साहू, वनपाल तत्कालीन डिपो प्रमारी	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के आदेश क्रमांक/117 दिनांक 18.04.2023 द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया है।	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
		ю	श्री संतोष कुमार पाण्डेय, वनपाल	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के आदेश क्रमांक/118 दिनांक 18.04.2023 द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया है।		
	N.	4	श्री मनोज कुमार शर्मा, वनपाल	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के आदेश क्रमांक/120 दिनांक 18.04.2023 द्वारा विभागीय जांच संस्थित ————————————————————————————————————		
			CAUsers/Dell/Desk	াকথা শথা ह। C.\Users\Dell\Desktop\Final Uttar 268 d 02-02-2024\VSO- 268 final		A fina

्रविषय		विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी		4410
	दोषी अधिकारी/कर्मवारी का नाम	प्रकरण में संस्थित विभागीय कार्यवाही का पत्र क्रमांक/दिनांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	
मरवाहीं परिक्षेत्र के रोपणी प्रबंधन समिति चिचगोहना एवं नेचर केम्प् गगनई में अनियमितता	<ol> <li>श्री राकेश कुमार मिश्रा, से.नि. उपं वनसंरक्षक तत्कालीन प्रभारी व.म.अ. मरवाही</li> </ol>	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर के पत्र क. एफ 1—8/2023/10—1/वन, दि. 12.05.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	2 श्री ए.के.चटर्जी, स.व.सं. तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी पेण्ड्रा,	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र क्रं./एफ 1-7/2023/10-1/वन दिनांक 08.05.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	3 श्री संजय त्रिपाठी, स.व.स. तत्कालीन उपवनमण्डलाधिकारी पेण्ड्रा	छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन यिभाग के पत्र क्रं. एफ 1—6/2023/10—1/वन दिनांक 24.04.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	4 श्री दरोगा सिंह मरावी, वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी मरवाही	प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख छ.ग. नवा रायपुर के आदेश क.   /538 दिनांक 21.09.2023 द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया है।	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	5 श्री मान सिंह श्याम, वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक धनपुर	प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख छ.ग. नवा रायपुर के पत्र क. /3306 दिनांक 05.04.2023 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	6 श्री सुनील कुमार चौधरी, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक मरवाही	वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमंडल के आदेश दिनांक 19.04. 2023 द्वारा विभागीय जांच संस्थितै।	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
मरवाही परिक्षेत्र के <b>वनप्रबंधन समिति</b> <b>साल्हेकोटा</b> के खाते से राशि आहरण एवं व्यय किये जाने में वित्तीय अनियमितता	1 श्री विदेशी राम बनर्जी, वनरक्षक परिसर रक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक साल्हेकोटा	वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमंडल के आदेश दिनांक 27.07. 2023 द्वारा विभागीय जांच संस्थितै।	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
गौरेला/खोडरी परिक्षेत्र अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, कृष्णकुंज वृक्षारोपण, निस्तार डिपो गौरेला में आरक्षित वनोपज की बिक्री, नदीतट वृक्षारोपण, राजमेरगढ़ बैगा कुटीर निर्माण एवं नरवा विकास कार्य अंतर्गत अनियमितता	1 श्री राजीव कुमार सिसोदिया, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक खोडरी एवं वतर्मान परिक्षेत्र सहायक गौरेला	श्री राजीव कुमार सिसोदिया, वनपाल मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के आदेश क./26, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक खोडरी दिनांक 24.01.2024 द्वारा विभागीय जांच संस्थित। एवं वतर्मान परिक्षेत्र सहायक गौरेला	विभागीय जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	

अपर प्रधान मुख्यविन संरक्षक (प्रशाराज./सम.) माम क्रम्मस्वर 25.01-2024\VSQ- 268 final

# प्रश्नो में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 07.02.2024 की प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 03-04 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ७६ (कमांक-24)) में से निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

उत्तर के भाग 'ख' में ''सिहावा विधानसभा क्षेत्र अनुविभाग कुरूद में 68061609/- रू. का लेख किया गया था ।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-उत्तर के भाग 'ख' में "सिहावा विधानसभा क्षेत्र अनुविभाग कुरूद में 68661609/- रू." पढ़ा जावे ।

> (केदार कश्यप) वनमंत्री (केदार कश्यप)

वन जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन

### प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 07.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक...ह.....ह....ह.....ह.....ह.... में मुद्रित तारांकित/परि. अतारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (कमांक 296) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क", सड़क दुर्घटना में वितरित राशि से संबंधित प्रपत्र—'अ' के कमांक 3 में 2022—23

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :--

2023-24 (दिसम्बर 2023 तक)

(टकराम वर्मा) (टक्<sub>री</sub>राम वर्मा)

राजस्व एवं आपवा प्रवंधन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, महानविश्वामी, साम्राज्य युवा, सत्तिल नगर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

# शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक ७ फरवरी, २०२४ की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे:—

बुधवार, दिनांक ७ फरवरी, २०२४ की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या—3 (क्र.—271) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 6 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

## माननीय अध्यक्ष महोदय,

सदन में उत्तर देने हेतु नियत दिनांक 08.02.2024 की शलाका प्रश्नोत्तर सूची के सरल क्रमांक 04 में उल्लेखित तारांकित प्रश्न संख्या—486 में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:—

तारांकित प्रश्न संख्या—486 के उत्तर के भाग (ख) में, श्रम विभाग के अधीन मंडलों के अंतर्गत संचालित योजनाओं में वर्ष 2021 से 2023 तक की अवधि में लाभांवित हितग्राही, व्यय राशि एवं सामग्री वितरण की मंडलवार, योजनावार तथा वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र —"ब" अनुसार है।

# के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

श्रम विभाग के अधीन मंडलों के अंतर्गत संचालित योजनाओं में वर्ष 2021 से 2023 तक की अवधि में लाभांवित हितग्राही, व्यय राशि एवं सामग्री वितरण की मंडलवार, योजनावार तथा वर्षवार जानकारी संलग्न संशोधित प्रपत्र —"ब" अनुसार है।

(लखन लाल देवांगन)

Mon

मंत्री

क्रुछत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग

संशोधित प्रपत्र

#### विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 486 द्वारा डॉ. धर्मजीत सिंह, सदस्य विधानसभा

जिला बिलासपुर में मंडलों अंतर्गत संचालित योजनाओं के तहत वर्ष 2021 से 2023 तक लाभावित, व्यय एवं सामग्री वितरण की मंडलवार, योजनावार एवं वर्षवार जानकारी

#### 01. छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल :--

क्र			वर्ष 2021		No. of the State o	वर्ष 2022			वर्ष 2023			महायोग	
	योजना का नाम	लामान्वित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण कर संख्या	लामान्वित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण कर संख्या	लामान्वित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण कर संख्या	लामान्वित श्रमिक संख्या	. घ्यय राशि	सामग्री वितरण कर संख्या
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	1479	14790	· 0	1832	18320	. 0	13610	136100	0	16921	169210	0
2	मिनीमाता महतारी जतन योजना	39	660000	0	94	1880000	0	149	2980000	0	282	5520000	0
3	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	152	324000	0	167	344500	. 0	81	180500	0	400	849000	0 .
4	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेघावी शिक्षा सहायता योजना	1	10000	0	0	0	0	0 :	0	0	.1	10000	0
5	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	9	180000	0	O	0	0 .	3	60000	0	12	240000	0
6	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना	870	75625	0	805	109612	0	692	101708	0	2367	286945	0
7	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	46	0	46	178	0	178	18	66852	. 0	242	66852	224
8	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	3	0	3	4	0	. 4	1 .	7900	0 ,	8	7900	7,
9	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	5	0	5	42 ·	0	42	21	72948	0	68	72948	47
10	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	23	0	23	162	0	162	16	24000	0 .	201	24000	185
11	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	58701	945673	0	95852	3059862	0 .	155084	7389753	0	309637	11395288	0
12	दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना	0	0	0 .	3	300000	0	1	100000	0.	4 :	400000	0
13	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	4	400000	0	1	100000	0	0	0	0	5	500000	0
14	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	0	0	0.	0	0	0,	0	. 0, -	. 0	0	0	0
15	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना	0	0	0	23	28000	0	14	16000	0	37	44000	0
	योग	61332	2610088	77	99163	5840294	386	169690	11135761	0	330185	19586143	463

टीप :- 01. वर्ष 2018 में वितरण हेतु क्रय किये गये सामग्री में से शेष बचे सामग्री का वितरण प्रश्नांकित अविध में किये जाने के कारण प्रश्नांकित अविध में सामग्री पर किया गया व्यय निरंक है।

02. शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत 309637 यूनिट भोजन श्रमिकों को प्रदान किया गया है।

#### 02. छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल :-

			वर्ष 2021			वर्ष 2022			वर्ष 2023	10 10 10 10 10		महायोग	24
页0	योजना का नाम	लाभांवित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण की संख्या	लामांवित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितर्ण की संख्या	लामांवित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण की संख्या	लामांवित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण की संख्या
1	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	11	0	11	15	0	15	. 1	1000	0 .	27	1000	26
2	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	9	0	9	297	. 0	297	. 0	0 :	. 0	306	0	306
3	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	6	11000	0	90 .	278000	0	. 28	84000	0 .	. 124	373000	0
4	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	1, 1	20000	0	32	640000	0	5	100000	: .0	38.	760000	0
5	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चो हेतु छात्रवृत्ति योजना	87	82750	0	150	. 128500	0	29	25750	. 0	266	237000	0
6	महिला ठेका श्रमिक, घरेलु महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	231	2310000	0	1687	33740000	0	23	460000	0	1941	36510000.	0
7	ई.रिक्शा सहायता योजना	7	35000	0	16	800000	0	1	50000	. 0	24	885000	0
8	असंगठित कर्मकारों के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	45	35250	0	14	10750	0	0	0	0	59	46000	0
9	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	495	4950000	0	1790	35730000	. 0 .	31	620000	0	2316	41300000	0
10	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	21	2100000	0	26	2600000	0	" 1	100000	0	48	4800000	0
11	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना	53028	854281		74510	2462596		140827	6356931		268365	9673808	0
	महायोग	53941	10398281	20	78627	76389846	312	140946	7797681	0	273514	94585808	332

टीप :- 01. वर्ष 2018 में वितरण हेतु क्रय किये गये सामग्री में से शेष बचे सामग्री का वितरण प्रश्नांकित अविध में किये जाने के कारण प्रश्नांकित अविध में सामग्री पर किया गया व्यय निरंक है।
02 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत 268365 यूनिट मोजन श्रमिकों को प्रदान किया गया है।

#### 03. छ.ग. श्रम कल्याण मंडल :-

		Colon part				वर्ष	वार लामांवित श्री	मेक संख्या एवं	व्यय				
			वर्ष 2021		A cell Justin	वर्ष 2022			वर्ष 2023			महायोग :	
क	योजना का नाम	लामांवित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण की संख्या	लामांवित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण की संख्या	लाभांवितः श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण की संख्या	लामावित श्रमिक संख्या	व्यय राशि	सामग्री वितरण की संख्या
1	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	171	441000	0	265	1324000	0	294	1474000	0	730	3239000	0
2	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना	0	0	0	0	. 0	0	204	1611600	0	204	1611600	0
3	निःशुल्क सायकल वितरण योजना	0	0	0	0	0	0	127	464392	0	127	464392	0
	महायोग	171	441000	0	265	1324000	0	625	3549992	0	1061	5314992	0

(लखन लाल देवांगन)

मंत्री,

्रे छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 08.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 5 एवं 6 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 553) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :—

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर (ख) इस योजना अंतर्गत उत्तर दिये जाने की तिथि तक आवास गृह निर्माण का कुल लक्ष्य 11,76,142 है, जिसमें 9,55,390 आवास पूर्ण, 2,20,752 आवास अपूर्ण तथा 4015 आवास अप्रारंभ है। लागत का वर्षवार विवरण "प्रपत्र—ब" अनुसार है। (ग) वर्षवार विस्तृत वित्तीय जानकारी "प्रपत्र—स" अनुसार है।

के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे -

(ख) इस योजना अंतर्गत उत्तर दिये जाने की तिथि तक आवास गृह निर्माण का कुल लक्ष्य 11,76,142 है, जिसमें 9,55,390 आवास पूर्ण, 2,20,752 आवास अपूर्ण तथा 4015 आवास अप्रारंभ है। वर्षवार विवरण ''संशोधित प्रपत्र—ब'' अनुसार है।

(ग) वर्षवार विस्तृत वित्तीय जानकारी "संशोधित प्रपत्र-स" अनुसार है।

(विजय शर्मा) उप मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 08.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ०५०६ में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 553) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :— प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर (घ) में अंकित प्रस्तावित 18 लाख आवास गृहों के निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण से स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,439 एवं आवास प्लस सूची के 8,19,999 आवास, इस प्रकार कुल 15,19,438 चिन्हांकित परिवारों के आवास शामिल है।

## के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

(घ) प्रस्तावित 18 लाख आवास गृहों के निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण की स्थायी प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,439 आवास, आवास प्लस सूची के 8,19,999 आवास, निर्माणाधीन 2,46,215 आवास तथा अन्य 47,090 आवास, इस प्रकार कुल 18,12,743 परिवारों का आवास शामिल है।

(विजय शर्मा) उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

# प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण


विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 553, डॉ चरण दास महंत, सदस्य विधानसभा

	15048.64	4,015	2,20,752	9,55,390	11,76,142	कुल	
	999.49	1341	55,716	23,282	78,998	2022-23	7
	0.00	0	0	0	0	2021-22	9
	1999.79	2,502	1,08,146	49,665	1,57,811	2020-21	5
	1907.00	36	32,206	1,18,892	1,51,098	2019-20	4
	4481.10	21	15,306	3,33,654	3,48,960	2018-19	3
	2642.77	14	4,278	2,02,094	2,06,372	2017-18	7
	3018.49	101	5,100	2,27,803	2,32,903	2016-17	1
	कुल लागत	आवास अप्रारंभ	आवास अपूर्ण	आवास पूर्ण	आवास निर्माण लक्ष्य	वित्तीय वर्ष	.l <del>0</del> .
_	(राशि रूपये करोड़ में)						



प्रघानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण विघानसभा तारांकित प्रश्न 553 माननीय डॉ. चरण दास महंत सदस्य विधानसभा वित्तीय वर्ष में निर्धारित तक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त राशि का विवरण


वर्ष 2017—18 में पूर्व वर्ष की शेष राशि सहित कुल 4417.27 करोड़ उपलब्ध करा दी गई। वर्ष 2017—18 की शेष राशि सहित 3533.18 करोड़ को वर्ष 2018—19 के प्रथम छःमाही उपलब्ध करा दी गई। (राशि रूपये करोड़ में) रिमार्क 16 985.60 1812.19 37.69 कुल शेष साशि 15 शेष राशि 772.79 897.80 साज्यांश 1.58 14 1039.40 36.11 87.80 केन्द्रांश 13 1206.29 3533.18 4417,27 कुल 12 2588.95 1828.32 प्राप्त सांश 896.22 434.60 सज्यांश 11 2636.96 771.69 केन्द्रांश 10 4454.96 4518.78 9=(6+15) 3018.48 किक कुल आवश्यक राशि 8=(5+14) 1829.90 1794.02 1207.39 राज्यांश 2625.06 2724.76 1811.09 7=(4+13) केन्द्रांश 2642.77 4481.09 3018.48 लक्ष्य के विरूद्ध आवश्यक राशि किक 9 1585.66 1057.11 2688.65 1792.44 1811.09 1207.39 राज्यांश 2 केन्द्रांश 4 2017-18 206372 348960 वित्तीय वर्ष स्वीकृत लक्ष्य 232903 3 2018-19 2016-17 7 7 1 3



			कुल 16.33	साक्षि गर्छ।	5.92 एवं तत ज्य	श्यक राशि गप्त	स्यक रूपये हुई, हरोड	
Parra		16	पूर्व वर्ष के कुल शेष राशि सहित कुल आवश्यक 2891.81 में से केवल 666.33 करोड़ ही उपलब्ध करायी गई।	वर्ष 2020–21 में पूर्व वर्ष की शेष शिश सिहत 4255.49 करोड़ में से केवल 1099.56 करोड़ उपलब्ध करायी गई।	पूर्व वर्ष की शेष राशि रूपये 3125.92 करोड़ की राशि प्राप्त नहीं हुई एवं सरकार द्वारा वर्ष 2021—22 में राज्य को प्रदाय 7,81,999 आवास निर्माण का लक्ष्य वापस ले लिया गया।	पूर्व वर्ष की शेष राशि सहित आवश्यक राशि ४१26.92 करोड़ में से केवल राशि रूपये ११36.25 करोड़ की राशि प्राप्त हुई,	पूर्व वर्ष की शेष राशि सहित आवश्यक राशि 2936.68 करोड़ में से राशि रूपये 2060.53 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, कुल स्वीकृति के विरूद्ध 930.14 करोड़ राशि ही प्राप्त होना शेष है।	
	कुल शेष राशि	15	2255.49	3125.92	3125.92	2936.68	930.14	
शेष राशि	राज्यांश	14	1556.02	1563.58	1563.58	1117.97	347.76	
	केन्द्रांश	13	699.47	1562.34	1562.34	1818.71	582.38	
	कुल	12	666.33	1099.56	0.00	1136.25	2060.53	14119 40
प्राप्त राशि	राज्यांश	11	103.78	792.44	0.00	792.01	824.21	8447 83 5671 58 14119 40
	केन्द्रांश	10	562.55	307.12	0.00	344.23	1236.33	8447 83
₽Z	केंद्र	9=(6+15)	2891.81	4255.49	3125.92	4126.92	2936.68	
न आवश्यक राशि	राज्यांश	8=(5+14)	1659.80	2356.02	1563.58	1963.98	1117.97	
कुल	केन्द्रांश	7=(4+13)	1232.01	1899.47	1562.34	2162.94	1818.71	
यक राशि	कुल	9	1906.21	2000	0	1001.00	0	15049 55
लक्ष्य के विरूद्ध आवश्यक राशि	सज्यांश	5	762.00	800.00	0	400.40	0	6019 34
लक्ष्य क	केन्द्रांश	4	1144.21	1200.00	0	600.60	0	9030 21
	विस्ताव वर्ष स्वाकृत लब्ब	3	151098	157811	0	78998	0	1176142
		2	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
.H.		1	4	2	9	7	∞	

टीयः

वर्ष 2019–20 में वर्ष 2018–19 की शेष शि शि शि शि 103.78 करोड़ ही उपलब्ध करायी गई।
 वर्ष 2020–21 में वर्ष 2018–19 की शेष शिश 792.44 करोड़ उपलब्ध करायी जबकि वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 हेतु राज्यांश की शिश उपलब्ध नहीं हो सकी।
 राज्यांश शिश के आमाव में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में राज्य को प्रदाय 6,48,867 आवास लक्ष्य में से 4,91,052 आवास का लक्ष्य भारत सरकार को वापस किया गया।
 राज्यांश शिश के आमाव में वर्ष 2021–22 में राज्य को प्रदाय 7,81,999 आवास लक्ष्य भारत सरकार द्वारा गया।



माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज **दिनांक 09.02.2024** को प्रश्नोत्तरी सूची के **पृष्ठ क्रमांक 05** में मुद्रित तारांकित **प्रश्न संख्या 09 (क्रमांक 704)** में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:—

प्रश्नोत्तरी सूची में तारांकित प्रश्न कमांक 704 जिला जशपुर के पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यीकरण के संबंध में मुद्रित उत्तर :--

- (क) जशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जशपुर नगर एवं सन्ना पर्यटन स्थल के रुप में चिन्हांकित है। वर्तमान में पर्यटन विभाग की इन क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
- (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
- (ग) प्रश्नांक "क" के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त स्थलों में सुविधाओं के विकास की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटकों के लिये अनेक आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया गया है। इसमें मुख्य रुप से आवश्यकतानुसार सर्वसुविधायुक्त रिसॉर्ट निर्माण, कैफेटेरिया/रेस्टॉरेंट सुविधा, पर्यटक सूचना केन्द्र, पेयजल, शौचालय, पहुँचमार्ग, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार/रखरखाव, पर्यटन स्थलों में प्रकाशीकरण, जलपर्यटन, साईनेजेस आदि कार्य सम्मिलित है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें।

- (क) जशपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जशपुर नगर, बगीचा एवं सन्ना पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित है। इन स्थलों में से बगीचा के खुड़ियारानी में पर्यटन विकास कार्य कराये जाने की योजना स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त बगीचा—मयाली (संयुक्त प्रस्ताव) हेतु रु. 10.89 करोड़ की योजना का प्रस्ताव भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया है।
- (ख) बगीचा के खुड़ियारानी में सेप्टिक टैंक, ट्युबवेल, महिला पुरूष शौचालय एवं सीटिंग प्लेटफॉर्म के लिये दिनांक 06.10.23 को रु. 14,99,575.00 स्वीकृत कर रु. 7,49,788.00 जिला कलेक्टर जशपुर को जारी किये गये है। भारत सरकार को प्रेषित बगीचा—मयाली के संयुक्त प्रस्ताव में एम्फिथियेटर, टॉयलेट, गेट, पार्किंग, शॉप, रेस्टॉरेन्ट, कॉटेज, लैण्डस्केपिंग, कैंपिंग साईट, नेचर ट्रेल, सोलर, वाटर स्पोर्टस, प्रचार—प्रसार, कौशल विकास आदि कार्यों को शामिल किया गया है।
- (ग) पर्यटन विकास हेतु बनायी गयी उपरोक्त योजनाओं में शामिल सुविधाओं की जानकारी उत्तर "ख" में अवलोकित की जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटकों के लिये अनेक आधारभूत सुविधाओं को विकसित किया गया है। इसमें मुख्य रुप से आवश्यकतानुसार सर्वसुविधायुक्त रिसॉर्ट निर्माण, कैफेटेरिया/रेस्टॉरेंट सुविधा, पर्यटन सूचना केन्द्र, पेयजल, शौचालय, पहुँचमार्ग, इंटरप्रिटेशन सेंटर, सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार/रखरखाव, जलपर्यटन, साईनेजेस आदि सम्मिलित है।

(बृजमोहन अग्रवाल) मंत्री, पर्यटन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 09.02.2024 की प्रश्नोंत्तर सूची के पृष्ठ कमांक .....**7**... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या **15**... (कमांक 160) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग 'क' में "सामुदायिक भवन" के स्थान पर कृपया "पंचायत भवन" पढ़ा जावे।

(बृजमोहन अग्रवाल)

मंत्री स्कूल शिक्षा

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

## शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :—

सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या—17 (क्र.—764)** का **पृथक वितरित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 11 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

#### प्रश्नों में संशोधन

#### माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 13.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 11 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या. 24 (कमांक 1008\*) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहती हूँ:—

## (क) प्रश्नों में संशोधन

(क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधान अनुसार जिला कबीरधाम में एक बाल देखरेख संस्था संचालित है। उक्त बाल देखरेख संस्था से प्रश्नावधि में गुम या लापता हुए बालकों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

## के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :--

(क) महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधान अनुसार जिला कबीरधाम में संचालित बाल देखरेख संस्था से प्रश्नावधि में गुम या लापता हुए बालकों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में उल्लेखित अनुसार है।

(लस्मी राजवाड़े) हस्तीक्षर<sub>म</sub>ष्टुव पदनाम धर्द्भा मंत्री) महिला एवं घल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, नवा स्वपुर, अटल नगर

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

## शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे:—

	तारांकित प्रश्नोत्तर	
ता.प्र.सं. ३ (क्र. ८९६) / उत्तर (ग)	पुस्तकालय में रखे प्रपत्र—(अ) अनुसार है।	पुस्तकालय में रखे <b>प्रपत्र—(स)</b> अनुसार है।
ता.प्र.सं. 13 (क्र. 654) / उत्तर (ग)	पुस्तकालय में रखे प्रपत्र—(द) अनुसार है।	पुस्तकालय में रखे प्रपत्र—(इ) अनुसार है।

मंगलवार, दिनांक 13 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या—3 (क्र.—896) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या—13 (क्र.—655) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

रायपुर

दिनांक : 12 फरवरी, 2024

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 14.02.2024 को प्रश्नोत्तरी सूची के आग-1 तारांकित प्रश्नोतर पृष्ठ क्रमांक 2 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 622) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

प्रश्नांश के उत्तर में संलग्न प्रपन्न (संलग्न "परिशिष्ट-दो") के पृष्ठ संख्या 2 से 9 में तालिका के सरल क्रमांक- 9, के शीर्षक में उल्लेखित लंबित को विलंब पढ़ा जावे:-

शेष जानकारी यथावत पढ़ा जावे।

अरुण साव उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण, लोक स्वा.यां. नगरीय प्रशा. एवं वि. तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं वि. तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ग" के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :-

जी हां। खल्लारी विधानसमा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील बागबाहरा में कुल खसरा संख्या 123 कुल रकबा 50.54 हेक्टेयर, तहसील कोमाखान में कुल खसरा संख्या 91 कुल रकबा 23.75 हेक्टेयर तथा तहसील पिथौरा में कुल खसरा संख्या 44 कुल रकबा 23.25 हेक्टेयर इस प्रकार खल्लारी विधानसमा क्षेत्र में कुल 258 खसरा संख्या कुल रकबा 97.54 हेक्टेयर का विक्रय हस्तांतरण किया गया है।

(टंकुराम वुम्मी) (टंकुराम वर्मा) मेन्री छत्ती करती स्टाइस्शास्त्री राजन्स्य एकंस्युप्य मध्यन, चेत एवं युवा कल्याण विभाऽ मवालय, महानदी भवन, नन्न पिक्नुन, अवस्मास्य

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिनांक 14102-12024की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 22-से 24 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या— 14.6 (क्रमांक—834) में, निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :— प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) में दिये गये "प्रपत्र—स" को संलग्न "प्रपत्र—स" अनुसार संशोधित कर पढ़ा जावे।

(केदार कश्यप) मंत्री छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग

प्रपत्र स तारांकित प्रश्न कमांक 834 के भाग (ख) की जानकारी विधानसभा क्षेत्र बसना में धान खरीदी केन्द्र में निर्माण एवं अन्य कार्य की जानकारी

酉.	उपार्जन केन्द्र का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
1	जगदीशपुर	200 मी. टन. गोदाम	12.48	11.00
2	चिमरकेल	200 मी. टन. गोदाम	12.48	10.36
3	बरेकेल	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
4	टेका	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	4.07
5	सरकडा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
6	राजाडेरा (राजाडीह)	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	3.99
7	बेल्दीडीह	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
8	जेराभरन	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	4.13
9	सागुनढाप	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	4.17
10	परसवानी	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	4.15
11	पेण्ड्रावन	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
12	भगतदेवरी	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
13	सांकरा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
14	सुखीपाली	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	3.41
15	भस्करापाली	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
16	धूमाभाठा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	3.92
17	खरोरा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	3.63
18	गौरटेक	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
19	बिछिया	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	3.54
20	भूकेल	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
21	बडेडाभा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	4.08
22	गढफुलझर	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	4.10
23	कुरचुण्डी	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	4.17
24	धामनघुटकुरी	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	3.58
25	बाराडोली	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	4.10
26	सल्डीह	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
27	रसोडा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
28	बडेटेमरी	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड	4.10	0.00
29	बरेकेल	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	0.00
30	बेल्दीडीह	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	. 0.00
31	सल्डीह	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	0.00
32	सांकरा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	0.00
33	रसोडा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	0.00
34	बिछिया	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	5.47
35	बडेडाभा	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	4.75
36	गढफुलझर	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	5.00
37	बाराडोली	पूर्व निर्मित चबुतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	4.83
38	टेका	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.36



Τ.				
क.	उपार्जन केन्द्र का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
39	राजाडेरा (राजाडीह)	नवीन शेंड कम गोदाम	7.50	7.21
40	भगतदेवरी	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	0.00
41	सुखीपाली	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	5.88
42	भस्करापाली	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	0.00
43	धूमाभाठा	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	6.91
44	सिंघनपुर	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	6.72
45	बसना	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	0.00
46	बडेटेमरी	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	0.00
47	कुरचुण्डी	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.26
48	धामनघुटकुरी	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	0.00
49	सिंघनपुर	नवीन शेड चबुतरा सहित	5.00	4.50
50	बसना	नवीन शेड चबुतरा सहित	5.00	4.29
51	चिमरकेल	नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	4.53
52	चिमरकेल	नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	4.78
53	पिथौरा	नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	4.46
54	जगदीशपुर	नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	4.67
55	जगदीशपुर	नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	4.65
56	जगदीशपुर	नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	4.69
	5	योग	310.76	174.36
		वित्तीय वर्ष 2023-24 (अक्टूबर 2023 त	क)	
कमांक	उपार्जन कॅन्द्र	वित्तीय वर्ष 2023—24 (अक्टूबर 2023 त स्वीकृत कार्य का नाम	क) स्वीकृत राशि (लाख में)	व्यय राशि (लाख में)
कमांक 1	उपार्जन कॅन्द्र टेका		स्वीकृत राशि	
	टेका राजा <del>डे</del> रा	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	(लाख में)
1	टेका	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56	(लाख में) 16.87
1 2	टेका राजाडेरा (राजाडीह)	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56	(लाख में) 16.87 12.66
1 2 3	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87
1 2 3 4	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82
1 2 3 4 5	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21
1 2 3 4 5 6	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21
1 2 3 4 5 6 7	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली नरसैयापल्लम	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21 16.64
1 2 3 4 5 6 7 8	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली नरसैयापल्लम	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21 16.64 15.60
1 2 3 4 5 6 7 8 9	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली नरसैयापल्लम जगदीशपुर धुमाभांठा	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21 16.64 15.60 22.40
1 2 3 4 5 6 7 8 9	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली नरसैयापल्लम जगदीशपुर धुमाभांठा	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21 16.64 15.60 22.40 22.39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली नरसैयापल्लम जगदीशपुर धुमाभांठा खरोरा	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21 16.64 15.60 22.40 22.39 22.40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली नरसैयापल्लम जगदीशपुर धुमाभांठा खरोरा गौरटेक बड़ेटेमरी	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21 16.64 15.60 22.40 22.39 22.40 22.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली नरसैयापल्लम जगदीशपुर धुमाभांठा खरोरा गौरटेक	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21 16.64 15.60 22.40 22.39 22.40 22.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	टेका राजाडेरा (राजाडीह) जेराभरन परसवानी सुखीपाली भस्करापाली नरसैयापल्लम जगदीशपुर धुमाभाठा खरोरा गौरटेक बड़ेटेमरी भूकेल	स्वीकृत कार्य का नाम गोदाम भवन	स्वीकृत राशि (लाख में) 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56 25.56	(लाख में) 16.87 12.66 16.87 14.82 15.21 16.64 15.60 22.40 22.39 22.40 22.15 22.15

(केंदार कश्यप) मंत्री छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 14.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 06 एवं 07 में मुद्रित तारांकित / परि. अतारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या – 18 (कमांक – 568) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) में उल्लेखित "कांकेर जिले में वर्तमान में स्थानांतरण नीति लागू नहीं है" के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :— "कांकेर जिले में वर्तमान में स्थानांतरण नीति लागू है।"

(टंक राम वर्मा)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(टंकराम वर्मा) मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ंत्रालय. महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 14.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 09–10 में मुद्रित ताराकित / परि. अतारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्रमांक 1152) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :--

40/4, 10/4, 19/4, 9/5 खसरा नंबरों के मुआवजा राशि का वितरण अवार्ड पारित करने के पश्चात् भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा राशि वितरण किया गया है। जाँच के पूर्व ही उक्त खसरा नंबर के भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है। जाँच प्रतिवेदन दिनांक 23.2.2023 के अनुसार ख.नं. 10/4 कूल रकबा 1.16 एकड में से रकबा 0.44 एकड़ भूमि भू-अर्जन में प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है अवार्ड में रकबा 0.25 एकड दर्ज है। ख.नं. 19/4 रकबा 1.07 एकड का मुआवजा राशि श्रीमती शारदा देवी को भुगतान किया गया है, उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख में दर्ज चौहद्दी के अनुसार नहर निर्माण / संरेखण में प्रभावित नही हो रहा है जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती शारदा देवी को भुगतान की गयी राशि वसुली होना प्रतिवेदित किया गया है। ख.नं. 9/5 रकबा 0.70 एकड़ में से 0.40 एकड़ भूमि का मुआवजा मनोज अग्रवाल पिता पवन अग्रवाल को भुगतान किया गया है। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार ख. नं. 9/5 में से रकबा 0.22 एकड़ भूमि नहर में प्रभावित हो रहा है। ख.नं. 40/4 रकबा 7.50 एकड में से 2.19 एकड भूमि का मुआवजा श्रीमती माया दुबे को भूगतान किया गया है उक्त खसरा नंबर में से 0.83 एकड़ भूमि नहर निर्माण / संरेखण में प्रभावित हुआ है। धारा-11 धारा-19 में प्रभावित रकबा 1.50 एकड़ का प्रकाशन किया गया है अवार्ड में रकबा 2.19 एकड़ पारित किया गया है। मुआनवजा राशि देने के बाद धान का उपज लिये जाने के संबंध में जांच शेष है।

(टंक राम वर्मा)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

(टंकराम वर्मा) मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय, महाबदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

## शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 14 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे:—

	तारांकित प्रश्नोत्तर	
ता.प्र.सं. 18 (क्र. 568) / उत्तर (क)	जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।	जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

रायपुर

दिनांक : 13 फरवरी, 2024

सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा

माननीय अध्यक्ष महोदय आज दिनांक 15.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृ.क्र. 03 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1155) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:—

प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित उत्तर (क) प्रदेश में नवम्बर 2023 तक कुल 300 रीपा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था और 300 रीपा स्थापित किये गये हैं। कोई पार्क स्थापित किया जाना शेष नहीं है। वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 में 44175.39 लाख रू. का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें राशि रू. 26001.70 लाख का भुगतान किया गया है। 13503.00 लाख रू. का भुगतान किया जाना शेष है।

# के स्थान पर निग्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे-

(क) प्रदेश में नवम्बर 2023 तक कुल 300 रीपा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था और 300 रीपा स्थापित किये गये हैं। कोई पार्क स्थापित किया जाना शेष नहीं है। वर्ष 2022—23 में 44175.39 लाख रू. का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें राशि रू. 26001.70 लाख का भुगतान किया गया है। 13503.46 लाख रू. का भुगतान किया जाना शेष है। वर्ष 2023—24 में 22718.60 लाख रू. का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें राशि रू. 17505.19 लाख का भुगतान किया गया है। 11001.17 लाख रू. का भुगतान किया जाना शेष है।

(विजय शर्मा)

उप मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्राभीण विकास विभाग

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

#### शुद्धि-पत्र

गुरूवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :—

गुरूवार, दिनांक 15 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या—01 (क्र.—859), तारांकित प्रश्न संख्या—05 (क्र.—1142), तारांकित प्रश्न संख्या—21 (क्र.—1059), का पुनरीक्षित उत्तर एवं तारांकित प्रश्न संख्या—13 (क्र.—348) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 14 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

## माननीय अध्यक्ष महोदय.

आज दिनांक 16.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ..... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ...5.... (कमांक 1275) में, मै निम्नानुसार संशोधन करना चाहता

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर में संलग्न प्रपत्र के सरल क्रमांक 8 के कॉलम नं. 4 में "व्यय राशि रू. 1600000" के स्थान पर कृपया "व्यय राशि रू. 3200000" पढ़ा जावे।

(बृजमोहन अग्रवाल) मंत्री

स्कूल शिक्षा

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

#### शुद्धि-पत्र

शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :—

शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या—09 (क्र.—598)** का **पृथक वितरित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 15 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

# प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 20.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 01 एवं 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 02 (\*क्रमांक 918) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" के प्रपत्र -"अ" के क्रमांक-219 के कॉलम "विकासखण्ड कोमाखान" एवं भाग "ख" के क्रमांक-4 कॉलम "धान उठाव करने वाले राईस मिलों की संख्या" 196 के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें:-

भाग "क" के प्रपत्र -"अ" के सरल क्रमांक 219 के कॉलम में "बागबहरा" एवं भाग "ख" में सरल क्रमांक 4 में वर्ष 2023-24 में धान उठाव करने वाले राईस मिलों की संख्या "206"

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(मा. मंत्री)

(दयालदास बघेल) मंत्री

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

# <u>पुनरीक्षित</u>

# प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 20.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 13 (\*क्रमांक 1071) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ग"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावें:-

(ग) सभी 05 शिकायतों का निराकरण किया गया है। शिकायत निराकरण हेत् शेष नहीं है। शिकायतों के निराकरण की जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है।

*\$3011* । हस्ताक्षर एवं पदनाम

(मा. मंत्री) (दयालदास बघेल)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संज्ञालय, नवा रायपुर, अटल नगर

भूपत्र-**ा** 

# बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध प्राप्त, निराकृत एवं लंबित शिकायतों की जानकारी (01 अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक)

क्रमांक	जिला	उचित मूल्य दुकान जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई	शिकायतों की निराकरण की स्थिति
1	बलौदाबाजार	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 442008022, नरधा, विकासखण्ड कसडोल	जांच में शिकायत सही पाए जाने पर उचित मूल दुकान संचालनकर्ता एजेंसी को निलंबित कर दिय गया है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गिरौध के न्यायालय में विचाराधीन है।
2		शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 442007073, भारतीय महिला स्व सहायता समूह अलीकूद सोनियाडीह	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई ।
3	सारंगद-बिलाईगद	शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 522007123, जागृति महिला स्व सहायता समूह, टेंगनाकाछार (थैरझिटि)	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई ।
4		शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 522007116, मॉ सफुरा स्व सहायता समूह, मुझ्पार (दे)	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई ।
5		शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 522007106, नंदनी महिला स्व सहायता समूह, सोनाडुला	जांच में शिकायत सही पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी के दुकान आवंटन को निरस्त किया गया है।



## संशोधित उत्तर

# प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 21.02.2024 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 04 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्रमांक 864) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:—

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख" एवं "ग" में संलग्न प्रपत्र "नगर पंचायत अभनपुर" की जानकारी को संशोधित प्रपत्र अनुसार पढ़ा जाए ।

(अरूण साव)

उप मुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

# नगर पंचायत अभनपुर

मद का नाम	स.क.	अपूर्ण कार्य का विवरण	अपूर्ण कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	अपूर्ण कार्य की अनुबंध अवधि समाप्त हो चुकी है (हाँ / नहीं)
1	2	3	4	5
राज्य प्रवर्तित योजना	1	वार्ड क. 11 सांस्कृतिक भवन निर्माण कार्य	31.03.2024	हॉ
	1	वार्ड क. 15 अशोक वर्मा घर से छोटे त्यागी घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण	25.04.2024	हॉ
केन्द्र प्रवर्तित योजना	2	वार्ड क. 15 सी.सी. रोड निर्माण अशोक वर्मा घर से छोटे त्यागी घर तक	25.04.2024	हाँ
(14वां वित्त आयोग	3	वार्ड क. 15 मदन राठी घर से मेन रोड तक आर.सी.सी. नाली निर्माण	25.04.2024	हॉ
	4	वार्ड क. 02 बगबुड़ा तालाब से शीतला तक नाली निर्माण कार्य	25.04.2024	हॉ
केन्द्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग	1	वार्ड क्र. 15 सुशील शर्मा घर से दाल मिल तक आर सी सी नाली कार्य	25.04.2024	हाँ
केन्द्र प्रवर्तित योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी)	1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक अंतर्गत 547 आवास निर्माण	अपूर्ण आवासों को मिशन अवधि 31 दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जावेगा	लागू नहीं
योग	7			

(अरूण साव)

उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

#### शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :—

बुधवार, दिनांक 21 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या—24 (क्र.—2007)** का **पुनरीक्षित उत्तर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 20 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 22 फरवरी, 2024 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक — 2132) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :—

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर वर्ष 2023—24 की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र—अ एवं ब" अनुसार है। वर्ष 2020—21 एवं 2022—23 की जानकारी निरंक है। के स्थान पर वर्ष 2023—24 की जानकारी "पुस्तकालय में रखे संशोधित प्रपत्र—अ" अनुसार है। शेष यथावत पढ़ा जाये।

(विजय शर्मा)

उप मुख्यमंत्री,

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मान. अध्यक्ष महोदय,


आज दिनांक 23.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 1 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 1 (कमांक 2199) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ग) में :-

"निजी अस्पतालों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मरीजों के बीमारियों के ईलाज हेतु पैकेज राशि की जानकारी अस्पतालों में सूचना पटल पर लगाने हेतु निर्देश जारी नहीं किए गए हैं एवं प्रावधनित नहीं है। उक्त सूची में 2404 से अधिक पैकेज के नाम व राशि की जानकारी होती है। जी नहीं। सूचना पटल पर लगाया जाना प्रावधनित है।"

#### के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :--

"जी नहीं। निजी अस्पतालों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मरीजों के बीमारियों के ईलाज हेतु पैकेज राशि की जानकारी अस्पतालों में सूचना पटल पर लगाने हेतु निर्देश जारी नहीं किए गए हैं एवं प्रावधनित नहीं है। उक्त सूची में 2404 से अधिक पैकेज के नाम व राशि की जानकारी होती है। सूचना पटल पर लगाया जाना प्रावधनित नहीं है।"



माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 23.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ......2..... में मुद्रित हूं:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "क" की जानकारी के कॉलम-03 में "स्वीकृत कार्य का नाम" के स्थान पर कृपया "स्वीकृत कार्य की संख्या" पढ़ा जावे।

्रिया । जिल्ला (बृजमोहन अग्रवाल) मंत्री

स्कूल शिक्षा

माननीय अध्यक्ष महोदय

मैं निम्नानुसार संशोधित करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग प्रश्नांश (ख) में :-

डॉ.भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में आने वाले मरीजों का आयुष्मान कार्ड निकालने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। पूर्व में एन.आई.सी. कार्यालय द्वारा आधार कार्ड केन्द्र का संचालन किया जा रहा था, जिसमें आधार कार्ड निकालने, सुधार करने इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध थी। पुनः सुविधा प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, इस हेतु तय समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। जी हाँ, मृत्यु पश्चात् मृतक का पंचनामा एवं शव परीक्षण हेतु आवेदन संबंधित पुलिस थाने द्वारा प्रस्तुत करने पर पोस्ट मार्टम (शव परीक्षण) की सुविधा संचालित है।

## के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :--

डॉ.भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में आने वाले मरीजों का आयुष्मान कार्ड निकालने की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध है। पूर्व में एन.आई.सी. कार्यालय द्वारा आधार कार्ड केन्द्र का संचालन किया जा रहा था, जिसमें आधार कार्ड निकालने, सुधार करने इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध थी। पुनः सुविधा प्रारंभ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है, इस हेतु तय समय सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। जी हाँ, मृत्यु पश्चात् मृतक का पंचनामा एवं शव परीक्षण हेतु आवेदन संबंधित पुलिस थाने द्वारा प्रस्तुत करने पर पोस्ट मार्टम (शव परीक्षण) की सुविधा संचालित है।

(श्याम बिहारी जायसवाल)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन लो.स्वा.प.क.चि.शि. एवं बी.सू.का. विधाग माननीय अध्यक्ष महोदय.

दिनांक 26-02-2024 को प्रश्नोत्तर की सूची के पृष्ठ कमांक 11 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 25 (कमांक 2395) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:-

प्रश्नोत्तर सूची में मृद्रित भाग (ख) एवं (ग) में-जानकारी संकलित की जा रही है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें,

- जी हाँ। जिला जगदलपुर, कोण्डागांव एवं सूरजपुर के द्वारा प्रश्नांश "क" के (ख) प्रावधानित राशि से इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाईट स्थापना के बजाय सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना की गई, जिस हेतु निविदा आमंत्रित की गई। कार्य परिवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई।
- जी हाँ। प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित परिवर्तित कार्यों हेतु कियान्वयन एजेंसियों के (ग) द्वारा निविदा प्रकिया तथा भंडार कय नियम का पालन किया गया। (

(बृजमोहन अग्रवाल) स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य,

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति

छत्तीसगढ श्रासन

# संशोधित/पुनरीक्षित

# प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय

आज दिनांक 27.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 05 एवं 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 14 (\*क्रमांक 2357) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित/पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावें:-

(ख) रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 15 फरवरी 2024 तक प्राप्त 21 शिकायतों की जांच में 05 शिकायतें सही पाई गई । सही पाई गई 05 शिकायतों के संबंध में संबंधित उचित मूल्य दुकान के संचालनकर्ता को नियमित रूप से दुकान खोलने के लिए निर्देशित किया गया है।

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम (दयानदास बहेलू)

ं (मान्नी मंत्री) लाद्य, नागरिक धानूर्वि एवं उपभोवता संरक्षण मंत्रालय, नवा सवपुर, अटल मगर

# छत्तीसगढ विधानसभा सचिवालय

#### शुद्धि—पत्र

मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या—03 (क्र.—599)** का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 26 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक २८.02.2024 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक ०७-०८ में मुद्रित र्तारांकित / परि. अतारांकित / अतारांकित प्रश्न संख्या .1.5....(क्रमांक 2337) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं:—

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) एवं (ख) के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :--

(क) वर्ष 2020 से 2023 तक जिला सक्ती में स्थापित संयंत्रों हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों की भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। न्यायालय कलेक्टर जिला—जांजगीर चांपा के रा.प्र.क. 02/3—19/(3)/2020—21 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 के अनुसार ग्राम टुण्ड्री, प.ह.नं. 02 तत्कालीन तहसील डभरा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 456 कुल रकबा 9.575 हेक्टेयर भूमि में से 3.327 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 455/1 कुल रकबा 1.720 हेक्टेयर में से 0.202 हेक्टेयर भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 1 क्रमांक 6 के तहत उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है।

(ख) उक्त शासकीय भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 1 क्रमांक 6 के तहतू उद्योग विभाग

को हस्तांतरित किया गया है। जी नहीं।

(टंक राम वर्मा)

मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

# छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :--

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या—17 (क्र.—1551) का पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,

रायपुर

दिनांक : 27 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा